उच्च न्यायालय दांडिक निर्णय पत्रिका

अप्रैल-जून, 2016

निर्णय-सूची

	पृष्ठ संख्या
अनूप के. पॉल **बनाम** राजस्थान राज्य	245
कपिल राम **बनाम** बिहार राज्य और एक अन्य	212
गिरधारी **बनाम** राजस्थान राज्य	232
दिल्ली राज्य **बनाम** विशेष चौधरी और अन्य	188
दीवान सिंह **बनाम** उत्तराखंड राज्य	182
मध्य प्रदेश राज्य **बनाम** सुरेन्द्र सिंह	220
राजीव कुमार सिंह **बनाम** उत्तर प्रदेश राज्य और एक अन्य	173
राजस्थान राज्य **बनाम** रेखाराम और अन्य	283
हरबंस लाल **बनाम** हिमाचल प्रदेश राज्य	295

संसद् के अधिनियम

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 का हिन्दी में प्राधिकृत पाठ	25 — 66

उच्च न्यायालय दांडिक निर्णय पत्रिका – अप्रैल-जून, 2016 (संयुक्तांक) (पृष्ठ संख्या 173 – 335)

अप्रैल-जून, 2016 (संयुक्तांक)

उच्च न्यायालय दांडिक निर्णय पत्रिका

प्रधान संपादक
अनूप कुमार वार्ष्णेय

संपादक
विनोद कुमार आर्य

महत्वपूर्ण निर्णय

दंड संहिता, 1860 (1860 का 45) – धारा 304ख और 498क [सपठित साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 6] – संदेह कितना भी गहरा क्यों न हो, सबूत का स्थान नहीं ले सकता – अभियुक्त की दोषिता साबित किए जाने के प्रयोजनार्थ उसकी दोषिता को युक्तियुक्त संदेह के परे साबित किया जाना चाहिए ।

दीवान सिंह बनाम **उत्तराखंड राज्य** 182

संसद् के अधिनियम

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 का हिन्दी में प्राधिकृत पाठ (25) – (66) क्रमशः

पृष्ठ संख्या 173 – 335 **(2016) 1 दा. नि. प.**

विधि साहित्य प्रकाशन
विधायी विभाग
विधि और न्याय मंत्रालय
भारत सरकार

संपादक-मंडल

डा. जी. नारायण राजू,
सचिव, विधायी विभाग

डा. एन. आर. बट्टू, संयुक्त सचिव एवं विधायी परामर्शी, विधायी विभाग

डा. बी. एन. मणि,
सेवानिवृत्त अपर विधि सलाहकार,
विधि मंत्रालय

डा. सुरेन्द्र कुमार शर्मा, प्रिन्सिपल, विधि विभाग, डी आई आर डी, गुरु गोविंद सिंह इन्द्रप्रस्थ विश्वविद्यालय

डा. ऋषिपाल सिंह,
सेवानिवृत्त संयुक्त सचिव एवं विधायी परामर्शी, राजभाषा खंड

श्री कृष्ण गोपाल अग्रवाल,
सेवानिवृत्त संपादक, वि.सा.प्र.

श्री जुगल किशोर,
सेवानिवृत्त संपादक, वि.सा.प्र.

डा. अनुराग दीप,
एसोसिएट प्रोफेसर,
भारतीय विधि संस्थान

श्री अनूप कुमार वार्ष्णेय,
प्रधान संपादक

डा. मिथिलेश चन्द्र पांडेय,
संपादक

श्री विनोद कुमार आर्य,
संपादक

श्री कमला कान्त,
संपादक

सहायक संपादक : सर्वश्री अविनाश शुक्ला, असलम खान, पुण्डरीक शर्मा और जगमाल सिंह

उप-संपादक : सर्वश्री महीपाल सिंह और जसवन्त सिंह

कीमत : डाक-व्यय सहित

एक प्रति : ₹ 36

वार्षिक : ₹ 135

© 2016 भारत सरकार, विधि और न्याय मंत्रालय

प्रकाशन और विक्रय प्रबंधक, विधि साहित्य प्रकाशन, विधि और न्याय मंत्रालय (विधायी विभाग), भगवानदास मार्ग, नई दिल्ली-110001 द्वारा प्रकाशित तथा..... द्वारा मुद्रित ।

भारत के समाचारपत्रों के रजिस्ट्रार द्वारा रजिस्ट्रीकृत रजि. सं. 47259/88

सादर

विधि साहित्य प्रकाशन द्वारा तीन मासिक निर्णय पत्रिकाओं – उच्चतम न्यायालय निर्णय पत्रिका, उच्च न्यायालय सिविल निर्णय पत्रिका और उच्च न्यायालय दांडिक निर्णय पत्रिका का प्रकाशन किया जाता है । उच्चतम न्यायालय निर्णय पत्रिका में उच्चतम न्यायालय के चयनित निर्णयों को और उच्च न्यायालय सिविल निर्णय पत्रिका तथा उच्च न्यायालय दांडिक निर्णय पत्रिकाओं में देश के विभिन्न उच्च न्यायालयों के क्रमशः चयनित सिविल और दांडिक निर्णयों को हिन्दी में प्रकाशित किया जाता है । इन पत्रिकाओं को और अधिक आकर्षक बनाने के लिए इनमें जनवरी, 2010 के अंक से महत्वपूर्ण केन्द्रीय अधिनियमों का प्राधिकृत हिन्दी पाठ पाठकों की सुविधा के लिए श्रृंखलाबद्ध रूप से प्रकाशित किया जा रहा है । तीनों निर्णय पत्रिकाओं की वार्षिक कीमत केवल ₹ 495/- है । उच्चतम न्यायालय निर्णय पत्रिका की वार्षिक कीमत ₹ 225/- है, उच्च न्यायालय सिविल निर्णय पत्रिका की वार्षिक कीमत ₹ 135/- है और उच्च न्यायालय दांडिक निर्णय पत्रिका की वार्षिक कीमत ₹ 135/- है । तीनों मासिक निर्णय पत्रिकाओं के नियमित ग्राहक बनकर हिन्दी के प्रचार-प्रसार के इस महान यज्ञ के भागी बन कर अनुगृहीत करें ।

विधि साहित्य प्रकाशन
(विधायी विभाग)
विधि और न्याय मंत्रालय
भारत सरकार
भारतीय विधि संस्थान भवन,
भगवान दास मार्ग, नई दिल्ली-110001
दूरभाष : 011-23387589, 23385259, 23382105

विधि साहित्य प्रकाशन द्वारा प्रकाशित और विक्रय के लिए उपलब्ध विधि पाठ्य पुस्तकों की सूची

	पुस्तक का नाम	लेखक	पृष्ठ सं.	कीमत (₹)
1.	भारत का विधिक इतिहास	श्री सुरेन्द्र मधुकर	410	30.00
2.	माल विक्रय और परक्राम्य लिखत विधि	डा. एन. पी. परांजपे	371	40.00
3.	वाणिज्य विधि	डा. आर. एल. भट्ट	630	108.00
4.	अपकृत्य विधि के सिद्धान्त (तृतीय संस्करण)	श्री शर्मन लाल अग्रवाल	357	40.00
5.	अंतर्राष्ट्रीय विधि के प्रमुख निर्णय (द्वितीय संस्करण)	डा. एस. सी. खरे	273	115.00
6.	मानव अधिकार	डा. शिवदत्त शर्मा	340	120.00
7.	दण्ड प्रक्रिया संहिता	न्या. महावीर सिंह	840	200.00

पुस्तकों की सूची जिन पर छूट देने की स्वीकृति प्राप्त की गई है ।

	पुस्तक का नाम	लेखक	पृष्ठ सं.	मूल दर (₹)	संशोधित दर (₹)
1.	संविदा विधि (द्वितीय संस्करण)	डा. रामगोपाल चतुर्वेदी	552	275.00	137.00
2.	श्रम विधि (तृतीय संस्करण)	श्री गोपी कृष्ण अरोड़ा	658	452.00	226.00
3.	चिकित्सा न्यायशास्त्र और विष विज्ञान (तृतीय संस्करण)	डा. सी. के. पारिख अनुवादक डा. एन. के. पटौरिया	969	293.00	146.00
4.	आधुनिक पारिवारिक विधि	श्री राम शरण माथुर	767	429.00	214.00
5.	भारतीय स्वातंत्र्य संग्राम (कालजयी निर्णय)	संकलन संपादन – ब्रह्मदेव चौबे	209	225.00	112.00
6.	हिन्दू विधि (द्वितीय संस्करण)	डा. रवीन्द्र नाथ	617	425.00	212.00
7.	भारतीय दंड संहिता	डा. रवीन्द्र नाथ	696	741.00	370.00
8.	भारतीय भागीदारी अधिनियम (द्वितीय संस्करण)	श्री माधव प्रसाद वशिष्ठ	272	165.00	82.00
9.	प्रशासनिक विधि (तृतीय संस्करण)	डा. कैलाश चन्द्र जोशी	635	200.00	100.00
10.	विधिक उपचार (द्वितीय संस्करण)	डा. एस. के. कपूर	414	311.00	155.00
11.	विधि शास्त्र	डा. शिवदत्त शर्मा	501	580.00	377.00

विधि साहित्य प्रकाशन

(विधायी विभाग)

विधि और न्याय मंत्रालय

भारत सरकार

भारतीय विधि संस्थान भवन,

भगवान दास मार्ग, नई दिल्ली-110001

विषय-सूची

पृष्ठ संख्या

घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम, 2005 (2005 का 43)

– धारा 12 – भरण-पोषण – जहां विच्छिन्न महिला के साथ विवाह के अस्तित्व के दौरान घरेलू हिंसा की जाती है वहां वह भरण-पोषण का दावा करने की हकदार है ।

राजीव कुमार सिंह बनाम **उत्तर प्रदेश राज्य और एक अन्य** 173

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2)

– धारा 273(3) – दोषमुक्ति – यदि अभियुक्त को विचारण न्यायालय द्वारा दोषमुक्त कर दिया गया है और अपील न्यायालय के समक्ष दो युक्तिसंगत निष्कर्ष संभव हो तो अपील न्यायालय को विचारण न्यायालय द्वारा अभिलिखित दोषमुक्ति के निष्कर्ष में व्यवधान उत्पन्न नहीं करना चाहिए ।

दिल्ली राज्य बनाम **विशेष चौधरी और अन्य** 188

– धारा 319 – अतिरिक्त अभियुक्त को समन भेजे जाने का आदेश – विधिमान्यता – डिमांड ड्राफ्टों की चोरी और कूटरचना – बैंक के शाखा प्रबंधक – आवेदक पर अभियुक्त व्यक्ति के साथ विचारण किए जाने की ईप्सा किया जाना – यह अभिकथन किया जाना कि मांग ड्राफ्टों पर कूटरचना तब हुई जब वे ब्रांच प्रबंधक की अभिरक्षा में थी – यदि आवेदक/शाखा प्रबंधक ने अपराध किए जाने में भागीदारी की थी और आवेदक को समन भेजने के लिए आवेदन उसके साक्षी के रूप में विचारण न्यायालय के समक्ष अभिसाक्ष्य देने के पश्चात् फाइल नहीं किया गया है तो साक्ष्य समाप्ति के 2 वर्ष पश्चात् जब अपराध किए जाने

पृष्ठ संख्या

के संबंध में आवेदक के विरुद्ध कोई सामग्री उपलब्ध न हो तब अतिरिक्त अभियुक्त के रूप में आवेदक को समन भेजे जाने का आदेश अनुचित है ।

कपिल राम बनाम **बिहार राज्य और एक अन्य** 212

– धारा 482 [सपठित दंड संहिता, 1860 की धारा 376, 313 और 420] – प्रथम इत्तिला रिपोर्ट का अभिखंडन – जहां मामले के तथ्यों और परिस्थितियों से यह साबित नहीं होता कि याची ने पीड़िता को विवाह करने का वादा करके उसके साथ बलात्संग किया, विवाह करने का झूठा वादा किया और ऐसा कोई साक्ष्य नहीं है कि पीड़िता की सम्मति के बिना उसके शिशु का गर्भपात करवाया, वहां उपरोक्त धाराओं के अधीन दर्ज प्रथम इत्तिला रिपोर्ट अभिखंडित किए जाने योग्य है ।

अनूप के. पॉल बनाम **राजस्थान राज्य** 245

दंड संहिता, 1860 (1860 का 45)

– धारा 148, 307/149, 323, 324 और धारा 326 [सपठित अपराधी परिवीक्षा अधिनियम, 1958 की धारा 4(1) और 12] – अभियुक्त-अपीलार्थियों द्वारा आहत व्यक्तियों को चोटें पहुंचाया जाना – मामले में शामिल अभियुक्त-अपीलार्थियों को दोषसिद्ध किया जाना – एक अभियुक्त को दोषमुक्त किया जाना – डाक्टरों द्वारा की गई चिकित्सा परीक्षण में विरोधाभास होना – चिकित्सा परीक्षण से अभियुक्त के विरुद्ध दंड संहिता की धारा 326 का मामला न बनते हुए धारा 324 का मामला बनता है अतः अभियुक्त को धारा 324 के अधीन दोषसिद्ध किया जाना उचित है ।

गिरधारी बनाम **राजस्थान राज्य** 232

– धारा 300 [सपठित साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 3] – हत्या – हेतु – मामले के तथ्यों और परिस्थितियों

पृष्ठ संख्या

के परिशीलन से यह स्पष्ट होता है कि शिकायतकर्ता और मृतक के बीच अभिकथित शत्रुता अपराध कारित किए जाने के हेतु को साबित करने के लिए मौजूद नहीं है, अतः हेतु साबित न होने के कारण अभियुक्त को सिद्धदोष नहीं ठहराया जा सकता ।

राजस्थान राज्य बनाम **रेखाराम और अन्य** 283

– धारा 300 [सपठित साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 3] – हत्या – प्रत्यक्षदर्शी साक्षी – मामले के तथ्यों के अनुसार अभियुक्त अपनी यौवनावस्था में थे और शिकायतकर्ता, जिसकी उम्र 77 वर्ष थी और नजर कमजोर थी कि अभियुक्त को शिकायतकर्ता पकड़ नहीं सके, का परिसाक्ष्य बनावटी और अविश्वसनीय प्रतीत होता है अतः, शिकायतकर्ता और सभी प्रत्यक्षदर्शी साक्षियों के परिसाक्ष्य अविश्वसनीय होने के कारण अभियुक्तों को दोषसिद्ध नहीं ठहराया गया ।

राजस्थान राज्य बनाम **रेखाराम और अन्य** 283

– धारा 302 और 201 [सपठित साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 68 और 65ख तथा दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 154] – हत्या – प्रत्यक्षदर्शी साक्षी का अभाव – हेतुक का अभाव – पारिस्थितिक साक्ष्य – अभियुक्त का पश्चात्वर्ती आचरण संदेहपूर्ण नहीं होना – दोषसिद्धि – जहां हत्या के मामले में, प्रत्यक्षदर्शी साक्षी के अभाव में, मात्र पारिस्थितिक साक्ष्य पर दोषसिद्धि की जाती है तो यह तभी कायम रखी जा सकती है जबकि अपराध को जोड़ने वाली परिस्थितियों की कड़ियां पूर्ण होती हों और उन्हें अभिलेख पर इस प्रकार से सिद्ध कर दिया जाता है कि उक्त अपराध को कारित करने के बारे में कोई भी युक्तियुक्त संदेह न बचता हो कि उक्त अपराध किसी और व्यक्ति ने कारित नहीं किया है ।

हरबंस लाल बनाम **हिमाचल प्रदेश राज्य** 295

पृष्ठ संख्या

– धारा 304ख और 498क – किसी स्त्री के पति या पति के नातेदार द्वारा उसके प्रति क्रूरता किया जाना – पत्नी की मृत्यु का कारण दहेज की मांग पूरा न किया जाना – स्त्री के साथ क्रूरतापूर्ण व्यवहार करके दहेज की मांग किया जाना अनिवार्य शर्त है जिसके अनुपस्थित रहने पर पति या पति के नातेदारों को क्रूरतापूर्ण आचरण द्वारा दहेज मृत्यु का दोषी नहीं ठहराया जा सकता ।

दीवान सिंह बनाम **उत्तराखंड राज्य** 182

– धारा 304ख और 498क [सपठित साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 6] – संदेह कितना भी गहरा क्यों न हो, सबूत का स्थान नहीं ले सकता – अभियुक्त की दोषिता साबित किए जाने के प्रयोजनार्थ उसकी दोषिता को युक्तियुक्त संदेह के परे साबित किया जाना चाहिए ।

दीवान सिंह बनाम **उत्तराखंड राज्य** 182

– धारा 354 – दंड – अपराध का 24 वर्ष पूर्व किया जाना – जुर्माने का आदेश – अभियुक्त पर केवल 25,000/- रुपए जुर्माने का दंड अधिरोपित किया जाना न्यायसंगत है और जुर्माने का संदाय का व्यतिक्रम करने पर छह मास का कारावास भोगे जाने का आदेश भी उचित है ।

मध्य प्रदेश राज्य बनाम **सुरेन्द्र सिंह** 220

– धारा 376, 511 और धारा 354 – बलात्संग का प्रयास – अप्राप्तवय लड़की का शीलभंग – पीड़िता का यह कथन किया जाना कि अभियुक्त ने बलपूर्वक उसे अपनी जांघ पर बैठाया और उसकी जांघिया हटाने के पश्चात् उसके गुप्तांग भाग पर अपना शिश्न प्रवेश का प्रयास किया – अभियुक्त द्वारा किया गया अपराध बलात्संग के प्रयास के अन्तर्गत नहीं आता, यह अपराध

पृष्ठ संख्या

अप्राप्तवय लड़की की लज्जा भंग करने के अन्तर्गत आता है अतः अभियुक्त धारा 354 के अपराध का दोषी है ।

मध्य प्रदेश राज्य बनाम **सुरेन्द्र सिंह** 220

– धारा 498क, 306 और धारा 34 – किसी स्त्री के पति या पति के नातेदार द्वारा क्रूरता किया जाना – अपराध को धारा 498क की परिधि के अंतर्गत लाए जाने के लिए स्त्री का इस धारा में उल्लिखित प्रयोजनों के साथ उत्पीड़न किया जाना आवश्यक है – यदि अभियुक्तों के विरुद्ध उत्पीड़न के मात्र सामान्य आरोप लगाए गए हैं और अभियोजन दहेज की मांगों या उत्पीड़न के आरोपों को अपराध में फंसाने वाले साक्ष्य की सहायता से साबित कर पाने में विफल रहा है, तो अभियुक्त दोषमुक्ति का हकदार है ।

दिल्ली राज्य बनाम **विशेष चौधरी और अन्य** 188

राजीव कुमार सिंह

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और एक अन्य

तारीख 17 अगस्त, 2015

न्यायमूर्ति मनोज मिश्र

घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम, 2005 (2005 का 43) – धारा 12 – भरण-पोषण – जहां विच्छिन्न महिला के साथ विवाह के अस्तित्व के दौरान घरेलू हिंसा की जाती है वहां वह भरण-पोषण का दावा करने की हकदार है ।

पत्नी का विवाह आवेदक के साथ 4 मार्च, 2009 को हुआ और इसके पश्चात् वे वर्ष 2013 तक पति-पत्नी के रूप में साथ-साथ रहे । आवेदक के अनुसार पत्नी मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं थी, अतः आरंभ में विवाह को शून्य घोषित करने के लिए एक वाद अर्थात् 2011 का 777 फाइल किया गया जिसमें 11 दिसंबर, 2011 को समझौता हो गया और पत्नी को पुनः उसके ससुराल लाया गया । इसके पश्चात् आवेदक के अनुसार आवेदक और उसके कुटुम्ब के सदस्यों के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 498क, 323, 324, 506 और दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा 3 और 4 के अधीन वाराणसी जिले के शिवपुर थाने में मार्च, 2013 मास में पत्नी द्वारा प्रथम इत्तिला रिपोर्ट दर्ज कराने के परिणामस्वरूप संबंध खराब हो गए जिसमें अन्वेषण करने पर आरोप पत्र प्रस्तुत किया गया । यद्यपि, आवेदक के अनुसार इस न्यायालय द्वारा कार्यवाहियों पर रोक लगा दी गई । आवेदक का यह पक्षकथन है कि पत्नी के दुर्व्यवहार से ग्रस्त होकर आवेदक ने विवाह-विच्छेद का वाद संस्थित किया जिसकी एक पक्षीय डिक्री 23 सितंबर, 2013 को हुई । इसी बीच तारीख 23 अप्रैल, 2013 को विपक्षी पत्नी ने उक्त आवेदन पर विभिन्न अनुतोष अवलंबित कार्यवाहियों के लिए अधिनियम की धारा 12 के अधीन और तारीख 14 फरवरी, 2014 को अंतरिम संरक्षण के लिए अधिनियम की धारा 23 के अधीन आवेदन फाइल किया जिस पर आक्षेपित आदेश पारित किया गया ।

आवेदक द्वारा आक्षेपित आदेश को चुनौती देते हुए इस न्यायालय के समक्ष याचिका फाइल की गई । उच्च न्यायालय द्वारा याचिका खारिज करते हुए,

अभिनिर्धारित – अधिनियम की धारा 3 के स्पष्टीकरण-1 के खंड (iv) के उपखंड (क) में यह उपबंध है कि ऐसे सभी या किन्हीं आर्थिक या वित्तीय संसाधनों, जिनके लिए व्यथित व्यक्ति किसी विधि या रूढ़ि के अधीन हकदार है, चाहे वे किसी न्यायालय के किसी आदेश के अधीन या अन्यथा संदेय हों या जिनकी व्यथित व्यक्ति, किसी आवश्यकता के लिए, जिसके अंतर्गत व्यथित व्यक्ति और उसके बालकों, यदि कोई हों, के लिए घरेलू आवश्यकताएं भी हैं, अपेक्षा करता है, किंतु जो उन तक सीमित नहीं हैं, स्त्रीधन, व्यथित व्यक्ति के संयुक्त रूप से या पृथक्तः स्वामित्वाधीन संपत्ति, साझी गृहस्थी और उसके रखरखाव से संबंधित भाटक का संदाय, से वंचित करना । इस मामले में विपक्षी पक्षकार सं. 2 द्वारा यह अभिकथन किया गया है कि उसके साथ शारीरिक रूप से हमला किया गया और उसे ससुराल से बाहर कर दिया गया और तत्पश्चात् उसका भरण-पोषण न देकर उपेक्षा की गई यद्यपि, आवेदक अभिलाभ पद पर नियोजित था और उसके पास आय का कोई स्रोत नहीं था । अतः अभिकथनों से प्रथमदृष्ट्या यह प्रतीत होता है कि वह घरेलू हिंसा गठित करने वाले कार्य के अधीन थी जबकि वह विवाह के अस्तित्व के दौरान प्रत्यर्थी (इसमें आवेदक) के साथ घरेलू संबंध में थी । तद्नुसार, अधिनियम के अधीन उसका आवेदन संधार्य है । यह स्पष्ट किया जाता है कि इस न्यायालय ने अपने पति के विरुद्ध विवाह-विच्छेदयुक्त महिला के अनुरोध पर अधिनियम की धारा 12 के अधीन आवेदन की संधार्यता और अंतरिम संरक्षण आदेश के औचित्य पर ही अपनी राय व्यक्त की है किंतु किसी पक्षकार के दावे के गुणागुण पर कोई राय व्यक्त नहीं की है जिस पर इस आदेश में इस न्यायालय द्वारा व्यक्त किए गए किसी विचार से स्वतंत्र रूप में पक्षकारों द्वारा उसके समक्ष प्रस्तुत साक्ष्य के आधार पर निचले न्यायालयों द्वारा विचार किया जाएगा । (पैरा 12, 13 और 15)

निर्दिष्ट निर्णय

		पैरा
[2014]	(2014) 10 एस. सी. सी. 736 : **जुबेरिया अब्दुल माजिद पतना** बनाम **आतिफ इकबाल मंसूरी और एक अन्य** ।	9

आरंभिक (दांडिक) अधिकारिता : 2015 का आवेदन सं. 20661.

दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के अधीन आवेदन ।

आवेदक की ओर से सर्वश्री अमरेन्द्र प्रताप सिंह और त्रिलोकी सिंह

विपक्षी पक्षकार की ओर से सरकारी अधिवक्ता

न्यायमूर्ति मनोज मिश्र – आवेदक के विद्वान् काउंसेल, राज्य के विद्वान् अपर सरकारी अधिवक्ता को सुना और अभिलेख का परिशीलन किया ।

2. दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के अधीन यह आवेदन 2013 के मामला सं. 891 में वाराणसी के अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय सं. 1 द्वारा पारित तारीख 16 जुलाई, 2015 के निर्णय को अपास्त करने के लिए फाइल किया गया है जिसके द्वारा विद्वान् मजिस्ट्रेट ने घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'अधिनियम' कहा गया है) की धारा 23 की शक्ति का प्रयोग करते हुए आदेश की तारीख से प्रत्येक मास की 10 तारीख तक विपक्षी पक्षकार सं. 2 को अंतरिम भरण-पोषण 5,000/- रुपए का उपलब्ध कराने के लिए आदेश दिया गया है । आवेदक ने 2014 के दांडिक अपील सं. 112 में वाराणसी के अपर सेशन न्यायाधीश न्यायालय सं. 6 द्वारा पारित 8 जून, 2015 के आदेश को भी चुनौती दी है जिसके द्वारा आदेश तारीख 16 जुलाई, 2014 के विरुद्ध अधिनियम की धारा 29 के अधीन आवेदक की अपील खारिज कर दी गई ।

3. वे तथ्य जो अभिलेख से उद्भूत होते हैं इस प्रकार हैं कि विपक्षी पक्षकार सं. 2 को विवाह आवेदक के साथ 4 मार्च, 2009 को हुआ और इसके पश्चात् वे वर्ष 2013 तक पति-पत्नी के रूप में साथ-साथ रहे । आवेदक के अनुसार विपक्षी पक्षकार सं. 2 मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं थी अतः आरंभ में विवाह को शून्य घोषित करने के लिए एक वाद अर्थात् 2011 का 777 फाइल किया गया जिसमें 11 दिसंबर, 2011 को समझौता हो गया और विपक्षी पक्षकार सं. 2 को पुनः उसके ससुराल लाया गया । इसके पश्चात् आवेदक के अनुसार आवेदक और उसके कुटुम्ब के सदस्यों के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 498क, 323, 324, 506 और दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा 3 और 4 के अधीन वाराणसी जिले के शिवपुर थाने में मार्च, 2013 मास में विपक्षी पक्षकार सं. 2 द्वारा प्रथम इत्तिला रिपोर्ट दर्ज कराने के परिणामस्वरूप संबंध खराब हो गए जिसमें

अन्वेषण करने पर आरोप पत्र प्रस्तुत किया गया । यद्यपि, आवेदक के अनुसार इस न्यायालय द्वारा कार्यवाहियों पर रोक लगा दी गई । आवेदक का यह पक्षकथन है कि विपक्षी पक्षकार सं. 2 के दुर्व्यवहार से ग्रस्त होकर आवेदक ने विवाह-विच्छेद का एक वाद संस्थित किया जिसकी एक पक्षीय डिक्री 23 सितंबर, 2013 को हुई । इसी बीच तारीख 23 अप्रैल, 2013 को विपक्षी पक्षकार सं. 2 ने उक्त आवेदन पर विभिन्न अनुतोष अवलंबित कार्यवाहियों के लिए अधिनियम की धारा 12 के अधीन और तारीख 14 फरवरी, 2014 को अंतरिम संरक्षण के लिए अधिनियम की धारा 23 के अधीन आवेदन फाइल किया जिस पर आक्षेपित आदेश पारित किया गया ।

4. अन्य बातों के साथ-साथ आवेदक के विद्वान् काउंसेल का यह निवेदन है कि विपक्षी पक्षकार सं. 2 के विरुद्ध विवाह-विच्छेद का आवेदक का वाद डिक्री हो गया है और उक्त डिक्री को किसी सक्षम न्यायालय द्वारा अभी तक अपास्त नहीं किया गया है । अतः विपक्षी पक्षकार सं. 2 अब आवेदक की पत्नी नहीं रही और इस प्रकार अधिनियम के अधीन उसका आवेदन संधार्य नहीं है अतः विपक्षी पक्षकार सं. 2 को कोई अंतरिम संरक्षण नहीं दिया जा सकता ।

5. कई अन्य तथ्यात्मक अभिवाक् उठाए गए हैं जिन पर यह ध्यान देते हुए विचार नहीं किया गया है कि मामला निचले न्यायालय के समक्ष लंबित है और उन अभिवाकों पर विचार करने से निचले न्यायालय की कार्यवाही पर प्रभाव पड़ सकता है ।

6. आवेदक के विद्वान् काउंसेल की यह दलील कि अधिनियम की धारा 12 के अधीन आवेदन और अधिनियम की धारा 23 के अधीन अंतरिम संरक्षण भी आवेदक के विरुद्ध संधार्य नहीं है क्योंकि डिक्री के अधीन आवेदक से उसका विवाह-विच्छेद हो चुका है, स्वीकार नहीं की जा सकती ।

7. अधिनियम की धारा 2(क) व्यथित व्यक्ति को इस प्रकार परिभाषित करती है – 'व्यथित व्यक्ति' से कोई ऐसी महिला अभिप्रेत है जो प्रत्यर्थी की घरेलू नातेदारी में है या रही है और जिसका अभिकथन है कि वह प्रत्यर्थी द्वारा किसी घरेलू हिंसा का शिकार रही है । अधिनियम की धारा 2(थ) में प्रत्यर्थी को परिभाषित किया गया है जो इस प्रकार है – 'प्रत्यर्थी' से ऐसा कोई वयस्क पुरुष अभिप्रेत है, जो व्यथित व्यक्ति की घरेलू नातेदारी में है या रहा है और जिसके विरुद्ध व्यथित व्यक्ति ने इस अधिनियम के अधीन कोई अनुतोष चाहा है ; परंतु यह कि कोई व्यथित पत्नी या विवाह की प्रकृति की किसी नातेदारी में रहने वाली कोई महिला

भी पति या पुरुष भागीदार के किसी नातेदार के विरुद्ध शिकायत फाइल कर सकेगी । धारा 2(च) घरेलू नातेदारी को इस प्रकार परिभाषित करती है – 'घरेलू नातेदारी' से ऐसे दो व्यक्तियों के बीच नातेदारी अभिप्रेत है, जो साझी गृहस्थी में एक साथ रहते हैं या किसी समय एक साथ रह चुके हैं, जब वे, समरक्तता, विवाह द्वारा या विवाह दत्तक ग्रहण की प्रकृति की किसी नातेदारी द्वारा संबंधित हैं या एक अविभक्त कुटुंब के रूप में एक साथ रहने वाले कुटुंब के सदस्य हैं ; धारा 2(एस) साझी गृहस्थी को परिभाषित करती है जो इस प्रकार है – 'साझी गृहस्थी' से ऐसी गृहस्थी अभिप्रेत है, जहां व्यथित व्यक्ति रहता है या किसी घरेलू नातेदारी में या तो अकेले या प्रत्यर्थी के साथ किसी प्रक्रम पर रह चुका है, और जिसके अंतर्गत ऐसी गृहस्थी भी है जो चाहे उस व्यथित व्यक्ति और प्रत्यर्थी के संयुक्ततः स्वामित्व या किरायेदारी में है, या उनमें से किसी के स्वामित्व या किरायेदारी में है, जिसके संबंध में या तो व्यथित व्यक्ति या प्रत्यर्थी या दोनों संयुक्त रूप से या अकेले, कोई अधिकार, हक, हित या साम्या रखते हैं और जिसके अंतर्गत ऐसी गृहस्थी भी है जो ऐसे अविभक्त कुटुंब का अंग हो सकती है जिसका प्रत्यर्थी, इस बात पर ध्यान दिए बिना कि प्रत्यर्थी या व्यथित व्यक्ति का उस गृहस्थी में कोई अधिकार, हक या हित है, एक सदस्य है ।

8. परिभाषा खंडों में 'रही है' शब्दों और 'जो किसी समय साथ-साथ रहे हैं' या 'अकेले या प्रत्यर्थी के साथ घरेलू नातेदारी में किसी प्रक्रम पर एक साथ रहे हैं' पदों का भी महत्व है जिसका यह अभिप्राय है कि यदि महिला प्रत्यर्थी के साथ विवाहित महिला के रूप में वर्तमान में प्रास्थितिक का उपभोग नहीं कर रही है तो भी वह व्यथित व्यक्ति बनी रहेगी यदि वह प्रत्यर्थी के साथ घरेलू संबंध के दौरान घरेलू हिंसा के किसी कार्य से ग्रस्त है ।

9. उपरोक्त से यह स्पष्ट है कि जहां तक कि विवाह-विच्छेदयुक्त पत्नी भी व्यथित व्यक्ति के रूप में अधिनियम के अधीन दावा कर सकती है, बशर्ते उसका यह कथन हो कि वह प्रत्यर्थी के साथ घरेलू संबंध के दौरान प्रत्यर्थी द्वारा घरेलू हिंसा के किसी कार्य से ग्रस्त है । उपरोक्त मत का समर्थन **जुबेरिया अब्दुल माजिद पतन** बनाम **आतिफ इकबाल मंसूरी और एक अन्य**[1] वाले मामले में उच्चतम न्यायालय के विनिश्चय से प्राप्त है ।

10. घरेलू हिंसा को अधिनियम की धारा 3 के अधीन इस प्रकार परिभाषित किया गया है :–

---

[1] (2014) 10 एस. सी. सी. 736.

"**घरेलू हिंसा की परिभाषा** – इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए प्रत्यर्थी के लिए प्रत्यर्थी का कोई कार्य, लोप या किसी कार्य का करना या आचरण, घरेलू हिंसा गठित करेगा यदि वह, –

(क) व्यथित व्यक्ति के स्वास्थ्य, सुरक्षा, जीवन, अंग की या चाहे उसकी मानसिक या शारीरिक भलाई की अपहानि करता है, या उसे कोई क्षति पहुंचाता है या उसे संकटापन्न करता है या उसकी ऐसा करने की प्रवृत्ति है और जिसके अंतर्गत शारीरिक दुरुपयोग, लैंगिक दुरुपयोग, मौखिक और भावनात्मक दुरुपयोग और आर्थिक दुरुपयोग कारित करता भी है; या

(ख) किसी दहेज या अन्य संपत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति के लिए किसी विधिविरुद्ध मांग की पूर्ति के लिए उसे या उससे संबंधित किसी अन्य व्यक्ति को प्रपीड़ित करने की दृष्टि से व्यथित व्यक्ति का उत्पीड़न करता है या उसकी अपहानि करता है या उसे क्षति पहुंचाता है या संकटापन्न करता है ; या

(ग) खंड (क) या खंड (ख) में वर्णित किसी आचरण द्वारा व्यथित व्यक्ति या उससे संबंधित किसी व्यक्ति पर धमकी का प्रभाव रखता है ; या

(घ) व्यथित व्यक्ति को, अन्यथा क्षति पहुंचाता है या उत्पीड़न कारित करता है, चाहे वह शारीरिक हो या मानसिक ।

स्पष्टीकरण – इस धारा के प्रयोजनों के लिए, –

(i) 'शारीरिक दुरुपयोग' से ऐसा कोई कार्य या आचरण अभिप्रेत है जो ऐसी प्रकृति का है, जो व्यथित व्यक्ति को शारीरिक पीड़ा, अपहानि या उसके जीवन, अंग या स्वास्थ्य को खतरा कारित करता है या उससे उसके स्वास्थ्य या विकास का ह्रास होता है और इसके अंतर्गत हमला, आपराधिक अभित्रास और आपराधिक बल भी है ;

(ii) 'लैंगिक दुरुपयोग' से लैंगिक प्रकृति का कोई आचरण अभिप्रेत है, जो महिला की गरिमा का दुरुपयोग, अपमान, तिरस्कार करता है या उसका अन्यथा अतिक्रमण करता है ;

(iii) 'मौखिक और भावनात्मक दुरुपयोग' के अंतर्गत निम्नलिखित हैं, –

(क) अपमान, उपहास, तिरस्कार, गाली और विशेष रूप से संतान या नर बालक के न होने के संबंध में अपमान या उपहास ; और

(ख) किसी ऐसे व्यक्ति को शारीरिक पीड़ा कारित करने की लगातार धमकियां देना, जिसमें व्यथित व्यक्ति हितबद्ध हैं ;

(iv) 'आर्थिक दुरुपयोग' के अंतर्गत निम्नलिखित हैं –

(क) ऐसे सभी या किन्हीं आर्थिक या वित्तीय संसाधनों, जिनके लिए व्यथित व्यक्ति किसी विधि या रूढ़ि के अधीन हकदार है, चाहे वे किसी न्यायालय के किसी आदेश के अधीन या अन्यथा संदेय हों या जिनकी व्यथित व्यक्ति, किसी आवश्यकता के लिए, जिसके अंतर्गत व्यथित व्यक्ति और उसके बालकों, यदि कोई हों, के लिए घरेलू आवश्यकताएं भी हैं, अपेक्षा करता है, किंतु जो उन तक सीमित नहीं हैं, स्त्रीधन, व्यथित व्यक्ति के संयुक्त रूप से या पृथक्तः स्वामित्वाधीन संपत्ति, साक्षी गृहस्थी और उसके रखरखाव से संबंधित भाटक का संदाय, से वंचित करना ;

(ख) गृहस्थी की चीजबस्त का व्ययन, आस्तियों का चाहे वे जंगम हों या स्थावर, मूल्यवान वस्तुओं, शेयरों, प्रतिभूतियों, बंधपत्रों और उसके सदृश या अन्य संपत्ति का, जिसमें व्यथित व्यक्ति कोई हित रखता है या घरेलू नातेदारी के आधार पर उसके प्रयोग के लिए हकदार है या जिसकी व्यथित व्यक्ति या उसकी संतानों द्वारा युक्तियुक्त रूप से अपेक्षा की जा सकती है या उसके स्त्रीधन या व्यथित व्यक्ति द्वारा संयुक्ततः या पृथक्तः धारित किसी अन्य संपत्ति का कोई अन्यसंक्रामण ; और

(ग) ऐसे संसाधनों या सुविधाओं तक, जिनका

घरेलू नातेदारी के आधार पर कोई व्यथित व्यक्ति, उपयोग या उपभोग करने के लिए हकदार है, जिसके अंतर्गत साक्षी गृहस्थी तक पहुंच भी है, लगातार पहुंच के लिए प्रतिषेध या निर्बंधन ।

स्पष्टीकरण 2 – यह अवधारित करने के प्रयोजन के लिए कि क्या प्रत्यर्थी का कोई कार्य, लोप या किसी कार्य का करना या आचरण इस धारा के अधीन 'घरेलू हिंसा' का गठन करता है, मामले के संपूर्ण तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार किया जाएगा ।"

11. धारा 3 के परिशीलन से यह दर्शित होता है कि इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए प्रत्यर्थी का कोई कार्य, लोप या कार्य करना या आचरण घरेलू हिंसा गठित करेगा यदि वह व्यथित व्यक्ति के स्वास्थ्य, सुरक्षा, जीवन, अंग की चाहे उसकी मानसिक या शारीरिक भलाई की अपहानि करता है या उसे कोई क्षति पहुंचाता है या उसे संकटापन्न करता है या उसकी ऐसा करने की प्रवृत्ति है और जिसके अंतर्गत शारीरिक दुरुपयोग, लैंगिक दुरुपयोग, मौखिक और भावनात्मक दुरुपयोग और आर्थिक दुरुपयोग कारित करना भी है ।

12. अधिनियम की धारा 3 के स्पष्टीकरण-1 के खंड (iv) के उपखंड (क) में यह उपबंध है कि ऐसे सभी या किन्हीं आर्थिक या वित्तीय संसाधनों, जिनके लिए व्यथित व्यक्ति किसी विधि या रूढ़ि के अधीन हकदार है, चाहे वे किसी न्यायालय के किसी आदेश के अधीन या अन्यथा संदेय हों या जिनकी व्यथित व्यक्ति, किसी आवश्यकता के लिए, जिसके अंतर्गत व्यथित व्यक्ति और उसके बालकों, यदि कोई हों, के लिए घरेलू आवश्यकताएं भी हैं, अपेक्षा करता है, किंतु जो उन तक सीमित नहीं हैं, स्त्रीधन, व्यथित व्यक्ति के संयुक्त रूप से या पृथक्तः स्वामित्वाधीन संपत्ति, साझी गृहस्थी और उसके रखरखाव से संबंधित भाटक का संदाय, से वंचित करना ।

13. इस मामले में विपक्षी पक्षकार सं. 2 द्वारा यह अभिकथन किया गया है कि उसके साथ शारीरिक रूप से हमला किया गया और उसे ससुराल से बाहर कर दिया गया और तत्पश्चात् उसका भरण-पोषण न देकर उपेक्षा की गई यद्यपि, आवेदक अभिलाभ पद पर नियोजित था और उसके पास आय का कोई स्रोत नहीं था । अतः अभिकथनों से प्रथमदृष्ट्या यह प्रतीत होता है कि वह घरेलू हिंसा गठित करने वाले कार्य के अधीन

थी जबकि वह विवाह के अस्तित्व के दौरान प्रत्यर्थी (इसमें आवेदक) के साथ घरेलू संबंध में थी । तद्नुसार, अधिनियम के अधीन उसका आवेदन संधार्य है ।

14. जैसाकि निचले न्यायालयों ने प्रथमदृष्ट्या यह समाधान अभिलिखित किया है कि विपक्षी पक्षकार सं. 2 के साथ घरेलू हिंसा गठित करने वाले कार्य किए गए और भरण-पोषण से वंचित किया गया यद्यपि, वह अपना भरण-पोषण करने की स्थिति में नहीं थी । आवेदक की 20,000/- रुपए प्रतिमास आय के विरुद्ध अंतरिम भरण-पोषण के रूप में 5,000/- रुपए प्रतिमास अधिनिर्णीत करने वाले अंतरिम संरक्षण आदेश को मनमाना या किसी भी रीति से आवेदक के प्रति दंडात्मक नहीं कहा जा सकता । अतः इस न्यायालय का यह मत है कि आवेदक का आवेदन खारिज किए जाने योग्य है और तद्नुसार, आवेदन को गुणागुण के आधार पर आवेदक को मामले का विरोध करने की स्वतंत्रता के साथ खारिज किया जाता है ।

15. यह स्पष्ट किया जाता है कि इस न्यायालय ने अपने पति के विरुद्ध विवाह-विच्छेदयुक्त महिला के अनुरोध पर अधिनियम की धारा 12 के अधीन आवेदन की संधार्यता और अंतरिम संरक्षण आदेश के औचित्य पर ही अपनी राय व्यक्त की है किंतु किसी पक्षकार के दावे के गुणागुण पर कोई राय व्यक्त नहीं की है जिस पर इस आदेश में इस न्यायालय द्वारा व्यक्त किए गए किसी विचार से स्वतंत्र रूप में पक्षकारों द्वारा उसके समक्ष प्रस्तुत साक्ष्य के आधार पर निचले न्यायालयों द्वारा विचार किया जाएगा ।

16. मामले के तथ्यों पर विचार करते हुए यह उपबंध किया जाता है कि निचले न्यायालय यथासंभव शीघ्र अधिमानतः इस आदेश की प्रमाणित प्रति की प्रस्तुत की तारीख से तीन मास की अवधि के भीतर यथासंभव यथाशीघ्र विपक्षी पक्षकार सं. 2 के आवेदन पर कार्यवाही समाप्त करने का प्रयास करेगा, बशर्ते आवेदक कार्यवाही में सहयोग प्रदान करे ।

याचिका खारिज की गई ।

पा.

दीवान सिंह

बनाम

उत्तराखंड राज्य

तारीख 4 जनवरी, 2016

न्यायमूर्ति आलोक सिंह

दंड संहिता, 1860 (1860 का 45) – धारा 304ख और 498क – किसी स्त्री के पति या पति के नातेदार द्वारा उसके प्रति क्रूरता किया जाना – पत्नी की मृत्यु का कारण दहेज की मांग पूरा न किया जाना – स्त्री के साथ क्रूरतापूर्ण व्यवहार करके दहेज की मांग किया जाना अनिवार्य शर्त है जिसके अनुपस्थित रहने पर पति या पति के नातेदारों को क्रूरतापूर्ण आचरण द्वारा दहेज मृत्यु का दोषी नहीं ठहराया जा सकता ।

दंड संहिता, 1860 (1860 का 45) – धारा 304ख और 498क [सपठित साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 6] – संदेह कितना भी गहरा क्यों न हो, सबूत का स्थान नहीं ले सकता – अभियुक्त की दोषिता साबित किए जाने के प्रयोजनार्थ उसकी दोषिता को युक्तियुक्त संदेह के परे साबित किया जाना चाहिए ।

संक्षेप में मामले के तथ्य ये हैं कि मृतका कमला को उसकी ससुराल में मृत पाया गया । मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट, अभियुक्त/अपीलार्थी के कथन और पंचों की राय के अनुसार कमला ने स्वयं फांसी लगा कर आत्महत्या कर ली थी । मरणोत्तर परीक्षा रिपोर्ट के अनुसार मृत्यु दम घुट जाने के कारण हुई थी । मृतका का पिता जो इस मामले का अपीलार्थी है ने घटना के चार दिनों के पश्चात् मामले की प्रथम इत्तिला रिपोर्ट दर्ज कराई जिसमें पुत्री के साथ दहेज की मांग के कारण क्रूरता का व्यवहार और उसकी हत्या किए जाने की आशंका व्यक्त की गई अन्वेषण समाप्त होने के पश्चात् अपीलार्थी उसकी माता गांगूली देवी और उसके बड़े भाई फकीर सिंह के विरुद्ध आरोप पत्र प्रस्तुत किया गया । विद्वान् विचारण न्यायालय ने सभी अभियुक्तों को दोषसिद्ध करते हुए दंडादिष्ट कर दिया । इससे व्यथित होकर विद्वान् सेशन न्यायाधीश के समक्ष अपील फाइल की गई जिन्होंने आक्षेपित आदेश द्वारा अपीलार्थियों को भारतीय दंड संहिता की धारा 304ख और 498क के अधीन दोषी ठहराया और दंडादिष्ट कर दिया । विद्वान्

सेशन न्यायालय द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध यह अपील फाइल की गई है । अपील मंजूर करते हुए,

अभिनिर्धारित – इस न्यायालय को एक तथ्य का अनदेखा नहीं करना चाहिए कि आजकल प्रत्येक मामले में पत्नी की अनैसर्गिक मृत्यु को दहेज के कारण हुई मृत्यु के मामले में परिवर्तित करने की प्रथा बन गई है, अतः न्यायालय को दहेज की मांग और उसको पूरा किए जाने की संभाव्यता का पता लगाने के प्रयोजनार्थ पक्षों की वित्तीय हैसियत को ध्यान में रखना चाहिए । (पैरा 8)

भारतीय दंड संहिता की धारा 304ख के अधीन दंडनीय अपराध गठित किए जाने के प्रयोजनार्थ अभियोजन को आवश्यक रूप से अभिकथित और साबित करना चाहिए कि मृतका के साथ दहेज की मांग के कारण क्रूरता कारित की गई थी । (पैरा 9)

संदेह चाहे जितना भी गहरा क्यों न हो, सबूत का स्थान नहीं ले सकता और अभियुक्त की दोषिता को साबित करने के लिए अभियोजन को उसकी दोषिता को युक्तियुक्त संदेह के परे साबित करना होगा । (पैरा 17)

निर्दिष्ट निर्णय

		पैरा
[2006]	(2006) 12 एस. सी. सी. 306 = 2007 क्रिमिनल ला जर्नल 1000 : **विक्रमजीत सिंह** उर्फ **विक्की** बनाम **पंजाब राज्य** ।	17

अपीली (दांडिक) अधिकारिता : 2003 की दांडिक अपील सं. 220.

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 374 के अधीन अपील ।

अपीलार्थी की ओर से श्री आर. एस. सामल

प्रत्यर्थी की ओर से श्री एच. ओ. भाकुनी, अपर सरकारी अधिवक्ता

न्यायमूर्ति आलोक सिंह – यह अपील पिथौरागढ़ के विद्वान् सेशन न्यायाधीश द्वारा पारित तारीख 29 जुलाई, 2003 के निर्णय और आदेश, जिसके द्वारा अपीलार्थी को भारतीय दंड संहिता की धारा 304ख और 498क के अधीन दंडनीय अपराधों के लिए दोषी ठहराया गया और भारतीय

दंड संहिता की धारा 304ख के अधीन आठ वर्ष के कठोर कारावास भोगने और 1,000/- रुपए के जुर्माने का संदाय करने और जुर्माने के संदाय में व्यतिक्रम होने पर एक वर्ष का अतिरिक्त कठोर कारावास भोगने ; भारतीय दंड संहिता की धारा 498क के अधीन दो वर्ष के कठोर कारावास भोगने और 500/- रुपए के जुर्माने का संदाय करने और जुर्माने के संदाय में चूक होने पर छह माह का अतिरिक्त कठोर कारावास भोगने के द्वारा दंडादिष्ट किया गया है, के विरुद्ध फाइल की गई है ।

2. अभियोजन के वृत्तांत के अनुसार कमला देवी (मृतका) और दीवान सिंह (अपीलार्थी) के मध्य विवाह वर्ष 1995 में संपन्न हुआ था ; इस विवाह से एक बच्चा उत्पन्न हुआ ; तारीख 11 जून, 1998 को मृतका को उसकी ससुराल में मृत पाया गया ; मृतका के शव का निरीक्षण पटवारी चत्र सिंह बोरा (अभि. सा. 4) द्वारा तारीख 12 जून, 1998 को किया गया था ; निरीक्षण के तुरंत पश्चात् मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट तैयार की गई थी और तत्पश्चात् मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट में अभिलिखित अभियुक्त/अपीलार्थी के कथन और पंचों की राय के अनुसार श्रीमती कमला देवी ने स्वयं को फांसी लगाए जाने के द्वारा आत्महत्या कारित की थी ; मृतका कमला देवी की मरणोत्तर परीक्षा तारीख 13 जून, 1998 को की गई ; मरणोत्तर परीक्षा रिपोर्ट के अनुसार मृत्यु दम घुट जाने के कारण हुई थी ; अभि. सा. 3 दीगार सिंह, जो मृतका का पिता है ने, घटना के चार दिनों के पश्चात् पिथौरागढ़ के गंगोली घाट के उपखंड अधिकारी के समक्ष एक आवेदन यह अभिकथित करते हुए तारीख 15 जून, 1998 को प्रस्तुत किया कि उसकी पुत्री के साथ दहेज की मांग के कारण क्रूरता का व्यवहार किया गया और उसको आशंका है कि अभियुक्तों ने उसकी पुत्री की हत्या कर दी होगी ; इस प्रकार का आवेदन प्रस्तुत किए जाने पर उपखंड अधिकारी के आदेशानुसार चिक प्रथम इत्तिला रिपोर्ट (प्रदर्श 11) पत्ती पटवारी बुगोली में रजिस्ट्रीकृत की गई ; अन्वेषण समाप्त होने के पश्चात् अपीलार्थी, उसकी माता गांगुली देवी और बड़े भाई फकीर सिंह के विरुद्ध आरोप पत्र प्रस्तुत कर दिया गया ।

3. अभियोजन के वृत्तांत को साबित किए जाने के प्रयोजनार्थ अभि. सा. 1 डा. हरीश चंद्र पाठक, अभि. सा. 2 धाना देवी जो मृतका की माता है, अभि. सा. 3 दीगार सिंह जो मृतका का पिता है ; अभि. सा. 4 चत्र सिंह बोरा जो अन्वेषण अधिकारी है, अभि. सा. 5 आनंद राम, अभि. सा. 6 गिरीश गुणवंत, अभि. सा. 7 देवराम टमटा जो एक अन्य अन्वेषण

अधिकारी है, का परीक्षण कराया गया और तत्पश्चात् दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अधीन अभियुक्त का कथन अभिलिखित किया गया ।

4. चूंकि अपीलार्थी को दोषसिद्ध और दंडादिष्ट कर दिया गया था जैसा कि ऊपरवर्णित किया गया है, इसलिए उसने यह अपील प्रस्तुत की है ।

5. मैंने अपीलार्थी के अधिवक्ता श्री आर. एस. सामल और उत्तराखंड राज्य के अपर सरकारी अधिवक्ता श्री एच. ओ. भाकुनी को सुना और अभिलेख का परिशीलन किया ।

6. अभि. सा. 2 धाना देवी और अभि. सा. 3 दीगार सिंह जो अभियुक्त के माता और पिता हैं, ने शपथपूर्वक अभिकथित किया कि उन्होंने विवाह के समय केवल एक तोला की सोने की कानों में पहनने वाली बाली दी थी । उन्होंने आगे अभिकथित किया कि उन्होंने अभियुक्त द्वारा दहेज की अवैध मांग को पूरा करने के लिए अनेक अवसरों पर अपनी बेटी को पांच सौ रुपए और हजार रुपए दिए ।

7. अपीलार्थी निर्विवाद रूप से ग्राम खाटी, जो पिथौरागढ़ जिला का दूरस्थ क्षेत्र है, में चाय की एक छोटी सी दुकान चलाता है और एकमात्र वस्तु जो विवाह के समय दी गई, एक तोला सोने की कानों में पहनने वाली बाली थी इसलिए दोनों परिवारों की वित्तीय स्थिति अत्यधिक खराब प्रतीत होती है जिसने दहेज की मांग और ऐसी मांग को पूरा किया जाना अत्यधिक असंभाव्य प्रतीत होता है ।

8. इस न्यायालय को एक तथ्य का अनदेखा नहीं करना चाहिए कि आजकल प्रत्येक मामले में पत्नी की अनैसर्गिक मृत्यु को दहेज के कारण हुई मृत्यु के मामले में परिवर्तित करने की प्रथा बन गई है, अतः न्यायालय को दहेज की मांग और उसको पूरा किए जाने की संभाव्यता का पता लगाने के प्रयोजनार्थ पक्षों की वित्तीय हैसियत को ध्यान में रखना चाहिए ।

9. भारतीय दंड संहिता की धारा 304ख के अधीन दंडनीय अपराध गठित किए जाने के प्रयोजनार्थ अभियोजन को आवश्यक रूप से अभिकथित और साबित करना चाहिए कि मृतका के साथ दहेज की मांग के कारण क्रूरता कारित की गई थी ।

10. वर्तमान मामले में दोनों परिवारों की निम्नतर वित्तीय हैसियत को ध्यान में रखते हुए, दहेज की मांग अत्यधिक असंभाव्य प्रतीत होती है ।

11. भारतीय दंड सहिता की धारा 498क के अधीन दंडनीय अपराध गठित किए जाने के प्रयोजनार्थ एकमात्र साक्ष्य जो अभिलेख पर उपलब्ध है, यह है कि अपीलार्थी उसके भाई और माता दहेज की मांग के कारण मृतका के साथ दुर्व्यवहार किया करते थे । दहेज की मांग अत्यधिक असंभाव्य प्रतीत होती है, चूंकि क्रूरतापूर्ण व्यवहार जो दहेज मांग के कारण धारा 498क के अधीन अनिवार्य शर्त है, उपस्थित नहीं है ।

12. वर्तमान मामले में, प्रथम इत्तिला रिपोर्ट घटना के चार दिनों के पश्चात् रजिस्ट्रीकृत की गई थी जबकि मृतका के पिता अभि. सा. 3 दीगार सिंह के कथनानुसार, उसने स्वयं तारीख 11 जून, 1998 को घटनास्थल का दौरा किया था और अपनी पुत्री को मृत अवस्था में देखा था, इसलिए चार दिनों पश्चात् प्रथम इत्तिला रिपोर्ट रजिस्ट्रीकृत किया जाना अभियोजन के वृत्तांत को संदेहास्पद बना देता है । इसके अतिरिक्त चार दिन के विलंब को अभियोजन/अभि. सा. 3 द्वारा स्पष्ट भी नहीं किया गया है ।

13. मामले का एक अन्य पहलू भी है । पटवारी अभि. सा. 4 चत्र सिंह बोरा को सूचित किया गया था, उसने घटना के अगले ही दिन मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट तैयार की थी । पति/अपीलार्थी ने पटवारी के समक्ष कथन किया था कि चूंकि उसकी पत्नी को प्रसव के समय से गर्भाशय के विस्थापन की समस्या थी, इसलिए उसने आत्महत्या कारित कर ली और पति/अपीलार्थी के कथन पर शवपरीक्षा रिपोर्ट के अन्य पंचों द्वारा विश्वास कर लिया गया था और सभी पंचों ने अभिकथित किया कि चूंकि उसने आत्महत्या कारित की है, उन्हें किसी बात का असत्य होने का संदेह नहीं है ।

14. अभियुक्त/अपीलार्थी ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अधीन कथन अभिकथित कराया है कि उसकी पत्नी का गर्भाशय पुत्र के प्रसव के समय बाहर आ गया था और चूंकि उस समय से ही वह गर्भाशय के विस्थापन से ग्रस्त थी, इसलिए उसने आत्महत्या कारित कर ली ।

15. अभि. सा. 1 डा. हरीश चंद्र पाठक के कथनानुसार उन्होंने मृतका के गले के चारों तरफ रस्सी के चिह्न पाए थे । उन्होंने यह विचार व्यक्त किया है कि गले के चारों तरफ रस्सी के गोल निशान तभी संभव होते हैं जब मामला फांसी पर लटकाए जाने का होता है ।

16. गले के चारों तरफ गोल आकार वाले निशान के आधार पर इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि मामला फांसी पर लटकाए जाने

का है इसलिए अपीलार्थी द्वारा की गई प्रतिरक्षा कि चूंकि वह गर्भाशय के विस्थापन से ग्रसित थी इसलिए आत्महत्या कारित की, से पूर्णतया इनकार नहीं किया जा सकता ।

17. माननीय उच्चतम न्यायालय ने **विक्रमजीत सिंह** उर्फ **विक्की** बनाम **पंजाब राज्य**[1] वाले मामले में अभिनिर्धारित किया है कि संदेह चाहे जितना भी गहरा क्यों न हो, सबूत का स्थान नहीं ले सकता और अभियुक्त की दोषिता को साबित करने के लिए अभियोजन को उसकी दोषिता को युक्तियुक्त संदेह के परे साबित करना होगा ।

18. मेरे विचार में वर्तमान मामले में अभियोजन अपने वृत्तांत को युक्तियुक्त संदेह के परे साबित कर पाने की स्थिति में नहीं था, इसलिए अपीलार्थी की दोषसिद्धि पक्षपातपूर्ण प्रतीत होती है । परिणामस्वरूप, अपील सफल होती है और मंजूर की जाती है । एतद्द्वारा, अपीलार्थी को संदेह का लाभ देते हुए भारतीय दंड संहिता की धारा 304ख और 498क के अधीन दंडनीय अपराधों के लिए लगाए गए आरोपों से दोषमुक्त किया जाता है । अपीलार्थी जमानत पर है । उसको आत्मसमर्पण करने की आवश्यकता नहीं है, यदि वह किसी अन्य मामले में वांछित नहीं है । उसके व्यक्तिगत बंधपत्रों और प्रतिभूतियों को उन्मोचित किया जाता है ।

19. निचले न्यायालय के अभिलेख के साथ इस निर्णय की एक प्रति विद्वान् विचारण न्यायालय को सूचनार्थ भेजी जाए ।

अपील मंजूर की गई ।

शु.

---

[1] (2006) 12 एस. सी. सी. 306 = 2007 क्रिमिनल ला जर्नल 1000.

दिल्ली राज्य

बनाम

विशेष चौधरी और अन्य

तारीख 11 अगस्त, 2015

न्यायमूर्ति विपिन संघी

दंड संहिता, 1860 (1860 का 45) – धारा 498क, 306 और धारा 34 – किसी स्त्री के पति या पति के नातेदार द्वारा क्रूरता किया जाना – अपराध को धारा 498क की परिधि के अंतर्गत लाए जाने के लिए स्त्री का इस धारा में उल्लिखित प्रयोजनों के साथ उत्पीड़न किया जाना आवश्यक है – यदि अभियुक्तों के विरुद्ध उत्पीड़न के मात्र सामान्य आरोप लगाए गए हैं और अभियोजन दहेज की मांगों या उत्पीड़न के आरोपों को अपराध में फंसाने वाले साक्ष्य की सहायता से साबित कर पाने में विफल रहा है, तो अभियुक्त दोषमुक्ति का हकदार है ।

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) – धारा 273(3) – दोषमुक्ति – यदि अभियुक्त को विचारण न्यायालय द्वारा दोषमुक्त कर दिया गया है और अपील न्यायालय के समक्ष दो युक्तिसंगत निष्कर्ष संभव हो तो अपील न्यायालय को विचारण न्यायालय द्वारा अभिलिखित दोषमुक्ति के निष्कर्ष में व्यवधान उत्पन्न नहीं करना चाहिए ।

संक्षेप में मामले के तथ्य ये हैं कि नई दिल्ली के शालीमार बाग क्षेत्र के डा. सुभाष अरोड़ा ने अपनी पुत्री काजल का विवाह विशेष चौधरी के साथ हिन्दू रीति-रिवाजों के अनुसार तारीख 21 नवम्बर, 1997 को किया था । विवाह के पश्चात् काजल शालीमार बाग स्थित अपने यहां आ गई । कुछ माह पश्चात् काजल और उसके पति तीन वर्ष की अवधि के लिए संयुक्त राष्ट्र अमेरिका चले गए । अमेरिका में रहने के दौरान इस युगल के दो बच्चे हुए । वर्ष 2001 में काजल और उसके पति भारत लौट आए और जुलाई, 2004 में दिल्ली के रोहिणी में सेक्टर 15 में स्थित पृथक् मकान में रहने लगे । इस अवधि के दौरान काजल का वैवाहिक जीवन सुखमय नहीं था और अनेक अवसरों पर उसके और उसके पति के मध्य विवाद उसके पिता-माता और ससुर-सास द्वारा निपटाया जाता था । अभिकथित रूप से काजल के पति और ससुराल पक्ष के लोग विवाह के समय अथवा अन्य

अवसरों, जैसे कि दोनों बच्चों के जन्म, त्यौहारों इत्यादि के अवसरों पर दिए गए दहेज से प्रसन्न नहीं थे । काजल को तारीख 12 जनवरी, 2005 को उसके मायके लाया गया जहां वह तारीख 15 जनवरी, 2005 तक रही । विशेष चौधरी उसके मायके से उसको यह आश्वासन देकर वापस ले गया था कि अब उसको परेशान नहीं किया जाएगा । तारीख 31 जनवरी, 2005 को मृतका के पिता-माता को दूरभाष द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि उनकी पुत्री ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है । तद्नुसार, मामले की सूचना पुलिस को दी गई । मृतका के पिता शिकायतकर्ता/सुभाष अरोड़ा के कथन के आधार पर भारतीय दंड संहिता की धाराओं 498क/306/34 के अधीन अपराधों के लिए थाना प्रशांत विहार में 2005 की प्रथम इत्तिला रिपोर्ट सं. 126 तारीख 9 फरवरी, 2005 को रजिस्ट्रीकृत की गई । मृतका/काजल के शव की शवपरीक्षा के पश्चात् मरणोत्तर परीक्षा संचालित की गई । अभियुक्त सं. 1 विशेष चौधरी को इस मामले में गिरफ्तार कर लिया गया किन्तु अन्य अभियुक्तों ने अग्रिम जमानत आदेश प्राप्त कर लिए और उनको मात्र औपचारिकतावश गिरफ्तार किया गया । अभिकथित रूप से मृतका काजल के हाथ का लिखा हुआ कागज का एक टुकड़ा उसके शव के पास से बरामद हुआ था । तथापि, अन्वेषक अधिकारी को मृतका का हस्तलिखित या हस्ताक्षरयुक्त कोई कागज उपलब्ध नहीं कराया गया, इसलिए उक्त कागज पर हस्तलिपि का मिलान मृतका की हस्तलिपि से नहीं किया जा सका । अन्वेषण की समाप्ति पर सभी अभियुक्तों के विरुद्ध भारतीय दंड संहिताओं की धाराओं 498क/306/34 के अधीन आरोप पत्र प्रस्तुत कर दिया गया । अभियुक्तों के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धाराओं 498क/306/34 के अधीन दंडनीय अपराधों के आरोप विरचित किए गए । सभी अभियुक्तों ने दोषी न होने का अभिवाक् किया और विचारण का सामना करने का दावा किया । विद्वान् सेशन न्यायाधीश ने तारीख 16 मई, 2008 को पारित निर्णय और आदेश द्वारा अभियुक्तों/प्रत्यर्थियों को दोषमुक्त कर दिया । इस आदेश से व्यथित होकर अपीलार्थी ने यह अपील फाइल की । अपील खारिज करते हुए,

अभिनिर्धारित – इसलिए, दहेज की मांग के बारे में मित्रों और परिवार के सदस्यों के समक्ष प्रकटीकरण न किए जाने से यह साबित नहीं होता कि दहेज की मांग नहीं की गई थी । उच्चतम न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि यदि दहेज की मांग को तर्कपूर्ण और विश्वसनीय साक्ष्य द्वारा साबित किया जाता है तो मात्र विभिन्न व्यक्तियों के समक्ष उसके उत्पीड़न का प्रकटीकरण न किए जाने का कोई प्रभाव नहीं होगा । तथापि, वर्तमान

मामले में अभियोजन दहेज की मांग के बाबत और साथ ही अभियुक्त द्वारा मृतका के उत्पीड़न के बाबत कोई तर्कपूर्ण और विश्वसनीय साक्ष्य प्रस्तुत कर पाने में विफल रहा है । वर्तमान मामले में अभियोजन ने इस बात को साबित करने के लिए अभिलेख पर ऐसा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है या न्यायालय के मस्तिष्क में ऐसा कोई संदेह सृजित नहीं किया है कि मृतका पति और पत्नी के मध्य संबंधों में जानबूझकर किए गए आचरणों, कार्यों और चूकों या दहेज की मांग के कारण अवसाद ग्रस्त थी । जब फंसाने वाला साक्ष्य अभियुक्त के समक्ष रखा गया और वह कोई स्पष्टीकरण नहीं देता या ऐसा स्पष्टीकरण देता है जो असत्य है, तो इससे परिस्थितियों की श्रृंखला बनती है । वर्तमान मामले में अभियुक्त सं. 1 ने उसके विरुद्ध लगाए गए सभी आरोपों का युक्तिसंगत स्पष्टीकरण दिया है । ऐसा प्रतीत नहीं होता कि ये स्पष्टीकरण अधिसंभाव्य, असत्य या मात्र बहाना हैं । वर्तमान मामले में, अभि. सा. 1 ने अभियुक्त के विरुद्ध उत्पीड़न के सामान्य आरोप लगाए हैं । अभियोजन ने किसी फंसाने वाले साक्ष्य की सहायता से इन दहेज की मांगों या उत्पीड़न के आरोपों को साबित नहीं किया । उत्पीड़न या क्रूरता की किसी भी विशिष्ट घटना का कोई विनिर्दिष्ट विवरण अभिलेख पर उपलब्ध नहीं है । आरोप के भारतीय दंड संहिता की धारा 498क के परिधि के अन्तर्गत लाए जाने के लिए किसी निश्चित प्रयोजन के साथ उत्पीड़न किया जाना आवश्यक है, अर्थात् किसी महिला या उससे संबंधित किसी व्यक्ति को किसी संपत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति की विधिविरुद्ध मांग को पूरा करने के लिए मजबूर करना । अभियोजन द्वारा न तो दहेज की मांग को साबित किया गया है और न ही इस बात को साबित किया गया है कि आपराधिक उत्पीड़न किया गया था । मृतका की अनैसर्गिक मृत्यु को मांग और पारिणामिक उत्पीड़न के परिणामस्वरूप अभिनिर्धारित नहीं किया जा सकता । अपील न्यायालय को उस साक्ष्य का पुनर्विलोकन, पुनर्मूल्यांकन और उस पर पुनर्विचार की पूर्ण शक्ति प्राप्त होती है, जिसके आधार पर दोषसिद्धि का आदेश पारित किया गया । अपील न्यायालय की इस शक्ति में अभिव्यक्तियों जैसे कि "सारभूत और विवशकारी कारणों", "अच्छे और पर्याप्त आधारों", "अत्यधिक मजबूत परिस्थितियों", "भ्रांत निष्कर्ष", "स्पष्टतया दिखाई देने वाली गलती", इत्यादि के प्रयोग द्वारा कटौती नहीं की जा सकती । "अत्यधिक सारभूत" और "विवशकारी कारणों" के दृष्टांत वहां पर होंगे जहां विचारण न्यायालय द्वारा तथ्यों के संबंध में निकाला गया निष्कर्ष स्पष्टतया गलत है ; विचारण न्यायालय का विनिश्चय विधि की भ्रांतिपूर्ण धारणा पर आधारित था ;

विचारण न्यायालय के निर्णय का परिणाम "न्याय की हत्या" होगा ; साक्ष्य पर विचार करने में विचारण न्यायालय का संपूर्ण दृष्टिकोण प्रत्यक्षतः अवैध है ; विचारण न्यायालय का निर्णय प्रत्यक्षतः पक्षपातपूर्ण और अयुक्तियुक्त है, और विचारण न्यायालय ने साक्ष्य का अनदेखा किया है या तात्विक साक्ष्य को गलत तरीके से पढ़ा है या तात्विक दस्तावेजों का अनदेखा किया है जैसे कि मृत्युकालिक कथन/प्राक्षेपिकी विज्ञानी की रिपोर्ट इत्यादि । तत्समय, अपील न्यायालय को इस बात को ध्यान में रखना होगा कि दोषमुक्ति के मामले में अभियुक्त के पक्ष में दोहरी अवधारणा होती है । प्रथमतः, उसको दांडिक न्यायशास्त्र के मूल सिद्धांतों के अधीन निर्दोषिता की यह उपधारणा उपलब्ध होती है कि किसी व्यक्ति के तब तक दोषी होने की उपधारणा नहीं की जाएगी जब तक कि उसको विधि के न्यायालय में दोषी साबित न कर दिया जाए । द्वितीयतः अभियुक्त जिसने, दोषमुक्ति सुनिश्चित कर ली है, की निर्दोषिता की उपधारणा का विचारण न्यायालय द्वारा प्रथमतः सुदृढ़ीकरण किया गया है, उसकी पुनः पुष्टि की गई है और उसको शक्ति प्रदान की गई है । यदि अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर दो युक्तिसंगत निष्कर्ष संभव हों, तो अपील न्यायालय को विचारण न्यायालय द्वारा अभिलिखित दोषमुक्ति के निष्कर्ष में व्यवधान उत्पन्न नहीं करना चाहिए । (पैरा 44, 46, 47 और 26)

निर्दिष्ट निर्णय

		पैरा
[2014]	2014 (207) डी. एल. टी. 438 = 2014 (2) ए. डी. आर. 73 : **रमेश कुमार** बनाम **राज्य** **(राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र, दिल्ली सरकार)** ;	29
[2010]	(2010) 6 एस. सी. सी. 1 = ए. आई. आर. 2010 एस. सी. 2352 : **सिद्धार्थ वशिष्ठ** बनाम **राज्य** **(राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र, दिल्ली सरकार)** ;	17, 26
[2009]	(2009) 14 एस. सी. सी. 588 = ए. आई. आर. 2010 एस. सी. 3708 : **उंडावल्ली नारायण राव** बनाम **आंध्र प्रदेश राज्य** ;	17

[2008]	(2008) 10 एस. सी. सी. 450 = ए. आई. आर. 2009 एस. सी. (सप्ली.) 1318 : **घूरेलाल** बनाम **उत्तर प्रदेश राज्य** ;	26
[2008]	(2008) 17 एस. सी. सी. 225 = 2008 ए. आई. आर. एस. सी. डब्ल्यू. 6014 : **सनैय्या सुब्बाराव** बनाम **आंध्र प्रदेश राज्य** ;	17, 26
[2007]	I (2007) डी. एम. सी. 542 : **श्रीमती नीरा सिंह** बनाम **राज्य (राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र, दिल्ली सरकार)** ;	28
[2007]	2007 क्रिमिनल ला जर्नल 20 : **त्रिमुख मारुति किरकन** बनाम **महाराष्ट्र राज्य** ;	17, 46
[2006]	ए. आई. आर. 2006 एस. सी. 2002 : **साहेब राव** बनाम **महाराष्ट्र राज्य** ;	17, 45
[2004]	(2004) 13 एस. सी. सी. 129 = ए. आई. आर. 2004 एस. सी. 5097 : **रणधीर सिंह** बनाम **पंजाब राज्य** ;	17, 44
[1998]	ए. आई. आर. 1998 एस. सी. 958 : **पवन कुमार** बनाम **हरियाणा राज्य** ;	17, 45
[1989]	ए. आई. आर. 1989 एस. सी. 1661 : **बृजलाल** बनाम **पंजाब राज्य** ;	17, 43
[1984]	(1984) 4 एस. सी. सी. 116 = ए. आई. आर. 1984 एस. सी. 1622 : **शरद बिरधी चंद शारदा** बनाम **महाराष्ट्र राज्य** ।	17, 46

अपीली (दांडिक) अधिकारिता : 2010 की दांडिक अपील सं. 627.

दिल्ली के विद्वान् अपर सेशन न्यायाधीश द्वारा तारीख 16 मई, 2008 को पारित निर्णय के विरुद्ध अपील ।

याची की ओर से श्री रजत कात्याल

प्रत्यर्थी की ओर से श्री बी. टी. सिंह

न्यायमूर्ति विपिन संघी – यह अपील दिल्ली के विद्वान् अपर सेशन

न्यायाधीश द्वारा 1860 की भारतीय दंड संहिता की धाराओं 498क/306/34 के अधीन रजिस्ट्रीकृत 2005 की प्रथम इत्तिला रिपोर्ट सं. 126 से उद्भूत 2006 के सेशन मामला सं. 29 में तारीख 16 मई, 2008 को पारित निर्णय और आदेश, जिसके द्वारा प्रत्यर्थियों को उक्त धाराओं के अधीन अपराधों से दोषमुक्त कर दिया गया, के विरुद्ध निदेशित है ।

2. अभियोजन का पक्षकथन, जैसा कि आक्षेपित आदेश में उल्लिखित है कि नई दिल्ली के शालीमार बाग क्षेत्र के डा. सुभाष अरोड़ा ने अपनी पुत्री काजल का विवाह अभियुक्त सं. 1 विशेष चौधरी के साथ हिन्दू रीति-रिवाजों के अनुसार तारीख 21 नवम्बर, 1997 को किया था । विवाह के पश्चात् काजल शालीमार बाग स्थित अपनी ससुराल ससुर भारत भूषण (अभियुक्त सं. 4), सास श्रीमती निर्मल चौधरी (अभियुक्त सं. 5) और दोनों छोटे देवरों परिचय (अभियुक्त सं. 3) और अमित (अभियुक्त सं. 2) के साथ आ गई । कुछ माह पश्चात् काजल और उसके पति (अभियुक्त सं. 1) तीन वर्ष की अवधि के लिए संयुक्त राष्ट्र अमेरिका चले गए । अमेरिका में रहने के दौरान इस युगल के दो बच्चे हुए । वर्ष 2001 में काजल और उसके पति भारत लौट आए और जुलाई, 2004 में दिल्ली के रोहिणी में सेक्टर 15 में स्थित पृथक् मकान में रहने लगे । इस अवधि के दौरान काजल का वैवाहिक जीवन सुखमय नहीं था और अनेक अवसरों पर उसके और उसके पति के मध्य विवाद उसके और अभियुक्त सं. 1 के पिता-माता द्वारा निपटाया जाता था । अभिकथित रूप से अभियुक्त विवाह के समय अथवा अन्य अवसरों, जैसे कि दोनों बच्चों के जन्म, त्यौहारों इत्यादि के अवसरों पर दिए गए दहेज से प्रसन्न नहीं थे । काजल को तारीख 12 जनवरी, 2005 को उसके मायके लाया गया जहां वह तारीख 15 जनवरी, 2005 तक रही । अभियुक्त सं. 1 विशेष चौधरी उसके मायके से उसको यह आश्वासन देकर वापस ले गया था कि अब उसको परेशान नहीं किया जाएगा ।

3. तारीख 31 जनवरी, 2005 को मृतका के पिता-माता को दूरभाष द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि उनकी पुत्री ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है । तद्नुसार, मामले की सूचना पुलिस को दी गई । मृतका के पिता शिकायतकर्ता/सुभाष अरोड़ा के कथन के आधार पर भारतीय दंड संहिता की धाराओं 498क/306/34 के अधीन अपराधों के लिए थाना प्रशांत विहार में 2005 की प्रथम इत्तिला रिपोर्ट सं. 126 (प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 3/ए) तारीख 9 फरवरी, 2005 को रजिस्ट्रीकृत की गई । सहायक उप निरीक्षक जय

भगवान (अभि. सा. 8) अन्वेषक अधिकारी था । मृतका/काजल के शव की शवपरीक्षा के पश्चात् मरणोत्तर परीक्षा संचालित की गई । अभियुक्त सं. 1 विशेष चौधरी को इस मामले में गिरफ्तार कर लिया गया किन्तु अन्य अभियुक्तों ने अग्रिम जमानत आदेश प्राप्त कर लिए और उनको मात्र औपचारिकतावश गिरफ्तार किया गया । अभिकथित रूप से मृतका काजल के हाथ से लिखा गया कागज का एक टुकड़ा उसके शव के पास से बरामद हुआ था । तथापि, अन्वेषक अधिकारी को मृतका का हस्तलिखित या हस्ताक्षरयुक्त कोई कागज उपलब्ध नहीं कराया गया, इसलिए उक्त कागज पर हस्तलिपि का मिलान मृतका की हस्तलिपि से नहीं किया जा सका ।

4. अन्वेषण की समाप्ति पर सभी अभियुक्तों के विरुद्ध भारतीय दंड संहिताओं की धाराओं 498क/306/34 के अधीन आरोप पत्र प्रस्तुत कर दिया गया । अभियुक्तों के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धाराओं 498क/306/34 के अधीन दंडनीय अपराधों के आरोप विरचित किए गए । सभी अभियुक्तों ने दोषी न होने का अभिवाक् किया और विचारण का सामना करने का दावा किया ।

5. अभियुक्तों ने अपने पक्षकथन के समर्थन में आठ साक्षियों का परीक्षण कराया । वे हैं :– अभि. सा. 1, डा. सुभाष अरोड़ा (मृतका का पिता) ; अभि. सा. 2, वरुण अरोड़ा (मृतका का भाई) ; अभि. सा. 3, हेड कांस्टेबल योगेन्द्र (कर्त्तव्याधीन अधिकारी) ; अभि. सा. 4, हेड कांस्टेबल सज्जन कुमार (फोटोग्राफर) ; अभि. सा. 5, कांस्टेबल सुरजवीर तोमर (दैनिक डायरी लेखक) ; अभि. सा. 6, डा. अनिल सैंडल ; अभि. सा. 7, इंस्पेक्टर सुभाष चंद ; अभि. सा. 8, सहायक सब उप निरीक्षक, जय भगवान (अन्वेषक अधिकारी) ।

6. प्रत्यर्थियों/अभियुक्त ने अपनी प्रतिरक्षा में साक्ष्य प्रस्तुत किए और छह साक्षियों का परीक्षण कराया । वे हैं :– प्रतिरक्षा साक्षी 1, विशेष चौधरी ; प्रतिरक्षा साक्षी 2, भारती चौधरी (अभियुक्त विशेष चौधरी की पत्नी) ; प्रतिरक्षा साक्षी 3, कमल किशोर (फोटोग्राफर) ; प्रतिरक्षा साक्षी 4, डा. एम. एम. मेंहदीरत्ता, प्रोफेसर तंत्रिका विज्ञान, जी. बी. पंत अस्पताल, दिल्ली ; प्रतिरक्षा साक्षी 5, सुदीप यादव, न्यायालय का अहलमद और अभि. सा. 6, रमण शंगारी, अभियुक्त विशेष चौधरी का सहकर्मी ।

7. विद्वान् अपर महासालिसिटर ने साक्ष्य के विश्लेषण के उपरांत इस

निष्कर्ष पर पहुंचे कि अभियोजन यह सिद्ध कर पाने में विफल रहा है कि अभियुक्तों ने काजल/मृतका के साथ किसी भी रीति में क्रूरता कारित की थी, या उसको सताया था, या उसको आत्महत्या करने के लिए उकसाया था या दुष्प्रेरण किया था ।

8. राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान् सहायक अभियोजन अधिकारी श्री कात्याल ने निवेदन किया कि अभि. सा. 1 शिकायतकर्ता/डा. सुभाष अरोड़ा, मृतका के पिता ने अपनी मुख्य परीक्षा में इस तथ्य पर जोर दिया है कि मृतका काजल को अभियुक्त सं. 1 विशेष चौधरी के साथ उसके विवाह की निरंतरता के दौरान सताया गया था । अभि. सा. 1 के अनुसार विवाह के दस-पन्द्रह दिनों के पश्चात् ही सभी अभियुक्तों ने उसको शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित करना आरंभ कर दिया था और विवाह में कम दहेज लाने के कारण उसको पीटते थे । इसके अतिरिक्त उसको उसकी इच्छा के विरुद्ध अमेरिका ले जाया गया था और अभि. सा. 1 को अभियुक्त सं. 1 विशेष चौधरी के पिता-माता द्वारा धमकी दी गई थी कि यदि मृतका अमेरिका नहीं गई, तो अभियुक्त सं. 1 के पिता-माता उनके पुत्र से मृतका का तलाक करा देंगे । अभि. सा. 1 ने शपथपूर्वक यह कथन भी किया है कि अमेरिका में दो वर्ष रहने के पश्चात् लौटने पर अभियुक्त मृतका को उसके पिता-माता और परिवार के अन्य सदस्यों से मिलने की अनुज्ञा नहीं देते थे । उसको अपने पिता-माता से त्यौहारों या अन्य अवसरों पर भी मिलने की अनुज्ञा नहीं थी यद्यपि वे उसके ससुराल के अत्यधिक निकट निवास करते थे । अनेक अवसरों पर मृतका के अनुरोध पर अभि. सा. 1 द्वारा मामले का निपटारा इस आशा के साथ किया गया था कि परिस्थितियां बदलेंगी । श्री कात्याल ने निवेदन किया कि मृतका के भाई वरुण अरोड़ा (अभि. सा. 2) ने अभि. सा. 1 के कथन की पुष्टि की है ।

9. श्री कात्याल ने आगे निवेदन किया कि अभियुक्तों द्वारा दहेज की मांग की गई थी और इस दलील के समर्थन में उन्होंने निवेदन किया कि अभियुक्त विशेष चौधरी (प्रतिरक्षा साक्षी 1) ने तारीख 17 सितम्बर, 2007 को अपनी परीक्षा में स्वीकार किया है कि एक दो पहिया स्कूटर विवाह के समय दहेज में दिया गया था । आगे अपनी प्रतिपरीक्षा में उसने स्वीकार किया कि उसको अपने ससुराल पक्ष से विवाह में स्कूटर मिला था और उसने वह स्कूटर आठ माह में बेच दिया था ।

10. श्री कात्याल ने अंतिमतः निवेदन किया कि मृतका का पिता डा.

सुभाष अरोड़ा (अभि. सा. 1) ने अपने मुख्य परीक्षा में कुछ विशेष घटनाओं का उल्लेख किया जब उनकी मृतका पुत्री काजल को प्रताड़ित किया गया था । श्री कात्याल ने निवेदन किया कि ऐसी एक घटना उसके द्वितीय बच्चे (वंश) के जन्म के अवसर पर तारीख 8 दिसम्बर, 2000 को घटित हुई जब मृतका के पिता-माता और परिवार के सदस्य ग्यारह हजार रुपए, मिठाइयां और परिवार के सदस्यों के लिए कपड़े लेकर मृतका की ससुराल गए थे, किन्तु अभियुक्त सं. 1 के परिवार के सदस्यों ने उक्त उपहारों को स्वीकार नहीं किया चूंकि वे अप्रसन्न थे । अभि. सा. 1 ने आगे निवेदन किया कि जब अभियुक्त सं. 1 और मृतका रोहिणी स्थित नए मकान में स्थानांतरित हुए तो अभि. सा. 1 ने उनको 175 लीटर का फ्रिज, एक डबल बेड, डबल बेड की चादरें और बर्तन इत्यादि दिए थे । ये सभी वस्तुएं अभियुक्तों द्वारा की गई मांग पर दी गई थीं ।

11. श्री कात्याल ने मृतका के उत्पीड़न की एक अन्य घटना के बारे में बताया । अभि. सा. 1 ने शपथपूर्वक कथन किया कि घटना के दिन अर्थात् तारीख 31 जनवरी, 2005 को मृतका ने प्रातःकाल अपनी मां और भाई से दूरभाष द्वारा संपर्क किया और उनको सूचना दी कि अभियुक्त सं. 1 विशेष चौधरी उसका उत्पीड़न कर रहा है और उसको पीट रहा है और अब वह उसके साथ और अधिक दिनों तक नहीं रह सकती । उसी दिन रात्रि 10.30 बजे अमित चौधरी (अभियुक्त सं. 2) ने मृतका के पिता-माता को सूचित किया कि उसने फांसी लगाने के द्वारा आत्महत्या कर ली है ।

12. श्री कात्याल ने निवेदन किया कि तारीख 31 जनवरी, 2005 की दैनिक डायरी सं. 54, जो सेक्टर 16 स्थित पुलिस थाना प्रशांत विहार में रजिस्ट्रीकृत की गई थी, के अनुसार यह अभिलिखित है कि अभियुक्त सं. 1 विशेष चौधरी ने अभिकथित किया था कि वह और उसकी पत्नी (मृतका) के मध्य लगातार कहा-सुनी होती रहती थी और कहा-सुनी का मुद्दा उनके पिता-माता होते थे ।

13. श्री कात्याल ने निवेदन किया कि मृतका के पिता (अभि. सा. 1) की मुख्य परीक्षा से और पुलिस को दिए गए उसके कथन (प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 1/बी) से यह स्पष्ट है कि मृतका काजल के उत्पीड़न और उसके साथ क्रूरता का आरोप अभियुक्तों के विरुद्ध तारीख 1 फरवरी, 2005, अर्थात् मृतका की मृत्यु के दिन लगाया गया था । उन्होंने निवेदन किया कि विचारण न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित करने में त्रुटि कारित की है कि

उत्पीड़न के आरोप प्रथम बार तारीख 9 फरवरी, 2005 को लगाए गए थे । विचारण न्यायालय ने जो अभिनिर्धारित किया कि वह निम्नलिखित है :–

> "मैं मामले का विश्लेषण इस बाबत नहीं करता कि वर्तमान मामले में प्रथम इत्तिला रिपोर्ट पुलिस थाना में प्राप्त प्रथम सूचना के आधार पर ही रजिस्ट्रीकृत की गई थी या नहीं । तथापि, जिस बिन्दु का उल्लेख किया जाना चाहिए, यह है कि काजल के उत्पीड़न और क्रूरता के आरोप प्रारंभिकतः डा. सुभाष अरोड़ा द्वारा पहली बार तारीख 9 फरवरी, 2005 को लगाए गए थे ।"

(अधोरेखांकन पर बल दिया गया है)

14. विद्वान् सहायक अभियोजक अधिकारी श्री कात्याल ने आगे निवेदन किया कि तारीख 7 फरवरी, 2005 की आपराधिक दस्ते की रिपोर्ट (प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 7/ए) के अनुसार मामले को "आंशिक रूप से फांसी लगाए जाने के मामले" के रूप में अभिलिखित किया गया है । तथापि, तारीख 1 फरवरी, 2005 (प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 8/ए) की मृत्यु रिपोर्ट के अनुसार मृतका की मृत्यु उसके गले के चारों तरफ रस्सी कसने के द्वारा फांसी लगाए जाने के कारण हुई थी । अंततः मरणोत्तर परीक्षा रिपोर्ट (प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 8/जे) के अनुसार मृत्यु फांसी लगाए जाने के परिणामस्वरूप दम घुटने के कारण हुई थी । उन्होंने निवेदन किया कि मृत्यु का कारण स्पष्टतया दृश्यमान है ।

15. श्री कात्याल ने निवेदन किया कि अभि. सा. 1 ने अपनी मुख्य परीक्षा में अभिकथित किया है कि जब उसने तारीख 30 जनवरी, 2005 को दूरभाष पर अपनी पुत्री से बात की तो उसने शिकायत की थी कि उसके पति को सम्मिलित करते हुए उसके ससुराल पक्ष के लोग निरंतर उसका उत्पीड़न कर रहे हैं और वे उससे निरंतर कहते रहते हैं कि **"मर जा, मरती क्यों नहीं जाकर"** ।

16. श्री कात्याल ने निवेदन किया कि संपूर्ण साक्ष्य इस बात पर विचार किए जाने के बाबत कि भारतीय दंड संहिता की धारा 498क (क) और (ख) के अधीन अपराध बनता है या नहीं, विद्वान् अपर महासालिसिटर द्वारा संपूर्ण साक्ष्य का परीक्षण किया जाना चाहिए । उन्होंने निवेदन किया कि विद्वान् अपर महासालिसिटर का दृष्टिकोण तर्कविरुद्ध एवं त्रुटिपूर्ण है ।

17. विद्वान् सहायक अभियोजक अधिकारी श्री कात्याल ने अपने निवेदनों के समर्थन में अनेक विनिश्चयों का अवलंब लिया जिनको चर्चा के

अनुक्रम के दौरान निर्दिष्ट किया जाएगा :–

(क) **रणधीर सिंह** बनाम **पंजाब राज्य**[1]

(ख) **साहेब राव** बनाम **महाराष्ट्र राज्य**[2]

(ग) **सनैय्या सुब्बाराव** बनाम **आंध्र प्रदेश राज्य**[3]

(घ) **सिद्धार्थ वशिष्ठ** बनाम **राज्य (राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र, दिल्ली सरकार)**[4]

(ङ) **उंडावल्ली नारायण राव** बनाम **आंध्र प्रदेश राज्य**[5]

(च) **पवन कुमार** बनाम **हरियाणा राज्य**[6]

(छ) **त्रिमुख मारुति किरकन** बनाम **महाराष्ट्र राज्य**[7]

(ज) **बृजलाल** बनाम **पंजाब राज्य**[8]

(झ) **शरद बिरधी चंद शारदा** बनाम **महाराष्ट्र राज्य**[9] ।

18. इसके विपरीत, प्रत्यर्थियों के विद्वान् काउंसेल ने निवेदन किया कि अभियुक्त सं. 1 विशेष चौधरी और मृतका काजल के मध्य संबंध उस अवधि को मिलाकर जब वे अमेरिका में थे, अत्यधिक स्नेहपूर्ण थे । यह इस तथ्य से स्पष्ट है कि इस अवधि के दौरान इस युगल के दो बच्चे, त्रिशा (पुत्री) जिसका जन्म 7 मई, 1999 को हुआ और वंश (पुत्र) जिसका जन्म 8 दिसम्बर, 2000 को हुआ था । दोनों अपने वैवाहिक जीवन से अत्यंत खुश थे ।

19. उन्होंने आगे निवेदन किया कि अभियुक्त सं. 1 का मृतका के साथ विवाह के समय सभी सह-अभियुक्त और अभिरक्षा साक्षी 2 भारती चौधरी संयुक्त परिवार में एक साथ रहते थे । इसके कुछ ही समय पश्चात् वे अमेरिका चले गए थे । अभियुक्त और मृतका अमेरिका से लौटने के बाद

---

[1] (2004) 13 एस. सी. सी. 129 = ए. आई. आर. 2004 एस. सी. 5097.

[2] ए. आई. आर. 2006 एस. सी. 2002.

[3] (2008) 17 एस. सी. सी. 225 = 2008 ए. आई. आर. एस. सी. डब्ल्यू. 6014.

[4] (2010) 6 एस. सी. सी. 1 = ए. आई. आर. 2010 एस. सी. 2352.

[5] (2009) 14 एस. सी. सी. 588 = ए. आई. आर. 2010 एस. सी. 3708.

[6] ए. आई. आर. 1998 एस. सी. 958.

[7] 2007 क्रिमिनल ला जर्नल 20.

[8] ए. आई. आर. 1989 एस. सी. 1661.

[9] (1984) 4 एस. सी. सी. 116 = ए. आई. आर. 1984 एस. सी. 1622.

भी संयुक्त परिवार में ही रहते थे । शिकायतकर्ता (अभि. सा. 1) और उसके परिवार के सदस्यों द्वारा अत्यधिक मध्यक्षेप और उकसाए जाने के कारण अभियुक्त सं. 1 मृतका और उनके बच्चे रोहिणी के सेक्टर 15 स्थित मकान सं. जी-4/60 में स्थानांतरित हो गए थे ।

20. विद्वान् काउंसेल ने निवेदन किया कि अभियुक्त सं. 1 विशेष चौधरी की तारीख 17 सितम्बर, 2007 को मुख्य परीक्षा में दिया गया परिसाक्ष्य कि उसके ससुराल पक्ष के लोगों (मृतका के पिता-माता) का मध्यक्षेप तारीख 21 जुलाई, 2001 को अमेरिका से लौटने के पश्चात् बढ़ गया था और उन्होंने मृतका को संयुक्त परिवार से पृथक् होने और स्वतंत्र रूप से रहने के लिए तारीख 1 जून, 2004 को उकसाया था किन्तु इस परिसाक्ष्य को चुनौती नहीं दी गई ।

21. विद्वान् काउंसेल ने आगे निवेदन किया कि शिकायतकर्ता (अभि. सा. 1) ने स्वीकार किया है कि उसने तारीख 30 जनवरी, 2005 को पहली बार पुलिस के समक्ष कथन (प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 1/बी) किया था और उसका पश्चात्वर्ती कथन (प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 1/ए) तारीख 9 फरवरी, 2005 को अभिलिखित किया गया था । अतः प्रथम इत्तिला रिपोर्ट पुलिस द्वारा प्राप्त प्रथम सूचना के आधार पर रजिस्ट्रीकृत नहीं की गई थी । प्रथम इत्तिला रिपोर्ट (प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 3/ए) तारीख 9 फरवरी, 2005 को रजिस्ट्रीकृत की गई थी । उन्होंने निवेदन किया कि मृतका की मरणोत्तर परीक्षा तारीख 1 फरवरी, 2005 को संचालित की गई थी, जबकि प्रथम इत्तिला रिपोर्ट (प्रदर्श पी. डब्ल्यू 3/ए) तारीख 9 फरवरी, 2005 को रजिस्ट्रीकृत की गई थी । अभियोजन द्वारा प्रथम इत्तिला रिपोर्ट के रजिस्ट्रीकरण में विलंब का कारण स्पष्ट नहीं किया गया है । अन्वेषण अधिकारी सहायक उप निरीक्षक जय भगवान अभि. सा. 8 द्वारा जो एकमात्र स्पष्टीकरण दिया गया है वह यह है कि उसको थाना अध्यक्ष और संबद्ध सहायक पुलिस आयुक्त द्वारा मामले को लंबित रखने के लिए मौखिक रूप से निदेशित किया गया था और इसलिए कोई मामला रजिस्ट्रीकृत नहीं किया गया था । तथापि, इस बाबत कोई पुष्टिकरण साक्ष्य उपलब्ध नहीं है जो अभि. सा. 8 के कथन की पुष्टि करता हो ।

22. विद्वान् काउंसेल ने निवेदन किया कि परिवादी (अभि. सा. 1) के कथन में भारी असंगतताएं हैं, जो उसके परिसाक्ष्य को अविश्वसनीय बनाते हैं । वह विश्वसनीय साक्षी नहीं है । उन्होंने निवेदन किया कि अभि. सा. 1 ने अपने मुख्य परीक्षा में अभिकथित किया है कि वह बच्ची त्रिशा, जिसका

जन्म 7 जनवरी, 1999 को हुआ था के जन्म के अवसर पर अभियुक्तों के शालीमार बाग स्थित निवास पर गया था ..... और वह अपने साथ परिवार के सदस्यों के लिए 5,100/- रुपए नकद, मेवा और मिठाई और कपड़े ले गया था । जबकि उसने तारीख 9 फरवरी, 2005 को अभिलिखित अपने कथन (प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 1/ए) में अभिकथित किया है कि पहले बच्चे के जन्म के अवसर पर उसने 30 तोला सोना, 5,100/- रुपए नकद और कपड़ों की मांग की गई थी, किन्तु उसने 2,100/- रुपए नकद और 10 तोला सोना दिया था । यह दलील दी गई है कि अभि. सा. 1 का कथन अपने पूर्ववर्ती कथन के खंडन में है और उसमें दहेज की मांग के अभिकथन के समर्थन के प्रयोजनार्थ अभियुक्तों पर झूठे आरोप लगाए हैं ।

23. विद्वान् काउंसेल ने निवेदन किया कि अभि. सा. 7 निरीक्षक सुभाष चंद आपराधिक दस्ता का प्रभारी था । एक हस्तलिखित दस्तावेज (प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 7/बी) घटनास्थल पर पाया गया था । अभि. सा. 7 ने अपनी प्रतिपरीक्षा में इस तथ्य की पुष्टि की है । उन्होंने आगे निवेदन किया कि अभि. सा. 7 सहायक उप निरीक्षक जय भगवान ने अपनी मुख्य परीक्षा में अभिकथित किया है कि "मैंने मृतका के पिता-माता या अभियुक्तों से अन्वेषण के अनुक्रम के दौरान मृतका की शिक्षा की बाबत कोई जांच नहीं की । मैंने मृतका की स्वीकृत हस्तलिपि के बारे में बैंक से, किसी शैक्षणिक संस्था से सत्यापन कराने का कोई प्रयास नहीं किया । मैंने मृतका के पिता और भाई द्वारा किए गए अभिकथनों के आधार पर मामले का अन्वेषण हत्या के दृष्टिकोण से किया है ।" उसने निवेदन किया कि शिकायतकर्ता और उसके परिवार के सदस्यों ने अभियोजन को घटनास्थल से पुलिस द्वारा बरामद हस्तलिखित दस्तावेज (प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 7/बी) पर उपलब्ध हस्तलिपि की तुलना के लिए मृतका की कोई स्वीकृत हस्तलिपि उपलब्ध नहीं कराई । अभियोजन ने भी इस संबंध में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया । अतः यह साबित नहीं किया गया है कि हस्तलिखित कागज (प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 7/बी) मृतका द्वारा लिखित दस्तावेज नहीं था ।

24. विद्वान् काउंसेल ने आखिरी निवेदन यह किया कि भारती चौधरी (प्रतिरक्षा साक्षी 2) ने अपनी परीक्षा में अभिकथित किया "काजल ने मुझे सूचित किया था कि उसके पिता उसके ऊपर बारंबार दबाव डाल रहे हैं कि वह अपने पृथक् मकान में स्थानांतरित हो जाए । विशेष, काजल और बच्चे स्थानांतरित हो गए थे किन्तु वे कभी-कभी हमसे मिलने आते थे और एक खुशहाल जीवन व्यतीत कर रहे थे ।" उसने आगे अभिकथित किया "मुझे ज्ञात है कि काजल का उपचार जी. बी. पंत अस्पताल के चिकित्सकों द्वारा

किया गया था ..... उसको विशेष और बच्चों के साथ स्वतंत्र घर में स्थानांतरित होने के पश्चात् दौरे पड़ना आरंभ हो गए थे ।" जी. बी. पंत अस्पताल के तंत्रिकाविज्ञान के प्रोफेसर डा. एम. एम. मेंहदीरत्ता और डा. रमण संगानी (प्रतिरक्षा साक्षी 6) ने प्रतिरक्षा साक्षी 2 के कथन की पुष्टि की है । उन्होंने निवेदन किया कि शायद मृतका का स्वास्थ्य क्षीण हो गया था, इसी कारणवश अभियुक्त सं. 1 ने तारीख 30/31 जनवरी, 2005 को अपने परिवारिक कार्यक्रम में सम्मिलित होने से इनकार कर दिया था ।

25. मैंने श्री कात्याल और प्रत्यर्थी के विद्वान् काउंसेल को सुना, निर्णय और अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य का परिशीलन किया और पक्षों के द्वारा परस्पर दलीलों पर विचार किया ।

26. दोषसिद्धि के निर्णय में मध्यक्षेप की गुंजाइश पर उच्चतम न्यायालय द्वारा अनेक विनिश्चयों पर विचार किया गया है जिनमें **सान्या सुब्बाराव** (उपरोक्त), **सिद्धार्थ वशिष्ठ** (उपरोक्त) और **घूरेलाल** बनाम **उत्तर प्रदेश राज्य**[1] वाले मामले सम्मिलित हैं । अपील न्यायालय को उस साक्ष्य का पुनर्विलोकन, पुनर्मूल्यांकन और उस पर पुनर्विचार की पूर्ण शक्ति प्राप्त होती है, जिसके आधार पर दोषसिद्धि का आदेश पारित किया गया । अपील न्यायालय की इस शक्ति में अभिव्यक्तियों जैसे कि "सारभूत और विवशकारी कारणों", "अच्छे और पर्याप्त आधारों", "अत्यधिक मजबूत परिस्थितियों", "भ्रांत निष्कर्ष", "स्पष्टतया दिखाई देने वाली गलती", इत्यादि के प्रयोग द्वारा कटौती नहीं की जा सकती । "अत्यधिक सारभूत" और "विवशकारी कारणों" के दृष्टांत वहां पर होंगे जहां विचारण न्यायालय द्वारा तथ्यों के संबंध में निकाला गया निष्कर्ष स्पष्टतया गलत है ; विचारण न्यायालय का विनिश्चय विधि की भ्रांतिपूर्ण धारणा पर आधारित था ; विचारण न्यायालय के निर्णय का परिणाम "न्याय की हत्या" होगा ; साक्ष्य पर विचार करने में विचारण न्यायालय का संपूर्ण दृष्टिकोण प्रत्यक्षतः अवैध है ; विचारण न्यायालय का निर्णय प्रत्यक्षतः पक्षपातपूर्ण और अयुक्तियुक्त है, और विचारण न्यायालय ने साक्ष्य का अनदेखा किया है या तात्विक साक्ष्य को गलत तरीके से पढ़ा है या तात्विक दस्तावेजों का अनदेखा किया है जैसे कि मृत्युकालिक कथन/प्राक्षेपिकी विज्ञानी की रिपोर्ट इत्यादि । तत्समय, अपील न्यायालय को इस बात को ध्यान में रखना होगा कि दोषमुक्ति के मामले में अभियुक्त के पक्ष में दोहरी अवधारणा होती है । प्रथमतः, उसको दांडिक न्यायशास्त्र के मूल सिद्धांतों के अधीन निर्दोषिता

---

[1] (2008) 10 एस. सी. सी. 450 = ए. आई. आर. 2009 एस. सी. (सप्ली.) 1318.

की यह उपधारणा उपलब्ध होती है कि किसी व्यक्ति के तब तक दोषी होने की उपधारणा नहीं की जाएगी जब तक कि उसको विधि के न्यायालय में दोषी साबित न कर दिया जाए । द्वितीयतः अभियुक्त जिसने, दोषमुक्ति सुनिश्चित कर ली है, की निर्दोषिता की उपधारणा का विचारण न्यायालय द्वारा प्रथमतः सुदृढ़ीकरण किया गया है, उसकी पुनः पुष्टि की गई है और उसको शक्ति प्रदान की गई है । यदि अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर दो युक्तिसंगत निष्कर्ष संभव हों, तो अपील न्यायालय को विचारण न्यायालय द्वारा अभिलिखित दोषमुक्ति के निष्कर्ष में व्यवधान उत्पन्न नहीं करना चाहिए । हम पूर्वोक्त सिद्धांतों के आधार पर आक्षेपित आदेश का परीक्षण करेंगे ।

27. भारतीय दंड संहिता की धारा 498क ऐसी स्थिति पर विचार करती है जहां किसी महिला के साथ उसके पति या पति के नातेदारों द्वारा क्रूरता कारित की गई हो । "क्रूरता" को उक्त धारा में दिए गए स्पष्टीकरण में निम्नलिखित अर्थ में परिभाषित किया गया है :–

> "(क) जानबूझकर किया गया कोई आचरण जो ऐसी प्रकृति का है जिससे उस स्त्री को आत्महत्या करने के लिए प्रेरित करने की या उस स्त्री के जीवन, अंग या स्वास्थ्य को (जो चाहे मानसिक हो या शारीरिक) गंभीर क्षति या खतरा कारित करने के लिए उसे प्रेरित करने की संभावना है ; या
>
> (ख) किसी स्त्री को तंग करना, जहां उसे या उससे संबंधित किसी व्यक्ति को किसी संपत्ति या मूल्यावान प्रतिभूति के लिए किसी विधिविरुद्ध मांग को पूरी करने के लिए प्रपीड़ित करने की दृष्टि से या उसमें उसके अथवा उससे संबंधित किसी व्यक्ति को ऐसी मांग पूरी करने में असफल रहने के कारण इस प्रकार तंग किया जा रहा है ।"

28. भारतीय दंड संहिता की धारा 498क का विश्लेषण इस न्यायालय द्वारा अनेक विनिश्चयों में किया गया है । **श्रीमती नीरा सिंह** बनाम **राज्य (राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र, दिल्ली सरकार)**[1] वाले मामले में इस न्यायालय ने उक्त उपबंध की निम्नलिखित अपेक्षाओं पर विचार किया :–

> "क्रूरता जिसे भारतीय दंड संहिता की धारा 498क में परिभाषित किया गया है, को निम्नलिखित अपेक्षाओं को पूरा करना चाहिए –

---

[1] I (2007) डी. एम. सी. 542.

1. स्त्री का उत्पीड़न होना चाहिए ।

2. उत्पीड़न उसको या उससे संबंधित किसी व्यक्ति को संपत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति की विधिविरुद्ध मांग को पूरा करने के लिए प्रपीड़न किए जाने की दृष्टि से किया जाना चाहिए ।

3. प्रपीड़न वहां पर भी हो सकता है जहां स्त्री या उससे संबंधित व्यक्ति पूर्व में की गई ऐसी मांगों को पूरा करने में विफल रही हैं ।"

29. **रमेश कुमार** बनाम **राज्य (राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र, दिल्ली सरकार)**[1] वाले मामले में इस न्यायालय ने निम्नलिखित मताभिव्यक्ति की :–

"यदि स्त्री का उत्पीड़न संपत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति के लिए की गई विधिविरुद्ध मांग को पूर्ण करने में उसकी विफलता या उसके नातेदारों की विफलता के कारण हुआ है, तो वह भी भारतीय दंड संहिता की धारा 498क के अर्थान्तर्गत क्रूरता गठित करेगा । अभिव्यक्ति 'उत्पीड़न' को भारतीय दंड संहिता की धारा 498क में परिभाषित नहीं किया गया है, किन्तु इसका शब्दकोषीय अर्थ यह है कि किसी को निरंतर तंग करने वाले आक्रमणों, प्रश्नों, मांगों या अन्य दुखों, इत्यादि के अधीन रखा जाना । किन्तु ऐसा नहीं है कि प्रत्येक प्रकृति का उत्पीड़न भारतीय दंड संहिता की धारा 498क के अधीन दंडनीय हो । दांडिक दायित्व आकर्षित होने के लिए शारीरिक या मानसिक यातना सकारात्मक कार्यों द्वारा होनी चाहिए । ऐसे कार्य स्त्री या उसके नातेदारों को किसी संपत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति की विधिविरुद्ध मांग को पूरा करने के लिए विवश करने के लिए आशयित होने चाहिए या वह कार्य स्त्री या उसके नातेदारों द्वारा इस प्रकार की मांगों को पूरा करने में विफल रहने के कारण किए जाने चाहिए ।"

(अधोरेखांकन पर बल दिया गया है)

30. वर्तमान मामले में अभि. सा. 1 ने अपने विभिन्न कथनों में अभियुक्तों के विरुद्ध केवल दहेज की मांग के सामान्य आरोप लगाए हैं । अभि. सा. 1 ने तारीख 31 जनवरी, 2005 और 1 फरवरी, 2005 की मध्यवर्ती रात्रि में रोहिणी के सेक्टर 16 स्थित पुलिस चौकी में अपना पहला कथन (प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 1/बी) किया था । इस शिकायत में उसने अन्य

---

[1] 2014 (207) डी. एल. टी. 438 = 2014 (2) ए. डी. आर. 73.

बातों के साथ अभिकथित किया था कि कम दहेज के कारण विवाह के दस-पन्द्रह दिनों के भीतर ही अभियुक्तों द्वारा जिनमें अभियुक्त सं. 2 और 3 सम्मिलित थे, मृतका के साथ गाली-गलौज करना, ताने मारना, पिटाई करना और मानसिक उत्पीड़न देना आरंभ कर दिया था । उन्होंने मृतका को परेशान करना आरंभ कर दिया था और यहां तक कि उसको पीटते भी थे । उसने आगे अभिकथित किया कि विवाह के दो महीने पश्चात्, अभियुक्त सं. 1 और उसके पिता-माता ने 20 तोला सोना की मांग की थी और जब मृतका ने इनकार किया, तो अभियुक्त सं. 1 और अन्य अभियुक्तों ने उसको पीटा था । उसने अभिकथित किया कि अभि. सा. 1 इसके बारे में सुनने पर जो कुछ भी अपने साधनों के अन्तर्गत कर सकता था किया । उसने आगे अभिकथित किया कि तीन वर्ष तक अमेरिका में घूमने और रहने के पश्चात् जब मृतका, अभियुक्त सं. 1 और उनके बच्चे वापस आए तो पुनः एक बार मृतका को पीटा गया था और कम दहेज लाने के कारण उसको ताने दिए गए थे । उसने अभिकथित किया कि अभियुक्त ने अभि. सा. 1 को धमकी दी थी कि यदि उसको और अधिक जेवरात और नकद न दिया गया, तो उसकी बेटी अर्थात् मृतका को गला घोंट कर या जला कर मार दिया जाएगा । उसने अभिकथित किया कि उन लोगों ने सोचा होगा कि भयवश वह उनकी मांगे पूरी करेगा ।

31. उसकी दूसरी शिकायत जिसके आधार पर प्रथम इत्तिला रिपोर्ट (प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 3/ए) रजिस्ट्रीकृत हुई थी, तारीख 9 फरवरी, 2005 को की गई थी । अभि. सा. 1 ने पहली बार अभिकथित किया था कि उसके द्वारा अभियुक्त को विवाह के समय दिया गया स्कूटर अभियुक्त द्वारा बेच दिया गया था और उसने एक नई कार देने के लिए कहा था । नई कार की अभिकथित मांग पहले नहीं बताई गई थी । इसी प्रकार बच्चे के जन्म पर की गई 30 तोला सोना, सभी नातेदारों के लिए कपड़ों और 51,000/- रुपए की अभिकथित मांग तारीख 1 फरवरी, 2005 को की गई शिकायत में अभिकथित नहीं थी । उसने यह भी अभिकथित नहीं किया कि बच्चे के जन्म के समय उसने कपड़ों के साथ 10 तोला सोना और 21,000/- रुपए नकद दिए थे । यह भी स्पष्ट नहीं किया गया है कि किस बच्चे के जन्म पर अभिकथित उपहारों की मांग की गई थी या उपहार दिए गए थे । उसने पहली बार अभिकथित किया कि मृतका को अभियुक्त की मांग न माने जाने के कारण भोजन नहीं दिया जाता था और पीटा जाता था । मृतका और उसके पुत्र और पी. डब्ल्यू. 1 की पत्नी के मध्य तारीख 31 जनवरी, 2005 को प्रातःकाल तथाकथित बातचीत (जिसमें मृतका ने

अभिकथित रूप से उनके द्वारा उत्पीड़ित किए जाने और पीटे जाने की शिकायत की थी और मृतका ने यह भी अभिकथित किया था कि वह अब अधिक समय तक जीवित नहीं रह सकेगी) का भी कोई उल्लेख नहीं किया गया है । इसी प्रकार से इस बात का कोई उल्लेख नहीं है कि अभि. सा. 1 अभियुक्त से रात्रि लगभग 9.30 बजे संपर्क करने का प्रयास कर रहा था । तारीख 1 फरवरी, 2005 की शिकायत (प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 1/बी) में किए गए वृत्तांत शिकायत प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 1/ए में किए गए वृत्तांत से बिल्कुल भिन्न है । प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 1/ए प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 1/बी के ऊपर किया गया महत्वपूर्ण सुधार है । प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 1/बी में शिकायतकर्ता ने अभिकथित किया है कि तारीख 31 जनवरी, 2005 को उसने अभियुक्त सं. 1 को किसी कार्यक्रम में बुलाया था, किन्तु अभियुक्त सं. 1 ने न केवल आने से इनकार कर दिया था बल्कि मृतका को भी कार्यक्रम में जाने की अनुज्ञा नहीं दी थी ।

32. अभि. सा. 1 ने अपनी मुख्य परीक्षा में अपने वर्जन में अधिक सुधार किए हैं । उसने अभिकथित किया है कि तारीख 31 जनवरी, 2005 को उसकी पत्नी और पुत्र ने अभियुक्त सं. 1 से बात की थी और मृतका और अभियुक्त सं. 1 के मध्य झगड़े का कारण पूछा था । इस पर अभियुक्त सं. 1 ने अभिकथित रूप से सूचित किया कि मृतका अभियुक्त को धमकी देती रहती है कि उसको अभियुक्तों द्वारा जान से मार दिया जाएगा, या वह अभियुक्तों द्वारा उत्पीड़न किए जाने और पीटे जाने के कारण स्वयं जान दे देगी । उसने यह अभिकथित करते हुए एक अन्य सुधार किया कि "अभियुक्त जिन्होंने उसका उत्पीड़न किया था आज न्यायालय में उपस्थित हैं और वे उसको दहेज में कार, सोने की वस्तुएं और अन्य वस्तुएं, जो उसके पुत्र वंश के जन्म के समय दिए जाने थे, लाने के लिए विवश करते थे ।" उसने यह कहते हुए आगे सुधार किया कि अगस्त, 2004 में जब अभियुक्त और मृतका नए मकान में स्थानांतरित हुए थे तो उसने अभियुक्तों द्वारा की गई मांग पर अनेक वस्तुएं दी थीं जैसे कि फ्रीज, डबल बेड, चादरें, बर्तन इत्यादि । इस प्रकार की मांगों का कोई भी आरोप न तो प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 1/बी में लगाया गया था और न ही प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 1/ए में ।

33. महत्वपूर्ण रूप से, अभि. सा. 1 ने अपनी प्रतिपरीक्षा में अभिकथित किया है कि उसने अपनी पुत्री से अंतिम बार दूरभाष पर तारीख 30 जनवरी, 2005 को बात की थी, जब उसने अभियुक्तों द्वारा उत्पीड़न की शिकायत की थी और बताया था कि वे ताने देकर उससे

कहते हैं **"मर जा मरती क्यों नहीं जाकर"** । अभि. सा. 1 द्वारा इस प्रकार का कोई आरोप न तो प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 1/बी में लगाया गया था और न ही प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 1/ए में । मृतका के भाई अभि. सा. 2 वरुण अरोड़ा ने भी अपने पूर्व कथनों में यह दावा करते हुए सुधार करने का प्रयास किया कि उनके परिवार ने भारत भूषण (अभियुक्त सं. 4) को एक लाख रुपए दिए थे जब वे उनके नए मकान में स्थानांतरित हुए थे ।

34. अभि. सा. 1 और अभि. सा. 2 द्वारा किए गए ये सुधार दहेज की मांग के अभिकथनों के संबंध में इन साक्षियों और उनके परिसाक्ष्यों को अविश्वसनीय बनाते हैं और इनको स्वयमेव स्वीकार नहीं किया जा सकता है । यह भी देखा जाएगा कि दहेज की मांग के संबंध में उक्त परिसाक्ष्य अत्यधिक विनिर्दिष्ट भी नहीं है और उनके विवरण के संबंध में फेर-फार है । अभि. सा. 1 और अभि. सा. 2 के कथनों के अलावा दहेज की मांगों के संबंध में कोई पुष्टिकरण साक्ष्य अभिलेख पर उपलब्ध नहीं है, में नहीं किया गया है जिनको उनकी प्रतिपरीक्षा में चुनौती दी गई हो ।

35. वधू के पिता-माता से विवाह के समय मात्र उपहारों की प्राप्ति के बाबत यह उपधारणा नहीं की जा सकती कि यह उपहार दहेज की मांग के बाबत दिए गए थे । यह एक परंपरा है कि वर और वधू और वधू के ससुराल पक्ष के लोगों को वधू के परिवार के लोगों द्वारा विवाह के समय उपहार दिए जाते हैं । उपहार का विनिमय परंपरागत रूप से दोनों पक्षों द्वारा विवाह के अवसर पर होता है । ऐसे उपहार स्वेच्छापूर्वक, अनुरागवश और खुशी से दिए जा सकते हैं । यह उपधारणा किए जाने का कोई आधार नहीं है कि इस प्रकार के उपहार जब भी दिए जाते हैं, वे दहेज की मांग के परिणामस्वरूप ही दिए जाते हैं । दहेज की मांग स्वयमेव ही भारतीय दंड संहिता की धारा 498क के अधीन अपराध गठित नहीं करती । दहेज की मांग वधू/पत्नी को उत्पीड़न के अधीन करती है अर्थात् दहेज लाने के लिए उसको शारीरिक या मानसिक प्रताड़ना दिया जाना या दहेज न लाने के लिए दंडित किया जाना जो क्रूरता है और विधि के अधीन दंडनीय है । वर्तमान मामले में, स्पष्ट अभिकथन किए जाने के अलावा कि मृतका को विवाह के पश्चात् से उसकी मृत्यु के समय तक कम दहेज लाने के लिए या और अधिक दहेज न लाने के लिए शारीरिक और मानसिक उत्पीड़न के अधीन रखा गया था, अभियोजन द्वारा दहेज की मांग को साबित करने या मृतका को शारीरिक या मानसिक उत्पीड़न के अधीन रखे जाने, जो क्रूरता है और जिसके लिए यह अभिकथित किया जा सके कि मृतका ने स्वयं अपनी जान ले ली, कोई साक्ष्य पेश नहीं किया गया है ।

36. अभि. सा. 1 और अभि. सा. 2 को अभियुक्त सं. 1, मृतका, बच्चों और परिवार के अन्य सदस्यों के अनेक फोटोग्राफ (प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 1/डीसी 1 से 23) न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किए गए, जिनके परिशीलन मात्र से दर्शित होता है कि मृतका अभियुक्त सं. 1 और अन्य अभियुक्तों के मध्य समन्वय और सामंजस्य थे । इन फोटों में से कुछ फोटों उस अवधि के हैं जब मृतका और अभियुक्त अमेरिका में थे, जबकि कुछ अन्य फोटों पश्चात्वर्ती अवधि के हैं जब वे भारत वापस लौटे थे । फोटों से यह स्पष्ट है कि अभियुक्त सं. 1, मृतका, बच्चे छुट्टियों और तीर्थ यात्राओं पर भी अमेरिका से वापस लौटने के पश्चात् साथ-साथ गए थे । प्रदर्श डी. डब्ल्यू. 3/बी1 से 37 तक फोटों का एक समुच्चय है जो तारीख 7 मई, 2003 को आयोजित एक जन्मदिन के कार्यक्रम का है, जिसमें भी दर्शित होता है कि वे अपनी पुत्री का जन्मदिन न केवल अभियुक्त की उपस्थिति में बल्कि उनके नातेदारों और साथ ही शिकायतकर्ता अभि. सा. 1 की उपस्थिति में हर्षोल्लास के साथ मना रहे थे ।

37. शिकायतकर्ता अभि. सा. 1, उसकी पत्नी और परिवार के सदस्यों द्वारा अभियुक्त सं. 1 और मृतका को दिसम्बर, 1998 से फरवरी, 1999 की अवधि के दौरान, जब वे अमेरिका में थे द्वारा भेजे गए अनेक पत्रों को भी साक्ष्य में प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 1/डीडी2 के रूप में पेश किया गया । ये पत्र मृतका और अभियुक्त सं. 1 या मृतका और अन्य अभियुक्तों के मध्य किसी प्रकार की कटुता या दबाव को दर्शित नहीं करते । ये पत्र दर्शित करते हैं कि शिकायतकर्ता और उसकी पत्नी और मृतका का भाई, मृतका और अभियुक्त सं. 1 से प्रसन्न थे और ये पत्र इस बात को भी प्रदर्शित करते हैं कि वे अपनी पुत्री दामाद से प्यार और अनुराग रखते थे । इस बाबत कोई फुसफुसाहट भी नहीं है कि किसी भी अभियुक्त ने दहेज के संबंध में कभी कोई मांग की हो ।

38. पूर्वोक्त साक्ष्य अभि. सा. 1 और अभि. सा. 2 के परिसाक्ष्यों से कि मृतका को कम दहेज लाने के कारण या अधिक दहेज न ला पाने के कारण अभियुक्त द्वारा निरंतर रूप से प्रताड़ित किया गया था, असत्य साबित करते हैं । यह महत्वपूर्ण है कि अभियुक्त सं. 1 और मृतका ने विवाह के पश्चात् अधिकांश समय अन्य अभियुक्तों से दूर रहकर बिताया था । विवाह के लगभग छह माह पश्चात् वे अमेरिका चले गए थे जहां वे लगभग 3 वर्ष तक रहे और जहां उनके दो बच्चे भी उत्पन्न हुए । यहां तक कि अमेरिका से वापस आने के पश्चात् भी जुलाई, 2001 में अभियुक्त सं. 2

से 5 के साथ संयुक्त परिवार में रहने के पश्चात् मृतका और अभियुक्त सं. 1 और उनके बच्चे एक अन्य निकटवर्ती मकान में मार्च, 2003 में किसी समय स्थानांतरित हो गए थे । मृतका की मृत्यु अभियुक्त सं. 1 के परिवार से तारीख 31 जनवरी, 2005 को पृथक् होने के 20 माह पश्चात् हुई ।

39. प्रतिरक्षा साक्षी 4 डा. एम. एम. मेंहदीरत्ता, जो जी. बी. पंत अस्तपताल में तंत्रिकाविज्ञान के प्रोफेसर हैं ने शपथपूर्वक कथन किया है कि मृतका शिरोवेदना से ग्रसित थी । साक्ष्य में यह भी स्पष्ट हुआ है कि तारीख 31 जनवरी, 2005 को अभि. सा. 1 के घर पर एक कार्यक्रम था जिसके लिए अभियुक्त सं. 1 और मृतका को आमंत्रित किया गया था । तथापि, अभियुक्त सं. 1 ने कार्यक्रम में भाग लेने से असमर्थता व्यक्त कर दी थी । उसी दिन अभियुक्त सं. 1 और मृतका के बीच झगड़ा हुआ था और बाद में रात्रि में मृतका को उसके घर में फांसी पर लटका हुआ पाया गया ।

40. अभियुक्त सं. 1 द्वारा कार्यक्रम में भाग लेने से इनकार को अत्यधिक गंभीर कार्य या चूक नहीं कहा जा सकता जिसके आधार पर कोई व्यक्ति ऐसा प्रचंड कदम उठा ले जो किसी के प्राण लेने वाला हो । इस बात की संभाव्यता कि मृतका शिरोवेदना या अन्य असंबद्ध कारणोंवश अवसाद से ग्रस्त थी जिस कारणवश उसने आत्महत्या करने का प्रचंड कदम उठाया, से भी इनकार नहीं किया जा सकता । प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 7/ए से दर्शित होता है कि घर अन्दर से बंद किया गया था और पुलिस को घर में प्रवेश करने के लिए दरवाजे की जाली को काटना पड़ा था । यह भी तात्विक है कि हस्तलिखित टिप्पण (प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 7/बी) जिसमें ये अभिलिखित किया गया था कि "मेरे बदन से कोई कपड़े नहीं उतारेगा, मेरे सारे गहने खुशी के हैं" के बाबत यह दर्शित नहीं किया गया है कि यह बनावटी था । अभियोजन ने इस बात को साबित नहीं किया है कि उक्त हस्तलिखित टिप्पण मृतका की हस्तलिपि में नहीं है । यह तथ्य कि यह हस्तलिखित टिप्पण घटनास्थल पर पाया गया था, दर्शित करता है कि अधिसंभाव्य रूप से यह मृतका द्वारा स्वयं लिखा गया था । हस्तलिखित टिप्पण की अन्तर्वस्तु से भी यह स्पष्ट होता है कि वह मृतका द्वारा लिखा गया था ।

41. अभि. सा. 1 ने दावा किया कि मृतका को अभिकथित रूप से आत्महत्या कारित करने के पहले पीटा गया था । उसने दावा किया कि मृतका ने अपनी माता और भाई से तारीख 31 जनवरी, 2005 (घटना का

दिन) की प्रातःकाल बात की थी और सूचित किया था कि अभियुक्त सं. 1 उसका उत्पीड़न कर रहा है और उसको पीट रहा है । यदि मृतका को उसकी मृत्यु के दिन प्रातःकाल पीटा गया था, तो यह बात मरणोत्तर परीक्षा रिपोर्ट (प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 8/जे) में परावर्तित होती । तथापि, मरणोत्तर परीक्षा रिपोर्ट (प्रदर्श पी. डब्ल्यू 8/जे) के अनुसार मृतका के शरीर पर कोई बाह्य क्षतियां नहीं थीं, सिवाय मृतका के गले पर बंधन के चिन्ह के अलावा । चूंकि मरणोत्तर परीक्षा रिपोर्ट से यह बातें परावर्तित नहीं होती, इससे अभियोजन साक्षियों द्वारा किए गए अभिकथनों पर संदेह सृजित होता है ।

42. प्रत्यर्थी ने दलील दी कि अन्वेषण अधिकारी सहायक उप निरीक्षक जय भगवान (अभि. सा. 8) द्वारा किया गया अन्वेषण लापरवाहीपूर्ण था और उसमें अनेक शिथिलताएं बरती गई हैं । उसने दलील दी कि अभि. सा. 8 ने अन्वेषण उचित रीति में नहीं किया चाहे वह घटनास्थल से बरामद हस्तलिखित टिप्पण (प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 7/बी), जो मृतका द्वारा लिखा गया था, के संबंध में हो या नहीं । उसने आगे दलील दी कि प्रथम इत्तिला रिपोर्ट के रजिस्ट्रीकरण में नौ दिनों का अत्यधिक विलंब हुआ है । मृतका की मृत्यु तारीख 31 जनवरी, 2005 को हुई थी और पुलिस को इसकी इत्तिला उसी दिन सायंकाल दे दी गई थी । शिकायतकर्ता (पी. डब्ल्यू. 1) ने तारीख 31 जनवरी, 2005 व 1 फरवरी, 2005 के मध्यवर्ती रात्रि में विस्तारपूर्वक शिकायत लिखी थी । तथापि, प्रथम इत्तिला रिपोर्ट तारीख 9 फरवरी, 2005 को द्वितीय शिकायत (प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 1/ए) के अभिलिखित किए जाने के पश्चात् रजिस्ट्रीकृत की गई थी । अभि. सा. 8 सहायक उप निरीक्षक जय भगवान ने अभिकथित किया कि मामले को वरिष्ठ अधिकारियों के मौखिक निदेशों पर लंबित रखा गया था और इसलिए प्रथम इत्तिला रिपोर्ट (प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 3/ए) तारीख 1 फरवरी, 2005 को रजिस्ट्रीकृत नहीं की गई थी, यद्यपि शिकायतकर्ता द्वारा शिकायत तारीख 31 जनवरी, 2005/1फरवरी, 2005 की मध्यवर्ती रात्रि में प्रस्तुत कर दी थी । उक्त विलंब के लिए अभि. सा. 8 द्वारा दिया गया स्पष्टीकरण युक्तिसंगत या स्वीकार्य नहीं है और पुलिस अधिकारियों द्वारा कोई अन्य स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है । प्रथम इत्तिला रिपोर्ट (प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 3/ए) के रजिस्ट्रीकरण में अप्रत्याशित विलंब के कारण गंभीर संदेह सृजित होता है और हस्तलिखित टिप्पण (प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 7/बी) का परीक्षण न किया जाना अभियोजन के पक्षकथन के लिए घातक है । पुलिस को मामले की सभी पहलुओं का गहराई से अन्वेषण करना चाहिए था, किन्तु वो इसमें विफल रही । अतः बिना पुष्टिकरण साक्ष्य और साथ ही

अन्वेषण प्रक्रिया में इस प्रकार की शिथिलताएं अभियोजन के पक्षकथन पर गंभीर संदेह उत्पन्न करते हैं ।

43. श्री कात्याल ने **बृजलाल** (उपरोक्त) वाले मामले का अवलंब यह निवेदन करते हुए लिया कि वर्तमान मामला भारतीय दंड संहिता की धारा 107 की अपेक्षाओं को पूरा करता है जो "किसी बात के दुष्प्रेरण" पर विचार करती है । श्री कात्याल ने दलील दी कि अभियुक्त सं. 1/पति और उसके परिवार के सदस्यों (सह-अभियुक्तों) ने मृतका को आत्महत्या कारित करने के लिए उकसाया था और इसलिए भारतीय दंड संहिता की धारा 107 के अधीन दंडित किए जाने योग्य है । मेरे विचार से अभियोजन, अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य के परिशीलन के आधार पर इस बात को साबित कर पाने में विफल रहा है कि मृतका को अभियुक्त द्वारा आत्महत्या कारित करने के लिए उकसाया गया था ।

44. **रणधीर सिंह** (उपरोक्त) वाले मामले में उच्चतम न्यायालय ने मताभिव्यक्ति की कि कोई भी भारतीय महिला अपने परिवार के झगड़ों का प्रकटीकरण अपने मित्रों या नातेदारों के समक्ष नहीं करती ।

इसलिए, दहेज की मांग के बारे में मित्रों और परिवार के सदस्यों के समक्ष प्रकटीकरण न किए जाने से यह साबित नहीं होता कि दहेज की मांग नहीं की गई थी । उच्चतम न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि यदि दहेज की मांग को तर्कपूर्ण और विश्वसनीय साक्ष्य द्वारा साबित किया जाता है तो मात्र विभिन्न व्यक्तियों के समक्ष उसके उत्पीड़न का प्रकटीकरण न किए जाने का कोई प्रभाव नहीं होगा । तथापि, वर्तमान मामले में अभियोजन दहेज की मांग के बाबत और साथ ही अभियुक्त द्वारा मृतका के उत्पीड़न के बाबत कोई तर्कपूर्ण और विश्वसनीय साक्ष्य प्रस्तुत कर पाने में विफल रहा है । अतः, **रणधीर सिंह** (उपरोक्त) वाला मामला अभियोजन के पक्षकथन के लिए किसी प्रयोजन के लिए नहीं है ।

45. **साहेब राव** (उपरोक्त) और **पवन कुमार** (उपरोक्त) वाले मामलों का अवलंब लिया गया किन्तु हमको ऐसा प्रतीत नहीं होता कि ये मामले अपीलार्थी की किसी भी प्रकार से सहायता करते हैं क्योंकि अभियोजन इन विनिश्चयों में अधिकथित सिद्धांतों का अवलंब लेने के प्रयोजनार्थ तथ्यात्मक बिंदुओं को साबित कर पाने में समर्थ नहीं हो पाया है ।

46. इसी प्रकार से **शरद बिरधी चंद शारदा** (उपरोक्त) वाले मामले में उच्चतम न्यायालय ने उन कारणों, परिस्थितियों, मनोदशाओं और मनोभावों का विश्लेषण किया है जो किसी व्यक्ति को आत्महत्या की ओर धकेलते हैं । वर्तमान मामले में अभियोजन ने इस बात को साबित करने के लिए

अभिलेख पर ऐसा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है या न्यायालय के मस्तिष्क में ऐसा कोई संदेह सृजित नहीं किया है कि मृतका पति और पत्नी के मध्य संबंधों में जानबूझकर किए गए आचरणों, कार्यों और चूकों या दहेज की मांग के कारण अवसाद ग्रस्त थी । इसलिए, उच्चतम न्यायालय द्वारा **शरद बिरधी चंद शारदा** (उपरोक्त) वाले मामले में की गई मताभिव्यक्ति अपीलार्थी की सहायता नहीं करती । **त्रिमुख** (उपरोक्त) वाले मामले में उच्चतम न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि जब फंसाने वाला साक्ष्य अभियुक्त के समक्ष रखा गया और वह कोई स्पष्टीकरण नहीं देता या ऐसा स्पष्टीकरण देता है जो असत्य है, तो इससे परिस्थितियों की शृंखला बनती है । वर्तमान मामले में अभियुक्त सं. 1 ने उसके विरुद्ध लगाए गए सभी आरोपों का युक्तिसंगत स्पष्टीकरण दिया है । ऐसा प्रतीत नहीं होता कि ये स्पष्टीकरण अधिसंभाव्य, असत्य या मात्र बहाना हैं ।

47. वर्तमान मामले में, अभि. सा. 1 ने अभियुक्त के विरुद्ध उत्पीड़न के सामान्य आरोप लगाए हैं । अभियोजन ने किसी फंसाने वाले साक्ष्य की सहायता से इन दहेज की मांगों या उत्पीड़न के आरोपों को साबित नहीं किया । उत्पीड़न या क्रूरता की किसी भी विशिष्ट घटना का कोई विनिर्दिष्ट विवरण अभिलेख पर उपलब्ध नहीं है । आरोप भारतीय दंड संहिता की धारा 498क के परिधि के अन्तर्गत लाए जाने के लिए किसी निश्चित प्रयोजन के साथ उत्पीड़न किया जाना आवश्यक है, अर्थात् किसी महिला या उससे संबंधित किसी व्यक्ति को किसी संपत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति की विधिविरुद्ध मांग को पूरा करने के लिए मजबूर करना । अभियोजन द्वारा न तो दहेज की मांग को साबित किया गया है और न ही इस बात को साबित किया गया है कि आपराधिक उत्पीड़न किया गया था । मृतका की अनैसर्गिक मृत्यु को मांग और परिणामिक उत्पीड़न के परिणामस्वरूप अभिनिर्धारित नहीं किया जा सकता ।

48. मैं पूर्वोक्त चर्चा के प्रकाश में विचारण न्यायालय के आक्षेपित निर्णय, जिसके द्वारा अभियुक्तों को दोषमुक्त किया गया, में कोई शिथिलता नहीं पाता । तद्नुसार आक्षेपित निर्णय को मान्य ठहराया जाता है । अपील में कोई गुणागुण नहीं है । अपील तद्नुसार खारिज की जाती है ।

अपील खारिज की गई ।

शु.

कपिल राम

बनाम

बिहार राज्य और एक अन्य

तारीख 28 जुलाई, 2014

न्यायमूर्ति आशुतोष कुमार

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) – धारा 319 – अतिरिक्त अभियुक्त को समन भेजे जाने का आदेश – विधिमान्यता – डिमांड ड्राफ्टों की चोरी और कूटरचना – बैंक के शाखा प्रबंधक – आवेदक पर अभियुक्त व्यक्ति के साथ विचारण किए जाने की ईप्सा किया जाना – यह अभिकथन किया जाना कि मांग ड्राफ्टों पर कूटरचना तब हुई जब वे ब्रांच प्रबंधक के अभिरक्षा में थे – यदि आवेदक/शाखा प्रबंधक ने अपराध किए जाने में भागीदारी की थी और आवेदक को समन भेजने के लिए आवेदन उसके साक्षी के रूप में विचारण न्यायालय के समक्ष अभिसाक्ष्य देने के पश्चात् फाइल नहीं किया गया है तो साक्ष्य समाप्ति के 2 वर्ष पश्चात् जब अपराध किए जाने के संबंध में आवेदक के विरुद्ध कोई सामग्री उपलब्ध न हो तब अतिरिक्त अभियुक्त के रूप में आवेदक को समन भेजे जाने का आदेश अनुचित है ।

विरोधी पक्षकार सं. 2 ने यह अभिकथन करते हुए प्रथम इत्तिला रिपोर्ट दर्ज की है कि बैंक आफ बड़ौदा से 55 डिमांड ड्राफ्ट चोरी हो गए थे । इस चोरी के संबंध में सन्हा भी अभिलिखित की गई थी । प्रथम इत्तिला रिपोर्ट से यह भी प्रकट है कि गुजरात पुलिस द्वारा दीपक गुप्ता नामक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया था जिसके कब्जे में चुराए गए डिमांड ड्राफ्ट थे और जब वह ऐसे डिमांड ड्राफ्ट को भुना रहा था तब उसे गिरफ्तार कर लिया गया था । प्रथम इत्तिला रिपोर्ट से यह भी प्रकट है कि इन डिमांड ड्राफ्ट को बैंक की दिल्ली और इलाहाबाद ब्रांच से वापस लिया गया था । पूर्व उल्लिखित प्रथम इत्तिला रिपोर्ट के आधार पर अन्वेषण की कार्रवाई की गई । अन्वेषण की समाप्ति के पश्चात् दीपक गुप्ता और रामजी राय माली के विरुद्ध आरोप पत्र प्रस्तुत किया गया था । इन दोनों अभियुक्तों के विरुद्ध दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के अधीन अर्थात् दंड संहिता की धारा 467, 468, 471, 406 और 120ख के अधीन संज्ञान

लिया गया था । पूर्वोक्त दोनों व्यक्तियों के विरुद्ध विचारण कार्रवाई की गई थी । आवेदक ने मामले में अभियोजन साक्षी सं. 1 को पेश किया । उसने उसके बारे में विचारण के दौरान यह कथन कहा जाना कहा गया है कि शाखा प्रबंधक ने अपनी सुरक्षित अभिरक्षा में चाबियों को रखा था जहां ये डिमांड ड्राफ्ट रखे गए थे । आवेदक ने तारीख 10 फरवरी, 2003 को अभि. सा. 1 की परीक्षा कराई थी । इसके पश्चात् अन्य साक्षियों की इत्तिलाकर्ता सहित परीक्षा कराई गई थी जिसकी तारीख 5 अप्रैल, 2004 को खासतौर पर परीक्षा की गई थी । पांच अभियोजन साक्षियों की परीक्षा करने के पश्चात् मामले को बंद कर दिया गया था और मामला अन्तिम सुनवाई के लिए रख दिया गया था । साक्ष्य की समाप्ति के लगभग दो वर्ष पश्चात् दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 319 के अधीन अभियोजन की ओर से यह कथन करते हुए आवेदन फाइल किया गया था कि अभि. सा. 1 (आवेदक) और अभि. सा. 4 राम प्रसाद के अभिसाक्ष्य को ध्यान में रखते हुए कि मामले में आवेदक के सरसरी तौर पर शामिल होने पर उसको समन भेजना आवश्यक था । विचारण न्यायालय ने तारीख 27 जुलाई, 2006 को आदेश पारित करके इस आवेदन को मंजूर कर लिया और विचारण का सामना करने के लिए आवेदक को समन भेजा । आवेदक द्वारा उक्त आदेश के विरुद्ध उच्च न्यायालय में आवेदन फाइल किया गया । आवेदन मंजूर करते हुए,

अभिनिर्धारित – यह भी उल्लेखनीय है कि आवेदक को समन करने के बारे में ऐसा आवेदन अभियोजन पक्ष द्वारा अभि. सा. 1 के रूप में विचारण न्यायालय के समक्ष आवेदक द्वारा अभिसाक्ष्य देने के तत्काल पश्चात् फाइल नहीं किया गया था । अभियोजन पक्ष ने साक्ष्य की समाप्ति का इन्तजार किया था और साक्ष्य की समाप्ति के दो वर्ष पश्चात् ही ऐसा अनुरोध किया गया था निचले न्यायालय ने अभियोजन पक्ष से इस बारे में पूछताछ करने की ओर ध्यान नहीं दिया और क्यों ऐसा अनुरोध काफी समय के पश्चात् किया जा रहा है जबकि सभी साक्षियों की मामले में परीक्षा कर ली गई है । इसलिए आक्षेपित आदेश में विवेक को पूरी तरह लागू नहीं किया गया है, दोषग्रस्त है । इसलिए इस बारे में आदेश में यह बात प्रकट नहीं होती है कि कैसे न्यायालय ने इस बात का निष्कर्ष निकाला है कि आवेदक का अन्य अभियुक्त व्यक्तियों के साथ विचारण किया जाना अपेक्षित है । अभियोजन पक्ष द्वारा पेश किए गए आवेदन में ऐसा कुछ भी नहीं है जिस वजह से आवेदक को विचारण का सामना करने के लिए समन किया जाना

ईप्सित हो और जो कुछ भी सामग्री उसके विरुद्ध प्रकट हुई है मात्र इस कारण से मामले को देखते हुए अभि. सा. 4 ने शाखा अधिकारी की अभिरक्षा में ऐसे दस्तावेज होने के बारे में कथन किया है और इस निष्कर्ष पर ऐसा कोई मामला दर्ज नहीं किया गया है जो सुरक्षित अभिरक्षा से ऐसी हानि की बात को प्रकट करता हो, इसलिए आवेदक को समन नहीं भेजा जा सकता है । दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 319 के अधीन शक्ति का अत्यधिक सावधानी से प्रयोग किया जाना चाहिए । ऐसे विलंब प्रक्रम पर किसी व्यक्ति से विचारण का सामना करने के लिए कहा जाना विधिक प्रक्रिया के अधीन अत्यधिक कठोर बात है और ऐसा कोई पर्याप्त कारण दिखाई नहीं देता है या आक्षेपित आदेश में ऐसा आधार को लेना पूर्णतया असहाय बनाता है और ऐसा समन भेजा जाना विधि की दृष्टि में कायम योग्य नहीं हो सकता । (पैरा 14 और 15)

इस न्यायालय ने इस तथ्य का भी उल्लेख किया है कि आवेदक के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई की गई थी और विभागीय प्राधिकारियों द्वारा यह निष्कर्ष निकाला गया था कि शाखा प्रबंधक का काम करते हुए उसकी ओर से कुछ चूक हुई थी । यह आवेदक के लिए हल्का आधार नहीं हो सकता है फिर भी इस तथ्य पर विचार करते हुए कि बैंक ड्राफ्टों की चोरी में उसकी भागीदारी के संबंध में कोई सामग्री नहीं है जिससे कि ऐसे विलंब प्रक्रम पर उसे समन भेजा जाना उचित नहीं है और कोई कार्रवाई आगे बढ़ाने के संबंध में उसे अन्तिम रूप दिया जाना चाहिए । (पैरा 16)

प्रकीर्ण (दांडिक) अधिकारिता : 2006 की प्रकीर्ण दांडिक सं. 42317.

विद्वान् न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी पुपरी, सीतामढ़ी द्वारा पारित किए गए आदेश के विरुद्ध प्रकीर्ण आवेदन ।

आवेदक की ओर से	सर्वश्री शैलेन्द्र कुमार सिंह और नीरज कुमार सिंह
विरोधी पक्षकारों की ओर से	श्री झारखण्डी उपाध्याय, सहायक लोक अभियोजक

न्यायमूर्ति आशुतोष कुमार – आवेदक की ओर से हाजिर होने वाले विद्वान् काउंसेल श्री शैलेन्द्र कुमार सिंह और राज्य की ओर से हाजिर होने वाले विद्वान् सहायक लोक अभियोजक श्री झारखण्डी उपाध्याय को सुना ।

2. आवेदक ने विद्वान् न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, पुपरी, सीतामढ़ी

द्वारा 1997 की जी. आर. सं. 96, 2006 की विचारण सं. 315 के संबंध में तारीख 27 जुलाई, 2006 को पारित किए गए आदेश को चुनौती दी है जिसमें उसे दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 319 के अधीन विचारण का सामना करने के लिए समन दिया गया है ।

3. विरोधी पक्षकार सं. 2 ने यह अभिकथन करते हुए प्रथम इत्तिला रिपोर्ट दर्ज की है कि बैंक आफ बड़ौदा से 55 डिमांड ड्राफ्ट चोरी हो गए थे । इस चोरी के संबंध में सन्हा भी अभिलिखित की गई थी । प्रथम इत्तिला रिपोर्ट से यह भी प्रकट है कि गुजरात पुलिस द्वारा दीपक गुप्ता नामक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया था जिसके कब्जे में चुराए गए डिमांड ड्राफ्ट थे और जब वह ऐसे डिमांड ड्राफ्ट को भुना रहा था तब उसे गिरफ्तार कर लिया गया था । प्रथम इत्तिला रिपोर्ट से यह भी प्रकट है कि इन डिमांड ड्राफ्ट को बैंक की दिल्ली और इलाहाबाद ब्रांच से वापस लिया गया था ।

4. पूर्व उल्लिखित प्रथम इत्तिला रिपोर्ट के आधार पर अन्वेषण की कार्रवाई की गई । अन्वेषण की समाप्ति के पश्चात् दीपक गुप्ता और रामजी राय माली के विरुद्ध आरोप पत्र प्रस्तुत किया गया था । इन दोनों अभियुक्तों के विरुद्ध दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के अधीन अर्थात् दंड संहिता की धारा 467, 468, 471, 406 और 120ख के अधीन संज्ञान लिया गया था । पूर्वोक्त दोनों व्यक्तियों के विरुद्ध विचारण कार्रवाई की गई थी ।

5. आवेदक ने मामले में अभियोजन साक्षी सं. 1 को पेश किया । उसने उसके बारे में विचारण के दौरान यह कथन कहा जाना कहा गया है कि शाखा प्रबंधक ने अपनी सुरक्षित अभिरक्षा में चाबियों को रखा था जहां ये डिमांड ड्राफ्ट रखे गए थे । आवेदक ने तारीख 10 फरवरी, 2003 को अभि. सा. 1 की परीक्षा कराई थी । इसके पश्चात् अन्य साक्षियों की इत्तिलाकर्ता सहित परीक्षा कराई गई थी जिसकी तारीख 5 अप्रैल, 2004 को खासतौर पर परीक्षा की गई थी । पांच अभियोजन साक्षियों की परीक्षा करने के पश्चात् मामले को बंद कर दिया गया था और मामला अन्तिम सुनवाई के लिए रख दिया गया था ।

6. साक्ष्य की समाप्ति के लगभग दो वर्ष पश्चात् दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 319 के अधीन अभियोजन की ओर से यह कथन करते हुए आवेदन फाइल किया गया था कि अभि. सा. 1 (आवेदक) और अभि. सा. 4 राम प्रसाद के अभिसाक्ष्य को ध्यान में रखते हुए कि मामले में आवेदक के

सरसरी तौर पर शामिल होने पर उसको समन भेजना आवश्यक था ।

7. विचारण न्यायालय ने तारीख 27 जुलाई, 2006 को आदेश पारित करके इस आवेदन को मंजूर कर लिया और विचारण का सामना करने के लिए आवेदक को समन भेजा ।

8. पूर्वोक्त आदेश को चुनौती दी गई है ।

9. आवेदक के विद्वान् काउंसेल ने यह दलील दी है कि आक्षेपित आदेश विधि और तथ्यों की दृष्टि से गलत है और यह भी दलील दी कि इस आदेश पर विवेक ठीक से इस्तेमाल नहीं किया गया क्योंकि अभियोजन पक्ष की ओर से की गई प्रार्थना को आदेश में किसी बात को प्रकट न करते हुए बिना देखे स्वीकार किया जाना प्रकट होता है । क्या दो साक्षियों का अभिसाक्ष्य पर जिसमें से एक आवेदक है, प्रश्नगत डिमांड ड्राफ्ट की चोरी के बारे में आवेदक के विरुद्ध कोई मामला बनता है ।

10. आवेदक की ओर से यह भी निवेदन किया गया कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 319 यदि मामले में न्यायोचित विनिश्चय का निष्कर्ष निकाला जाना आवश्यक है, ऐसे व्यक्तियों के साथ अन्य सह-अभियुक्त व्यक्तियों का विचारण किए जाने के प्रयोजन के लिए अधिनियमित किया गया है । आवेदक के काउंसेल की दलील का मूल्यांकन करने में यह आवश्यक होगा कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 319 के उपबंधों की परीक्षा की जाए जो निम्न प्रकार है :–

> "319. अपराध में दोषी प्रतीत होने वाले अन्य व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही करने की शक्ति – (1) जहां किसी अपराध की जांच या विचारण के दौरान साक्ष्य से यह प्रतीत होता है कि किसी व्यक्ति ने, जो अभियुक्त नहीं है, कोई अपराध किया है, जिसके लिए ऐसे व्यक्ति का अभियुक्त के साथ विचारण किया जा सकता है, वहां न्यायालय उस व्यक्ति के विरुद्ध उस अपराध के लिए जिसका उसके द्वारा किया जाना प्रतीत होता है, कार्यवाही कर सकता है ।
>
> (2) जहां ऐसा व्यक्ति न्यायालय में हाजिर नहीं है वहां पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए उसे मामले की परिस्थितियों की अपेक्षानुसार, गिरफ्तार या समन किया जा सकता है ।
>
> (3) कोई व्यक्ति जो गिरफ्तार व समन न किए जाने पर भी न्यायालय में हाजिर है, ऐसे न्यायालय द्वारा उस अपराध के लिए,

जिसका उसके द्वारा किया जाना प्रतीत होता है, उसे जांच या विचारण के प्रयोजन के लिए निरुद्ध किया जा सकता है ।

(4) जहां न्यायालय किसी व्यक्ति के विरुद्ध उपधारा (1) के अधीन कार्यवाही करता है, वहां –

(क) उस व्यक्ति के बारे में कार्यवाही फिर से आरंभ की जाएगी और साक्षियों को फिर से सुना जाएगा ।

(ख) खण्ड (क) के उपबंधों के अधीन रहते हुए, मामले में ऐसे कार्यवाही की जा सकती है, मानो वह व्यक्ति उस समय अभियुक्त व्यक्ति था जब न्यायालय ने उस अपराध का संज्ञान लिया था जिस पर जांच या विचारण प्रारंभ किया गया था ।

11. धारा का स्पष्ट परिशीलन करने पर यह स्पष्ट है कि अपराध की कोई जांच या विचारण के दौरान यदि साक्ष्य से यह प्रकट होता है कि कोई व्यक्ति जिसका विचारण नहीं किया जा रहा है कि क्या उसने भी अपराध किया है तब उसका अन्य अभियुक्तों के साथ विचारण किया जाना ईप्सित है और उसे मामले में अभियोजित किया जाएगा । ऐसे व्यक्ति के कार्य के संबंध में न्यायालय का समाधान होने पर उसे समन भेजा जाएगा और इस पर यह बात महत्वपूर्ण है कि उसके द्वारा अपराध किया गया है । ऐसा समाधान विचारण के दौरान अभिलिखित साक्ष्य के आधार पर होना चाहिए जो दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 319 के अधीन आवेदन पर कार्रवाई किए जाने से पूर्व होना चाहिए । धारा में शब्द "यह प्रतीत होता है" को हल्के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए और दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 319 के अधीन व्यक्ति को समन करते हुए अन्य अभियुक्त व्यक्तियों के साथ विचारण का सामना किए जाने के लिए ऐसे व्यक्ति को समन भेजे जाने से पूर्व अकाट्य तर्कों पर सहमत होना चाहिए ।

12. वर्तमान मामले में आवेदक जिसे दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 319 के उपबंध के अधीन समन भेजा गया है उसे मामले में अभियोजन वृत्तान्त के समर्थन में अभियोजन साक्षी सं. 1 के रूप में रखा गया था और उसके बारे में शाखा प्रबंधक होने पर विचारण न्यायालय के समक्ष यह कथन किया गया है कि उसकी अभिरक्षा में सुरक्षित चाबियां रही थीं और जिस बात को उसके संबंध में यह बात तात्विक मानी गई है मानो कि डिमांड ड्राफ्ट की सुरक्षा का जिम्मा आवेदक का था अतः उसकी अपराध में अर्थात् डिमांड ड्राफ्ट की चोरी किए जाने में भागीदारी भी हो सकती है ।

आवेदक के काउंसेल ने यह दलील दी है कि अभियोजन की राय और न्यायालय की राय अत्यधिक उपधारणात्मक है ।

13. समाधान का स्तर जो दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 319 के उपबंधों के अधीन विचारण का सामना करने के लिए किसी व्यक्ति को समन भेजे जाने के पूर्व अपेक्षित है ऐसा करने के लिए अत्यधिक संदेह की अपेक्षा भिन्न होनी चाहिए जिस पर मामले में अग्रिम अन्वेषण को पूरा किया जाना हो सकता है । अभियोजन पक्ष की ओर से पेश किए गए आवेदन का परिशीलन करने से जिसमें आवेदक को समन भेजे जाने की बात कही गई है, यह प्रतीत होता है कि अभियोजन पक्ष का यह मत है कि आवेदक ने यह कथन किया है कि शाखा प्रबंधक के पास सुरक्षित अभिरक्षा थी और आवेदक उस स्थान पर शाखा प्रबंधक था, उस सुसंगत समय पर उसका भी अन्य अभियुक्त व्यक्तियों के साथ विचारण किया जाना अपेक्षित था । इस न्यायालय ने राय व्यक्त की है कि इस बारे में कोई पूर्ण रूप से तात्विक सामग्री नहीं है जिसमें दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 319 के अधीन शक्तियों का प्रयोग किया जा सकता हो ।

14. यह भी उल्लेखनीय है कि आवेदक को समन करने के बारे में ऐसा आवेदन अभियोजन पक्ष द्वारा अभि. सा. 1 के रूप में विचारण न्यायालय के समक्ष आवेदक द्वारा अभिसाक्ष्य देने के तत्काल पश्चात् फाइल नहीं किया गया था । अभियोजन पक्ष ने साक्ष्य की समाप्ति का इन्तजार किया था और साक्ष्य की समाप्ति के दो वर्ष पश्चात् ही ऐसा अनुरोध किया गया था निचले न्यायालय ने अभियोजन पक्ष से इस बारे में पूछताछ करने की ओर ध्यान नहीं दिया और क्यों ऐसा अनुरोध काफी समय के पश्चात् किया जा रहा है जबकि सभी साक्षियों की मामले में परीक्षा कर ली गई है । इसलिए आक्षेपित आदेश में विवेक को पूरी तरह लागू नहीं किया गया है, दोषग्रस्त है । इसलिए इस बारे में आदेश में यह बात प्रकट नहीं होती है कि कैसे न्यायालय ने इस बात का निष्कर्ष निकाला है कि आवेदक का अन्य अभियुक्त व्यक्तियों के साथ विचारण किया जाना अपेक्षित है । अभियोजन पक्ष द्वारा पेश किए गए आवेदन में ऐसा कुछ भी नहीं है जिस वजह से आवेदक को विचारण का सामना करने के लिए समन किया जाना ईप्सित हो और जो कुछ भी सामग्री उसकी विरुद्ध प्रकट हुई है मात्र इस कारण से मामले को देखते हुए अभि. सा. 4 ने शाखा अधिकारी की अभिरक्षा में ऐसे दस्तावेज होने के बारे में कथन किया है और इस निष्कर्ष पर ऐसा कोई मामला दर्ज नहीं किया गया है जो सुरक्षित अभिरक्षा से ऐसी

हानि की बात को प्रकट करता हो, इसलिए आवेदक को समन नहीं भेजा जा सकता है ।

15. दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 319 के अधीन शक्ति का अत्यधिक सावधानी से प्रयोग किया जाना चाहिए । ऐसे विलंब प्रक्रम पर किसी व्यक्ति से विचारण का सामना करने के लिए कहा जाना विधिक प्रक्रिया के अधीन अत्यधिक कठोर बात है और ऐसा कोई पर्याप्त कारण दिखाई नहीं देता है या आक्षेपित आदेश में ऐसे आधार को लेना पूर्णतया असहाय बनाता है और ऐसा समन भेजा जाना विधि की दृष्टि में कायम योग्य नहीं हो सकता ।

16. इस न्यायालय ने इस तथ्य का भी उल्लेख किया है कि आवेदक के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई की गई थी और विभागीय प्राधिकारियों द्वारा यह निष्कर्ष निकाला गया था कि शाखा प्रबंधक का काम करते हुए उसकी ओर से कुछ चूक हुई थी । यह आवेदक के लिए हल्का आधार नहीं हो सकता है फिर भी इस तथ्य पर विचार करते हुए कि बैंक ड्राफ्टों की चोरी में उसकी भागीदारी के संबंध में कोई सामग्री नहीं है जिससे कि ऐसे विलंब प्रक्रम पर उसे समन भेजा जाना उचित नहीं है और कोई कार्रवाई आगे बढ़ाने के संबंध में उसे अन्तिम रूप दिया जाना चाहिए ।

17. पूर्वोक्त चर्चा को ध्यान में रखते हुए विद्वान् न्यायिक मजिस्ट्रेट, पुपरी, सीतामढ़ी द्वारा जी. आर. सं. 96/1997, विचारण सं. 315/2006 के संबंध में पारित किया गया विचारण का सामना करने के लिए आवेदक को समन भेजे जाने का आदेश तारीख 27 जुलाई, 2006 अपास्त किया जाता है ।

18. आवेदन मंजूर किया जाता है ।

आवेदन मंजूर किया गया ।

आर्य

मध्य प्रदेश राज्य

बनाम

सुरेन्द्र सिंह

तारीख 24 जुलाई, 2014

न्यायमूर्ति एस. के. गंगेले और न्यायमूर्ति एस. के. पालो

दंड संहिता, 1860 (1860 का 45) – धारा 376, 511 और धारा 354 – बलात्संग का प्रयास – अप्राप्तवय लड़की का शीलभंग – पीड़िता का यह कथन किया जाना कि अभियुक्त ने बलपूर्वक उसे अपनी जांघ पर बैठाया और उसकी जांघिया हटाने के पश्चात् उसके गुप्तांग भाग पर अपना शिश्न प्रवेश का प्रयास किया – अभियुक्त द्वारा किया गया अपराध बलात्संग के प्रयास के अन्तर्गत नहीं आता, यह अपराध अप्राप्तवय लड़की की लज्जा भंग करने के अन्तर्गत आता है अतः अभियुक्त धारा 354 के अपराध का दोषी है ।

दंड संहिता, 1860 – धारा 354 – दंड – अपराध का 24 वर्ष पूर्व किया जाना – जुर्माने का आदेश – अभियुक्त पर केवल 25,000/- रुपए जुर्माने का दंड अधिरोपित किया जाना न्यायसंगत है और जुर्माने का संदाय का व्यतिक्रम करने पर छह मास का कारावास भोगे जाने का आदेश भी उचित है ।

यह घटना तारीख 8 मई, 1990 को रात्रि में लगभग 10 बजे घटी थी, उस समय अभियोक्त्री के पिता भगवान सिंह अपने मकान में मौजूद नहीं थे । अभियोक्त्री की माता उर्मिला देवी और अभियोक्त्री जिसकी आयु लगभग 8 वर्ष थी, मकान में मौजूद थे । अभियुक्त सुरेन्द्र सिंह के कुटुंब के सदस्य उस समय मौजूद नहीं थे । भगवान सिंह और अभियुक्त सुरेन्द्र सिंह बी.एस. एफ. टेकनपुर के एक ही एकादमी में थे । दोनों के कुटुंब के सदस्य एक दूसरे को पहचानते थे । अभियोक्त्री प्रायः अभियुक्त सुरेन्द्र सिंह के बच्चों के साथ खेला करती थी और प्रायः उसके मकान पर आया जाया करती थी । दोनों के कुटुम्ब के सदस्य एक दूसरे की सहायता करते थे । तारीख 8-9 मई, 1990 की मध्य रात्रि पर अभियुक्त सुरेन्द्र सिंह अपने क्वार्टर पर वापस आया, उसने शिकायतकर्ता उर्मिला देवी को जगाया और उससे यह कहा कि उसके मकान का ताला खुल नहीं रहा है और उसने

ताले को खोलने के लिए उससे मदद चाही । वह स्वयं इस कार्य के लिए आगे नहीं बढ़ी । अभियोक्त्री सोई हुई थी । उसने उसे जगाया और वहां जाने के लिए उससे कहा और दरवाजे को खोलने के लिए अभियुक्त की मदद करने के लिए भी कहा । प्रथम मंजिल से अभियुक्त ने शिकायतकर्ता से यह कहा कि अभियोक्त्री उसे खाना देने के पश्चात् वापस लौटेगी । शिकायतकर्ता उर्मिला देवी ने इस बात को सुना और अपने क्वार्टर के अन्दर चली गई और सो गई । अभियोक्त्री अभियुक्त के मकान में रुक गई । अभियुक्त ने लस्सी तैयार की (दही से बनाया गया पेय) और उसने स्वयं लस्सी बनाई और अभियोक्त्री को दी । वह चारपाई पर लेट गया और अभियोक्त्री से अपने बगल में बैठने के लिए कहा । उसने अभियोक्त्री की जांघों को अपने हाथों से दबाया और तब उसकी जांघिया हटा दी और उसे नग्न अवस्था में रख दिया तथा स्वयं भी नग्न अवस्था में हो गया और अभियोक्त्री के गुप्तांग में अपने गुप्तांग भाग को प्रविष्ट किया । अभियोक्त्री मदद के लिए चिल्लाई । अभियुक्त ने अभियोक्त्री के जांघिया पर अपने वीर्य को गिराया । अभियोक्त्री की चीख-पुकार को सुनकर शिकायतकर्ता उसके कमरे की ओर दौड़कर पहुंची । अभियोक्त्री के चिल्लाने को सुनकर अभियुक्त बाथरूम के अन्दर चला गया और अभियोक्त्री को जैसे ही यह अवसर प्राप्त हुआ वह दरवाजा खोलकर अपने मकान पर पहुंच गई । अभियोक्त्री ने शिकायतकर्ता विमला देवी को घटना के बारे में बताया । अभियोक्त्री की चीख-पुकार सुनकर कालोनी में रहने वाले पड़ोसी भी घटनास्थल पर पहुंचे । गस्ती दल का भारसाधक यशपाल और विजय नायक भी घटनास्थल पर पहुंचे और अन्य लोगों के साथ चन्द्रकांत पाण्डेय भी घटनास्थल पर पहुंचा । शिकायतकर्ता ने उन सभी को घटना के बारे में बताया तथा अभियोक्त्री को चिकित्सीय उपचार के लिए भेजा गया । जब उसका पति पहुंचा तब उन्होंने लिखित रिपोर्ट, प्रदर्श पी/यथा-मुद्रित दर्ज की । रिपोर्ट के आधार पर प्रथम इत्तिला रिपोर्ट प्रदर्श पी/5 दर्ज की गई थी । घटनास्थल का नक्शा तैयार किया गया था । अभियुक्त की चिकित्सीय परीक्षा की गई थी और यह बताया गया था कि कोई ऐसे लक्षण नहीं पाए गए थे जिससे यह दर्शित होता हो कि अभियुक्त मैथुन करने में असमर्थ था । बी. एस. एफ. अस्पताल पर अभियोक्त्री की भी परीक्षा की गई थी । अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया था और दंड संहिता की धारा 376 के साथ पठित धारा 511 के अधीन आरोप पत्र फाइल किया गया था । आरोपों का स्पष्टीकरण देने पर अभियुक्त ने दोषी होने से इनकार किया और अभियुक्त ने निर्दोष होने का अभिवाक् किया तथा दंड प्रक्रिया संहिता

की धारा 313 के अधीन अपनी परीक्षा में उसने यह कथन किया कि घटना के समय पर उसकी पत्नी और कुटुम्ब के सदस्य मौजूद थे । उसके द्वारा यह अभिवाक् किया गया कि शिकायतकर्ता उर्मिला देवी का अभियुक्त की पत्नी के साथ झगड़ा हुआ था । अतः उसे मिथ्या रूप से फंसाया गया है । अभियुक्त ने चंदन सिंह प्रतिरक्षा साक्षी 1 की परीक्षा कराई जो उसी यूनिट में नौकरी करता था । अभियुक्त की दोषमुक्ति के विरुद्ध राज्य द्वारा अपील फाइल की गई । अपील मंजूर करते हुए,

अभिनिर्धारित – इस संबंध में अप्राप्तवय अभियोक्त्री, अभि. सा. 2 का कथन अत्यधिक महत्वपूर्ण है । उसने स्पष्ट रूप से यह कथन किया है कि वह रात्रि में अपनी मां के साथ सोई हुई थी । अभियुक्त उनके पास आया और उसकी माता ने उससे कहा और उसको ताला खोलने का निदेश दिया । इसलिए वह ताला खोलने के लिए अभियुक्त की मदद करने सीढ़ियों पर ऊपर गई । अभियुक्त ने उससे यह अनुरोध किया कि उसके लिए खाना परोसे । वह वहां रुक गई । अभियुक्त ने एक गिलास लस्सी उसको दी । अभियुक्त चारपाई पर उसके साथ बैठ गया और उसने अभियोक्त्री की जांघों पर अपना हाथ रखा और जांघों को दबाने लगा । जब अभियोक्त्री ने उठने की कोशिश की उसने उसे जबरदस्ती बैठा लिया और उसकी जांघिया उतार दी तथा उसने शिकायतकर्ता के गुप्तांग भाग पर अपने गुप्तांग भाग के प्रवेशन करने की कोशिश की । वह मदद के लिए चिल्लाई, तब भी अभियुक्त उससे यह कार्य करता रहा । तब अभियुक्त के वीर्य का स्खलन हुआ और वह बाथरूम में चला गया और अभियोक्त्री ने अपनी जांघिया पहनकर दरवाजे की चिटकनी खोली और अपने घर की ओर दौड़ी । उसने अपनी माता को घटना का वृत्तांत सुनाया । उसने प्रतिपरीक्षा में यह स्पष्ट किया है कि उस समय अभियुक्त (बघेल चाचा) के घर में थी और उनकी पत्नी और बच्चे वहां पर मौजूद नहीं थे, वे अपने गांव गए हुए थे । (पैरा 14)

महिला डाक्टर नीरजा चौहान, अभि. सा. 4 ने अपनी प्रतिपरीक्षा में स्पष्ट रूप से यह कथन किया है कि अभियोक्त्री के गुप्तांग भाग में कोई प्रवेशन नहीं हुआ था । चिकित्सा अधिकारी डा. बी. एल. शर्मा, अभि. सा. 7 ने अभियुक्त के गुप्तांग भाग पर शिश्नमल पाया था और उसके आधार पर उन्होंने यह कथन किया कि पिछले अड़तालीस घंटे के भीतर अभियुक्त ने कोई मैथुन नहीं किया है । यह घटना तारीख 8 मई, 1990 की रात्रि को घटी थी और तारीख 10 मई, 1990 को अभियुक्त की परीक्षा की गई थी । परीक्षा का समय 10.50 बजे पूर्वाह्न के रूप में उल्लिखित किया गया है

जो रिपोर्ट प्रदर्श पी/7 में है । इन परिस्थितियों में अभियोजन पक्षकथन का कोई प्रभाव प्रकट नहीं हुआ है । इस पृष्ठभूमि में यह सुव्यक्त है कि अभियुक्त द्वारा किया गया अपराध दंड संहिता की धारा 376 के साथ पठित धारा 511 के प्रवर्ग के भीतर नहीं आता है । यह दंड संहिता की धारा 354 का मामला है । एक अन्य मामले में यह अभिनिर्धारित किया गया था कि अभियुक्त 6 वर्ष की आयु की लड़की को अपने कमरे में ले गया था और उसके ऊपर लेटा था । यह अभिनिर्धारित किया गया कि अभियुक्त को दंड संहिता की धारा 354 के अधीन अपराध से दोषसिद्ध किया जाना चाहिए । एक ऐसे दूसरे मामले में यह अभिनिर्धारित किया गया कि यह अभिकथन किया गया था कि अभियुक्त ने नौ वर्ष आयु की लड़की के कपड़े उतारकर उसे लिटा दिया और उसके शरीर पर अपने शिश्न को प्रविष्ट किया । परन्तु उसकी योनी में कोई क्षति नहीं पाई गई थी और न कोई वीर्य के धब्बे बाहरी जननांग पर कोई धब्बे पाए गए थे तथा जननांग पर किसी तरह का सूखे हुए रक्त का चिह्न था परन्तु कहानी के प्रथम भाग को साबित किया गया था । यह अभिनिर्धारित किया गया कि इसमें बलात्संग का आरोप नहीं बनता है परन्तु दंड संहिता की धारा 354 के अधीन अपराध को साबित किया गया है । (पैरा 20 और 21)

पूर्वोक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए हमने यह निष्कर्ष निकाला है कि विचारण न्यायालय ने दंड संहिता की धारा 376 के साथ पठित धारा 511 के अधीन पूर्ण रूप से दोषमुक्ति के अधिनिर्णय को घोषित करके गलती की है क्योंकि यह स्पष्ट रूप से अप्राप्तवय लड़की की लज्जा को भंग करने का मामला है । यह आवश्यक नहीं है कि दंड संहिता की धारा 354 के अधीन अपराध के आरोप को विरचित करे जो दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 322 के अधीन सजातीय अपराध है । अतः हम दोषमुक्ति के निर्णय को अपास्त करते हैं और अपील को मंजूर करते हैं । हम अभियुक्त/प्रत्यर्थी सुरेन्द्र सिंह को दंड संहिता की धारा 354 के अधीन अपराध का दोषी ठहराते हैं । तथ्य को ध्यान में रखते हुए लगभग 24 साल बीत चुके हैं और न्याय के हित को देखते हुए हम केवल जुर्माने का दंड अधिरोपित करते हैं । हम अभियुक्त-प्रत्यर्थी पर 25,000/- रुपए जुर्माने का दंड अधिरोपित करते हैं । जुर्माने में संदाय का व्यतिक्रम करने पर अभियुक्त छह मास का कठोर कारावास का दंड भोगेगा । प्रत्यर्थी यदि अनुपस्थित रहा तो उसके विरुद्ध उक्त आदेश के निष्पादन के लिए गैर-जमानती वारंट जारी किया जाएगा । (पैरा 22 और 23)

निर्दिष्ट निर्णय

		पैरा
[1996]	(1996) 2 एस. सी. सी. 384 = ए. आई. आर. 1996 एस. सी. 1393 : **पंजाब राज्य** बनाम **गुरमीत सिंह** ;	19
[1987]	1987 क्रिमिनल ला जर्नल 605 : **उड़ीसा राज्य** बनाम **सुखदेव प्रोधन** ;	21
[1912]	(1912) 13 क्रिमिनल ला जर्नल 858 = 17 आई. सी. 794 : **एम्परर** बनाम **तातिया महादेव** ।	21

अपीली (दांडिक) अधिकारिता : 2000 की दांडिक अपील सं. 577.

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 378 के अधीन अपील ।

अपीलार्थी की ओर से श्री प्रवीण निवास्कर, लोक अभियोजक

प्रत्यर्थी की ओर से –

न्यायालय का निर्णय न्यायमूर्ति एस. के. पालो ने दिया ।

न्या. पालो – यह दांडिक अपील मध्य प्रदेश राज्य द्वारा पुलिस थाना डाबरा, जिला ग्वालियर के माध्यम से दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 378 के अधीन फाइल की गई है, 1990 के सेशन विचारण सं. 231 (मध्य प्रदेश राज्य **मार्फत** पुलिस थाना डाबरा, जिला ग्वालियर बनाम सुरेन्द्र सिंह) वाले मामले में चतुर्थ अपर सेशन न्यायाधीश द्वारा तारीख 8 अप्रैल, 1994 को सुनाए गए निर्णय से व्यथित होकर उक्त दांडिक अपील फाइल की गई थी जिसके द्वारा विचारण न्यायालय ने दंड संहिता की धारा 376 के साथ पठित धारा 511 के अन्तर्गत प्रत्यर्थी/अभियुक्त को दोषमुक्त कर दिया गया था ।

2. विचारण न्यायालय के समक्ष ऐसा कोई विवाद नहीं किया गया कि अप्राप्तवय अभियोक्त्री के पिता भगवान सिंह लांस नायक के पद पर सेनवोस्टो यूनिट में कार्य कर रहे थे और उन्हें निचली मंजिल में सरकारी क्वार्टर सं. 1 आबंटित था जिसमें वह अपने कुटुंब के साथ निवास कर रहे थे । उसी भवन की प्रथम मंजिल अभियुक्त सुरेन्द्र सिंह के अधिभोग में था जो उसी यूनिट में हैड कांस्टेबल के पद पर था ।

3. मामले के तथ्य इस प्रकार हैं :–

यह घटना तारीख 8 मई, 1990 को रात्रि में लगभग 10 बजे घटी थी, उस समय अभियोक्त्री के पिता भगवान सिंह अपने मकान में मौजूद नहीं थे । अभियोक्त्री की माता उर्मिला देवी और अभियोक्त्री जिसकी आयु लगभग 8 वर्ष थी, मकान में मौजूद थे । अभियुक्त सुरेन्द्र सिंह के कुटुंब के सदस्य उस समय मौजूद नहीं थे । भगवान सिंह और अभियुक्त सुरेन्द्र सिंह बी. एस. एफ. टेकनपुर के एक ही एकादमी में थे । दोनों के कुटुंब के सदस्य एक दूसरे को पहचानते थे । अभियोक्त्री प्रायः अभियुक्त सुरेन्द्र सिंह के बच्चों के साथ खेला करती थी और प्रायः उसके मकान पर आया जाया करती थी । दोनों के कुटुम्ब के सदस्य एक दूसरे की सहायता करते थे ।

4. तारीख 8-9 मई, 1990 की मध्य रात्रि पर अभियुक्त सुरेन्द्र सिंह अपने क्वार्टर पर वापस आया, उसने शिकायतकर्ता उर्मिला देवी को जगाया और उससे यह कहा कि उसके मकान का ताला खुल नहीं रहा है और उसने ताले को खोलने के लिए उससे मदद चाही । वह स्वयं इस कार्य के लिए आगे नहीं बढ़ी । अभियोक्त्री सोई हुई थी । उसने उसे जगाया और वहां जाने के लिए उससे कहा और दरवाजे को खोलने के लिए अभियुक्त की मदद करने के लिए भी कहा । प्रथम मंजिल से अभियुक्त ने शिकायतकर्ता से यह कहा कि अभियोक्त्री उसे खाना देने के पश्चात् वापस लौटेगी । शिकायतकर्ता उर्मिला देवी ने इस बात को सुना और अपने क्वार्टर के अन्दर चली गई और सो गई । अभियोक्त्री अभियुक्त के मकान में रुक गई । अभियुक्त ने लस्सी तैयार की (दही से बनाया गया पेय) और उसने स्वयं लस्सी बनाई और अभियोक्त्री को दी । वह चारपाई पर लेट गया और अभियोक्त्री से अपने बगल में बैठने के लिए कहा । उसने अभियोक्त्री की जांघों को अपने हाथों से दबाया और तब उसकी जांघिया हटा दी और उसे नग्न अवस्था में रख दिया तथा स्वयं भी नग्न अवस्था में हो गया और अभियोक्त्री के गुप्तांग में अपने गुप्तांग भाग को प्रविष्ट किया । अभियोक्त्री मदद के लिए चिल्लाई । अभियुक्त ने अभियोक्त्री के जांघिया पर अपने वीर्य को गिराया । अभियोक्त्री की चीख-पुकार को सुनकर शिकायतकर्ता उसके कमरे की ओर दौड़कर पहुंची । अभियोक्त्री के चिल्लाने को सुनकर अभियुक्त बाथरूम के अन्दर चला गया और अभियोक्त्री को जैसे ही यह अवसर प्राप्त हुआ वह दरवाजा खोलकर अपने मकान पर पहुंच गई । अभियोक्त्री ने शिकायतकर्ता विमला देवी को घटना के बारे में बताया । अभियोक्त्री की चीख-पुकार सुनकर कालोनी में रहने वाले पड़ोसी भी घटनास्थल पर पहुंचे । गस्ती दल का भारसाधक यशपाल और विजय नायक भी घटनास्थल पर पहुंचे और अन्य लोगों के साथ

चन्द्रकांत पाण्डेय भी घटनास्थल पर पहुंचा । शिकायतकर्ता ने उन सभी को घटना के बारे में बताया तथा अभियोक्त्री को चिकित्सीय उपचार के लिए भेजा गया । जब उसका पति पहुंचा तब उन्होंने लिखित रिपोर्ट, प्रदर्श पी/यथा-मुद्रित दर्ज की ।

5. रिपोर्ट के आधार पर प्रथम इत्तिला रिपोर्ट प्रदर्श पी/5 दर्ज की गई थी । घटनास्थल का नक्शा तैयार किया गया था । अभियुक्त की चिकित्सीय परीक्षा की गई थी और यह बताया गया था कि कोई ऐसे लक्षण नहीं पाए गए थे जिससे यह दर्शित होता हो कि अभियुक्त मैथुन करने में असमर्थ था । बी. एस. एफ. अस्पताल पर अभियोक्त्री की भी परीक्षा की गई थी । अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया था और दंड संहिता की धारा 376 के साथ पठित धारा 511 के अधीन आरोप पत्र फाइल किया गया था ।

6. आरोपों का स्पष्टीकरण देने पर अभियुक्त ने दोषी होने से इनकार किया और अभियुक्त ने निर्दोष होने का अभिवाक् किया तथा दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अधीन अपनी परीक्षा में उसने यह कथन किया कि घटना के समय पर उसकी पत्नी और कुटुम्ब के सदस्य मौजूद थे । उसके द्वारा यह अभिवाक् किया गया कि शिकायतकर्ता उर्मिला देवी का अभियुक्त की पत्नी के साथ झगड़ा हुआ था । अतः उसे मिथ्या रूप से फंसाया गया है । अभियुक्त ने चंदन सिंह प्रतिरक्षा साक्षी 1 की परीक्षा कराई जो उसी यूनिट में नौकरी करता था ।

7. विचारण न्यायालय ने अभियोजन साक्षियों और प्रतिरक्षा साक्षी के कथनों को अभिलिखित करने के पश्चात् तारीख 8 अप्रैल, 1994 को आक्षेपित निर्णय सुनाया । अन्वेषक अधिकारी की प्रार्थना पर चिकित्सा अधिकारी डा. बी. एल. शर्मा, अभि. सा. 7 द्वारा तारीख 10 मई, 1990 को अभियुक्त की पुनः परीक्षा की गई थी और उन्होंने विभेदकारी रिपोर्ट दी थी जिसके आधार पर अभियुक्त को संदेह का फायदा दिया गया था । विचारण न्यायालय ने दंड संहिता की धारा 376 के साथ पठित धारा 511 के अधीन अपराध के आरोप से अभियुक्त को दोषमुक्त कर दिया था ।

8. इससे व्यथित होकर राज्य ने यह अपील फाइल की है और आक्षेपित निर्णय को कई आधारों पर आक्षेपित किया है । यह अभिवाक् किया गया है कि विचारण न्यायालय ने अभियोक्त्री और उसकी माता उर्मिला देवी के परिसाक्ष्य पर विश्वास न करके गलती की है । विचारण न्यायालय ने डा. गर्ग की परीक्षा न करके भी गलती की है जिन्होंने

अभियोक्त्री की चिकित्सीय रूप से परीक्षा की थी और अभियुक्त/प्रत्यर्थी के पक्ष में बिना किसी तात्विक साक्ष्य के उसकी दोषमुक्ति करके गलती की है ।

9. हमने दोनों पक्षकारों की ओर से पेश किए गए साक्ष्य पर विचार किया ।

यशपाल, अभि. सा. 1 जो गस्ती दल का भारसाधक था, ने यह कथन किया है कि वह ओ. पी. जैन नामक व्यक्ति के साथ गस्त ड्यूटी पर था । जब हम भगवान सिंह के क्वार्टर के नजदीक पहुंचे तब भगवान सिंह की पत्नी उनके पास आई और उसने यह कहा कि वह कमांडिंग आफिसर के पास रिपोर्ट दर्ज कराना चाहती है । उस समय कांशीराम, अभि. सा. 3 भी घटनास्थल पर पहुंच गया था और 5 बजे के पश्चात् उसकी ड्यूटी समाप्त हो गई थी । यशपाल को पक्षद्रोही घोषित किया गया था । उसने अभियोजन पक्षकथन का समर्थन नहीं किया । उसने यह बताया कि उसे यह पता नहीं है कि भगवान सिंह की पुत्री की लज्जा भंग की गई या उससे बलात्संग करने का प्रयास किया गया था ।

10. कांशीराम, अभि. सा. 3 जो बी. एस. एफ. में हैड कांस्टेबल था, ने यह कथन किया कि तारीख 8 मई, 1990 को वह गार्ड का भारसाधक था । यशपाल, अभि. सा. 1 ने उसे यह बताया कि पारिवारिक क्वार्टर में भगवान सिंह की पत्नी से लड़ाई झगड़ा हुआ था इसलिए वह मामले की रिपोर्ट करने के लिए कमांडिंग आफिसर से मिलना चाहती है । उस समय सुबह के पांच बजे थे इसलिए वह घटना के स्थान पर नहीं गया । कांशीराम, अभि. सा. 3 को पक्षद्रोही घोषित किया गया । उसने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 161 के अधीन लेखबद्ध कथन प्रदर्श पी/1 से इनकार किया है । उसने अपनी प्रतिपरीक्षा में यह स्वीकार किया है कि घटना की तारीख को उसने घटना के बारे में श्री एल. एन. मीणा को सूचना दी थी और बदले में श्री एल. एन. मीणा ने कमांडिंग आफिसर को घटना की रिपोर्ट दी थी और उनकी शिकायत करने के पश्चात् उसने यह स्वीकार किया है कि शिकायतकर्ता उर्मिला देवी और अभियोक्त्री को अस्पताल ले जाया गया था ।

11. यह बात अप्रायिक प्रतीत होती है कि उसे घटना के बारे में किसी बात का पता नहीं है जहां उसने यह स्वीकार किया है कि उन्हें अस्पताल ले जाया गया था । कोई भी प्रज्ञावान व्यक्ति आसानी से यह अनुमान लगा सकता है कि यदि किसी व्यक्ति को रात्रि में अस्पताल ले जाया गया तो कुछ गड़बड़ की गई होगी । कोई व्यक्ति जो हैड कांस्टेबल है, उसे घटना के बारे में पता नहीं होगा परन्तु केवल यह जानना कि शिकायतकर्ता

और अभियोक्त्री को अस्पताल भेजा गया था, सामान्य संवेदना का उल्लंघन है । जानबूझकर यह उपदर्शित किया गया है कि कांशीराम, अभि. सा. 3 अभियुक्त का सहयोगी रहा, इसलिए, अभियोजन पक्षकथन का समर्थन नहीं करना चाहता था ।

12. डा. नीरजा चौहान, अभि. सा. 4 चिकित्सा अधिकारी, जिसने तारीख 8 मई, 1990 को अप्राप्तवय अभियोक्त्री की परीक्षा की, अभियोक्त्री के गुप्तांग भागों पर या उसके शरीर पर कोई क्षति नहीं पाई । उसने अभियोक्त्री के जांघिया पर सफेद धब्बे पाए थे । इसलिए उसने उस जांघिया को रासायनिक परीक्षण के लिए उपनिरीक्षक लक्ष्मीनारायण को सौंप दिया था ।

13. अन्वेषक अधिकारी की परीक्षा नहीं की गई और वह यह नहीं बता सका है कि क्या अभियोक्त्री के जांघिया में लगे हुए धब्बे अभियुक्त के वीर्य के स्खलन के कारण हुए थे ।

14. इस संबंध में अप्राप्तवय अभियोक्त्री, अभि. सा. 2 का कथन अत्यधिक महत्वपूर्ण है । उसने स्पष्ट रूप से यह कथन किया है कि वह रात्रि में अपनी मां के साथ सोई हुई थी । अभियुक्त उनके पास आया और उसकी माता ने उससे कहा और उसको ताला खोलने का निदेश दिया । इसलिए वह ताला खोलने के लिए अभियुक्त की मदद करने सीढ़ियों पर ऊपर गई । अभियुक्त ने उससे यह अनुरोध किया कि उसके लिए खाना परोसे । वह वहां रुक गई । अभियुक्त ने एक गिलास लस्सी उसको दी । अभियुक्त चारपाई पर उसके साथ बैठ गया और उसने अभियोक्त्री की जांघों पर अपना हाथ रखा और जांघों को दबाने लगा । जब अभियोक्त्री ने उठने की कोशिश की उसने उसे जबरदस्ती बैठा लिया और उसकी जांघिया उतार दी तथा उसने शिकायतकर्ता के गुप्तांग भाग पर अपने गुप्तांग भाग के प्रवेशन करने की कोशिश की । वह मदद के लिए चिल्लाई, तब भी अभियुक्त उससे यह कार्य करता रहा । तब अभियुक्त के वीर्य का स्खलन हुआ और वह बाथरूम में चला गया और अभियोक्त्री ने अपनी जांघिया पहनकर दरवाजे की चिटकनी खोली और अपने घर की ओर दौड़ी । उसने अपनी माता को घटना का वृत्तांत सुनाया । उसने प्रतिपरीक्षा में यह स्पष्ट किया है कि उस समय अभियुक्त (बघेल चाचा) के घर में थी और उनकी पत्नी और बच्चे वहां पर मौजूद नहीं थे, वे अपने गांव गए हुए थे ।

15. इस मामले में एक अन्य साक्षी अति सुसंगत है वह शिकायतकर्ता उर्मिला देवी, अभि. सा. 6 है । उर्मिला देवी ने अभियोक्त्री के कथन की

संपुष्टि की और मामले के बारे में पूरा विवरण बताया । मामले में छोटे-मोटे विभेद और लोप हैं परन्तु यह सब नैसर्गिक हैं । लोप और विभेदों से यह दर्शित हुआ है कि साक्षियों ने अभियोक्त्री को सिखाया-पढ़ाया नहीं था और इस बात को ध्यान में रखा गया है कि साक्षी अत्यधिक पढ़े-लिखे नहीं थे इसलिए ऐसे विभेद आने सुस्पष्ट हैं ।

16. निरंजन सिंह, अभि. सा. 5, जो बी. एस. एफ., टेकनपुर का सदस्य है और शिकायतकर्ता का पड़ोसी है, ने अभियोजन पक्षकथन का समर्थन किया है । उसने यह कथन किया है कि उसका क्वार्टर ऐसे स्थान के नजदीक था । घटना की रात्रि को वह लगभग 2.30 बजे पूर्वाह्न शोरगुल सुनकर जाग गया था । जब वह बाहर आया उसने भगवान सिंह की पत्नी और उसकी अप्राप्तवय पुत्री को देखा । उन्होंने अभियुक्त की आपराधिक गतिविधियों के बारे में उसे बताया । उसने घटना के बारे में भी वृत्तांत दिया है । वह घटना की बात का साक्षी है । इस साक्षी की अभियुक्त से कोई शत्रुता नहीं थी । उसने यह स्वीकार किया है कि उसका एक पैर नहीं था इसलिए, वह कृत्रिम लकड़ी का पैर इस्तेमाल करता था । वह न्यायालय में अभिसाक्ष्य देने के लिए स्कूटर पर पहुंचा है । भगवान सिंह अपने स्कूटर से उसे न्यायालय में लाया है । इस आधार पर हम उसे हितबद्ध साक्षी नहीं कह सकते हैं । उसके साक्ष्य से विश्वास मिल सकता है । उसके साक्ष्य को त्यक्त करने के लिए अभिलेख में कुछ भी नहीं है ।

17. चंदन सिंह, जो बी. एस. एफ. टेकनपुर में भी कार्यरत था और उस कालोनी का निवासी भी है, उसकी प्रतिरक्षा साक्षी के रूप में परीक्षा की गई । उसने यह कथन किया है कि तारीख 8 मई, 1990 को भगवान सिंह की पत्नी और अभियुक्त सुरेन्द्र सिंह की पत्नी के बीच वाककलह हुई थी । यह घटना 6 से 7 बजे अपराह्न पर घटी और एक दूसरे पर भद्दी टिप्पणी करने के कारण पूरा विवाद उत्पन्न हुआ था । उस दिन अभियुक्त सुरेंद्र सिंह उसके साथ था ।

18. प्रतिरक्षा साक्षी के वृत्तांत की इस पृष्ठभूमि पर परीक्षा की जानी चाहिए थी कि उसके अभियुक्त सुरेन्द्र सिंह के साथ अच्छे संबंध थे और उसने तारीख 8 मई, 1990 को झगड़े के बारे में अपनी अनभिज्ञता जाहिर की है । इस साक्षी ने अभियोक्त्री के साथ अभियुक्त के तथाकथित आपराधिक कार्य के बारे में अनभिज्ञता भी प्रकट की है । ऐसे होते हुए भी चंदन सिंह, प्रतिरक्षा साक्षी 1 के कथन से प्रतिरक्षा पक्ष को कोई मदद नहीं मिलती है ।

19. घटना की इस पृष्ठभूमि को देखते हुए **पंजाब राज्य** बनाम **गुरमीत सिंह**[1] वाले मामले का उद्धरण लाभदायक हो सकता है जिसमें यह अभिनिर्धारित किया गया कि भारतीय समाज में कोई लड़की प्रथागत रूप से बाध्यता के अधीन है और वह अनुज्ञेय नहीं है । वह अत्यधिक इच्छुक रूप से यह भी स्वीकार करती है कि कोई घटना जो उसके चरित्र को संभवतः परिलक्षित करती है, वह समाज से बहिष्कृत किए जाने के खतरे के प्रति सचेत रहती है या उसे समाज द्वारा नीचे देखे जाने की संभावना बनी रहती है.....। सामान्यतया मानव आचरण किसी अविवाहित अप्राप्तवय लड़की कभी ऐसा प्रचार नहीं चाहेगी कि जिससे उसके कुटुंब का नाम या उसकी प्रतिष्ठा विवादित रहे । वह ऐसी घटना को किसी को सुनाने में भयभीत रहेगी और शर्म की भावना से ओतप्रोत रहेगी । उसका स्वभाव किसी व्यक्ति को इस संबंध की बातों को बताने से दूर रखता है, कम से कम कुटुंब की प्रतिष्ठा व सम्मान से विवाद में न घसीटा जाए ।

20. महिला डाक्टर नीरजा चौहान, अभि. सा. 4 ने अपनी प्रतिपरीक्षा में स्पष्ट रूप से यह कथन किया है कि अभियोक्त्री के गुप्तांग भाग में कोई प्रवेशन नहीं हुआ था । चिकित्सा अधिकारी डा. बी. एल. शर्मा, अभि. सा. 7 ने अभियुक्त के गुप्तांग भाग पर शिश्नमल पाया था और उसके आधार पर उन्होंने यह कथन किया कि पिछले अड़तालीस घंटे के भीतर अभियुक्त ने कोई मैथुन नहीं किया है । यह घटना तारीख 8 मई, 1990 की रात्रि को घटी थी और तारीख 10 मई, 1990 को अभियुक्त की परीक्षा की गई थी । परीक्षा का समय 10.50 बजे पूर्वाह्न के रूप में उल्लिखित किया गया है जो रिपोर्ट प्रदर्श पी/7 में है । इन परिस्थितियों में अभियोजन पक्षकथन का कोई प्रभाव प्रकट नहीं हुआ है ।

21. इस पृष्ठभूमि में यह सुव्यक्त है कि अभियुक्त द्वारा किया गया अपराध दंड संहिता की धारा 376 के साथ पठित धारा 511 के प्रवर्ग के भीतर नहीं आता है । यह दंड संहिता की धारा 354 का मामला है । **एम्परर** बनाम **तातिया महादेव**[2] वाले मामले में यह अभिनिर्धारित किया गया था कि अभियुक्त 6 वर्ष की आयु की लड़की को अपने कमरे में ले गया था और उसके ऊपर लेटा था । यह अभिनिर्धारित किया गया कि अभियुक्त को दंड संहिता की धारा 354 के अधीन अपराध से दोषसिद्ध किया जाना चाहिए । **उड़ीसा राज्य** बनाम **सुखदेव प्रोधन**[3] ऐसे दूसरे मामले में यह

---

[1] (1996) 2 एस. सी. सी. 384 = ए. आई. आर. 1996 एस. सी. 1393.

[2] (1912) 13 क्रिमिनल ला जर्नल 858 = 17 आई. सी. 794.

[3] 1987 क्रिमिनल ला जर्नल 605

अभिनिर्धारित किया गया कि यह अभिकथन किया गया था कि अभियुक्त ने नौ वर्ष आयु की लड़की के कपड़े उतारकर उसे लिटा दिया और उसके शरीर पर अपने शिश्न को प्रविष्ट किया । परन्तु उसकी योनी में कोई क्षति नहीं पाई गई थी और न कोई वीर्य के धब्बे बाहरी जननांग पर कोई धब्बे पाए गए थे तथा जननांग पर किसी तरह का सूखे हुए रक्त का चिह्न था परन्तु कहानी के प्रथम भाग को साबित किया गया था । यह अभिनिर्धारित किया गया कि इसमें बलात्संग का आरोप नहीं बनता है परन्तु दंड संहिता की धारा 354 के अधीन अपराध को साबित किया गया है ।

22. पूर्वोक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए हमने यह निष्कर्ष निकाला है कि विचारण न्यायालय ने दंड संहिता की धारा 376 के साथ पठित धारा 511 के अधीन पूर्ण रूप से दोषमुक्ति के अधिनिर्णय को घोषित करके गलती की है क्योंकि यह स्पष्ट रूप से अप्राप्तवय लड़की की लज्जा को भंग करने का मामला है । यह आवश्यक नहीं है कि दंड संहिता की धारा 354 के अधीन अपराध के आरोप को विरचित करे जो दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 322 के अधीन सजातीय अपराध है । अतः हम दोषमुक्ति के निर्णय को अपास्त करते हैं और अपील को मंजूर करते हैं । हम अभियुक्त/प्रत्यर्थी सुरेन्द्र सिंह को दंड संहिता की धारा 354 के अधीन अपराध का दोषी ठहराते हैं ।

23. तथ्य को ध्यान में रखते हुए लगभग 24 साल बीत चुके हैं और न्याय के हित को देखते हुए हम केवल जुर्माने का दंड अधिरोपित करते हैं । हम अभियुक्त-प्रत्यर्थी पर 25,000/- रुपए जुर्माने का दंड अधिरोपित करते हैं । जुर्माने में संदाय का व्यतिक्रम करने पर अभियुक्त छह मास का कठोर कारावास का दंड भोगेगा । प्रत्यर्थी यदि अनुपस्थित रहा तो उसके विरुद्ध उक्त आदेश के निष्पादन के लिए गैर-जमानती वारंट जारी किया जाएगा ।

24. तद्नुसार अपील मंजूर की जाती है और मामले का निपटारा किया जाता है ।

अपील मंजूर की गई ।

आर्य

गिरधारी

बनाम

राजस्थान राज्य

तारीख 29 मई, 2015

न्यायमूर्ति महेश चन्द्र शर्मा

दंड संहिता, 1860 (1860 का 45) – धारा 148, 307/149, 323, 324 और धारा 326 [सपठित अपराधी परिवीक्षा अधिनियम, 1958 की धारा 4(1) और 12] – अभियुक्त-अपीलार्थियों द्वारा आहत व्यक्तियों को चोटें पहुंचाया जाना – मामले में शामिल अभियुक्त-अपीलार्थियों को दोषसिद्ध किया जाना – एक अभियुक्त को दोषमुक्त किया जाना – डाक्टरों द्वारा की गई चिकित्सा परीक्षण में विरोधाभास होना – चिकित्सा परीक्षण से अभियुक्त के विरुद्ध दंड संहिता की धारा 326 का मामला न बनते हुए धारा 324 का मामला बनता है अतः अभियुक्त को धारा 324 के अधीन दोषसिद्ध किया जाना उचित है ।

अपीलार्थी-अभियुक्त की ओर से यह दांडिक अपील अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, सांभरलेक द्वारा पारित निर्णय दिनांक 4 फरवरी, 1995 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है, जिसके द्वारा अभियुक्तगण पांचू, धन्ना लाल, प्रेमचंद, रामलाल व छीतरमल को धारा 148, 307/149, 323 भारतीय दंड संहिता, अभियुक्त जगदीश को धारा 148, 307/149, 323/149 भारतीय दंड संहिता एवं अपीलार्थी-अभियुक्त गिरधारी को धारा 148, 307 भारतीय दंड संहिता के आरोपों से दोषमुक्त कर दिया गया, किन्तु अपीलार्थी-अभियुक्त गिरधारी को धारा 324 एवं 326 भारतीय दंड संहिता के आरोपों का दोषी घोषित करते हुए उसे धारा 324 भारतीय दंड संहिता के अपराध के लिए एक वर्ष के कठोर कारावास और 500/- रुपए अर्थदंड एवं अदम अदायगी अर्थदंड को दो माह के साधारण कारावास से तथा धारा 326 भारतीय दंड संहिता के अपराध के लिए पांच वर्ष कठोर कारावास व 1,000/- रुपए अर्थदंड एवं अदम अदायगी अर्थदंड चार माह के अतिरिक्त कारावास से दंडित किए जाने का आदेश दिया गया । अपील भागतः मंजूर करते हुए,

अभिनिर्धारित – वर्तमान मामले में अपीलार्थी की धारा 324 भारतीय दंड

संहिता के लिए दोषसिद्धि के विचारण न्यायालय के आदेश को चुनौती नहीं दे रही हैं किन्तु प्रार्थना कर रहे हैं कि चूंकि इस मामले से संबंधित घटना आज से लगभग 22 वर्ष पुरानी है और तब से ही अपीलार्थी इस मामले की पीड़ा को भुगत रहा है । उसका यह पहला अपराध है । वह सरकारी कर्मचारी है, उसका भरा पूरा परिवार है । वह ग्रामीण परिवेश का व्यक्ति है । हालांकि वह 18 दिन अभिरक्षा में रह चुका है । किन्तु चूंकि वह सरकारी कर्मचारी है अतः उसे अपराधी परिवीक्षा अधिनियम की धारा 4 व 12 का लाभ दिया जावे । विद्वान् लोक अभियोजन ने इसका विरोध किया । उनका तर्क है कि विद्वान् विचारण न्यायालय का निर्णय पूर्णतया विधिसम्मत है, जिसमें हस्तक्षेप किए जाने का कोई आधार नहीं है । उनका कथन है कि विद्वान् विचारण न्यायालय ने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य का सही रूप से विवेचन व विश्लेषण करने के उपरांत अपना निर्णय पारित किया है । अतः अपीलार्थी की ओर से प्रस्तुत इस अपील को निरस्त किया जावे । जहां तक अपीलार्थी के विरुद्ध धारा 326 भारतीय दंड संहिता के आरोप का प्रश्न है, अपीलार्थी निर्णय, अभियोजन पक्ष एवं प्रतिरक्षा साक्ष्य एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य का ध्यानपूर्वक अवलोकन करने के उपरांत मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि डा. एस. के. वर्मा के बयानों एवं डा. एच. आर. बगड़िया के बयानों में विरोधाभास होने, अपीलार्थी गिरधारी के आई चोटों का अभियोजन पक्ष की ओर से कोई स्पष्टीकरण नहीं होने के आधार पर अपीलार्थी-अभियुक्त के विरुद्ध धारा 326 भारतीय दंड संहिता का आरोप प्रमाणित नहीं होता है । गवाहों के बयानों का बारीकी से अध्ययन किए जाने से यह स्पष्ट होता है कि इस मामले से संबंधित घटना दिनांक 26 जनवरी, 1993 की बताई गई है एवं उक्त आहत रामकरण का आपरेशन दिनांक 11 फरवरी, 1993 को किया गया है । सर्वप्रथम आहतगण की चोटों का परीक्षण डा. एस. के. वर्मा द्वारा किया गया है । इस मामले में यह भी स्पष्ट साक्ष्य पत्रावली पर उपलब्ध है कि पक्षकारान के मध्य ध्वजारोहण के मामले में मामूली विवाद को लेकर आपस में झगड़ा हुआ है । इस लिए भी अपीलार्थी के विरुद्ध धारा 326 भारतीय दंड संहिता का आरोप प्रमाणित नहीं होता है । इस मामले में पत्रावली पर उपलब्ध चिकित्सीय साक्ष्य के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि अपीलार्थी के विरुद्ध धारा 326 भारतीय दंड संहिता का आरोप नहीं बनता है । डा. एस. के. वर्मा के कथन जहां अभियोजन पक्ष की ओर से कराए गए हैं वहीं प्रतिरक्षा साक्ष्य में उक्त डाक्टर के बयान अभियुक्तगण की ओर से लेखबद्ध कराए गए हैं । उक्त गवाह डा. एस. के. वर्मा के बयानों का सूक्ष्म रूप से

अवलोकन करने से यह स्पष्ट है कि इस मामले में अपीलार्थी के विरुद्ध धारा 326 भारतीय दंड संहिता का आरोप प्रमाणित नहीं होता है । इस मामले में अपीलार्थी-अभियुक्त एवं अन्य सह-अभियुक्तगण के भी चोटें आना डा. एस. के. वर्मा के बयानों से प्रमाणित होता है । हालांकि इस मामले में अभियोजन पक्ष ने डा. एच. आर. बगड़िया के बयान भी पी. डब्ल्यू. 16 के रूप में लेखबद्ध कराए हैं । किन्तु दोनों चिकित्सक साक्षीगण के बयानों में काफी विरोधाभास है । इससे यह स्पष्ट होता है कि दोनों पक्ष के मध्य झगड़ा हुआ है एवं इस मामले में आई साक्ष्य से यह भी प्रमाणित होता है कि दोनों पक्षों के मध्य उक्त झगड़ा ध्वजारोहण के संबंध में मामूली बात को लेकर हुआ है । ऐसे मामले में साक्ष्य का अत्यन्त ही बारीकी से अध्ययन किया जाना आवश्यक है । इस मामले में पत्रावली पर उपलब्ध सम्पूर्ण साक्ष्य का बारीकी से अध्ययन करने के उपरांत मैं यही पाता हूं कि अपीलार्थी-अभियुक्त के विरुद्ध धारा 326 भारतीय दंड संहिता का आरोप प्रमाणित नहीं होता है । यह विधि का सुस्थापित सिद्धांत है कि अभियोजन पक्ष को अपना केस संदेह से परे प्रमाणित करना होता है । विद्वान् अधिवक्ता द्वारा अपीलार्थी की धारा 324 भारतीय दंड संहिता के अन्तर्गत विचारण न्यायालय के दोषसिद्धि के आदेश को चुनौती नहीं देते हुए उनके द्वारा उपरोक्त वर्णित परिस्थितियां बताते हुए उसे अपराधी परिवीक्षा अधिनियम की धारा 4 व 12 का लाभ प्रदान किए जाने की प्रार्थना की गई है । अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता द्वारा प्रकट की गई उपरोक्त वर्णित परिस्थितियों में मैं अपीलार्थी को धारा 4 व 12 अपराधी परिवीक्षा अधिनियम के प्रावधानों का लाभ प्रदान किया जाना उपयुक्त समझता हूं । अतः अपीलार्थी की ओर से प्रस्तुत इस अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, सांभरलेक द्वारा पारित निर्णय दिनांक 4 फरवरी, 1995 के अन्तर्गत अपीलार्थी को धारा 326 भारतीय दंड संहिता के तहत दोषसिद्ध किए जाने के आदेश को अपास्त करते हुए अपीलार्थी को धारा 326 भारतीय दंड संहिता के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है । उक्त निर्णय के तहत अपीलार्थी को धारा 324 भारतीय दंड संहिता के अन्तर्गत दोषसिद्धि के आदेश की पुष्टि करते हुए उसे इस अपराध के लिए दिए गए दंडादेश के स्थान पर तुरन्त कारावास के दंड से दंडित नहीं करते हुए उसके द्वारा धारा 4(1) अपराधी परिवीक्षा अधिनियम के तहत एक वर्ष की अवधि के लिए शांति व सदाचार बनाए रखने, इस दौरान कोई अपराध कारित नहीं करने एवं न्यायालय द्वारा सजा भुगतने के लिए आहत किए जाने पर सजा भुगतने हेतु उपस्थित होने की शर्त का

20,000/- रुपए की राशि का स्वयं का मुचलका एवं इसी राशि की एक प्रतिभूति विचारण न्यायालय की संतुष्टि पर पेश करने पर परिवीक्षा पर स्वतंत्र कर दिया जावे । साथ ही उसे धारा 12 अपराधी परिवीक्षा अधिनियम का लाभ दिया जाता है ताकि निर्णय का उसके व उसके परिवार के भविष्य पर एवं राजकीय सेवा पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं हो । धारा 4(1) अपराधी परिवीक्षा अधिनियम के तहत जमानत मुचलके पेश करने हेतु इस आदेश की प्रमाणित प्रति प्राप्त होने से दो माह का समय दिया जाता है । उक्त अवधि में जमानत मुचलके पेश नहीं किए जाने की व्यवस्था में अपीलार्थी को धारा 324 भारतीय दंड संहिता के लिए दी गई सजा उसे नियमानुसार भुगताई जावे । अपीलाधीन निर्णय को इसी प्रकार रूपांतरित किया जाता है । (पैरा 11, 12, 13, 14, 15 और 16)

अपीली (दांडिक) अधिकारिता : 1995 की एकलपीठ दांडिक अपील सं. 82.

अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, सांभरलेक द्वारा पारित निर्णय तारीख 4 फरवरी, 1995 के विरुद्ध अपील ।

अपीलार्थी की ओर से श्री राजेश गोस्वामी

राज्य की ओर से श्री जितेन्द्र श्रीमाली, लोक अभियोजक

न्यायमूर्ति महेश चन्द्र शर्मा – अपीलार्थी-अभियुक्त की ओर से यह दांडिक अपील अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, सांभरलेक द्वारा पारित निर्णय दिनांक 4 फरवरी, 1995 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है, जिसके द्वारा अभियुक्तगण पांचू, धन्ना लाल, प्रेमचंद, रामलाल व छीतरमल को धारा 148, 307/149, 323 भारतीय दंड संहिता, अभियुक्त जगदीश को धारा 148, 307/149, 323/149 भारतीय दंड संहिता एवं अपीलार्थी-अभियुक्त गिरधारी को धारा 148, 307 भारतीय दंड संहिता के आरोपों से दोषमुक्त कर दिया गया, किन्तु अपीलार्थी-अभियुक्त गिरधारी को धारा 324 एवं 326 भारतीय दंड संहिता के आरोपों का दोषी घोषित करते हुए उसे धारा 324 भारतीय दंड संहिता के अपराध के लिए एक वर्ष के कठोर कारावास और 500/- रुपए अर्थदंड एवं अदम अदायगी अर्थदंड को दो माह के साधारण कारावास से तथा धारा 326 भारतीय दंड संहिता के अपराध के लिए पांच वर्ष कठोर कारावास व 1,000/- रुपए अर्थदंड एवं अदम अदायगी अर्थदंड चार माह के अतिरिक्त कारावास से दण्डित किए जाने का आदेश दिया गया ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि परिवादी लक्ष्मण ने दिनांक 26 जनवरी, 1993 को पुलिस थाना सांभरलेक में एक लिखित रिपोर्ट प्रस्तुत की, जो निम्न प्रकार है :–

> "श्रीमानजी निवेदन है कि हमारे ग्राम इरोलाव में हर वर्ष की भांति स्कूल में 26 जनवरी के दिन झण्डारोहण का कार्यक्रम होता है । आज दिनांक 26 जनवरी, 1993 को हम ग्रामवासी इस समारोह में सम्मिलित हुए थे । पिछली साल रामचन्द्र चौधरी ने झण्डारोहण किया था । हमारे ग्राम के अलावा श्री महादेव चौधरी पेट्रोल पंपवाला भी शामिल हुआ था । समारोह समाप्त हो चुका था । करीब 9 बजे सुबह का समय था । तमाम लोग विद्यालय प्रांगण से बाहर सड़क पर आ गए थे । रामकरण व गोपी अपने खेत में जा रहे थे कि गिरधारी ने रामकरण के पीछे पीठ पर चाकू से प्रहार किया और गोपी छुड़ाने लगा तो उसकी गिरधारी ने छाती के बाईं तरफ चाकू से प्रहार किया । गिरधारी के साथ-साथ धन्नालाल व जगदीश भी साथ साथ थे जिन्होंने उन दोनों को आगे रोक लिया था । गिरधारी ने ही चाकू से प्रहार किया । इस घटना को तनसुख खाती, सीताराम खाती, नानुराम कुमावत ने देखी है । मैं इन दोनों को लेकर सीधा अस्पताल आ गया । रिपोर्ट करता हूं कार्यवाही की जाए ।"

3. उक्त रिपोर्ट के आधार पर पुलिस थाना सांभरलेक पर मुकदमा अन्तर्गत भारतीय दंड संहिता धारा 307, 341, 323 दर्ज किया और मामले में अनुसंधान किया गया । अनुसंधान के उपरान्त अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, सांभरलेक के न्यायालय में आरोप पत्र प्रस्तुत किया गया । प्रकरण को सेशन न्यायालय को सुपुर्द किया गया, जहां से प्रकरण विचारण हेतु अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, सांभरलेक के न्यायालय में प्राप्त हुआ ।

4. विद्वान् अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, सांभरलेक ने अपीलार्थी-अभियुक्त के विरुद्ध धारा 148, 307 भारतीय दंड संहिता के आरोप लगाए, सह-अभियुक्त जगदीश के विरुद्ध धारा 148, 307/149, 323/149 भारतीय दंड संहिता, सह-अभियुक्तगण पांचू, धन्नालाल, प्रेमचन्द, पन्नालाल, रामलाल व छीतरमल के विरुद्ध धारा 148, 307/149, 323 भारतीय दंड संहिता के आरोप लगाए, जिनसे उन्होंने इनकार कर अन्वीक्षा चाही । अभियोजन पक्ष ने अपनी ओर से कुल 16 गवाहान के बयान लेखबद्ध कराए एवं संबंधित दस्तावेजात को प्रदर्शित कराया । अपीलार्थी-अभियुक्त एवं सह-अभियुक्तगण

का परीक्षण धारा 313 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत किया गया । उसकी ओर से अपनी प्रतिरक्षा में चार गवाहों के बयान लेखबद्ध कराए गए एवं संबंधित दस्तावेजात को प्रदर्शित कराया गया । तत्पश्चात् विद्वान् अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, सांभरलेक ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के उपरांत अपने निर्णय दिनांक 4 फरवरी, 1995 के द्वारा अभियुक्तगण पांचू, धन्नालाल, प्रेमचन्द, रामलाल व छीतरमल को धारा 148, 307/149, 323 भारतीय दंड संहिता, अभियुक्त जगदीश को धारा 148, 307/149, 323/149 भारतीय दंड संहिता एवं अपीलार्थी-अभियुक्त गिरधारी को धारा 148, 307 भारतीय दंड संहिता के आरोपों से दोषमुक्त कर दिया गया, किन्तु अपीलार्थी-अभियुक्त गिरधारी को धारा 324 एवं 326 भारतीय दंड संहिता के आरोपों का दोषी घोषित करते हुए उसे धारा 324 भारतीय दंड संहिता के अपराध के लिए एक वर्ष के कठोर कारावास और 500/- रुपए अर्थदंड एवं अदम अदायगी अर्थदंड दो माह के साधारण कारावास से तथा धारा 326 भारतीय दंड संहिता के अपराध के लिए पांच वर्ष के कठोर कारावास व 1,000/- रुपए अर्थदंड एवं अदम अदायगी अर्थदंड चार माह के अतिरिक्त कारावास से दंडित किए जाने का आदेश दिया, जिससे व्यथित होकर अपीलार्थी-अभियुक्त की ओर से यह दांडिक अपील इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई है ।

5. मैंने अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता एवं विद्वान् लोक अभियोजक को सुना । आक्षेपित निर्णय एवं पत्रावली पर उपलब्ध सामग्री का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया ।

6. अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता श्री राजेश गोस्वामी का तर्क है कि विद्वान् विचारण न्यायालय ने अपना निर्णय पारित करते समय पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य का सही रूप से मूल्यांकन नहीं किया । उनका तर्क है कि अपीलार्थी के खिलाफ गोपी व रामकरण को चोटें कारित किए जाने का आरोप है किन्तु उक्त आहतगण की चोटों के संबंध में अभियोजन पक्ष की ओर से परीक्षित कराए गए साक्षी डा. एस. के. वर्मा के कथनों से ही स्पष्ट रूप से यह सिद्ध होता है कि अपीलार्थी के विरुद्ध धारा 326 भारतीय दंड संहिता का आरोप नहीं बनता है । उन्होंने कथन किया कि अभियोजन साक्षी 1 डा. एस. के. वर्मा ने आहत गोपी की चोट को साधारण प्रकृति का बताया है, जिससे अपीलार्थी के विरुद्ध धारा 326 भारतीय दंड संहिता का आरोप प्रमाणित नहीं होता है । इसी प्रकार आहत रामकरण की चोटों के संबंध में भी उक्त साक्षी के कथनों से अपीलार्थी के विरुद्ध धारा 326

भारतीय दंड संहिता का आरोप प्रमाणित नहीं होता है । उसने आहत रामकरण की चोट नम्बर 1 के संबंध में स्पष्ट कथन किया है कि आहत रामकरण की चोट नं. 1 साधारण पाई गई । हालांकि उसने न्यूरो सर्जरी के आपरेशन नोट के आधार पर उक्त चोट को गंभीर अंकित किया जाना बताया है । उसने अपने प्रतिपरीक्षण में रामकरण के चोट प्रतिवेदन प्रदर्श पी. 3 के संबंध में यह अंकित किया है कि प्रदर्श पी. 3 की चोट धारदार हथियार पर गिरने से आ सकती है । उन्होंने एस. के. वर्मा पी. डब्ल्यू. 1 के बयानों के निम्न सुसंगत भाग की ओर इस न्यायालय का ध्यान आकर्षित किया, जो निम्न प्रकार है :–

> "दिनांक 26 जनवरी, 1993 को मैं राजकीय चिकित्सालय सांभर में एम. ओ. के पद पर कार्यरत था । उस दिन मैंने पुलिस प्रतिवेदन पर गोपी पुत्र मंगला उम्र 60 साल, जाट निवासी इरोलाव के शरीर की चोटों का मुआयना किया था । उसके शरीर पर निम्न चोटें थीं –
>
> > 1. छेदित घाव 4 × 1/2 सेमी पार्श्व स्पष्ट छाती पर दाहिनी तरफ 3 सेमी अन्दर की तरफ एरोला से मिडियल साईड में ।
> >
> > यह चोट धारदार हथियार की थी मैंने इस चोट के एक्स-रे की सलाह दी थी चोट की अवधि 6 घंटे के भीतर की ताजी थी । पहचान चिन्ह मजरूब के स्तंभ सं. 6 में अंकित है । रिपोर्ट मेरी कलमी व दस्तखती है जो एक्जी. पी. 1 है इस पर ए टू बी मेरे हस्ताक्षर हैं ।
> >
> > उसी दिन मैंने पुलिस प्रतिवेदन कल्याण पुत्र किशना उम्र 20 साल, जाति जाट, निवासी इरोलाव की चोटों का डाक्टरी मुआयना किया इसमें शरीर पर निम्न चोटें पाई गई –
> >
> > 1. चिरा-फटा घाव 1/2 × 3/10 सेमी आक्सीपीटल क्षेत्र के मध्य में बलंड तत्व से सामान्य प्रकृति की है ।
> >
> > चोटों की अवधि ताजा घंटे के भीतर की थी । मजरूब का पहचान चिन्ह स्तंभ सं. 6 में अंकित रिपोर्ट मेरी कलमी व दस्तखती है जो एक्जी. पी. 2 है इस पर ए से बी मेरे हस्ताक्षर हैं ।

उसी दिन मैंने पुलिस प्रतिवेदन पर रामकरण पुत्र मंगला उम्र 42 साल, जाति जाट निवासी इरोलाव का डाक्टरी मुआयना किया उसके शरीर पर निम्न चोटें पाई गई –

1. कमर पर छेदित घाव 2 × 1/2 × 1/2 सेमी बाईं तरफ स्कंधास्थि क्षेत्र पार्श्व स्पष्ट तेज तत्व से । इस चोट के लिए एक्स-रे हेतु राय दी थी । चोट ताजा थी व 6 घंटे की अवधि की थी । मजरूब के पहचान चिन्ह स्तंभ सं. 6 में अंकित है । रिपोर्ट मेरी कलमी व दस्तखती है । जो एक्जी. पी. 3 है । इस पर ए से बी मेरे हस्ताक्षर हैं ।"

7. श्री गोस्वामी ने अपीलाधीन निर्णय के पैरा 9, 10 व 11 की ओर भी इस न्यायालय का ध्यान आकर्षित किया है, जो निम्न प्रकार है :–

"9. अभि. साक्षी 1 डा. एस. के. वर्मा ने अपने परीक्षण में बताया है कि दिनांक 26 जनवरी, 1993 को उसने गोपी पुत्र मंगला के शरीर पर आई चोटों का परीक्षण किया तो एक धारदार हथियार का घाव 4 × 1/2 सेमी छाती के दाहिनी तरफ आना पाया गया है । घाव धारदार हथियार से आना पाया गया । चोट की अवधि 6 घंटे के मध्य ताजा स्थिति में थी । इसका चोट प्रतिवेदन उसने तैयार की जो प्रदर्श अभि. 1 है जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं । एक्स-रे रिपोर्ट प्रदर्श पी. 4 के आधार पर इस चोट का साधारण प्रकृति का आना पाया गया ।

10. इस साक्षी ने अपने परीक्षण में बताया है कि उसी दिन उसने कल्याण पुत्र किशना के शरीर का परीक्षण किया तो एक कुचला हुआ घाव 1/2 × 3/10 सेमी आक्सिपिटल रीजन पर कुंद हथियार से साधारण प्रकृति का घाव आना पाया गया । इसका चोट प्रतिवेदन प्रदर्श अभि. 2 तैयार एवं हस्ताक्षरयुक्त होना बताया है ।

11. इस साक्षी ने अपने परीक्षण में बताया है कि उसी दिन उसने कल्याण पुत्र किशना के शरीर का परीक्षण किया तो एक कुचला हुआ घाव 1/2 × 3/10 सेमी पीठ की बाईं तरफ स्केपूलर रीजन पर धारदार हथियार की चोट आना पाया । एक्स-रे रिपोर्ट प्रदर्श अभि. 5 से इस चोट को साधारण प्रकृति की आना पाया गया लेकिन उपचार करने वाले डाक्टर एवं न्यूरो सर्जरी के आपरेशन नोट के लिए इस चोट को गंभीर प्रकृति की आना पाए जाने की राय दी है । प्रतिपरीक्षण में बताया है कि प्रदर्श अभि. 1 की चोट स्वयं हाथ की

पहुंच में थी जो किसी भी धारदार हथियार से कारित हो सकती है । यह चोट स्वयं द्वारा भी कारित हो सकती है । प्रदर्श अभि. 3 की चोट धारदार हथियार पर गिरने से आ सकने की संभावना बताई है ।"

8. श्री गोस्वामी ने तर्क दिया है कि उक्त साक्षी डा. एस. के. वर्मा ने अपीलार्थी एवं अन्य सह-अभियुक्तगण के शरीर पर आई चोटों का भी परीक्षण किया है । उक्त साक्षी के कथन अभियुक्तगण की ओर से भी अपनी प्रतिरक्षा में डी. डब्ल्यू. 1 के रूप में कराए गए हैं । जिसमें उसने अपीलार्थी-अभियुक्त की चोट के बारे में यह प्रकट किया है कि उनके द्वारा गिरधारी पुत्र पन्ना लाल को एक्सरे की सलाह दी । एक्सरे की रिपोर्ट प्राप्त होने पर रिपोर्ट में फ्रेक्चर पाया गया, राईट फ्रंटल रीजन पर चोट नम्बर एक को गंभीर बताया जिसकी रिपोर्ट प्रदर्श डी. 14 है जिसकी पुश्त पर मेरी राय ए से बी है । श्री गोस्वामी का तर्क है कि अपीलार्थी के शरीर पर आई गंभीर चोट के बारे में अभियोजन पक्ष की ओर से कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है । उन्होंने अपीलार्थी गिरधारी के आई चोटों के संबंध में डी. डब्ल्यू. 1 डा. एस. के. वर्मा के कथन के निम्न भाग की ओर से इस न्यायालय का ध्यान आकर्षित किया :–

"उसी दिन पुलिस प्रतिवेदन पर गिरधारीलाल पुत्र पन्ना लाल उम्र 30 वर्ष, कुमावत, निवासी इरोलाव की चोटों का परीक्षण किया तो निम्न पाई गई –

1. लेसरेटेड वुण्ड 5 × 1/2 × 1/2 सेमी सिर में बाईं तरफ फ्रंटल रीजन पर

2. निलगू 6 × 2 सेमी पीठ में पीछे बाईं तरफ मध्य हिस्से में

3. एक कन्टीयूजन 3 × 1 सेमी पीठ में बीच के हिस्से में

4. एक कन्टीयूजन 8 × 2 सेमी पीठ में बाईं तरफ स्केपूलन रीजन पर

5. एक कन्टीयूजन 8 × 2 सेमी पीठ में बाईं तरफ ऊपर के हिस्से में

6. एब्रेजन 1 × 1 सेमी पीठ के पीछे नीचे की तरफ ।

सभी चोटें ब्लन्ट हथियार की थीं । चोट नं. 1, 2, 3, 4, 5 के लिए एक्सरे की सलाह दी गई । चोट नं. 6 साधारण थी ।

चोटें ताजा थीं । यह रिपोर्ट प्रदर्श पी. 10 है जिस पर ए से बी मेरे हस्ताक्षर हैं ।"

9. उनका कथन है कि डा. एस. के. वर्मा डब्ल्यू. 1 के बयानों से यह भी भलीभांति प्रमाणित होता है कि परिवादी पक्ष के द्वारा अन्य सह-अभियुक्त रामलाल, पांचूराम, छीतर, पन्नालाल एवं प्रेमचन्द के तथा अन्य व्यक्ति ज्योतिप्रसाद के भी चोटें आई हैं । उनका कथन है कि अभियुक्त पक्ष की ओर से कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है । उनका कथन है कि हालांकि इस मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से डा. एच. आर. बगड़िया के बयान पी. डब्ल्यू. 16 के रूप में लेखबद्ध कराए हैं । किन्तु डा. एस. के. वर्मा एवं डा. एच. आर. बगड़िया के बयानों में गंभीर विरोधाभास है । चूंकि आहतगत रामकरण और गोपी के आई चोटों एवं अभियुक्तगण के पक्ष के व्यक्तियों के आई चोटों का सर्वप्रथम परीक्षण घटना के दिवस दिनांक 26 जनवरी, 1993 को डा. एस. के. वर्मा द्वारा किया जाकर उनके चोट प्रतिवेदन तैयार किए गए हैं एवं डा. एच. आर. बगड़िया के द्वारा दिनांक 11 फरवरी, 1993 को रामकरण का आपरेशन किया गया है । इस प्रकार डा. एच. आर. बगड़िया के संदिग्ध हो जाते हैं एवं उसके बयानों पर विश्वास नहीं किया जाना चाहिए । उनका यह कथन है कि यह विधि का सुस्थापित सिद्धांत है कि प्रत्येक संदेह का लाभ अभियुक्त को प्राप्त होता है एवं जब तक अभियुक्त के खिलाफ आरोप संदेह से परे प्रमाणित नहीं हो जाते उसे दोषसिद्ध नहीं किया जाना चाहिए ।

10. श्री गोस्वामी का यह तर्क है कि विद्वान् विचारण न्यायालय ने अभियुक्तगण की ओर से प्रस्तुत की गई प्रतिरक्षा साक्ष्य पर गौर नहीं कर अपना निर्णय पारित किया है । जबकि इस मामले में पत्रावली पर उपलब्ध समस्त सामग्री के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि प्रतिरक्षा साक्ष्य पर विश्वास नहीं किए जाने का कोई कारण नहीं है । उनका कथन है कि परिवादी पक्ष के खिलाफ भी इसी घटना के संबंध में मुकदमा चला है । उनका कथन है जहां दोनों पक्षों की ओर से एक दूसरे के खिलाफ मुकदमे दर्ज कराए जावें वहां अभियुक्तगण को दोषी ठहराने से पूर्व साक्ष्य का सूक्ष्म रूप से विवेचन किया जाना चाहिए । उनका कथन है कि अपीलार्थी स्वयं के भी इस मामले में गंभीर प्रकृति की चोट आई है । उनका कथन है कि इस मामले में अपीलार्थी-अभियुक्त गिरधारी एवं अन्य सह-अभियुक्तगण के चोटें कारित हुई हैं, जिसके संबंध में उनकी ओर से अपनी प्रतिरक्षा में डा.

एस. के. वर्मा के बयान डी. डब्ल्यू. 1 के रूप में लेखबद्ध कराए गए हैं । उक्त गवाह के बयान से यह स्पष्ट है कि अभियुक्तगण के भी इस मामले में चोटें कारित हुई हैं, जिनके संबंध में अभियोजन पक्ष की ओर से कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है । इस प्रकार यह नहीं माना जा सकता कि अभियुक्त पक्ष हमलावर था । इस प्रकार अपीलार्थी के विरुद्ध धारा 326 भारतीय दंड संहिता का आरोप साबित नहीं होता है । अतः अपीलार्थी को धारा 326 भारतीय दंड संहिता के आरोप से दोषमुक्त किया जावे ।

11. श्री गोस्वामी का कथन है कि वे इस मामले में अपीलार्थी की धारा 324 भारतीय दंड संहिता के लिए दोषसिद्धि के विचारण न्यायालय के आदेश को चुनौती नहीं दे रही है किन्तु प्रार्थना कर रहे हैं कि चूंकि इस मामले से संबंधित घटना आज से लगभग 22 वर्ष पुरानी है और तब से ही अपीलार्थी इस मामले की पीड़ा को भुगत रहा है । उसका यह पहला अपराध है । वह सरकारी कर्मचारी है, उसका भरा पूरा परिवार है । वह ग्रामीण परिवेश का व्यक्ति है । हालांकि वह 18 दिन अभिरक्षा में रह चुका है । किन्तु चूंकि वह सरकारी कर्मचारी है अतः उसे अपराधी परिवीक्षा अधिनियम की धारा 4 व 12 का लाभ दिया जावे ।

12. विद्वान् लोक अभियोजन ने इसका विरोध किया । उनका तर्क है कि विद्वान् विचारण न्यायालय का निर्णय पूर्णतया विधिसम्मत है, जिसमें हस्तक्षेप किए जाने का कोई आधार नहीं है । उनका कथन है कि विद्वान् विचारण न्यायालय ने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य का सही रूप से विवेचन व विश्लेषण करने के उपरांत अपना निर्णय पारित किया है । अतः अपीलार्थी की ओर से प्रस्तुत इस अपील को निरस्त किया जावे ।

13. जहां तक अपीलार्थी के विरुद्ध धारा 326 भारतीय दंड संहिता के आरोप का प्रश्न है, अपीलार्थी निर्णय, अभियोजन पक्ष एवं प्रतिरक्षा साक्ष्य एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य का ध्यानपूर्वक अवलोकन करने के उपरांत मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि डा. एस. के. वर्मा के बयानों एवं डा. एच. आर. बगड़िया के बयानों में विरोधाभास होने, अपीलार्थी गिरधारी के आई चोटों का अभियोजन पक्ष की ओर से कोई स्पष्टीकरण नहीं होने के आधार पर अपीलार्थी-अभियुक्त के विरुद्ध धारा 326 भारतीय दंड संहिता का आरोप प्रमाणित नहीं होता है । गवाहों के बयानों का बारीकी से अध्ययन किए जाने से यह स्पष्ट होता है कि इस मामले से

संबंधित घटना दिनांक 26 जनवरी, 1993 की बताई गई है एवं उक्त आहत रामकरण का आपरेशन दिनांक 11 फरवरी, 1993 को किया गया है । सर्वप्रथम आहतगण की चोटों का परीक्षण डा. एस. के. वर्मा द्वारा किया गया है । इस मामले में यह भी स्पष्ट साक्ष्य पत्रावली पर उपलब्ध है कि पक्षकारान के मध्य ध्वजारोहण के मामले में मामूली विवाद को लेकर आपस में झगड़ा हुआ है । इसलिए भी अपीलार्थी के विरुद्ध धारा 326 भारतीय दंड संहिता का आरोप प्रमाणित नहीं होता है ।

14. इस मामले में पत्रावली पर उपलब्ध चिकित्सीय साक्ष्य के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि अपीलार्थी के विरुद्ध धारा 326 भारतीय दंड संहिता का आरोप नहीं बनता है । डा. एस. के. वर्मा के कथन जहां अभियोजन पक्ष की ओर से कराए गए हैं वहीं प्रतिरक्षा साक्ष्य में उक्त डाक्टर के बयान अभियुक्तगण की ओर से लेखबद्ध कराए गए हैं । उक्त गवाह डा. एस. के. वर्मा के बयानों का सूक्ष्म रूप से अवलोकन करने से यह स्पष्ट है कि इस मामले में अपीलार्थी के विरुद्ध धारा 326 भारतीय दंड संहिता का आरोप प्रमाणित नहीं होता है । इस मामले में अपीलार्थी-अभियुक्त एवं अन्य सह-अभियुक्तों के भी चोटें आना डा. एस. के. वर्मा के बयानों से प्रमाणित होता है । हालांकि इस मामले में अभियोजन पक्ष ने डा. एच. आर. बगड़िया के बयान भी पी. डब्ल्यू. 16 के रूप में लेखबद्ध कराए हैं । किन्तु दोनों चिकित्सक साक्षीगण के बयानों में काफी विरोधाभास है । इससे यह स्पष्ट होता है कि दोनों पक्ष के मध्य झगड़ा हुआ है एवं इस मामले में आई साक्ष्य से यह भी प्रमाणित होता है कि दोनों पक्षों के मध्य उक्त झगड़ा ध्वजारोहण के संबंध में मामूली बात को लेकर हुआ है । ऐसे मामले में साक्ष्य का अत्यन्त ही बारीकी से अध्ययन किया जाना आवश्यक है । इस मामले में पत्रावली पर उपलब्ध सम्पूर्ण साक्ष्य का बारीकी से अध्ययन करने के उपरांत मैं यही पाता हूं कि अपीलार्थी-अभियुक्त के विरुद्ध धारा 326 भारतीय दंड संहिता का आरोप प्रमाणित नहीं होता है । यह विधि का सुस्थापित सिद्धांत है कि अभियोजन पक्ष को अपना केस संदेह से परे प्रमाणित करना होता है ।

15. विद्वान् अधिवक्ता द्वारा अपीलार्थी की धारा 324 भारतीय दंड संहिता के अन्तर्गत विचारण न्यायालय के दोषसिद्धि के आदेश को चुनौती नहीं देते हुए उनके द्वारा उपरोक्त वर्णित परिस्थितियां बताते हुए उसे अपराधी परिवीक्षा अधिनियम की धारा 4 व 12 का लाभ प्रदान किए जाने

की प्रार्थना की गई है । अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता द्वारा प्रकट की गई उपरोक्त वर्णित परिस्थितियों में मैं अपीलार्थी को धारा 4 व 12 अपराधी परिवीक्षा अधिनियम के प्रावधानों का लाभ प्रदान किया जाना उपयुक्त समझता हूं ।

16. अतः अपीलार्थी की ओर से प्रस्तुत इस अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, सांभरलेक द्वारा पारित निर्णय दिनांक 4 फरवरी, 1995 के अन्तर्गत अपीलार्थी को धारा 326 भारतीय दंड संहिता के तहत दोषसिद्ध किए जाने के आदेश को अपास्त करते हुए अपीलार्थी को धारा 326 भारतीय दंड संहिता के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है । उक्त निर्णय के तहत अपीलार्थी की धारा 324 भारतीय दंड संहिता के अन्तर्गत दोषसिद्धि के आदेश की पुष्टि करते हुए उसे इस अपराध के लिए दिए गए दंडादेश के स्थान पर तुरन्त कारावास के दंड से दंडित नहीं करते हुए उसके द्वारा धारा 4(1) अपराधी परिवीक्षा अधिनियम के तहत एक वर्ष की अवधि के लिए शांति व सदाचार बनाए रखने, इस दौरान कोई अपराध कारित नहीं करने एवं न्यायालय द्वारा सजा भुगतने के लिए आहत किए जाने पर सजा भुगतने हेतु उपस्थित होने की शर्त का 20,000/- रुपए की राशि का स्वयं का मुचलका एवं इसी राशि की एक प्रतिभूति विचारण न्यायालय की संतुष्टि पर पेश करने पर परिवीक्षा पर स्वतंत्र कर दिया जावे । साथ ही उसे धारा 12 अपराधी परिवीक्षा अधिनियम का लाभ दिया जाता है ताकि निर्णय का उसके व उसके परिवार के भविष्य पर एवं राजकीय सेवा पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं हो । धारा 4(1) अपराधी परिवीक्षा अधिनियम के तहत जमानत मुचलके पेश करने हेतु इस आदेश की प्रमाणित प्रति प्राप्त होने से दो माह का समय दिया जाता है । उक्त अवधि में जमानत मुचलके पेश नहीं किए जाने की व्यवस्था में अपीलार्थी को धारा 324 भारतीय दंड संहिता के लिए दी गई सजा उसे नियमानुसार भुगताई जावे । अपीलाधीन निर्णय को इसी प्रकार रूपांतरित किया जाता है ।

अपील भागतः मंजूर की गई ।

मही./आर्य

अनूप के. पॉल

बनाम

राजस्थान राज्य

24 जुलाई, 2015

न्यायमूर्ति विजय विश्नोई

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) – धारा 482 [सपठित दंड संहिता, 1860 की धारा 376, 313 और 420] – प्रथम इत्तिला रिपोर्ट का अभिखंडन – जहां मामले के तथ्यों और परिस्थितियों से यह साबित नहीं होता कि याची ने पीड़िता को विवाह करने का वादा करके उसके साथ बलात्संग किया, विवाह करने का झूठा वादा किया और ऐसा कोई साक्ष्य नहीं है कि पीड़िता की सम्मति के बिना उसके शिशु का गर्भपात करवाया, वहां उपरोक्त धाराओं के अधीन दर्ज प्रथम इत्तिला रिपोर्ट अभिखंडित किए जाने योग्य है ।

पुलिस ने पुलिस थाना बजाज नगर में भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 376 और 313 के अधीन दंडनीय अपराधों के लिए प्रथम इत्तिला रिपोर्ट सं. 97/2014 दर्ज कराई और रिपोर्ट में यह उल्लेख किया कि शिकायत के अनुसार घटना जोधपुर में घटित हुई थी, अतः शिकायत पुलिस थाना शास्त्री नगर, जोधपुर को भेज दी गई । अतः, आक्षेपित प्रथम इत्तिला रिपोर्ट पुलिस थाना शास्त्री नगर, जोधपुर में तारीख 1 अक्तूबर, 2014 को दंड संहिता की धारा 376 और 313 के अधीन दंडनीय अपराधों के लिए तारीख 1 अक्तूबर, 2014 को दर्ज कराई गई । दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 482 के अधीन दांडिक प्रकीर्ण याचिका याची द्वारा फाइल की गई है जिसमें पुलिस थाना शास्त्री नगर, जोधपुर में तारीख 1 अक्तूबर, 2014 को दर्ज कराई गई प्रथम इत्तिला रिपोर्ट सं. 229 के अभिखंडित कराए जाने की प्रार्थना की गई है । उच्च न्यायालय द्वारा याचिका मंजूर करते हुए,

अभिनिर्धारित – क्या याची ने मात्र संभोग करने के आशय से प्रत्यर्थी सं. 2 को विलुब्ध करके उसकी सम्मति प्राप्त की है या नहीं या उसने प्रत्यर्थी सं. 2 की सम्मति कपटपूर्वक प्राप्त की है । दंड संहिता की धारा 375 में परिभाषित बलात्संग के अंतर्गत महत्वपूर्ण अभिव्यक्ति महिला की सम्मति के

विरुद्ध कृत्य है । इससे यह प्रतीत होता है कि आपराधिक कृत्य महिला के प्रतिरोध और विरोध के बावजूद किया गया । दंड संहिता के अधीन सम्मति को सकारात्मक निबंधनों में परिभाषित नहीं किया गया है । किंतु किस कार्य को सम्मति नहीं कहा जा सकता, उसे धारा 90 में स्पष्ट किया गया है । कोई सम्मति ऐसी सम्मति नहीं है यदि वह सम्मति किसी व्यक्ति ने क्षति, भय के अधीन या तथ्य के भ्रम के अधीन दी हो । दंड संहिता की धारा 90 के प्रथम भाग में उपरोक्त को स्पष्ट किया गया है । धारा 90 में दो आधार विनिर्दिष्ट किए गए हैं जो तथ्य के प्रपीड़न और तथ्य की भूल के समरूप हैं और ये ऐसे आधार हैं जिनसे हमारे देश तथा अन्य देशों के न्यायशास्त्र के अंतर्गत सम्मति देने का कार्य दूषित हो जाता है । इस धारा के प्रथम भाग में जो कारक दिए गए हैं वे आहत को ध्यान में रखकर दिए गए हैं और धारा का द्वितीय भाग अभियुक्त को ध्यान में रखकर बनाया गया है । इससे यह परिकल्पित होता है कि अभियुक्त को यह मालूम था और उसका यह विश्वास था कि अभियोक्त्री ने जो उसे सम्मति दी है वह सम्मति क्षति के भय या तथ्य के भ्रम के अधीन दी गई है । इस प्रकार, धारा के द्वितीय भाग में उस व्यक्ति के ज्ञान या युक्तियुक्त विश्वास पर बल दिया गया है जिसने कपटपूर्वक सम्मति प्राप्त की है । दोनों भागों का संचयी रूप से समाधान किया जाना चाहिए । दूसरे शब्दों में यह कहा जाता है कि न्यायालय को इस बात पर विचार करना चाहिए कि क्या सम्मति देने वाले व्यक्ति ने या सम्मति, भय या तथ्य के भ्रम के अधीन दी है या नहीं और न्यायालय का यह भी समाधान होना चाहिए कि अभिकथित अपराध करने वाला व्यक्ति इस तथ्य से सचेत है या नहीं या उस व्यक्ति के पास यह सोचने का कारण है या नहीं कि यह सम्मति, भय या भ्रम के अतिरिक्त दी ही नहीं जा सकती थी । शरीर का समर्पण भय और आंतक के डर से किए जाने को लैंगिक कार्य के लिए सम्मति नहीं कहा जा सकता । दंड संहिता की धारा 375 के प्रयोजन के लिए दी जाने वाली सम्मति से स्वेच्छया कार्य में भाग लेना अपेक्षित है जो मात्र बुद्धिमत्ता, नैतिकता और ज्ञान के आधार पर ही नहीं अपितु प्रतिरोध तथा सहमति के बीच विकल्प का प्रयोग किए जाने के आधार पर दी जानी चाहिए । सम्मति दी गई थी या नहीं, यह सुसंगत परिस्थितियों का सावधानीपूर्वक परिशीलन करने के पश्चात् ही सुनिश्चित किया जाना चाहिए । माननीय उच्चतम न्यायालय के उपरोक्त निर्णयों से विधि की स्थिति इस प्रकार स्पष्ट होती है कि यदि अभियुक्त का वचन मिथ्या नहीं है और उसका मात्र यह आशय नहीं है कि वह अभियोक्त्री को संभोग करने के लिए बहकाए, तब ऐसा कृत्य बलात्संग

की कोटि में नहीं आएगा । आक्षेपित प्रथम इत्तिला रिपोर्ट में, प्रत्यर्थी सं. 2 ने यह अभिकथन किया है कि याची का उसके साथ विवाह करने का आरंभ से ही कोई आशय नहीं था । न्यायालय इस बात से सहमत है कि लिखित शिकायत को पढ़ने से ही और आक्षेपित प्रथम इत्तिला रिपोर्ट की अंतर्वस्तु से ही दंड संहिता की धारा 376 और 313 के अधीन कोई भी अपराध नहीं बनता है । तथापि, पुलिस ने गहराई से अन्वेषण किया है और विद्वान् लोक अभियोजन तथा प्रत्यर्थी सं. 2 के काउंसेल ने दलील दी है कि पुलिस द्वारा किए गए अन्वेषण से दंड संहिता की धारा 376(2), 313 और 420 के अधीन दंडनीय अपराध याची के विरुद्ध नहीं बनता है, इसलिए न्यायालय ने केस डायरी का परिशीलन करने का निश्चय किया है जो विद्वान् लोक अभियोजक द्वारा उपलब्ध कराई गई है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि पुलिस द्वारा जुटाई गई सामग्री और साक्ष्य के आधार पर उपर्युक्त अपराध के लिए याची के विरुद्ध कोई मामला बनता है या नहीं । यह स्पष्ट हो जाता है कि प्रत्यर्थी सं. 2 ने कहीं भी यह अभिकथन नहीं किया है कि याची का विवाह करने का आरंभ से कोई आशय नहीं था । इसके प्रतिकूल, यह स्पष्ट रूप से कथन किया गया है कि याची ने अभियोक्त्री के समक्ष विवाह का प्रस्ताव रखा था और याची तथा अभियोक्त्री दोनों के माता-पिता उनके विवाह के लिए सहमत थे और विवाह के लिए मई, 2014 का समय नियत कर दिया गया, तथापि, इसके पश्चात् याची और उसके माता-पिता ने ऐसा करने से इनकार कर दिया । प्रत्यर्थी सं. 2 ने दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 164 के अधीन अभिलिखित अपने कथन में यह उल्लेख किया है कि वह याची के घर में क्रिसमस की तैयारी के लिए 7 दिन तक ठहरी थी । अन्वेषण के दौरान पुलिस ने प्रत्यर्थी सं. 2 के भाई, पिता, माता और अन्य नातेदारों के कथन अभिलिखित किए और सभी ने यह साक्ष्य दिया है कि याची के माता और पिता अक्तूबर, 2012 में याची और प्रत्यर्थी सं. 2 का विवाह तय करने के लिए जयपुर आए थे और विवाह की तारीख 13 मई, 2014 तय की गई । पुलिस ने याची, उसकी माता तथा उसके पिता से पूछताछ की और इन सभी ने यह कथन किया कि वे जयपुर में प्रत्यर्थी सं. 2 के घर उसका याची के साथ विवाह तय करने के लिए घर गए थे और विवाह की तारीख 13 मई, 2014 नियत की गई थी । परिप्रश्न के दौरान, याची, उसकी माता और पिता ने विशेष रूप से यह कथन किया है कि प्रत्यर्थी सं. 2 के साथ विवाद होने के कारण विवाह का प्रस्ताव पूरा नहीं किया जा सका और उन्होंने प्रत्यर्थी सं. 2 के माता-पिता को सूचित किया जो जून, 2014

में विवाह किए जाने के लिए सहमत थे, प्रत्यर्थी सं. 2 की माता ने उनसे कहा कि वे अपने पुत्र का विवाह कहीं और कर दें ताकि वे अपनी पुत्री का विवाह इंदौर में कर सकें क्योंकि इंदौर से विवाह का एक प्रस्ताव आया हुआ था । अभिलेख पर उपलब्ध ऊपर उल्लिखित सम्पूर्ण सामग्री से यह स्पष्ट हो जाता है कि अभिलेख पर लेशमात्र भी ऐसा साक्ष्य नहीं है जिससे यह साबित होता हो कि याची का प्रत्यर्थी सं. 2 से विवाह करने का आरंभ से ही कोई आशय नहीं था और यह कि उसने अपनी वासना पूरी करने के लिए उसके साथ विवाह करने का मिथ्या वचन दिया था । यदि याची का प्रत्यर्थी सं. 2 के साथ विवाह करने का कोई आशय आरंभ से ही नहीं था तब प्रत्यर्थी सं. 2 को अपने घर क्रिसमस की तैयारी के लिए लाने हेतु याची के पास कोई कारण नहीं था और न ही वह अपने माता-पिता से प्रत्यर्थी सं. 2 के माता-पिता से जयपुर में मिलकर विवाह की तारीख तय करने के लिए कहता । जैसाकि पहले ही कथन किया गया है, प्रत्यर्थी सं. 2, उसका भाई, माता-पिता और अन्य नातेदारों ने पुलिस को दिए गए अपने कथनों में यह उल्लेख किया है कि याची और उसके माता-पिता याची का विवाह प्रत्यर्थी सं. 2 से तय करने के लिए उनके घर पर गए थे और विवाह की तारीख तय भी की गई थी । स्वीकृततः, प्रत्यर्थी सं. 2 किसी भी प्रक्रम पर किसी भी व्यक्ति से कोई भी शिकायत नहीं की थी और उसने पहली बार सितंबर, 2014 में अर्थात् अप्रैल, 2013 में विवाह करने से इनकार करने के 17 मास पश्चात् याची के विरुद्ध शिकायत फाइल की थी । यह भी उल्लेखनीय है कि प्रत्यर्थी सं. 2 ने अपने माता-पिता और भाई को अपने गर्भवती होने के संबंध में नहीं बताया था और उसका गर्भपात अक्तूबर, 2012 में करा दिया गया था । प्रत्यर्थी सं. 2 के माता-पिता और भाई ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 161 के अधीन अभिलिखित अपने कथनों में यह उल्लेख नहीं किया है कि प्रत्यर्थी सं. 2 ने कभी अक्तूबर, 2012 में अपने गर्भ धारण करने के संबंध में उनको बताया था । इस मामले के, उपरोक्त तथ्यों और परिस्थितियों में यह नहीं कहा जा सकता है कि याची का आशय आरंभ से ही प्रत्यर्थी सं. 2 से विवाह करने का नहीं था या याची का आरंभ से ही उसे धोखा देने का कोई आशय था । घटना के समय प्रत्यर्थी सं. 2 की आयु 26 वर्ष थी । वह याची से प्रेम करती थी और उन दोनों ने एक-दूसरे से विवाह करने का प्रण किया था । यहां तक कि प्रत्यर्थी सं. 2 ने अपने भाई और माता-पिता को यह बता दिया था कि वह याची से प्रेम करती है और उससे विवाह करना चाहती है । इन सभी पहलुओं को देखते हुए यह नहीं कहा जा सकता है कि याची का आरंभ से

प्रत्यर्थी सं. 2 से विवाह करने का कोई आशय नहीं था और यह कि उसने अपनी वासना पूरी करने के आशय से प्रत्यर्थी सं. 2 को विवाह करने का मिथ्या वचन दिया था । ऐसा प्रतीत होता है कि याची और प्रत्यर्थी सं. 2 अत्यधिक प्रेम करते थे और उनका प्रेम शारीरिक संबंधों तक जा पहुंचा । उनके माता-पिता उनके विवाह के लिए सहमत हो गए किंतु तत्पश्चात् याची, उसकी माता और प्रत्यर्थी सं. 2 के बीच विवाद होने पर विवाह नहीं हो सका और इसके पश्चात् याची ने सितंबर, 2014 में अन्य किसी लड़की से विवाह करने का निश्चय किया । जब प्रत्यर्थी सं 2 को इस संबंध में पता चला, तब उसने प्रतिशोध की भावना से याची के विरुद्ध दांडिक शिकायत फाइल की । उपरोक्त तथ्य और परिस्थितियों पर विचार करते हुए, न्यायालय को यह अभिनिर्धारित करने में कोई संकोच नहीं है कि दंड संहिता की धारा 376 के अधीन याची के विरुद्ध कोई भी अपराध नहीं बनता है । जहां तक दंड संहिता की धारा 420 का संबंध है, इस न्यायालय ने पहले ही यह निष्कर्ष निकाला है कि याची ने प्रत्यर्थी सं. 2 से विवाह करने का कोई भी मिथ्या वचन नहीं दिया था इसलिए याची के विरुद्ध छल का कोई भी मामला नहीं बनता है । जहां तक दंड संहिता की धारा 313 के अधीन दंडनीय अपराध का संबंध है, यह उल्लेखनीय है कि प्रत्यर्थी सं. 2 ने प्रथम इत्तिला रिपोर्ट में यह अभिकथन किया है कि वर्ष 2012 में जब वह गर्भवती हो गई थी, तब याची ने उसे गर्भनिरोधक गोलियां खिलाकर उसका गर्भपात करवा दिया था । यह पता चलता है कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 164 के अधीन अभिलिखित कथन में प्रत्यर्थी सं. 2 ने यह उल्लेख किया है कि अक्तूबर, 2012 में उसने जोधपुर में डा. रेखा द्वारा गर्भपात करवाया था । पुलिस ने अन्वेषण के दौरान डा. रेखा जाखड़ का कथन अभिलिखित किया है और तारीख 1 अक्तूबर, 2012 को डा. रेखा द्वारा तैयार की गई उपचार पर्ची को भी कब्जे में लिया है । डा. रेखा ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 161 के अधीन अभिलिखित अपने कथन में यह उल्लेख किया है कि तारीख 1 अक्तूबर, 2012 को श्रीमती दिव्या नाम की एक महिला चिकित्सीय जांच के लिए उसके घर पर आई । उसने श्रीमती दिव्या की चिकित्सा परीक्षा की और उसने उसे गर्भवती पाया, इसके पश्चात् उस महिला ने डा. रेखा जाखड़ से यह कहा कि वह यह बच्चा नहीं चाहती है । डा. रेखा द्वारा समझाए जाने के बावजूद, श्रीमती दिव्या ने अपनी नौकरी और पढ़ाई के प्रभावित होने की बात कहते हुए गर्भपात के लिए आग्रह किया । डा. रेखा जाखड़ ने पुनः बताया कि जब वह महिला सहमत नहीं हुई तब उसने उस महिला से अपने पति के साथ आने को

कहा और जब वह दोबारा अपने पति के साथ आई तब रेखा जाखड़ ने उन्हें गर्भपात से होने वाले दुष्प्रभाव के बारे में बताया किंतु उन दोनों ने यही कहा कि वे गर्भपात कराना चाहते हैं । इसके पश्चात् चिकित्सक ने लिखित रूप में अपनी सहमति देने को कहा जिस पर दोनों ने यह लिखा कि उन्हें गर्भपात से होने वाले दुष्परिणाम के संबंध में बता दिया गया है फिर भी वे गर्भपात कराना चाहते हैं और किसी भी दुर्घटना के लिए वे स्वयं जिम्मेदार होंगे । तारीख 1 अक्तूबर, 2012 की उपचार पर्ची जिस पर याची और प्रत्यर्थी सं. 2 के बारे में प्रविष्टि की गई है, केस डायरी का भाग है । डा. रेखा जाखड़ के कथन से यह स्पष्ट हो जाता है कि प्रत्यर्थी सं. 2 ने ही स्वेच्छया गर्भपात कराया था और ऐसा कोई भी साक्ष्य नहीं है कि याची ने प्रत्यर्थी सं. 2 की सम्मति के बिना उसका गर्भपात कराया था और इस प्रकार दंड संहिता की धारा 3 के अधीन याची के विरुद्ध कोई भी अपराध नहीं बनता है । (पैरा 18, 19, 21, 22, 25, 27, 28, 29 और 30)

निर्दिष्ट निर्णय

		पैरा
[2014]	ए. आई. आर. 2014 एस. सी. 2567 : **ऋषिपाल सिंह** बनाम **उत्तर प्रदेश राज्य और एक अन्य ;**	11
[2013]	2013 क्रिमिनल ला जर्नल 2990 = ए. आई. आर. 2013 एस. सी. 2071 : **दीपक गुलाटी** बनाम **हरियाणा राज्य ;**	20
[2007]	ए. आई. आर. 2007 एस. सी. 3059 : **प्रदीप कुमार वर्मा** बनाम **बिहार राज्य और एक अन्य ;**	19
[2005]	(2005) 1 एस. सी. सी. 122 = ए. आई. आर. 2005 एस. सी. 9 : **झंडू फार्मास्यूटिकल वर्कस लिमिटेड** बनाम **मोहम्मद शर्फुल हक और एक अन्य ;**	10
[2003]	ए. आई. आर. 2003 एस. सी. 1639 : **उदय** बनाम **कर्नाटक राज्य ;**	18, 19

[2001] (2001) 8 एस. सी. सी. 645 =
ए. आई. आर. 2001 एस. सी. 3014 :
एम. कृष्णन बनाम **विजय सिंह ;** 10

[2000] (2000) 3 एस. सी. सी. 269 =
ए. आई. आर. 2000 एस. सी. 1869 :
मेडचिल केमिकल्स एंड फार्मा (प्राइवेट) लिमिटेड बनाम **बायोलोजिकल ई. लिमिटेड ;** 10

[2000] (2000) 4 एस. सी. सी. 168 = ए. आई. आर. 2000 एस. सी. 2341 :
हृदय रंजन प्रसाद वर्मा बनाम **बिहार राज्य ;** 10

[1999] (1999) 3 एस. सी. सी. 259 =
ए. आई. आर. 1999 एस. सी. 1216 :
राजेश बजाज बनाम **राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र, दिल्ली ;** 10

[1996] (1996) 5 एस. सी. सी. 591 = ए. आई. आर. 1996 एस. सी. 2452 :
केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो बनाम **डंकन्स एग्रो इंडस्ट्रीज लिमिटेड ;** 10

[1996] (1996) 8 एस. सी. सी. 164 = 1996 ए. आई. आर. एस. सी. डब्ल्यू. 591 :
बिहार राज्य बनाम **राजेन्द्र अग्रवाल ;** 10

[1995] (1995) 6 एस. सी. सी. 194 = ए. आई. आर. 1996 एस. सी. 309 :
रुपन दियोल बजाज बनाम **कवंरपाल सिंह गिल ;** 10

[1992] (1992) (सप्ली.) 1 एस. सी. सी. 335 =
ए. आई. आर. 1992 एस. सी. 604 :
हरियाणा राज्य बनाम **भजन लाल ;** 10

[1988] (1988) 1 एस. सी. सी. 692 = ए. आई. आर. 1988 एस. सी. 709 :
माधवराव जीवाजीराव सिंधिया बनाम **संभाजीराव चंद्रोजीराव आंग्रे ;** 10

रिट (दांडिक) अधिकारिता : 2014 की दांडिक प्रकीर्ण याचिका सं. 2556.

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 482 के अधीन याचिका ।

याची की ओर से सर्वश्री महेश बोरा (ज्येष्ठ अधिवक्ता) और निशांत बोरा

प्रत्यर्थी की ओर से सर्वश्री विक्रम राजपुरोहित (लोक अभियोजक) और आर. एस. चौहान

न्यायमूर्ति विजय विश्नोई – दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 482 के अधीन दांडिक प्रकीर्ण याचिका याची द्वारा फाइल की गई है जिसमें पुलिस थाना शास्त्री नगर, जोधपुर में तारीख 1 अक्तूबर, 2014 को दर्ज कराई गई प्रथम इत्तिला रिपोर्ट सं. 229 को अभिखंडित कराए जाने की प्रार्थना की गई है ।

2. संक्षेप में, दांडिक प्रकीर्ण याचिका के निपटारे के लिए मामले के तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रत्यर्थी सं. 2 ने तारीख 29 सितंबर, 2014 को पुलिस थाना बजाज नगर में एक लिखित शिकायत दर्ज कराई जो निम्न प्रकार है :–

(हाथ से लिखी गई तहरीर का लोप किया गया है)

3. उपर्युक्त शिकायत के अनुसरण में पुलिस ने पुलिस थाना बजाज नगर में भारतीय दंड संहिता, 1860 (जिसे संक्षेप में "दंड संहिता" कहा गया है) की धारा 376 और 313 के अधीन दंडनीय अपराधों के लिए प्रथम इत्तिला रिपोर्ट सं. 97/2014 दर्ज कराई और रिपोर्ट में यह उल्लेख किया कि शिकायत के अनुसार घटना जोधपुर में घटित हुई थी, अतः शिकायत पुलिस थाना शास्त्री नगर, जोधपुर को भेज दी गई । अतः, आक्षेपित प्रथम इत्तिला रिपोर्ट पुलिस थाना शास्त्री नगर, जोधपुर में तारीख 1 अक्तूबर, 2014 को दंड संहिता की धारा 376 और 313 के अधीन दंडनीय अपराधों के लिए तारीख 1 अक्तूबर, 2014 को दर्ज कराई गई । प्रथम इत्तिला रिपोर्ट निम्न प्रकार है :–

(हाथ से लिखी गई तहरीर का लोप किया गया है)

4. याची के विद्वान् काउंसेल ने निम्न तर्क देते हुए आक्षेपित प्रथम इत्तिला रिपोर्ट को चुनौती दी है :–

(i) आक्षेपित प्रथम इत्तिला रिपोर्ट अत्यंत विलंबित है और प्रत्यर्थी सं. 2 द्वारा मात्र इस प्रार्थना के साथ फाइल की गई है कि याची को तारीख 29 सितंबर, 2014 को केरल में एक अन्य लड़की के साथ विवाह करने से रोका जाए । यह तर्क दिया गया है कि आक्षेपित प्रथम इत्तिला रिपोर्ट के अनुसार, याची ने अप्रैल, 2013 में प्रत्यर्थी सं. 2 से विवाह करने से इनकार कर दिया था किंतु तारीख 29 सितंबर, 2014 को पहली बार शिकायत दर्ज कराई गई थी, तथापि, 17 मास के विलंब से शिकायत दर्ज कराए जाने का कोई भी स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है ।

(ii) यदि आक्षेपित प्रथम इत्तिला रिपोर्ट की अंतर्वस्तु को पूर्ण रूप से पढ़ा जाए और उसे सत्य स्वीकार कर लिया जाए, तब भी दंड संहिता की धारा 376 के अधीन याची के विरुद्ध अपराध नहीं बनता है । यह प्रतिवाद किया गया है कि याची और प्रत्यर्थी सं. 2 दोनों ही वयस्क हैं और उन्होंने एक दूसरे के साथ स्वेच्छया से संबंध स्थापित किए थे, इस प्रकार सहमति से बनाए गए ये संबंध दंड संहिता की धारा 375 के अंतर्गत दी गई बलात्संग की परिभाषा में नहीं आते हैं । यह भी तर्क दिया गया है कि आक्षेपित प्रथम इत्तिला रिपोर्ट में ऐसा कोई भी अभिकथन नहीं किया गया है कि प्रत्यर्थी सं. 2 पर याची से संबंध बनाने के लिए बल का प्रयोग किया गया था और ऐसा भी कोई अभिकथन नहीं है कि याची का प्रत्यर्थी सं. 2 से विवाह करने का आरंभ से ही कोई आशय नहीं था । ऐसी परिस्थितियों में, यह अभिनिर्धारित नहीं किया जा सकता है कि याची ने विवाह करने का मिथ्या वचन देकर प्रत्यर्थी सं. 2 के साथ शारीरिक संबंध बनाए थे । याची के विद्वान् काउंसेल ने यह भी तर्क दिया है कि विवाह करने का वचन देकर शारीरिक संबंध बनाना दंड संहिता की धारा 376 के अधीन दंडनीय अपराध नहीं है जबकि अभिलेख पर ऐसी कोई सामग्री नहीं है कि जिससे यह साबित होता हो कि जिस लड़के ने लड़की के साथ विवाह का वचन देकर शारीरिक संबंध बनाए हैं उसका आरंभ से ही विवाह करने का कोई आशय नहीं था । उपर्युक्त तर्क के समर्थन में, याची के विद्वान् काउंसेल ने उदय **बनाम** कर्नाटक राज्य [2003 क्रिमनल ला जर्नल 1549 = ए. आई. आर. 2003 एस. सी. 1639], प्रदीप कुमार वर्मा **बनाम** बिहार राज्य और एक अन्य [ए. आई. आर. 2007 एस. सी. 3059], प्रशांत भारती **बनाम** राष्ट्रीय

राजधानी राज्य क्षेत्र, दिल्ली [2013 क्रिमनल ला जर्नल 3839 = ए. आई. आर. 2013 एस. सी. 2753], दीपक गुलाटी **बनाम** हरियाणा राज्य [2013 क्रिमनल ला जर्नल 2990 = ए. आई. आर. 2013 एस. सी. 2071] वाले मामलों में किए गए विनिश्चयों का अवलंब माननीय उच्चतम न्यायालय ने लिया है और इस न्यायालय ने फारुक अहमद (डा.) **बनाम** राजस्थान राज्य और एक अन्य [2013 (3) क्रिमनल ला रिपोर्ट (राज.) 1273] वाले मामले का अवलंब लिया है ।

(iii) प्रथम इत्तिला रिपोर्ट की अंतर्वस्तु का मात्र परिशीलन करने से दंड संहिता की धारा 313 के अधीन कोई अपराध याची के विरुद्ध नहीं बनता है क्योंकि प्रत्यर्थी सं. 2 ने अपनी शिकायत में यह उल्लेख नहीं किया कि याची ने उसकी सहमति के बिना गर्भपात कराया था ।

5. उपर्युक्त दलीलों के आधार पर, याची के विद्वान् काउंसेल ने यह निवेदन किया है कि यह दांडिक प्रकीर्ण याचिका मंजूर की जाए और आक्षेपित प्रथम इत्तिला रिपोर्ट और पुलिस द्वारा किया गया अन्वेषण अभिखंडित और अपास्त किया जाए ।

6. इसके प्रतिकूल, विद्वान् लोक अभियोजक और प्रत्यर्थी सं. 2 की ओर से हाजिर होने वाले काउंसेल ने याची का विरोध किया है । विद्वान् लोक अभियोजक ने इस न्यायालय को यह बताया है कि पुलिस ने अन्वेषण पूरा किया है और याची के विरुद्ध दंड संहिता की धारा 376 (2)(ढ़), 313 और 420 के अधीन दंडनीय अपराधों के लिए आरोप पत्र प्रस्तुत किया है । विद्वान् लोक अभियोजक द्वारा यह दलील दी गई है कि अन्वेषण के दौरान, पुलिस ने यह निष्कर्ष निकाला है कि याची ने विवाह का मिथ्या वचन देकर प्रत्यर्थी सं. 2 के साथ कई बार बलात्संग का अपराध कारित किया है और इस प्रकार उसने दंड संहिता की धारा 376(2)(ढ़) के अधीन अपराध कारित किया है । विद्वान् लोक अभियोजक ने यह भी दलील दी है कि याची ने प्रत्यर्थी सं. 2 का गर्भपात कराया था और इस प्रकार उसने दंड संहिता की धारा 313 के अधीन भी दंडनीय अपराध कारित किया है । यह भी दलील दी गई है कि याची ने तारीख 13 मई, 2013 को प्रत्यर्थी सं. 2 को विवाह करने का मिथ्या वचन दिया था और इस प्रयोजन के लिए प्रत्यर्थी सं. 2 के पिता ने टेन्ट और बैण्ड आदि भी बुक करा लिया था और साथ ही अनेक बंदोवस्त कराए किंतु विवाह के ठीक पूर्व याची ने प्रत्यर्थी सं. 2 के साथ विवाह करने से इनकार कर दिया और इस प्रकार उसने दंड संहिता की धारा 420 के अधीन भी दंडनीय

अपराध कारित किया । विद्वान् लोक अभियोजक ने भी यह दलील दी है कि प्रत्यर्थी सं. 2 ने दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 164 के अधीन अभिलिखित अपने कथन में विशेष रूप से यह उल्लेख किया है कि याची ने उसके साथ विवाह करने का मिथ्या वचन देकर कई बार बलात्संग किया है और पुलिस द्वारा किए गए अन्वेषण के दौरान प्राप्त की गई सामग्री को दृष्टिगत करते हुए, आक्षेपित प्रथम इत्तिला रिपोर्ट अभिखंडित किए जाने का कोई मामला नहीं बनता है और आगे अन्वेषण किया जाना चाहिए ।

7. प्रत्यर्थी सं. 2 की ओर से हाजिर होने वाले विद्वान् काउंसेल ने यह दलील दी है कि आक्षेपित प्रथम इत्तिला रिपोर्ट में किए गए अभिकथनों, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 164 के अधीन अभिलिखित प्रत्यर्थी सं. 2 के कथन तथा अन्वेषण के दौरान पुलिस द्वारा अभिलिखित अन्य साक्षियों के कथनों और प्राप्त की गई सामग्री से याची के विरुद्ध दंड संहिता की धारा 376(2)(ढ़), 313 और 420 के अधीन दंडनीय अपराध कारित किए जाने के लिए मामला बनता है । इस प्रकार, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के अधीन अंतर्निहित शक्ति का प्रयोग करते हुए इस न्यायालय द्वारा कोई हस्तक्षेप किया जाना अपेक्षित नहीं है और यह दांडिक प्रकीर्ण याचिका खारिज की जानी चाहिए ।

8. परस्पर विरोधी पक्षकारों की ओर से विद्वान् काउंसेलों को सुनने और विद्वान् लोक अभियोजक द्वारा उपलब्ध कराई गई केस डायरी का परिशीलन किया गया है ।

9. इस बात में कोई संदेह नहीं है कि न्यायालय को दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते समय, विशेषकर दांडिक शिकायतों के अभिखंडित किए जाने के मामलों में, कड़ी सावधानी बरतनी चाहिए ।

10. माननीय उच्चतम न्यायालय ने अनेक निर्णयों में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के अधीन उच्च न्यायालयों द्वारा प्रयोग की जाने वाली अधिकारिता के संबंध में मार्गदर्शक सिद्धांत अधिकथित किए हैं । **हरियाणा राज्य** बनाम **भजन लाल**[1] वाले मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय ने ऐसे मामलों को सूचीबद्ध किया है जिनमें दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के अधीन शक्ति का प्रयोग उच्च न्यायालयों द्वारा किया जा सकता है । **हरियाणा राज्य** बनाम **भजन लाल** (उपरोक्त) वाले मामले में

---

[1] (1992) (सप्ली.) 1 एस. सी. सी. 335 = ए. आई. आर. 1992 एस. सी. 604.

माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा अधिकथित विधि का अनुसरण अनेक विनिश्चयों में किया गया है जिनमें कुछ निर्णय इस प्रकार हैं – **माधवराव जीवाजीराव सिंधिया** बनाम **संभाजीराव चंद्रोजीराव आंग्रे**[1]**; हरियाणा राज्य** बनाम **भजन लाल**[2]**; रुपन दियोल बजाज** बनाम **कवंरपाल सिंह गिल**[3]**; केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो** बनाम **डंकन्स एग्रो इंडस्ट्रीज लिमिटेड**[4]**; बिहार राज्य** बनाम **राजेन्द्र अग्रवाल**[5]**; राजेश बजाज** बनाम **राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र, दिल्ली**[6]**; मेडचिल केमिकल्स एंड फार्मा (प्राइवेट) लिमिटेड** बनाम **बायोलोजिकल ई. लिमिटेड**[7]**; हृदय रंजन प्रसाद वर्मा** बनाम **बिहार राज्य**[8]**; एम. कृष्णन** बनाम **विजय सिंह**[9] और **झंडू फार्मास्यूटिकल वर्कस लिमिटेड** बनाम **मोहम्मद शर्फुल हक और एक अन्य**[10] । इन मामलों में अपनाए गए सुसंगत सिद्धांत निम्न प्रकार हैं :–

> "(i) कोई शिकायत तब अभिखंडित की जा सकती है जब शिकायत में किए गए अभिकथनों से, यदि उन्हें मोटे तौर पर पढ़ा जाए और उन्हें पूर्ण रूप से स्वीकार किया जाए, प्रथमदृष्ट्या कोई भी अपराध अभियुक्त के विरुद्ध न गठित होता हो और न ही बनता हो ।
>
> इस प्रयोजन के लिए, संपूर्ण शिकायत पर विचार किया जाना चाहिए किंतु अभिकथनों की गुणता पर विचार किए बिना अभिलेख पर पस्तुत सामग्री की विस्तृत जांच या सूक्ष्मता से किया गया विश्लेषण आवश्यक नहीं है और शिकायत अभिखंडित किए जाने के लिए प्रार्थना पर विचार करते समय न ही शिकायत में किए गए अभिकथनों की विश्वसनीयता या असलियत पर विचार करना आवश्यक है ।
>
> (ii) कोई शिकायत ऐसी स्थिति में भी अभिखंडित की जा

---

[1] (1988) 1 एस. सी. सी. 692 = ए. आई. आर. 1988 एस. सी. 709.
[2] (1992) (सप्ली.) 1 एस. सी. सी. 335 = ए. आई. आर. 1992 एस. सी. 604.
[3] (1995) 6 एस. सी. सी. 194 = ए. आई. आर. 1996 एस. सी. 309.
[4] (1996) 5 एस. सी. सी. 591 = ए. आई. आर. 1996 एस. सी. 2452.
[5] (1996) 8 एस. सी. सी. 164 = 1996 ए. आई. आर. एस. सी. डब्ल्यू. 591.
[6] (1999) 3 एस. सी. सी. 259 = ए. आई. आर. 1999 एस. सी. 1216.
[7] (2000) 3 एस. सी. सी. 269 = ए. आई. आर. 2000 एस. सी. 1869.
[8] (2000) 4 एस. सी. सी. 168 = ए. आई. आर. 2000 एस. सी. 2341.
[9] (2001) 8 एस. सी. सी. 645 = ए. आई. आर. 2001 एस. सी. 3014.
[10] (2005) 1 एस. सी. सी. 122 = ए. आई. आर. 2005 एस. सी. 9.

सकती है जब न्यायालय की प्रक्रिया का स्पष्ट दुरुपयोग किया गया हो और जब दांडिक कार्यवाही प्रतिशोध की भावना से या क्षति पहुंचाने के लिए दुर्भावनापूर्ण संस्थित की गई हो या शिकायत में किए गए अभिकथन अर्थहीन और अंतर्निहित रूप से असंभावी हों ।

(iii) तथापि, अभिखंडित करने की शक्ति का प्रयोग धर्मज अभियोजन के लिए किया जाता है । इस शक्ति का प्रयोग किफायत से और कड़ी सावधानी से किया जाना चाहिए ।

(iv) शिकायत में यह आवश्यक नहीं है कि अभिकथित अपराध के संघटकों का उल्लेख किया जाए । यदि शिकायत में आवश्यक तथ्यात्मक आरोपों को अधिकथित किया गया है तब मात्र इस आधार पर कार्यवाही अभिखंडित नहीं की जा सकती है कि अपराध के संघटकों का उल्लेख विस्तार से नहीं किया गया है । शिकायत को अभिखंडित केवल इस आधार पर किया जा सकता है जब शिकायत इतनी संक्षिप्त हो कि उसमें मूल तथ्यों का भी उल्लेख न किया गया हो जो अपराध गठित करने के लिए अत्यंत आवश्यक हों ।

(v) तथ्यों से यह गठित हो सकता है – (क) मामला पूर्णतया सिविल अपराध हो ; या (ख) पूर्णतया दांडिक मामला हो या (ग) सिविल अपराध तथा दांडिक मामला हो । कोई व्यवसायिक संव्यवहार या सांविदिक विवाद सिविल अपराध के अतिरिक्त एक दांडिक मामला भी हो सकता है । चूंकि सिविल कार्यवाही की प्रकृति और व्यापकता दांडिक कार्यवाही से भिन्न होती है । इसलिए मात्र यह तथ्य कि की गई शिकायत का संबंध व्यवसायिक संव्यवहार से या संविदा भंग से है जिसके लिए सिविल उपचार उपलब्ध है या उसका उपभोग किया गया है, दांडिक कार्यवाही अभिखंडित करने का आधार नहीं बन सकता । यह परखना चाहिए कि शिकायत में किए गए अभिकथनों से दांडिक मामला बनता है या नहीं ।"

11. हाल ही में माननीय उच्चतम न्यायालय ने **ऋषिपाल सिंह** बनाम **उत्तर प्रदेश राज्य और एक अन्य**[1] वाले मामले में निम्न अभिनिर्धारित किया है :–

"12. इस न्यायालय ने अनेक निर्णयों में दंड प्रक्रिया संहिता

[1] ए. आई. आर. 2014 एस. सी. 2567.

की धारा 482 के अधीन न्यायालयों की अधिकारिता का प्रयोग करने के संबंध में मार्गदर्शक सिद्धांत अधिकथित किए हैं । हरियाणा राज्य **बनाम** भजन लाल [(1992) (सप्ली.) 1 एस. सी. सी. 335 = ए. आई. आर. 1992 एस. सी. 604] वाले मामले में इस न्यायालय ने ऐसे मामलों को सूचीबद्ध किया है जिनमें धारा 482 के अधीन न्यायालय द्वारा शक्ति का प्रयोग किया जा सकता है । ये सिद्धांत या मार्गदर्शक नियम केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो **बनाम** डंकन्स एग्रो इंडस्ट्रीज लिमिटेड [(1996) 5 एस. सी. सी. 591 = ए. आई. आर. 1996 एस. सी. 2452] ; राजेश बजाज **बनाम** राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र, दिल्ली [(1999) 3 एस. सी. सी. 259 = ए. आई. आर. 1999 एस. सी. 1216] और झंडू फार्मास्युटिकल्स वर्क्स लिमिटेड **बनाम** मोहम्मद शर्फुल हक और एक अन्य [(2005) 1 एस. सी. सी. 122 = ए. आई. आर. 2005 एस. सी. 9] वाले मामलों में इस न्यायालय द्वारा दोहराए गए हैं । इस न्यायालय ने **झंडू फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड** (उपरोक्त) वाले मामले में निम्न अभिनिर्धारित किया है :–

> 'दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 482 के अधीन शक्ति का प्रयोग किफायत से किया जाना चाहिए और न्यायालय की प्रक्रिया का दुरुपयोग नहीं किया जाना चाहिए किंतु विधिसम्मत अभियोजन किया जाना चाहिए । इस पहलू पर दो राय नहीं हो सकती किंतु यदि न्यायालय को ऐसा प्रतीत होता है कि अभियोजन के जारी रखे जाने से न्यायालय की प्रक्रिया का दुरुपयोग होगा, तब ऐसी स्थिति में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के अधीन शक्ति का प्रयोग करते हुए उन कार्यवाहियों को अभिखंडित किया जाना चाहिए ।'
>
> ओम प्रकाश और अन्य **बनाम** झारखंड राज्य [(2012) 12 एस. सी. सी. 72] वाला मामला भी देखिए ।

उपरोक्त निर्णयों से यह उद्भूत होता है कि जब आरंभ में ही अभियोजन अभिखंडित किए जाने की अपेक्षा की जाती है तब न्यायालय को यह कसौटी अपनानी चाहिए कि क्या शिकायत में किए गए असंविवादित अभिकथनों से प्रथमदृष्ट्या मामला सिद्ध होता है या नहीं । न्यायालय को इस पर विचार करना चाहिए कि क्या शिकायत के आधार पर की गई कार्यवाही के जारी रखे जाने से विधि की प्रक्रिया का दुरुपयोग होता है या नहीं और इस प्रकार चलाई जा रही

दांडिक कार्यवाही से अन्याय हो रहा है या नहीं या जब न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि ऐसी कार्यवाहियों के अभिखंडित किए जाने से न्याय होगा, तब न्यायालय दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के अधीन शक्ति का प्रयोग कर सकता है । इस उपबंध के अधीन शक्ति का प्रयोग करते समय न्यायालयों को शिकायत में किए गए असंविवादित अभिकथनों पर विचार करना चाहिए कि इन अभिकथनों से प्रथमदृष्ट्या अपराध बनता है या नहीं किंतु न्यायालय को उस मामले को विचार किए बिना विवादित तथ्यों के आधार पर विचारण न्यायालय को नहीं भेजना चाहिए ।"

12. ऊपर निर्दिष्ट मामलों में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा अधिकथित विधि के अनुसार, उच्च न्यायालय को दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के अधीन शक्ति का प्रयोग करते समय अत्यंत सावधानी बरतनी चाहिए, तथापि, साथ ही न्यायालय को चाहिए कि वह मुकदमेबाज को दांडिक विधि का सहारा लेकर मिथ्या शिकायतें फाइल करने की अनुमति न दे क्योंकि दांडिक विधि का इस प्रकार सहारा लेना विधि की प्रक्रिया का स्पष्ट दुरुपयोग है और इसे गंभीरता से रोका जाना चाहिए ।

13. माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा सुस्थापित उपर्युक्त विधिक स्थिति को दृष्टिगत करते हुए, मैं वर्तमान मामले के तथ्यों पर विचार करूंगा जिनके आधार पर दंड संहिता की धारा 376 और 313 के अधीन दंडनीय अपराध के लिए याची के विरुद्ध आक्षेपित प्रथम इत्तला रिपोर्ट फाइल की गई है ।

14. आरंभ में, प्रत्यर्थी सं. 2 ने तारीख 29 सितंबर, 2014 को पुलिस थाना बजाज नगर जयपुर में थानाध्यक्ष के समक्ष लिखित शिकायत फाइल की जिसमें तारीख 29 सितंबर, 2014 को केरल में एक अन्य लड़की के साथ पुनर्विवाह करने से याची को रोके जाने की प्रार्थना की गई । उक्त शिकायत में, यह कथन किया गया है कि प्रत्यर्थी सं. 2 वर्ष 2011 में जोधपुर में काम करती थी जहां पर उसकी भेंट याची से हुई और धीरे-धीरे उन दोनों के बीच मित्रता हो गई, तत्पश्चात् विवाह करने का मिथ्या वचन देकर याची ने इस लड़की के साथ शारीरिक संबंध बना लिए और वह वर्ष 2012 में गर्भवती हो गई और याची ने गर्भरोधक गोलियां देकर उसका गर्भपात करवा दिया जिसके लिए याची ने यह कारण बताया कि अभी उसके पास विवाह करने के लिए धन का प्रबंध नहीं है किंतु तत्पश्चात् वे माता-पिता की सहमति से एक दूसरे के साथ विवाह कर लेंगे । यह भी

कथन किया गया है कि इसके पश्चात् उनके माता-पिता की सहमति से मई, 2013 में विवाह की तारीख नियत कर दी गई, तथापि, याची ने प्रत्यर्थी सं. 2 के गर्भवती होने के बारे में किसी को नहीं बताया । अप्रैल 2013 में याची के माता-पिता ने विवाह करने से इनकार कर दिया किंतु याची प्रत्यर्थी सं. 2 से बातचीत करता रहा और उसे आश्वासन देता रहा कि वह केवल उसी के साथ विवाह करेगा और उसके सिवाय किसी और से नहीं किंतु याची तारीख 29 सितंबर, 2014 को केरल में अन्य किसी लड़की के साथ विवाह करने जा रहा है । उक्त लिखित शिकायत के अंत में एक पंक्ति और लिखी हुई थी कि याची ने प्रत्यर्थी सं. 2 का लैंगिक रूप से शोषण किया है ।

15. इस प्रक्रम पर, दंड विधि (संशोधन) अधिनियम, 2013 के पूर्व और दंड संहिता की धारा 375 के अधीन बलात्संग की परिभाषा को निर्दिष्ट करना उचित होगा :–

"**375. बलात्संग** – जो पुरुष एतस्मिन्पश्चात् अपवादित दशा के सिवाय किसी स्त्री के साथ निम्नलिखित छह भांति की परिस्थितियों में से किसी परिस्थिति में मैथुन करता है वह पुरुष बलात्संग करता है, यह कहा जाता है –

पहला – उस स्त्री की इच्छा के विरुद्ध ।

दूसरा – उस स्त्री की सम्मति के बिना ।

तीसरा – उस स्त्री की सम्मति से जबकि उसकी सम्मति उसे या ऐसे किसी व्यक्ति को, जिससे वह हितबद्ध है, मृत्यु या उपहति के भय में डालकर अभिप्राप्त की गई है ।

चौथा – उस स्त्री की सम्मति से जबकि वह पुरुष यह जानता है कि वह उस स्त्री का पति नहीं है और उस स्त्री ने सम्मति इसलिए दी है कि वह विश्वास करती है कि वह ऐसा पुरुष है जिससे वह विधिपूर्वक विवाहित है या विवाहित होने का विश्वास करती है ।

पांचवां – उस स्त्री की सम्मति से जब ऐसी सम्मति देने के समय वह विकृतचित्त या मत्तता के कारण उस पुरुष द्वारा व्यक्तिगत रूप में या किसी अन्य व्यक्ति के माध्यम से कोई संज्ञा शून्यकारी या अस्वस्थकर पदार्थ दिए जाने के कारण उस

बात की, जिसके बारे में वह सम्मति देती है ; प्रकृति और परिणामों को समझने में असमर्थ है ।

छठा – उस स्त्री की सम्मति से या बिना सम्मति के जबकि वह 16 वर्ष से कम आयु की है ।

स्पष्टीकरण – बलात्संग के अपराध के लिए आवश्यक मैथुन गठित करने के लिए प्रवेशन पर्याप्त है ।

अपवाद – पुरुष का अपनी पत्नी के साथ मैथुन बलात्संग नहीं है जबकि पत्नी 15 वर्ष से कम आयु की नहीं है ।"

16. दंड विधि संशोधन अधिनियम, 2013 के प्रवृत्त होने के पश्चात् दंड संहिता की धारा 375 निम्न प्रकार है :–

"**375. बलात्संग** – वह पुरुष बलात्संग करता है, यह कहा जाता है – यदि कोई पुरुष,

(क) किसी स्त्री की योनि, उसके मुंह, मूत्रमार्ग या गुदा में अपना लिंग किसी भी सीमा तक प्रवेश करता है या उससे ऐसा अपने या अन्य किसी व्यक्ति के साथ करता है ; या

(ख) किसी स्त्री की योनि, मूत्रमार्ग या गुदा में ऐसी कोई वस्तु या शरीर का कोई भाग, जो लिंग न हो, किसी भी सीमा तक अनुप्रविष्ट करता है या उससे ऐसा अपने या अन्य किसी व्यक्ति के साथ करता है ; या

(ग) किसी स्त्री के शरीर के किसी भाग का इस प्रकार हस्तसाधन करता है जिससे कि उस स्त्री की योनि, मूत्रमार्ग, गुदा या शरीर के किसी भाग में प्रवेशन कारित किया जा सके या उससे ऐसा अपने या किसी अन्य व्यक्ति के साथ कराता है ; या

(घ) किसी स्त्री की योनि, गुदा, मूत्रमार्ग या गुदा पर अपना मुंह लगाता है या उससे ऐसा अपने या किसी अन्य व्यक्ति के साथ कराता है, तो उसके बारे में यह कहा जाएगा कि उसने बलात्संग किया है, जहां ऐसा निम्नलिखित सात भांति की परिस्थितियों में से किसी के अधीन किया जाता है –

पहला – उस स्त्री की इच्छा के विरुद्ध

दूसरा – उस स्त्री की सम्मति के बिना ।

तीसरा – उस स्त्री की सम्मति से जबकि उसकी सम्मति उसे या ऐसे किसी व्यक्ति को, जिससे वह हितबद्ध है, मृत्यु या उपहति के भय में डालकर अभिप्राप्त की गई है ।

चौथा – उस स्त्री की सम्मति से जबकि वह पुरुष यह जानता है कि वह उस स्त्री का पति नहीं है और उस स्त्री ने सम्मति इसलिए दी है कि वह विश्वास करती है कि वह ऐसा पुरुष है जिससे वह विधिपूर्वक विवाहित है या विवाहित होने का विश्वास करती है ।

पांचवां – उस स्त्री की सम्मति से जब ऐसी सम्मति देने के समय वह विकृतचित्त या मत्तता के कारण उस पुरुष द्वारा व्यक्तिगत रूप में या किसी अन्य व्यक्ति के माध्यम से कोई संज्ञा शून्यकारी या अस्वस्थकर पदार्थ दिए जाने के कारण उस बात की, जिसके बारे में वह सम्मति देती है ; प्रकृति और परिणामों को समझने में असमर्थ है ।

छठा – उस स्त्री की सम्मति से या बिना सम्मति के जबकि वह 18 वर्ष से कम आयु की है ।

सातवां – जब वह स्त्री, सम्मति संसूचित करने में असमर्थ है ।

स्पष्टीकरण – I इस धारा के प्रयोजनों के लिए, 'योनि' के अंतर्गत बृहत भगोष्ठ भी है ।

स्पष्टीकरण – II सम्मति से कोई स्पष्ट स्वैच्छिक सहमति अभिप्रेत है, जब स्त्री शब्दों, संकेतों या किसी प्रकार की मौखिक या अमौखिक संसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट लैंगिक कृत्य में भाग लेने की इच्छा व्यक्त करती है :

परंतु ऐसी स्त्री के बारे में, जो प्रवेशन के कृत्य का भौतिक रूप से विरोध नहीं करती है, मात्र इस तथ्य के कारण यह नहीं समझा जाएगा कि उसने लैंगिक क्रियाकलाप के प्रति सम्मति प्रदान की है ।

अपवाद – I किसी चिकित्सीय प्रक्रिया या अंतःप्रवेशन से बलात्संग गठित नहीं होगा ।

अपवाद – II किसी पुरुष की अपनी स्वयं पत्नी के साथ मैथुन या लैंगिक कृत्य यदि पत्नी 15 वर्ष से कम आयु की न हो, बलात्संग नहीं है ।"

17. दंड संहिता की धारा 375 के अनुसार जोकि दंड विधि संशोधन अधिनियम, 2013 के पूर्व की है और जो इस अधिनियम के पश्चात् विद्यमान हुई है, दोनों में महिला की सम्मति पर बलात्संग की अभिकथन को लेकर विशेष रूप से ध्यान दिया गया है ।

18. अब विचार के लिए यह प्रश्न सामने आता है कि क्या याची ने मात्र संभोग करने के आशय से प्रत्यर्थी सं. 2 को विलुब्ध करके उसकी सम्मति प्राप्त की है या नहीं या उसने प्रत्यर्थी सं. 2 की सम्मति कपटपूर्वक प्राप्त की है । माननीय उच्चतम न्यायालय ने कई निर्णयों में गहराई से इस पहलू पर विचार किया है । **उदय** बनाम **कर्नाटक राज्य**[1] वाले मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय ने वर्तमान मामले जैसे तथ्यों वाले मामले पर निम्न विचार व्यक्त किया है :–

"अतः, यह प्रतीत होता है कि न्यायालय का मत इस संबंध में है कि अभियोक्त्री द्वारा उस व्यक्ति को संभोग के लिए दी गई सम्मति जिसके साथ वह इस वचन के आधार पर अत्यधिक प्यार करती है कि वह व्यक्ति बाद में उसके साथ विवाह करेगा, यह नहीं कहा जा सकता है कि सम्मति तथ्य को गलत समझकर दी गई है । मिथ्या वचन संहिता के अर्थान्तर्गत तथ्य नहीं है । हम इस मत से सहमत हैं किंतु हम यह और कहना चाहेंगे कि यह सुनिश्चित करने के लिए कोई भी सटीक सूत्र नहीं है कि संभोग के लिए अभियोक्त्री द्वारा दी गई सम्मति स्वेच्छया है या नहीं या यह सम्मति भ्रमित तथ्यों के अधीन दी गई है । परिणाम यह निकलता है कि न्यायालयों द्वारा अधिकथित कसौटी का प्रयोग न्यायिक विवेक के लिए सम्मति के प्रश्न पर विचार करते समय किया जाना चाहिए किंतु प्रत्येक मामले में न्यायालय को उसके समक्ष प्रस्तुत किए गए साक्ष्य और उससे संबंधित परिस्थिति पर विचार करना चाहिए और उसके पश्चात् ही किसी निष्कर्ष पर पहुंचना चाहिए क्योंकि प्रत्येक मामले के अपने अलग तथ्य होते हैं जिनमें यह प्रश्न तय किया जा सके कि सम्मति

---

[1] ए. आई. आर. 2003 एस. सी. 1639.

स्वेच्छया दी गई थी या नहीं या तथ्यों को गलत प्रस्तुत करके दी गई थी । न्यायालय को इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए साक्ष्य का मूल्यांकन करना चाहिए कि अपराध के प्रत्येक संघटक, जिनमें से एक अभियोक्त्री की सम्मति का अभाव है, को साबित करने का भार अभियोजन पक्ष पर होता है ।"

(बल देने के लिए रेखांकन किया गया है)

19. इसके पश्चात्, माननीय उच्चतम न्यायालय ने **प्रदीप कुमार वर्मा** बनाम **बिहार राज्य और एक अन्य**[1] वाले मामले में **उदय** बनाम **कर्नाटक राज्य**[2] वाले मामले का अवलंब लेते हुए निम्न अभिनिर्धारित किया :–

"9. दंड संहिता की धारा 375 में परिभाषित बलात्संग के अंतर्गत महत्वपूर्ण अभिव्यक्ति महिला की सम्मति के विरुद्ध कृत्य है । इससे यह प्रतीत होता है कि आपराधिक कृत्य महिला के प्रतिरोध और विरोध के बावजूद किया गया । दंड संहिता के अधीन सम्मति को सकारात्मक निबंधनों में परिभाषित नहीं किया गया है । किंतु किस कार्य को सम्मति नहीं कहा जा सकता, उसे धारा 90 में स्पष्ट किया गया है जो निम्न प्रकार है –

'कोई सम्मति ऐसी सम्मति नहीं है यदि वह सम्मति किसी व्यक्ति ने क्षति, भय के अधीन या तथ्य के भ्रम के अधीन दी हो ।'

दंड संहिता की धारा 90 के प्रथम भाग में उपरोक्त को स्पष्ट किया गया है । धारा 90 में दो आधार विनिर्दिष्ट किए गए हैं जो तथ्य के प्रपीड़न और तथ्य की भूल के समरूप हैं और ये ऐसे आधार हैं जिनसे हमारे देश तथा अन्य देशों के न्यायशास्त्र के अंतर्गत सम्मति देने का कार्य दूषित हो जाता है । इस धारा के प्रथम भाग में जो कारक दिए गए हैं वे आहत को ध्यान में रखकर दिए गए हैं और धारा के द्वितीय भाग अभियुक्त को ध्यान में रखकर बनाया गया है । इससे यह परिकल्पित होता है कि अभियुक्त को यह मालूम था और उसका यह विश्वास था कि अभियोक्त्री ने जो उसे सम्मति दी है वह सम्मति क्षति के भय या तथ्य के भ्रम के अधीन दी गई है । इस प्रकार, धारा

---

[1] ए. आई. आर. 2007 एस. सी. 3059.

[2] ए. आई. आर. 2003 एस. सी. 1639.

के द्वितीय भाग में उस व्यक्ति के ज्ञान या युक्तियुक्त विश्वास पर बल दिया गया है जिसने कपटपूर्वक सम्मति प्राप्त की है । दोनों भागों का संचयी रूप से समाधान किया जाना चाहिए । दूसरे शब्दों में यह कहा जाता है कि न्यायालय को इस बात पर विचार करना चाहिए कि क्या सम्मति देने वाले व्यक्ति ने यह सम्मति, भय या तथ्य के भ्रम के अधीन दी है या नहीं और न्यायालय का यह भी समाधान होना चाहिए कि अभिकथित अपराध करने वाला व्यक्ति इस तथ्य से सचेत है या नहीं या उस व्यक्ति के पास यह सोचने का कारण है या नहीं कि यह सम्मति, भय या भ्रम के अतिरिक्त दी ही नहीं जा सकती थी । दंड संहिता की धारा 90 का निर्वचन नकारात्मक शब्दावली में किया गया है । जैसाकि **दिलीप सिंह** उर्फ **दिलीप कुमार** बनाम **बिहार राज्य** [(2005) 1 एस. सी. सी. 88 = ए. आई. आर. 2005 एस. सी. 203] वाले मामले में इस न्यायालय द्वारा व्यक्त किया गया है कि दंड संहिता की धारा 90 पर दंड संहिता के प्रयोजन के लिए सम्मति की एक मात्र परिभाषा के रूप में विचार नहीं किया जा सकता । सम्मति का सामान्य अर्थ अपवर्जित नहीं किया जाना चाहिए ।

10. बहुत से ऐसे निर्णयों को, जिनमें सम्मति अभिव्यक्ति के अर्थ पर दंड संहिता के अधीन चर्चा की गई है, इंग्लिश विधि से संबंधित स्ट्राउड्स ज्यूडिशियल डिक्शनरी, जोविट्स डिक्शनरी, शब्द और वाक्यांश और अन्य विधिक शब्दकोशों में निर्दिष्ट किया गया है । स्ट्राउड्स ने सम्मति को सकारण किया गया कार्य, जानबूझकर किया गया कार्य, विवेक के आधार पर किया गया कार्य अच्छाई और बुराई का संतुलन बनाते हुए किए गए कार्य के रूप में परिभाषित किया गया है, जबकि जोविट ने निम्न प्रकार परिभाषित किया है –

> सम्मति के अंतर्गत तीन बातें अर्थात् शारीरिक शक्ति, मानसिक शक्ति और उनका स्वतंत्र रूप से गंभीरतापूर्वक प्रयोग किया जाना, आती हैं । इस प्रकार यदि सम्मति अभित्रास, बल, चिन्तन, सम्मोहन, आश्चर्य या असम्यक् प्रभाव द्वारा प्राप्त की गई है तब इस कार्य को धोखा-धड़ी के रूप में लिया जाना चाहिए न कि स्वतंत्रतापूर्वक विवेक के आधार पर दी गई सम्मति ।

11. शब्दों और वाक्यांशों के परमानेंट एडीशन जिल्द 8ए, निम्न पैराओं को अमरीकी न्यायालय द्वारा दिए गए विनिश्चयों से निम्न

प्रकार लिया गया है –

‘ ..... किसी लैंगिक कार्य से संबंधित वयस्क महिलाओं की समझ-बूझ ऐसी होनी चाहिए जिससे यह कहा जा सके कि सम्मति बुद्धिमत्ता के आधार पर दी गई है ।’

दांडिक विधि के अधीन बलात्संग परिभाषित करने वाले उपबंधों के अधीन ज्ञान और नैतिकता के आधार पर बुद्धिमत्ता का प्रयोग किए जाने की अपेक्षा की गई है और प्रतिरोध तथा सहमति के विकल्प का प्रयोग किया जाना चाहिए .....।

12. उदय **बनाम** कर्नाटक राज्य [(2003) 4 एस. सी. सी. 46 = ए. आई. आर. 2003 एस. सी. 1639] वाले मामले में निम्न प्रकार मत व्यक्त किया गया है –

> ‘12. भारत में न्यायालयों द्वारा कुल मिलाकर यह कसौटी अपनाई जाती है ताकि यह पता लगाया जा सके कि सम्मति स्वेच्छया दी गई है या दूषित रूप से प्राप्त की गई है जो कि एक विधिक सम्मति नहीं हो सकती ।’

13. राव हरनारायन सिंह शिवजी सिंह **बनाम** राज्य [ए. आई. आर. 1958 पंजाब 123] वाले मामले में दंड संहिता की धारा 375 के संदर्भ में सम्मति अभिव्यक्ति का भली प्रकार विश्लेषण किया गया है । विद्वान् न्यायाधीश ने विधि शब्दकोशों में उपरोक्त पैराओं से स्पष्ट रूप से अपने विचार प्रबलित किए हैं । विद्वान् न्यायाधीश द्वारा व्यक्त किया गया मत निम्न प्रकार है –

> ‘सम्मति और निवेदन में अंतर होता है और प्रत्येक सम्मति के अंतर्गत निवेदन किया जाता है किंतु इसके विलोम का अनुसरण नहीं किया जाता अर्थात् मात्र निवेदन के अंतर्गत सम्मति नहीं आती ।’

14. उक्त प्रतिपादना को वास्तव में आर. **बनाम** डे [173 ई. आर. 1026, 1841] वाले मामले में न्यायमूर्ति कॉलरिज ने दोहराया है जैसाकि वर्ड्स एंड फ्रेजिज (परमानेंट एडीशन) नामक पुस्तक के पृष्ठ 205 पर उल्लेख किया है । **हरनारायन** (उपरोक्त) वाले मामले में किया गया विनिश्चय भी महत्वपूर्ण है –

> ‘सम्मति जानबूझकर सकारण किया गया कार्य है, मात्र

असहाय होकर विवशपूर्ण किया गया अपरिहार्य कार्य जिसका प्रतिरोध न किया जा सके और निष्क्रिय होकर उसे किया जाए, ऐसे कार्य को सम्मति नहीं समझा जा सकता ।'

15. उपरोक्त विनिश्चयों में उल्लिखित पैराओं को संक्षिप्त रूप में इन विनिश्चयों में उद्धृत किया है : एंथनी [ए. आई. आर. 1960 मद्रास 308] , गोपी शंकर **बनाम** राजस्थान राज्य [ए. आई., आर. 1967 राजस्थान 159], भीमराव **बनाम** महाराष्ट्र राज्य [1975 महाराष्ट्र ला जर्नल 660] और विजयन पिल्लई **बनाम** केरल राज्य [(1989) 2 क्रिमिनल ला जर्नल 234] । इन सभी विनिश्चयों पर उदय (उपरोक्त) वाले मामले में विचार किया गया है । जैसाकि हरनारायन (उपरोक्त) वाले मामले में न्यायमूर्ति टेक चंद द्वारा दांडिक विधि के संदर्भ में सम्मति अभिव्यक्ति के अर्थ और अंतर्वस्तु पर विचार किया गया है, जो कि विधि शब्दकोशों के आधार पर समझा गया है, हिमाचल प्रदेश राज्य **बनाम** मांगो राम [(2000) 7 एस. सी. सी. 224 = ए. आई. आर. 2000 एस. सी. 2798] वाले मामले में किए गए तीन न्यायाधीशों की न्यायपीठ के विनिश्चय से मेल खाता है । इस मामले में यह मत व्यक्त किया गया –

'शरीर का समर्पण भय और आतंक के डर से किए जाने को लैंगिक कार्य के लिए सम्मति नहीं कहा जा सकता । दंड संहिता की धारा 375 के प्रयोजन के लिए दी जाने वाली सम्मति से स्वेच्छया कार्य में भाग लेना अपेक्षित है जो मात्र बुद्धिमत्ता, नैतिकता और ज्ञान के आधार पर ही नहीं अपितु प्रतिरोध तथा सहमति के बीच विकल्प का प्रयोग किए जाने के आधार पर दी जानी चाहिए । सम्मति दी गई थी या नहीं, यह सुसंगत परिस्थितियों का सावधानीपूर्वक परिशीलन करने के पश्चात् ही सुनिश्चित किया जाना चाहिए ।'

16. तथ्यों के आधार पर यह अभिनिर्धारित किया गया कि अभियुक्त द्वारा प्रतिरोध किया गया था और उसने लैंगिक कार्य में स्वेच्छया भाग नहीं लिया । अतः यह मामला दंड संहिता की धारा 375 के प्रथम भाग के अधीन समुचित रूप से आता है ।

17. दंड संहिता की धारा 90 की विशेष शब्द रचना पर विचार करना उचित होगा । हमने वर्ष 1913 में मद्रास उच्च न्यायालय द्वारा एन. जलाडू [आई. एल. आर. (1913) 36 मद्रास 453] वाले मामले

में किए गए विनिश्चय पर विचार किया है जिसमें उस न्यायालय की खंड न्यायपीठ ने दंड संहिता की धारा 361 के अधीन अपहरण को अपराध के संदर्भ में धारा 90 में उल्लिखित 'तथ्य के भ्रम' अभिव्यक्ति की परिधि या व्यापकता पर विचार किया है । उस मामले में द्वितीय अभियुक्त ने लड़की के अभिभावक से इस आधार पर सम्मति प्राप्त की थी कि वह उसे किसी त्यौहार के आयोजन में भाग लेने के लिए अपने साथ ले जा रहा है । तथापि, आयोजन समाप्त होने के पश्चात् द्वितीय अभियुक्त लड़की को अन्य किसी ग्राम में स्थित मंदिर में ले गया और उसने उसका विवाह लड़की की इच्छा के विरुद्ध प्रथम अभियुक्त से करा दिया । अब यह प्रश्न उठता है कि क्या लड़की के अभिभावक द्वारा दी गई सम्मति, तथ्य के भ्रम के आधार पर दी गई सम्मति समझी जाएगी या नहीं । न्यायमूर्ति सुंदरा अय्यर ने सम्मति को नकारते हुए, न्यायपीठ की ओर से निम्न मत व्यक्त किया –

> 'हमारा यह मत है कि तथ्य के भ्रम के अधीन' अभिव्यक्ति इतनी व्यापक है कि उसके अंतर्गत ये सभी मामले आ जाते हैं जिनमें सम्मति दुर्व्यपदेशन द्वारा प्राप्त की जाती है; सम्मति दिए जाने के संबंध में, दुर्व्यपदेशन का अर्थ तथ्य के भ्रम के रूप में लगाया जाना चाहिए । साक्ष्य अधिनियम की धारा 3 के दृष्टांत-घ के अधीन यह उपबंध किया गया है कि कोई आशय रखना भी एक तथ्य है । इसलिए, वह तथ्य जिसके बारे में द्वितीय और तृतीय अभियोजन साक्षियों ने भ्रमित होकर साक्ष्य दिया है, ऐसा तथ्य है कि द्वितीय अभियुक्त लड़की से विवाह करना चाहता था । ऐसे ही कानून पर विचार करते समय, इंग्लैंड में आर. **बनाम** होकिन्स [(1842) कार. एंड एम. 254] वाले मामले में यह अभिनिर्धारित किया गया था कि कपट द्वारा प्राप्त की गई सम्मति के आधार पर अप्राप्तवय को अभिरक्षा से बाहर ले जाने के लिए न्यायोचित नहीं कहा जा सकता । हॉल्सबरीज़ लॉज्स आफ इंग्लैंड, जिल्द-9, पृष्ठ 623 भी देखें । स्टीफन्स डाईजेस्ट आफ दि क्रिमिनल ला आफ इंग्लैंड (छठा संस्करण, पृष्ठ 217) नामक पुस्तक में विद्वान् लेखक 16 वर्ष से कम आयु की लड़की का अपहरण किए जाने से संबंधित विधि निर्दिष्ट करते हुए यह उल्लेख किया है कि ..... यदि किसी व्यक्ति की अभिरक्षा से किसी लड़की को कपटपूर्वक सम्मति प्राप्त करके बाहर किया

गया है तब ऐसी स्थिति में ली गई सम्मति कपट द्वारा प्राप्त की गई सम्मति समझा जाएगा जो कि उस व्यक्ति की इच्छा के विरुद्ध मानी जाएगी । यद्यपि संविदा के मामलों में दबाव या कपट द्वारा प्राप्त की गई सम्मति आहत पक्षकार द्वारा शून्यकरणीय मानी जाएगी, इस संबंध में दंड संहिता की धारा 90 इस प्रकार है कि दांडिक विधि के अधीन ऐसी सम्मति का प्रयोग करना एक अपराध है ।'

18. यह विनिश्चय एक निर्णयज विधि है जिसके अंतर्गत यह प्रतिपादना की गई है कि सम्मति लेने वाले व्यक्ति अर्थात् अभियुक्त का आशय भ्रम का प्रयोग करना है तब इसे तथ्य का भ्रम कहा जा सकता है । मद्रास उच्च न्यायालय द्वारा व्यक्त किए गए इस मत का अवलंब बम्बई उच्च न्यायालय द्वारा पुरुषोत्तम महादेव **बनाम** राज्य [ए. आई. आर. 1963 बम्बई 74] वाले मामले में लिया गया है । दंड संहिता की धारा 375 के अधीन उद्भूत मामले में उस सिद्धांत को लागू करते हुए, मिथ्या तथ्य के आधार पर प्राप्त की गई सम्मति कि अभियुक्त विवाह करना चाहता है, ऐसी सम्मति कहा जा सकता है जो तथ्य के भ्रम के आधार पर प्राप्त की जाती है ।

19. इस प्रश्न पर विचार करते समय कि क्या वह सम्मति जो विवाह का वचन देकर प्राप्त की गई थी, जो कि पूरा नहीं किया गया था, को दंड संहिता की धारा 375 के प्रयोजन के लिए सम्मति माना जा सकता है या नहीं, इस पर कलकत्ता उच्च न्यायालय की खंड न्यायपीठ द्वारा जयन्ती रानी पांडा **बनाम** पश्चिमी बंगाल राज्य [(1984) क्रिमिनल ला जर्नल 1535] वाले मामले में विचार किया गया था । इस मामले का सुसंगत पैरा कई विनिश्चयों में उद्धृत किया गया है । इस न्यायालय द्वारा इसका अवलंब उदय (उपरोक्त) वाले मामले में भी अनुमोदित रूप से लिया गया है । उस मामले के ब्यौरों पर विस्तृत रूप से विचार किए बिना पैरा 7 में उल्लिखित महत्वपूर्ण सार इस प्रकार है –

'शिकायतकर्ता ने यह अभिकथन किया है कि अभियुक्त उसके घर पर आया करता था और उसने उससे विवाह करने को कहा । अभियोक्त्री ने इस विश्वास के साथ अभियुक्त के साथ संभोग किया कि अभियुक्त वास्तव में उससे विवाह कर

लेगा, किंतु एक बात जिसकी ओर हमारा ध्यान आकर्षित होता है, यह है कि अभियोक्त्री ने विवाह की बात अपने माता-पिता से गुप्त क्यों रखी यदि वास्तव में अभियोक्त्री को अभियुक्त के वचन पर विश्वास था । यह उपधारित करते हुए कि अभियोक्त्री ने उस समय पर अभियुक्त पर विश्वास कर लिया था जब उसने वचन दिया था, यदि अभियुक्त ने कोई वचन दिया था, तब भी ऐसा कोई साक्ष्य नहीं है कि यह साबित किया जा सके कि उस समय अभियुक्त का आशय वचन पूरा करने का था । यह भी हो सकता है कि तत्पश्चात् जब अभियोक्त्री गर्भवती हो गई थी तब अभियुक्त ने अन्यथा महसूस किया हो । किंतु इसके बावजूद शिकायतकर्ता का पक्षकथन यह है कि अभियुक्त ने अपना वचन पूरा नहीं किया । अतः, यह नहीं कहा जा सकता है कि अभियुक्त का शिकायतकर्ता के साथ विवाह करने का कोई आशय नहीं था भले ही वह अपने अभिकथित वचन को पूरा नहीं कर सका ।'

उपर्युक्त पैरा में जो चर्चा की गई है वह महत्वपूर्ण है जिसे निम्न प्रकार उद्धृत किया जा रहा है :

'भविष्य में किसी अनिश्चित समय तक वचन पूरा न करने का कारण साक्ष्य के आधार पर स्पष्ट नहीं है और यह सदैव तथ्य के विलंब की कोटि में नहीं आ सकता । तथ्य के भ्रम के अर्थान्तर्गत रखने के लिए तथ्य की सुसंगतता तत्काल होनी चाहिए । यह स्थिति भिन्न होती यदि सम्मति इस विश्वास के साथ प्राप्त की गई होती कि वे पहले से विवाहित हैं । ऐसे मामले में सम्मति तथ्य के भ्रम के परिणामस्वरूप प्राप्त की गई मानी जा सकती है । किंतु यहां अभिकथित तथ्य विवाह करने का वचन है लेकिन यह कब पूरा किया जाएगा, हमारे समक्ष स्पष्ट नहीं है यदि एक पूर्ण रूप से वयस्क लड़की विवाह के वचन के आधार पर संभोग करने की सम्मति देती है और ऐसे क्रियाकलाप में गर्भवती होने तक अंतर्वलित रहती है तब यह कहा जाएगा कि अभियोक्त्री ने असंयतता से काम लिया है और यह नहीं कहा जा सकता कि तथ्य के भ्रम द्वारा उसे बहकाया गया है । दंड संहिता की धारा 90 का अवलंब लड़की के कृत्य को क्षम्य बनाने और अभियुक्त पर आपराधिक दायित्व अधिरोपित

करने के लिए नहीं किया जा सकता जब तक कि न्यायालय का यह समाधान न हो जाए कि आरंभ से ही अभियुक्त ने वास्तव में विवाह करने का कोई इरादा नहीं किया था ।'

विद्वान् न्यायाधीशों ने एजिंगटोन **बनाम** फिट्ज़ मोरिस [(1885) 29 सीएच. डी. 459] वाले मामले में चांसरी न्यायालय के विनिश्चय को निम्न प्रकार निर्दिष्ट किया है –

'इस विनिश्चय के अधीन यह अधिकथित किया गया है कि किसी कार्य को करने के लिए प्रतिवादी के आशय का कुकथन, तथ्य का कुकथन हो सकता है और यदि वादी इससे भ्रमित हो जाता है, तब इसके आधार पर धोखा-धड़ी के लिए कार्यवाही की जा सकती है । पृष्ठ 483 पर विशेष रूप से यह व्यक्त किया गया है : किसी विद्यमान तथ्य का कुकथन किया जाना आवश्यक है । अतः तथ्य का कुकथन किए जाने की कोटि में ऐसी बातें और कुकथन आते हैं जो सुसंगत होते हैं । ऐसे साक्ष्य के अभाव में दंड संहिता की धारा 90 का अवलंब यह दलील देने के लिए नहीं लिया जा सकता कि शिकायतकर्ता की सम्मति तथ्य के भ्रम के अधीन प्राप्त की गई थी ।'

इस विषय पर निर्णय विधि निर्दिष्ट करने के पश्चात् उदय (उपरोक्त) वाले मामले में यह मत व्यक्त किया गया –

'यह प्रतीत होता है कि न्यायिक राय इस पक्ष में है कि ऐसे व्यक्ति के साथ संभोग करने के लिए अभियोक्त्री द्वारा दी गई सम्मति तथ्य के भ्रम के अधीन दी गई सम्मति नहीं कहा जा सकता जिससे वह (अभियोक्त्री) अत्यंत प्रेम करती है और जिसने अभियोक्त्री को विवाह करने का वचन दिया है । मिथ्या वचन संहिता के अर्थान्तर्गत तथ्य नहीं है । हम इस मत से सहमत होने के लिए आनत हैं किंतु हम यह भी कहना चाहेंगे कि यह सुनिश्चित करने के लिए कोई निश्चित सूत्र नहीं है कि संभोग करने के लिए अभियोक्त्री द्वारा सम्मति दी गई है वह स्वेच्छा से दी गई है या तथ्य के भ्रम के अधीन दी गई है । अंतिम परिमाण यह निकलता है कि न्यायालयों द्वारा अधिकथित निष्कर्षों के अंतर्गत न्यायिक विवेक का प्रयोग किए जाने के लिए सम्मति के प्रश्न पर विचार करने के लिए उत्तम मार्गदर्शक

सिद्धांत दिए गए हैं किंतु न्यायालय को किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले, प्रत्येक मामले में उसके समक्ष प्रस्तुत किए गए साक्ष्य और सुसंगत परिस्थितियों पर विचार करना चाहिए क्योंकि प्रत्येक मामले के तथ्य अन्य किसी भी मामले के तथ्यों से भिन्न होते हैं जो प्रत्येक मामले में सम्मति के प्रश्न को तय करने के लिए आवश्यक होते हैं कि सम्मति स्वेच्छा से ली गई थी या तथ्य के भ्रम के अधीन । न्यायालय को इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए साक्ष्य का मूल्यांकन करना चाहिए कि अपराध के प्रत्येक संघटक को साबित करने का भार अभियोजन पक्ष पर होता है और, सम्मति भी एक संघटक है ।'

20. उपरोक्त पैरे में उल्लिखित पहले दो वाक्यों को स्पष्ट करना आवश्यक है । हम यह दोहराते हैं कि विवाह करने का वचन देना दंड संहिता की धारा 90 के अर्थांतर्गत तथ्य का भ्रम नहीं है, इसे स्पष्ट किया जाना चाहिए कि विवाह करने का आशय किए बिना आहत से सम्मति प्राप्त करने के लिए अभियुक्त द्वारा रखा गया प्रस्ताव सम्मति को दूषित करता है या नहीं । यदि तथ्यों के आधार पर यह सिद्ध हो जाता है कि वचन करने के आरंभ में ही अभियुक्त का अभियोक्त्री के साथ विवाह करने का वास्तव में कोई आशय नहीं था और विवाह करने का वचन मात्र एक अफवाह थी, ऐसी स्थिति में आहत द्वारा दी गई सम्मति से अभियुक्त को दंड संहिता की धारा 375 की परिधि से बचने के लिए कोई लाभ नहीं मिल सकता । इसी बात को कलकत्ता उच्च न्यायालय की खंड न्यायपीठ ने जयंती रानी पांडा (उपरोक्त) वाले मामले में दोहराया है और इस मामले को उदय (उपरोक्त) वाले मामले में अनुमोदित रूप से निर्दिष्ट किया गया है । कलकत्ता उच्च न्यायालय ने इस प्रतिपादना का ठीक ही अनुमोदन किया है जिसे उच्च न्यायालय ने इसके पूर्व भी व्यक्त किया है जिसमें अंत में यह भी उल्लेख किया है कि जब तक कि न्यायालय यह सुनिश्चित न कर ले कि अभियुक्त ने आरंभ से ही अभियोक्त्री के साथ विवाह करने का इरादा नहीं किया था । अगले पैरा में उच्च न्यायालय ने चांसरी न्यायालय के ऐतिहासिक निर्णय को निर्दिष्ट किया है जिसके अंतर्गत यह अधिकथित किया गया है कि किसी कार्य को करने के लिए प्रतिवादी के आशय का कुकथन, तथ्य का कुकथन किए जाने की कोटि में आएगा और इसके आधार पर धोखा

देने का कार्य किया गया, कहा जा सकता है । जलादू (जिसका पैरा ऊपर कोट किया गया है) वाले मामले में मद्रास उच्च न्यायालय की खंड न्यायपीठ द्वारा यह मत व्यक्त किया गया है कि मिथ्या वचन, संहिता का अर्थांतर्गत तथ्य नहीं है, यह नहीं कहा जा सकता है कि इस न्यायालय ने भिन्न विधि अधिकथित की है । उपर्युक्त कथन के अनुसरण में की गई मताभिव्यक्तियां उतनी ही महत्वपूर्ण हैं । न्यायालय ने यह मत व्यक्त करने में पूरी सावधानी बरती है कि ऐसा कोई भी निश्चित सूत्र नहीं है जिसके आधार पर यह तय किया जा सके कि अभियोक्त्री द्वारा तथ्य के भ्रम के अधीन सम्मति दी गई थी । उदय (उपरोक्त) वाले मामले में दिए गए निर्णय का परिशीलन करने पर न्यायालय द्वारा अधिकथित प्रतिपादनाएं हमारी समझ से बाहर हैं कि विवाह करने का वचन कभी भी तथ्य के भ्रम की कोटि में नहीं आ सकता । हमारे विवेकानुसार इसे विनिश्चयाधार नहीं कहा जा सकता । वास्तव में उस मामले में एक विशिष्ट निष्कर्ष निकाला गया था कि आरंभ से ही अभियुक्त का आशय विवाह करने का नहीं था और इस निष्कर्ष को खारिज नहीं किया जा सकता ।"

(बल दिया गया)

20. हाल ही में, **दीपक गुलाटी** बनाम **हरियाणा राज्य**[1] वाले मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय ने इस प्रश्न पर विचार करते समय कि विवाह करने के वचन को लेकर शारीरिक संबंध बनाना और उसके पश्चात् वचन पूरा न करना, बलात्संग की कोटि में आएगा या नहीं, निम्न प्रकार अभिनिर्धारित किया है :–

"13. स्वीकृततः अभियोक्त्री ने किसी भी प्रक्रम पर किसी भी व्यक्ति से कभी भी कोई शिकायत नहीं की । वास्तव में, ऐसा प्रतीत होता है कि उसने अपीलार्थी की इच्छा अनुसार कार्य किया, संभवतः विवाह के वचन के आधार पर । इस प्रकार, यह प्रश्न उद्भूत होता है कि वर्तमान मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर अपीलार्थी का आशय आरंभ से ही अभियोक्त्री को धोखा देना था या नहीं जब अपीलार्थी ने अभियोक्त्री से करनाल से उसके साथ कुरु क्षेत्र जाने को कहा था ।

---

[1] 2013 क्रिमिनल ला जर्नल 2990 = ए. आई. आर. 2013 एस. सी. 2071.

14. इस मामले के निर्विवादित तथ्य इस प्रकार है :

(i) अभियोक्त्री की आयु उक्त घटना के समय 19 वर्ष थी ।

(ii) अभियोक्त्री का झुकाव अपीलार्थी की ओर था और वह उसके साथ कुरुक्षेत्र से अपनी इच्छानुसार विवाह करने गई थी ।

(iii) अपीलार्थी अभियोक्त्री को यह आश्वासन दे रहा था कि वह उसके साथ विवाह करेगा ।

(iv) इन दोनों पक्षकारों के बीच अभियोक्त्री की सम्मति से शारीरिक संबंध स्थापित हुए थे क्योंकि अभियोक्त्री ने कोई प्रतिरोध नहीं किया था और न ही उसने कहीं भी किसी भी समय कोई शिकायत की थी जबकि वह कई दिनों से अपीलार्थी के साथ रह रही थी और एक स्थान से दूसरे स्थान के लिए यात्रा कर रही थी ।

(v) कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के छात्रावास को छोड़ने के पश्चात् भी वह अपीलार्थी के साथ विवाह करने के लिए अंबाला जाने हेतु रवाना हुई थी ।

15. भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 (जिसे इसमें इसके पश्चात् अधिनियम, 1872 निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 114क के अधीन यह उपबंध किया गया है कि यदि अभियोक्त्री ने यह अभिसाक्ष्य दिया है कि उसने अपनी सम्मति नहीं दी थी तब न्यायालय यह उपधारित करेगा कि उसने वास्तव में सम्मति नहीं दी थी । वर्तमान मामले के तथ्यों के अधीन यह वांछित नहीं है कि अधिनियम, 1872 की धारा 114 के उपबंधों का अवलंब लिया जाए । इस प्रकार, यह मात्र विचार के लिए यह प्रश्न है कि क्या अभियोक्त्री की सम्मति विवाह का मिथ्या वचन देकर प्राप्त की गई थी । इस प्रकार, दंड संहिता की धारा 90 के उपबंधों के अतिरिक्त दंड संहिता की धारा 417, 375 और 376 के उपबंधों पर विचार किया जाना चाहिए । जहां तक दंड संहिता की धारा 375 के उपबंधों का संबंध है, दंड संहिता की धारा 90 के अंतर्गत यह उपबंधित है कि तथ्य के भ्रम के अधीन दी गई कोई भी सम्मति को विधि मान्य सम्मति नहीं माना जाएगा, और इस प्रकार, ऐसा शारीरिक संबंध स्थापित करना बलात्संग कारित करने की कोटि में आएगा ।

16. इस न्यायालय ने उदय **बनाम** कर्नाटक राज्य (ए. आई. आर. 2003 एस. सी. 1639), दिलीप सिंह **उर्फ** दिलीप कुमार **बनाम** बिहार राज्य (ए. आई. आर. 2005 एस. सी. 203), येडला श्रीनिवास राव **बनाम** आंध्र प्रदेश राज्य [(2006) 11 एस. सी. सी. 615] और प्रदीप कुमार वर्मा **बनाम** बिहार राज्य और एक अन्य (ए. आई. आर. 2007 एस. सी. 3059) वाले मामलों में इस मुद्दे पर विस्तार से विचार किया है और यह निष्कर्ष निकाला है कि यदि अभियुक्त द्वारा दिया गया वचन मिथ्या नहीं है और वह अभियोक्त्री के साथ संभोग करने के आशय से नहीं किया गया था तब ऐसा कृत्य बलात्संग की कोटि में नहीं आएगा । इस प्रकार, जहां तक अभियुक्त द्वारा किया गया अपराध का संबंध है, इससे केवल यह अर्थ निकलता है कि जब अभियोक्त्री तथ्य के भ्रम के अधीन इस सीमा तक प्रभावित हो जाए कि अभियुक्त उससे विवाह करेगा और वह अभियुक्त की वासना पूरी करने के लिए अपना समर्पण कर देती है तब ऐसे कपटपूर्ण कार्य को सहमतिजन्य नहीं कहा जा सकता ।

17. * * * * *

18. सम्मति स्पष्ट या विवक्षित, जबरदस्ती या भ्रमित हो सकती है जो इच्छानुसार या कपटपूर्ण प्राप्त की जा सकती है । सम्मति एक सकारण कार्य है जो सोच-समझकर किया जाता है, जिसमें मस्तिष्क का प्रयोग किया जाता है और उसके अच्छे और बुरे प्रभाव का संतुलन ध्यान में रखा जाता है । बलात्संग और सहमतिजन्य संभोग में यही एक स्पष्ट अंतर है और इस प्रकार के मामले में, न्यायालय को कड़ी सावधानी से इस पर विचार करना चाहिए कि क्या अभियुक्त वास्तव में आहत से विवाह करना चाहता था या उसका कोई दुर्भावनापूर्ण हेतु था या उसने अपनी वासना पूरी करने के लिए कोई मिथ्या वचन दिया था और यह कृत्य कपट या धोखे की परिधि में आ सकता है । वचन का भंग करने और मिथ्या वचन पूरा न करने के बीच बहुत अंतर है । इस प्रकार, न्यायालय को इस पर विचार करना चाहिए कि क्या अभियुक्त द्वारा विवाह करने का जो वचन दिया गया था वह आरंभ से ही मिथ्या वचन था ; और इस पर भी विचार करना चाहिए कि क्या संभोग करने की प्रकृति और इसके परिणामों को पूर्णतया समझने के पश्चात् ही सम्मति दी गई है । ऐसा भी मामला हो सकता है जिसमें अभियोक्त्री ने अभियुक्त के साथ प्रेम करने और

भावुकता के नाते उसके साथ संभोग किया हो न कि केवल अभियुक्त द्वारा किए गए भ्रमित कथन के आधार पर या ऐसे भी मामले हो सकते हैं जिनमें (वचन पूरा न किए जाने पर) अभियुक्त अभियोक्त्री के समक्ष अनदेखी परिस्थितियों का उल्लेख करे या ऐसी परिस्थितियों का अवलंब ले जो उसके वश में नहीं है जिनसे यह पता चले कि वह प्रत्येक प्रयास के बावजूद विवाह करने की स्थिति में नहीं था । ऐसे मामलों पर अलग रूप से विचार करना चाहिए । किसी अभियुक्त को बलात्संग के लिए दोषी केवल तब ठहराया जा सकता है जब न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि अभियुक्त का आशय दुर्भावपूर्ण था और उसने आपराधिक हेतु से कृत्य किया था ।

(बल देने के लिए रेखांकन किया गया है)

19. **दिलीप सिंह** (उपरोक्त) वाले मामले में निम्न प्रकार अभिनिर्धारित किया गया है –

> '20. दंड संहिता की धारा 90 के प्रथम भाग में जिन कारकों का उल्लेख किया गया है व आहत को ध्यान में रखकर बनाए गए हैं । धारा 90 के द्वितीय भाग के अंतर्गत अभियुक्त को दृष्टिगत करते हुए उपबंध किया गया है । इसके अधीन यह परिकल्पित है कि अभियुक्त को भी ज्ञान होता है और उसके पास विश्वास करने का यह कारण होता है कि आहत ने जो सम्मति उसे दी है वह क्षति के भय या तथ्य के भ्रम के अधीन दी गई है । इस प्रकार, धारा 90 के द्वितीय भाग के अधीन उस व्यक्ति का ज्ञान या विश्वास करने के कारण पर बल दिया गया है जो दूषित सम्मति प्राप्त करता है । दोनों भागों के अधीन जो अपेक्षा की गई है उसका संचयी रूप से समाधान किया जाना चाहिए । दूसरे शब्दों में यह कहा जा सकता है, न्यायालय को इस पर विचार करना चाहिए सम्मति देने वाले व्यक्ति ने यह सम्मति क्षति के भय से या तथ्य के भ्रम से तो नहीं दी है और न्यायालय का यह भी समाधान होना चाहिए कि अपराध करने वाला व्यक्ति इस तथ्य से सचेत है या वह यह सोच सकता है कि यदि भय या भ्रम का प्रयोग नहीं किया जाता तो यह सम्मति नहीं दी जा सकती थी । धारा 90 का यही आशय है जिसकी रचना नकारात्मक शब्दावली के साथ की गई है ।'

20. इस न्यायालय ने, **प्रदीप कुमार वर्मा** (उपरोक्त) वाले मामले को विनिश्चित करते हुए **एन. जलादू** [(1913) आई. एल. आर. 36 मद्रास 453] वाले मामले में मद्रास उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय का अवलंब लिया है जिसमें यह अभिनिर्धारित किया है –

> 'हमारी यह राय है कि 'तथ्य के भ्रम के अधीन' अभिव्यक्ति इतनी व्यापक है कि इसका अवलंब ऐसे सभी मामलों में लिया जा सकता है जिनमें सम्मति दुर्व्यपदेशन द्वारा प्राप्त की जाती है ; यह समझना चाहिए कि दुर्व्यपदेशन ऐसे तथ्यों को भ्रमित करता है जिनके लिए सम्मति दी गई है । साक्ष्य अधिनियम की धारा 3 के दृष्टांत (घ) के अधीन यह उपबंध किया गया है कि किसी व्यक्ति द्वारा किया गया आशय, एक तथ्य है । इसलिए वह तथ्य जिसके संबंध में द्वितीय और तृतीय अभियोजन साक्षियों को भ्रमित किया गया है, एक ऐसा तथ्य है कि द्वितीय अभियुक्त ने लड़की के साथ विवाह करने का आशय किया था ..... इस प्रकार ..... उस व्यक्ति द्वारा दी गई सम्मति जिसकी अभिरक्षा से लड़की प्राप्त की गई है ऐसी सम्मति समझी जाएगी जो कपट द्वारा प्राप्त की जाती है और सम्मति देने वाले व्यक्ति की इच्छा के विरुद्ध होती है ..... । यद्यपि संविदा के मामलों में जब सम्मति प्रपीड़न या कपट द्वारा प्राप्त की जाती है तब संविदा को उस पक्ष द्वारा शून्यकरणीय समझा जाएगा जो उससे प्रभावित होता है, दंड संहिता की धारा 90 का यह उद्देश्य है कि दांडिक विधि के अधीन ऐसी सम्मति का प्रयोग उस कृत्य का समाधान करने के लिए किया जाता है जो अन्यथा अपराध है ।'

21. इस प्रकार, यह स्पष्ट हो गया है कि यह साबित करने के लिए समुचित साक्ष्य होना चाहिए कि सुसंगत समय पर अर्थात् आरंभ के प्रक्रम पर ही, अभियुक्त का किसी भी प्रकार का ऐसा कोई आशय नहीं था कि वह आहत से विवाह करने का वचन पूरा करेगा । वास्तव में ऐसी भी स्थिति हो सकती हैं कि अभियुक्त आहत से विवाह करने के प्रबल इरादे के बावजूद अनेक अपरिहार्य परिस्थितियों में उससे विवाह न कर सके । भविष्य की अनिश्चित तारीख के संबंध में वचन पूरा करने की असफलता के कारणों को उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर

> ठीक प्रकार स्पष्ट नहीं किया गया है, इसलिए यह सदैव तथ्य के भ्रम की कोटि में नहीं जा सकता । तथ्य के भ्रम की अभिव्यक्ति के अर्थ का अवलंब लेने के लिए तथ्य तत्काल रूप से सुसंगत होना चाहिए । दंड संहिता की धारा 90 का अवलंब ऐसी स्थिति में नहीं लिया जा सकता कि लड़की के कृत्य को पूर्णतया माफ कर दिया जाए और दूसरे व्यक्ति पर आपराधिक दायित्व अधिरोपित कर दिया जाए, ऐसा तब किया जा सकता है जब न्यायालय का यह समाधान हो जाए कि अभियुक्त ने आरंभ से ही विवाह करने का कोई आशय नहीं किया था ।
>
> (बल देने के लिए रेखांकन किया गया है)

21. माननीय उच्चतम न्यायालय के ऊपर उल्लिखित निर्णयों से विधि की स्थिति इस प्रकार स्पष्ट होती है कि यदि अभियुक्त का वचन मिथ्या नहीं है और उसका मात्र यह आशय नहीं है कि वह अभियोक्त्री को संभोग करने के लिए बहकाए, तब ऐसा कृत्य बलात्संग की कोटि में नहीं आएगा ।

22. आक्षेपित प्रथम इत्तिला रिपोर्ट में, प्रत्यर्थी सं. 2 ने यह अभिकथन किया है कि याची पर उसके साथ विवाह करने का आरंभ से ही कोई आशय नहीं था । मैं इस बात से सहमत हूं कि लिखित शिकायत को पढ़ने से ही और आक्षेपित प्रथम इत्तिला रिपोर्ट की अंतर्वस्तु से ही दंड संहिता की धारा 376 और 313 के अधीन कोई भी अपराध नहीं बनता है । तथापि, पुलिस ने गहराई से अन्वेषण किया है और विद्वान् लोक अभियोजन तथा प्रत्यर्थी सं. 2 के काउंसेल ने दलील दी है कि पुलिस द्वारा किए गए अन्वेषण से दंड संहिता की धारा 376(2), 313 और 420 के अधीन दंडनीय अपराध याची के विरुद्ध नहीं बनता है, इसलिए मैंने केस डायरी का परिशीलन करने का निश्चय किया है जो विद्वान् लोक अभियोजक द्वारा उपलब्ध कराई गई है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि पुलिस द्वारा जुटाई गई सामग्री और साक्ष्य के आधार पर उपर्युक्त अपराध के लिए याची के विरुद्ध कोई मामला बनता है या नहीं ।

23. अन्वेषण के दौरान, पुलिस ने दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 164 के अधीन प्रत्यर्थी सं. 2 का कथन तारीख 9 अक्तूबर, 2014 को अभिलिखित कराया है । उक्त कथन का सार निम्न प्रकार है :–

"(वर्नाकुलर मैटर का लोप किया गया है)"

24. उपरोक्त कथन से भी, यह स्पष्ट हो जाता है कि प्रत्यर्थी सं. 2 ने कहीं भी यह अभिकथन नहीं किया है कि याची का विवाह करने का

आरंभ से कोई आशय नहीं था । इसके प्रतिकूल, यह स्पष्ट रूप से कथन किया गया है कि याची ने अभियोक्त्री के समक्ष विवाह का प्रस्ताव रखा था और याची तथा अभियोक्त्री दोनों के माता-पिता उनके विवाह के लिए सहमत थे और विवाह के लिए मई, 2014 का समय नियत कर दिया गया, तथापि, इसके पश्चात् याची और उसके माता-पिता ने ऐसा करने से इनकार कर दिया । प्रत्यर्थी सं. 2 ने दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 164 के अधीन अभिलिखित अपने कथन में यह उल्लेख किया है कि वह याची के घर में क्रिसमस की तैयारी के लिए 7 दिन तक ठहरी थी । अन्वेषण के दौरान पुलिस ने प्रत्यर्थी सं. 2 के भाई, पिता, माता और अन्य नातेदारों के कथन अभिलिखित किए और सभी ने यह साक्ष्य दिया है कि याची के माता और पिता अक्तूबर, 2012 में याची और प्रत्यर्थी सं. 2 का विवाह तय करने के लिए जयपुर आए थे और विवाह की तारीख 13 मई, 2014 तय की गई । पुलिस ने याची, उसकी माता तथा उसके पिता से पूछताछ की और इन सभी ने यह कथन किया कि वे जयपुर में प्रत्यर्थी सं. 2 के घर उसका याची के साथ विवाह तय करने के लिए घर गए थे और विवाह की तारीख 13 मई, 2014 नियत की गई थी । परिप्रश्न के दौरान, याची, उसकी माता और पिता ने विशेष रूप से यह कथन किया है कि प्रत्यर्थी सं. 2 के साथ विवाद होने के कारण विवाह का प्रस्ताव पूरा नहीं किया जा सका और उन्होंने प्रत्यर्थी सं. 2 के माता-पिता को सूचित किया जो जून, 2014 में विवाह किए जाने के लिए सहमत थे, प्रत्यर्थी सं. 2 की माता ने उनसे कहा कि वे अपने पुत्र का विवाह कहीं और कर दें ताकि वे अपनी पुत्री का विवाह इंदौर में कर सकें क्योंकि इंदौर से विवाह का एक प्रस्ताव आया हुआ था ।

25. अभिलेख पर उपलब्ध ऊपर उल्लिखित सम्पूर्ण सामग्री से यह स्पष्ट हो जाता है कि अभिलेख पर लेशमात्र भी ऐसा साक्ष्य नहीं है जिससे यह साबित होता हो कि याची का प्रत्यर्थी सं. 2 से विवाह करने का आरंभ से ही कोई आशय नहीं था और यह कि उसने अपनी वासना पूरी करने के लिए उसके साथ विवाह करने का मिथ्या वचन दिया था । यदि याची का प्रत्यर्थी सं. 2 के साथ विवाह करने का कोई आशय आरंभ से ही नहीं था तब प्रत्यर्थी सं. 2 को अपने घर क्रिसमस की तैयारी के लिए लाने हेतु याची के पास कोई कारण नहीं था और न ही वह अपने माता-पिता से प्रत्यर्थी सं. 2 के माता-पिता से जयपुर में मिलकर विवाह की तारीख तय करने के लिए कहता । जैसाकि पहले ही कथन किया गया है, प्रत्यर्थी सं. 2,

उसका भाई, माता-पिता और अन्य नातेदारों ने पुलिस को दिए गए अपने कथनों में यह उल्लेख किया है कि याची और उसके माता-पिता याची का विवाह प्रत्यर्थी सं. 2 से तय करने के लिए उनके घर पर गए थे और विवाह की तारीख तय भी की गई थी ।

26. स्वीकृततः, प्रत्यर्थी सं. 2 किसी भी प्रक्रम पर किसी भी व्यक्ति से कोई भी शिकायत नहीं की थी और उसने पहली बार सितंबर, 2014 में अर्थात् अप्रैल, 2013 में विवाह करने से इनकार करने के 17 मास पश्चात् याची के विरुद्ध शिकायत फाइल की थी । यह भी उल्लेखनीय है कि प्रत्यर्थी सं. 2 ने अपने माता-पिता और भाई को अपने गर्भवती होने के संबंध में नहीं बताया था और उसका गर्भपात अक्तूबर, 2012 में करा दिया गया था । प्रत्यर्थी सं. 2 के माता-पिता और भाई ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 161 के अधीन अभिलिखित अपने कथनों में यह उल्लेख नहीं किया है कि प्रत्यर्थी सं. 2 ने कभी अक्तूबर, 2012 में अपने गर्भ धारण करने के संबंध में उनको बताया था ।

27. वर्तमान मामले के, उपरोक्त तथ्यों और परिस्थितियों में यह नहीं कहा जा सकता है कि याची का आशय आरंभ से ही प्रत्यर्थी सं. 2 से विवाह करने का नहीं था या याची आरंभ से ही उसे धोखा देने का कोई आशय था । घटना के समय प्रत्यर्थी सं. 2 की आयु 26 वर्ष थी । वह याची से प्रेम करती थी और उन दोनों ने एक-दूसरे से विवाह करने का प्रण किया था । यहां तक कि प्रत्यर्थी सं. 2 ने अपने भाई और माता-पिता को यह बता दिया था कि वह याची से प्रेम करती है और उससे विवाह करना चाहती है । इन सभी पहलुओं को देखते हुए यह नहीं कहा जा सकता है कि याची का आरंभ से प्रत्यर्थी सं. 2 से विवाह करने का कोई आशय नहीं था और यह कि उसने अपनी वासना पूरी करने के आशय से प्रत्यर्थी सं. 2 को विवाह करने का मिथ्या वचन दिया था ।

28. ऐसा प्रतीत होता है कि याची और प्रत्यर्थी सं. 2 अत्यधिक प्रेम करते थे और उनका प्रेम शारीरिक संबंधों तक जा पहुंचा । उनके माता-पिता उनके विवाह के लिए सहमत हो गए किंतु तत्पश्चात् याची, उसकी माता और प्रत्यर्थी सं. 2 के बीच विवाद होने पर विवाह नहीं हो सका और इसके पश्चात् याची ने सितंबर, 2014 में अन्य किसी लड़की से विवाह करने का निश्चय किया । जब प्रत्यर्थी सं 2 को इस संबंध में पता चला, तब उसने प्रतिशोध की भावना से याची के विरुद्ध दांडिक शिकायत फाइल की ।

29. उपरोक्त तथ्य और परिस्थितियों पर विचार करते हुए, मुझे यह अभिनिर्धारित करने में कोई संकोच नहीं है कि दंड संहिता की धारा 376 के अधीन याची के विरुद्ध कोई भी अपराध नहीं बनता है । जहां तक दंड संहिता की धारा 420 का संबंध है, इस न्यायालय ने पहले ही यह निष्कर्ष निकाला है कि याची ने प्रत्यर्थी सं. 2 से विवाह करने का कोई भी मिथ्या वचन नहीं दिया था इसलिए याची के विरुद्ध छल का कोई भी मामला नहीं बनता है ।

30. जहां तक दंड संहिता की धारा 313 के अधीन दंडनीय अपराध का संबंध है, यह उल्लेखनीय है कि प्रत्यर्थी सं. 2 ने प्रथम इत्तिला रिपोर्ट में यह अभिकथन किया है कि वर्ष, 2012 में जब वह गर्भवती हो गई थी, तब याची ने उसे गर्भनिरोधक गोलियां खिलाकर उसका गर्भपात करवा दिया था । यह पता चलता है कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 164 के अधीन अभिलिखित कथन में प्रत्यर्थी सं. 2 ने यह उल्लेख किया है कि अक्तूबर, 2012 में उसने जोधपुर में डा. रेखा द्वारा गर्भपात करवाया था । पुलिस ने अन्वेषण के दौरान डा. रेखा जाखड़ का कथन अभिलिखित किया है और तारीख 1 अक्तूबर, 2012 को डा. रेखा द्वारा तैयार की गई उपचार पर्ची को भी कब्जे में लिया है । डा. रेखा ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 161 के अधीन अभिलिखित अपने कथन में यह उल्लेख किया है कि तारीख 1 अक्तूबर, 2012 को श्रीमती दिव्या नाम की एक महिला चिकित्सीय जांच के लिए उसके घर पर आई । उसने श्रीमती दिव्या की चिकित्सा परीक्षा की और उसने उसे गर्भवती पाया, इसके पश्चात् उस महिला ने डा. रेखा जाखड़ से यह कहा कि वह यह बच्चा नहीं चाहती है । डा. रेखा द्वारा समझाए जाने के बावजूद, श्रीमती दिव्या ने अपनी नौकरी और पढ़ाई के प्रभावित होने की बात कहते हुए गर्भपात के लिए आग्रह किया । डा. रेखा जाखड़ ने पुनः बताया कि जब वह महिला सहमत नहीं हुई तब उसने उस महिला से अपने पति के साथ आने को कहा और जब वह दोबारा अपने पति के साथ आई तब रेखा जाखड़ ने उन्हें गर्भपात से होने वाले दुष्प्रभाव के बारे में बताया किंतु उन दोनों ने यही कहा कि वे गर्भपात कराना चाहते हैं । इसके पश्चात् चिकित्सक ने लिखित रूप में अपनी सहमति देने को कहा जिस पर दोनों ने यह लिखा कि उन्हें गर्भपात से होने वाले दुष्परिणाम के संबंध में बता दिया गया है फिर भी वे गर्भपात कराना चाहते हैं और

किसी भी दुर्घटना के लिए वे स्वयं जिम्मेदार होंगे । तारीख 1 अक्तूबर, 2012 की उपचार पर्ची जिस पर याची और प्रत्यर्थी सं. 2 के बारे में प्रविष्टि की गई है, केस डायरी का भाग है । डा. रेखा जाखड़ के कथन से यह स्पष्ट हो जाता है कि प्रत्यर्थी सं. 2 ने ही स्वेच्छया गर्भपात कराया था और ऐसा कोई भी साक्ष्य नहीं है कि याची ने प्रत्यर्थी सं. 2 की सम्मति के बिना उसका गर्भपात कराया था और इस प्रकार दंड संहिता की धारा 3 के अधीन याची के विरुद्ध कोई भी अपराध नहीं बनता है ।

31. मामले के उपरोक्त तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करते हुए, इस न्यायालय का यह समाधान हो गया है कि प्रथम इत्तिला रिपोर्ट और पुलिस द्वारा प्राप्त किया गया साक्ष्य और सामग्री को ऐसे ही स्वीकार कर लिया जाए, तब भी वह अभियुक्त को दंड संहिता की धारा 376, 313 और 420 के अधीन दंडनीय अपराध का दोषी ठहराने के लिए पर्याप्त नहीं है । इस प्रकार, याची के विरुद्ध आक्षेपित प्रथम इत्तिला रिपोर्ट और उसके आधार पर चल रही अन्य कार्यवाहियों को कायम रखने से न्यायालय की प्रक्रिया का दुरुपयोग होगा और यह अभिखंडित की जानी चाहिए ।

32. परिणामतः, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के अधीन दांडिक प्रकीर्ण याचिका मंजूर की जाती है । तारीख 1 अक्तूबर, 2014 को पुलिस थाना, शास्त्री नगर, जोधपुर में दर्ज कराई गई आक्षेपित प्रथम इत्तिला रिपोर्ट सं. 229 और चल रही अन्वेषण कार्यवाही अभिखंडित और अपास्त की जाती हैं ।

33. रोक याचिका का भी निपटारा किया जाता है ।

याचिका मंजूर की गई ।

अस./पा.

राजस्थान राज्य

बनाम

रेखाराम और अन्य

तारीख 5 जनवरी, 2016

न्यायमूर्ति गोपाल कृष्ण ब्यास और न्यायमूर्ति पी. के. लोहरा

दंड संहिता, 1860 (1860 का 45) – धारा 300 [सपठित साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 3] – हत्या – हेतु – मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के परिशीलन से यह स्पष्ट होता है कि शिकायतकर्ता और मृतक के बीच अभिकथित शत्रुता अपराध कारित किए जाने के हेतु को साबित करने के लिए मौजूद नहीं है, अतः हेतु साबित न होने के कारण अभियुक्त को सिद्धदोष नहीं ठहराया जा सकता ।

दंड संहिता, 1860 (1860 का 45) – धारा 300 [सपठित साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 3] – हत्या – प्रत्यक्षदर्शी साक्षी – मामले के तथ्यों के अनुसार अभियुक्त अपनी यौवनावस्था में थे और शिकायतकर्ता, जिसकी उम्र 77 वर्ष थी और नजर कमजोर थी कि अभियुक्त को शिकायतकर्ता पकड़ नहीं सके, का परिसाक्ष्य बनावटी और अविश्वसनीय प्रतीत होता है अतः, शिकायतकर्ता और सभी प्रत्यक्षदर्शी साक्षियों के परिसाक्ष्य अविश्वसनीय होने के कारण अभियुक्तों को दोषसिद्ध नहीं ठहराया गया ।

इस अपील के मुख्य तथ्य इस प्रकार हैं कि तारीख 3 अक्तूबर, 1995 को शिकायतकर्ता राम गोपाल ने लिखित रिपोर्ट थाना प्रभारी, खेडपा के समक्ष दर्ज कराई जिसमें यह अभिकथन किया कि मध्य रात्रि में जब वह नदिया जाजडा में अपने खेत के किनारे पर सोया हुआ था, तब उसका भाई नारायनराम उससे लगभग 40 फीट की दूरी पर एक खेत (जो खसरा सं. 421 के अंतर्गत आता है) में सो रहा था । रिपोर्ट में यह भी प्रकथन किया गया है कि अर्धरात्रि में, उसने खसरा सं. 43/2 के अंतर्गत आने वाले निकट के खेत से किसी के चिल्लाने की आवाज सुनी कि कोई उसकी पिटाई कर रहा है । शिकायतकर्ता के कथन के अनुसार जब वह घटनास्थल पर पहुंचा तो उसने देखा कि नारायनराम को अभियुक्त-प्रत्यर्थियों द्वारा लाठियों से पीटा गया है और शिकायतकर्ता को देखकर

अभियुक्त रामकिशन ने चिल्लाकर कहा कि वह शिकायतकर्ता की भी पिटाई कर सकता है । शिकायतकर्ता के अनुसार अभियुक्त-प्रत्यर्थियों के कृत्य और जान से मारने की धमकी से डरकर वह घटनास्थल से भाग गया और दोनों अभियुक्तों ने उसका पीछा किया । परिणामस्वरूप, शिकायतकर्ता अपने घर पहुंचा और उसने सम्पूर्ण घटना अपने पुत्र अर्थात् रामनिवास को बताई और इसके पश्चात् प्रथम इत्तिला रिपोर्ट दर्ज कराई गई । प्रथम इत्तिला रिपोर्ट में उल्लिखित तथ्यों से स्पष्ट रूप से एक ही बात उपदर्शित होती है कि नारायनराम को जो क्षतियां पहुंची थीं उनसे उसके शरीर से अत्यधिक रक्तस्राव हुआ और वह खेत में ही लेट गया । अभियुक्त-प्रत्यर्थियों के इस अपराध को कारित करने का हेतु आहत नारायनराम और उनके बीच निजी शत्रुता थी क्योंकि अभियुक्तों के मवेशियों ने आहत की फसल नष्ट कर दी थी और ऐसा होने पर नारायनराम ने अभियुक्तों के समक्ष आपत्ति दर्शायी । इसके पश्चात् आहत नारायनराम को सरकारी अस्पताल, धनारी कल्ला पहुंचाया गया और ड्यूटी पर तैनात चिकित्सक ने उसकी क्षतियों का मुआयना किया किंतु उसने क्षतियों की गंभीरता को दृष्टिगत करते हुए उसे महात्मा गांधी अस्पताल, जोधपुर के लिए भेज दिया । तारीख 3 अक्तूबर, 1995 को महात्मा गांधी अस्पताल, जोधपुर में उपचार के दौरान क्षतियों के कारण नारायनराम की मृत्यु हो गई । अभियुक्त-प्रत्यर्थियों को गिरफ्तार किया गया और उनकी लाठियां बरामद की गईं । अन्वेषण के पश्चात्, पुलिस ने न्यायिक मजिस्ट्रेट, ओसिया के समक्ष आरोप पत्र प्रस्तुत किया और इसके पश्चात् मामला सेशन न्यायालय, जोधपुर को सुपुर्द किया गया । जिन्होंने तत्पश्चात् इस मामले को विद्वान् विचारण न्यायालय के समक्ष विचारण के लिए भेज दिया । विद्वान् विचारण न्यायालय ने अभियुक्तों के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 302, 302/34 और धारा 447 के अधीन आरोप विरचित किए और अभियुक्त-प्रत्यर्थियों ने इन आरोपों का खंडन किया । अपराध कारित किए जाने के हेतु से संबंधित निष्कर्ष अभिलिखित करने के पश्चात्, विद्वान् विचारण न्यायालय ने अभियुक्तों के अभिकथित न्यायेतर संस्वीकृति कथन पर विचार करने का भी प्रयास किया है । न्यायेतर संस्वीकृति कथन की विश्वसनीयता और असलियत का परिशीलन करने के लिए विद्वान् विचारण न्यायालय ने रामनिवास और श्रीमती शारदा के परिसाक्ष्य का विश्लेषण प्रथम इत्तिला रिपोर्ट में उल्लिखित तथ्यों की कसौटी पर किया है । इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि अभियुक्तों द्वारा इन साक्षियों के समक्ष किए गए न्यायेतर संस्वीकृति कथन का कोई भी उल्लेख नहीं किया गया है, विद्वान् विचारण

न्यायालय ने अपराध कारित किए जाने के संबंध में, अभिकथित न्यायेतर संस्वीकृति कथन को त्यक्त कर दिया । अभियुक्त-प्रत्यर्थियों से की गई लाठियों की बरामदगी के संबंध में विद्वान् विचारण न्यायालय द्वारा संवीक्षा की जानी चाहिए और इस पर विचार किया जाना चाहिए कि लाठियों पर कोई भी रक्त लगा हुआ नहीं था । चूंकि अभियुक्त-प्रत्यर्थियों से बरामद की गई उक्त लाठियों पर कोई भी रक्त के धब्बे नहीं थे, इसलिए विद्वान् विचारण न्यायालय ने यह निष्कर्ष निकाला कि अभियुक्त-प्रत्यर्थियों को लाठियों के प्रयोग से कारित किए गए अपराध से संबद्ध करना कठिन है । अंत में, विद्वान् विचारण न्यायालय ने प्रत्यक्षदर्शी साक्षी अर्थात् शिकायतकर्ता रामगोपाल के परिसाक्ष्य का विश्लेषण करने में भरपूर प्रयास किया है । विद्वान् विचारण न्यायालय ने शिकायतकर्ता के कथन का पूर्णरूपेण परिशीलन करने पर यह निष्कर्ष निकाला कि उसका परिसाक्ष्य महत्वपूर्ण नहीं है । विद्वान् विचारण न्यायालय का ध्यान एक और महत्वपूर्ण तथ्य की ओर गया है जिसके आधार पर अभियुक्त-प्रत्यर्थियों की आहत के साथ निजी शत्रुता से संबंधित परिसाक्ष्य को अविश्वसनीय ठहराया जा सकता है और यह तथ्य भी अविश्वसनीय हो सकता है कि सिविल/राजस्व मुकदमे शिकायतकर्ता और अभियुक्त-प्रत्यर्थियों के बीच भूमि को लेकर चल रहे थे और शिकायतकर्ता ने भी अभियुक्तों-प्रत्यर्थियों के बीच पुलिस थाना खेडपा में दंड संहिता की धारा 392 और 451 के अधीन प्रथम इत्तिला रिपोर्ट दर्ज कराई थी । इसके अतिरिक्त, अभियुक्त-प्रत्यर्थियों ने दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 313 के अधीन अपने अभिसाक्ष्य में स्पष्ट रूप से यह उल्लेख किया है कि शिकायतकर्ता ने निजी शत्रुता और प्रतिशोध की भावना से उन्हें मिथ्या आलिप्त किया है । अभियुक्त-प्रत्यर्थियों द्वारा, इस बात को साबित करने के लिए, आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत किए गए हैं, अतः इन सब पहलुओं और शिकायतकर्ता के साक्ष्य के विश्लेषण को ध्यान में रखते हुए विद्वान् विचारण न्यायालय ने यह निष्कर्ष निकाला है कि प्रत्यक्षदर्शी साक्ष्य के रूप में शिकायतकर्ता की विश्वसनीयता गंभीर रूप से संदिग्ध है और उसके आधार पर अभियोग साबित नहीं किया जा सकता । उपर्युक्त निष्कर्ष अभिलिखित करने के पश्चात्, विद्वान् विचारण न्यायालय ने अंतिम रूप से अभियुक्त प्रत्यर्थियों को दोषमुक्त कर दिया । विद्वान् विचारण न्यायालय के निर्णय और आदेश के विरुद्ध राज्य सरकार ने उच्च न्यायालय में अपील फाइल की । उच्च न्यायालय द्वारा अपील खारिज करते हुए,

अभिनिर्धारित – अभियोजन पक्ष ने अभियुक्त-प्रत्यर्थियों के विरुद्ध मामला

गढ़ने का प्रयास किया है जो अभिकथित प्रत्यक्षदर्शी साक्षी अर्थात् शिकायतकर्ता के साक्ष्य पर आधारित है । इसके अतिरिक्त, अभियोजन पक्ष ने अपराध कारित किए जाने के हेतु और अभियुक्त द्वारा दिए गए अभिकथित न्यायेतर संस्वीकृति कथन को साबित करने का भी प्रयास किया है । फिर भी अभियोजन पक्ष द्वारा एक अन्य प्रयास अभियुक्त-प्रत्यर्थियों को लाठियां बरामद किए जाने के आधार पर अपराध से संबद्ध करने का भी किया गया । न्यायालय की सुविचारित राय में, विद्वान् विचारण न्यायालय ने अपराध कारित किए जाने के हेतु के संबंध में सच्चाई को सामने लाने के लिए उचित दृष्टिकोण से साक्ष्य का मूल्यांकन किया है । हेतु वह तथ्य है जो किसी कार्य के किए जाने को प्रेरित करता है ; मानवीय कृत्य को दुष्प्रेरित करता है ; जिसका यह कारण है कि हेतु से इच्छा जागृत होती है और कार्य दुष्प्रेरित होता है ; हेतु ऐसी गतिमान शक्ति है जो निश्चित परिणाम पाने के लिए विवश करती है । यदि परिसाक्ष्य, विशेषकर शिकायतकर्ता के परिसाक्ष्य को ऊपर उल्लिखित हेतु की अपेक्षाओं की कसौटी पर परखा जाए, तब इससे यह प्रकट होता है कि मृतक और अभियुक्त-प्रत्यर्थियों के बीच अभिकथित शत्रुता एक ऐसी कड़ी है जो इस अपराध के कारित किए जाने के हेतु को साबित करने के लिए मौजूद नहीं है । इसके अतिरिक्त शिकायतकर्ता के साक्ष्य की सम्पुष्टि अभियोजन पक्ष के अन्य साक्षी से नहीं हुई है और इसके प्रतिकूल अभियोजन साक्षी अर्थात् रूपा राम और भीका राम ने अपराध के हेतु को लेकर पक्षद्रोही होकर अभियोजन पक्ष के वृत्तांत का पूर्णतया खंडन किया है । इस पृष्ठभूमि में, न्यायालय को यह कहने में कोई संकोच नहीं है कि अपराध कारित करने के लिए अभियुक्त-प्रत्यर्थियों के हेतु का खंडन करने के संबंध में विद्वान् विचारण न्यायालय द्वारा अभिलिखित निष्कर्ष ठीक और उचित है जिसमें किसी भी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है । अब न्यायालय न्यायेतर संस्वीकृति कथन पर विचार करेगा, प्रथम इत्तिला रिपोर्ट में अभिकथित न्यायेतर संस्वीकृति कथन का उल्लेख न करने से रामनिवास और श्रीमती शारदा के परिसाक्ष्य पर गंभीर संदेह होता है । इस महत्वपूर्ण तथ्य का उल्लेख प्रथम इत्तिला रिपोर्ट में न करने से रामनिवास और श्रीमती शारदा का परिसाक्ष्य स्पष्ट रूप से संदिग्ध हो जाता है । इस बात को अनदेखा नहीं किया जा सकता है कि रामनिवास शिकायतकर्ता का पुत्र है और श्रीमती शारदा उसकी पुत्रवधु है जिसके साथ प्रथम इत्तिला रिपोर्ट दर्ज कराए जाने के पूर्व बातचीत होती थी । अतः, इस पृष्ठभूमि में रामनिवास और श्रीमती शारदा के साक्ष्य से पूरी तरह यह स्पष्ट हो जाता है

कि उनके साक्ष्य अविश्वसनीय हैं और विद्वान् विचारण न्यायालय ने इन परिस्थितियों में न्यायेतर संस्वीकृति कथन को ठीक ही त्यक्त किया है और विद्वान् विचारण न्यायालय के उक्त विनिश्चय को शिथिल नहीं कहा जा सकता है और न ही वह साक्ष्य के अनुचित मूल्यांकन पर आधारित है । अंत में, विद्वान् विचारण न्यायालय ने प्रत्यक्षदर्शी साक्षी अर्थात् शिकायतकर्ता रामगोपाल के परिसाक्ष्य का सूक्ष्मता से परिशीलन किया है । शिकायतकर्ता के वृत्तांत को अविश्वसनीय ठहराने के लिए, विद्वान् विचारण न्यायालय ने तर्कपूर्ण और तर्कसम्मत कारण दिए हैं विशेषकर अभियुक्त-प्रत्यर्थियों के साथ निजी शत्रुता और दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 313 के अधीन अभिलिखित अभियुक्त-प्रत्यर्थियों के इस अभिवाक् पर भी विचार किया है कि उन्हें इस मामले में मिथ्या फंसाया गया है । प्रत्यक्षदर्शी साक्षी के रूप में शिकायतकर्ता की विश्वसनीयता की भी जांच विद्वान् विचारण न्यायालय ने अभियोजन पक्ष के अन्य साक्षियों के परिसाक्ष्य के आधार पर की है जो पक्षद्रोही हो गए थे और उनके पक्षद्रोही हो जाने पर विचारण न्यायालय ने अपना यह निष्कर्ष अभिलिखित किया है कि शिकायतकर्ता की विश्वसनीयता गंभीर रूप से आपत्तिजनक है । विद्वान् विचारण न्यायालय ने एक और महत्वपूर्ण तथ्य पर विचार किया है कि यह घटना अर्धरात्रि में घटित हुई थी और शिकायतकर्ता की आयु 77 वर्ष है और उसकी नजर कमजोर है एवं चश्मा पहनता है, ऐसा व्यक्ति पर्याप्त रोशनी के अभाव में अभियुक्तों की शनाख्त नहीं कर सकता था । विद्वान् विचारण न्यायालय ने यह मत व्यक्त किया है कि यह अभिनिर्धारित करना उचित नहीं होगा कि शिकायतकर्ता ने लालटेन की कम रोशनी में अभियुक्तों को पहचान लिया था वह भी ऐसी स्थिति में कि शिकायतकर्ता की नजर कमजोर थी । विचार के लिए इस मामले का एक और पहलू है कि प्रथम इत्तिला रिपोर्ट में शिकायतकर्ता ने अभियुक्तों को यह कहकर अपराध में आलिप्त करने का प्रयास किया है कि उन्होंने पिटाई करने के लिए उसे घेरने का प्रयास किया था । इस साक्षी ने यह भी कथन किया है कि अभियुक्त-प्रत्यर्थियों ने उसका पीछा किया था किंतु वह घटनास्थल से बचकर भाग निकला । शिकायतकर्ता का यह कथन विद्वान् विचारण न्यायालय द्वारा पूर्णतया त्यक्त किया गया है जिसका संक्षिप्त कारण यह है कि यह बात समझ से बाहर है कि अभियुक्त जो लगभग यौवनावस्था में थे, 77 वर्ष के वृद्ध व्यक्ति को नहीं पकड़ सके । इस प्रकार न्यायालय का यह दृढ़ मत है कि प्रथम इत्तिला रिपोर्ट में उल्लिखित शिकायतकर्ता की बनावटी कहानी और अभियुक्तों के विरुद्ध उन्हें अपराध में आलिप्त करने से संबंधित उसका परिसाक्ष्य अविश्वसनीय है

और उसकी विश्वसनीयता आपत्तिजनक है । इस पृष्ठभूमि में, विद्वान् विचारण न्यायालय ने शिकायतकर्ता तथा 9 प्रत्यक्षदर्शी साक्षियों के परिसाक्ष्य को अभियुक्तों के विरुद्ध दोषसिद्ध करने के लिए ठीक ही अविश्वसनीय ठहराया है । (पैरा 8, 9, 10 और 11)

अपीली (दांडिक) अधिकारिता : 1997 की दांडिक अपील सं. 124.

विशेष न्यायालय, जोधपुर, राजस्थान द्वारा तारीख 10 जुलाई, 1996 को पारित निर्णय और आदेश के विरुद्ध अपील ।

अपीलार्थी की ओर से श्री जे. पी. एस. चौधरी

प्रत्यर्थी की ओर से श्री एल. डी. खत्री

न्यायालय का निर्णय न्यायमूर्ति पी. के. लोहरा ने दिया ।

न्या. लोहरा – विशेष न्यायालय, जोधपुर (जिसमें स्वापक ओषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम के अधीन मामलों की सुनवाई की जाती है) जिसे संक्षेप में "विद्वान् विचारण न्यायालय" कहा गया है, द्वारा तारीख 10 जुलाई, 1996 को पारित किए गए उस आक्षेपित निर्णय के विरुद्ध अपील की गई है जिसके द्वारा विद्वान् विचारण न्यायालय ने अभियुक्त-प्रत्यर्थियों को दोषमुक्त कर दिया था, अपीलार्थी-राज्य ने इजाजत के लिए दांडिक अपील फाइल की है । तारीख 28 फरवरी, 1997 के आदेश द्वारा इजाजत प्रदान की गई उस अपील को नियमित दांडिक अपील के रूप में स्वीकार किया गया तथा अभियुक्त-प्रत्यर्थियों को जमानतीय वारंट जारी करते हुए समन किया गया ।

2. इस अपील के मुख्य तथ्य इस प्रकार हैं कि तारीख 3 अक्तूबर, 1995 को शिकायतकर्ता राम गोपाल (अभि. सा. 17) ने लिखित रिपोर्ट (प्रदर्श पी-24) थाना प्रभारी, खेड़पा के समक्ष दर्ज कराई जिसमें यह अभिकथन किया कि मध्य रात्रि में जब वह नदिया जाजडा में अपने खेत के किनारे पर सोया हुआ था, तब उसका भाई नारायनराम उससे लगभग 40 फीट की दूरी पर एक खेत (जो खसरा सं. 421 के अंतर्गत आता है) में सो रहा था । रिपोर्ट में यह भी प्रकथन किया गया है कि अर्धरात्रि में, उसने खसरा सं. 43/2 के अंतर्गत आने वाले निकट के खेत से किसी के चिल्लाने की आवाज सुनी कि कोई उसकी पिटाई कर रहा है । शिकायतकर्ता के कथन के अनुसार जब वह घटनास्थल पर पहुंचा तो उसने देखा कि नारायनराम को अभियुक्त-प्रत्यर्थियों द्वारा लाठियों से पीटा

गया है और शिकायतकर्ता को देखकर अभियुक्त रामकिशन ने चिल्लाकर कहा कि वह शिकायतकर्ता की भी पिटाई कर सकता है । शिकायतकर्ता के अनुसार अभियुक्त-प्रत्यर्थियों के कृत्य और जान से मारने की धमकी से डरकर वह घटनास्थल से भाग गया और दोनों अभियुक्तों ने उसका पीछा किया । परिणामस्वरूप, शिकायतकर्ता अपने घर पहुंचा और उसने सम्पूर्ण घटना अपने पुत्र अर्थात् रामनिवास (अभि. सा. 16) को बताई और इसके पश्चात् प्रथम इत्तिला रिपोर्ट दर्ज कराई गई । प्रथम इत्तिला रिपोर्ट में उल्लिखित तथ्यों से स्पष्ट रूप से एक ही बात उपदर्शित होती है कि नारायनराम को जो क्षतियां पहुंची थीं उनसे उसके शरीर से अत्यधिक रक्तस्राव हुआ और वह खेत में ही लेट गया । अभियुक्त-प्रत्यर्थियों के इस अपराध को कारित करने का हेतु आहत नारायनराम और उनके बीच निजी शत्रुता थी क्योंकि अभियुक्तों के मवेशियों ने आहत की फसल नष्ट कर दी थी और ऐसा होने पर नारायनराम ने अभियुक्तों के समक्ष आपत्ति दर्शाई । इसके पश्चात् आहत नारायनराम को सरकारी अस्पताल, धनारी कल्ला पहुंचाया गया और ड्यूटी पर तैनात चिकित्सक ने उसकी क्षतियों का मुआयना किया किंतु उसने क्षतियों की गंभीरता को दृष्टिगत करते हुए उसे महात्मा गांधी अस्पताल, जोधपुर के लिए भेज दिया । तारीख 3 अक्तूबर, 1995 को महात्मा गांधी अस्पताल, जोधपुर में उपचार के दौरान क्षतियों के कारण नारायनराम की मृत्यु हो गई । अभियुक्त-प्रत्यर्थियों को गिरफ्तार किया गया और उनकी लाठियां बरामद की गईं ।

3. अन्वेषण के पश्चात्, पुलिस ने न्यायिक मजिस्ट्रेट, ओसिया के समक्ष आरोप पत्र प्रस्तुत किया और इसके पश्चात् मामला सेशन न्यायालय, जोधपुर को सुपुर्द किया गया । जिन्होंने तत्पश्चात् इस मामले को विद्वान् विचारण न्यायालय के समक्ष विचारण के लिए भेज दिया । विद्वान् विचारण न्यायालय ने अभियुक्तों के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता, 1860 (जिसे संक्षेप में "दंड संहिता" कहा गया है) की धारा 302, 302/34 और धारा 447 के अधीन आरोप विरचित किए और अभियुक्त-प्रत्यर्थियों ने इन आरोपों का खंडन किया ।

4. अभियोजन पक्ष ने अपना पक्षकथन साबित करने और अभियोग सिद्ध करने के लिए दो चिकित्सकों तथा शिकायतकर्ता सहित 25 साक्षियों की परीक्षा कराई । आवश्यक दस्तावेज अर्थात् स्थलनक्शा, मृत्युसमीक्षा रिपोर्ट तथा लाठियों की बरामदगी से संबंधित अन्य दस्तावेज प्रस्तुत किए गए । कुल मिलाकर 34 दस्तावेज न्यायालय में प्रस्तुत किए गए जिन्हें

प्रदर्शित किया गया । अभियोजन साक्ष्य प्रस्तुत किए जाने की कार्यवाही पूरी होने के पश्चात्, अभियुक्त-प्रत्यर्थियों ने 7 दस्तावेज प्रस्तुत किए और इन दस्तावेजों को भी प्रदर्शित किया गया ।

5. विद्वान् विचारण न्यायालय ने यह सुनिश्चित करने के लिए विचार किया कि क्या अभियुक्त-प्रत्यर्थियों ने दंड संहिता की धारा 302 या 302/34 और 447 के अधीन अपराध कारित किया है । अभियोजन पक्षकथन का आलोचनात्मक रूप से विश्लेषण करने पर अनेक पहलुओं को ध्यान में रखते हुए विद्वान् विचारण न्यायालय ने अपराध कारित करने से संबंधित हेतु का पता लगाने का प्रयास किया है । अभियोजन साक्ष्य पर विचार करने के पश्चात्, विद्वान् विचारण न्यायालय ने शिकायतकर्ता के इस वृत्तांत को स्वीकार करने से इनकार किया है कि मृतक और अभियुक्त-प्रत्यर्थियों के बीच झगड़े का कारण निजी शत्रुता थी । परिणामस्वरूप, अभियोजन साक्षियों में से किसी भी साक्षी के साक्ष्य से शिकायतकर्ता के वृत्तांत की सम्पुष्टि नहीं होती है, इसलिए विद्वान् विचारण न्यायालय ने यह निष्कर्ष अभिलिखित किया है कि अभियोजन पक्ष इस अपराध के कारित किए जाने के हेतु को साबित करने में असफल रहा है । विद्वान् विचारण न्यायालय ने अपना निष्कर्ष अभिलिखित करते समय अभियोजन पक्ष के कुछ साक्षियों के परिसाक्ष्य में गंभीर कमियां देखी हैं, विशेषकर रूपा राम (अभि. सा. 5) और भीका राम (अभि. सा. 7) के साक्ष्य में और ये दोनों ही साक्षी पक्षद्रोही हो गए थे ।

6. अपराध कारित किए जाने के हेतु से संबंधित निष्कर्ष अभिलिखित करने के पश्चात्, विद्वान् विचारण न्यायालय ने अभियुक्तों के अभिकथित न्यायेतर संस्वीकृति कथन पर विचार करने का भी प्रयास किया है । न्यायेतर संस्वीकृति कथन की विश्वसनीयता और असलियत का परिशीलन करने के लिए विद्वान् विचारण न्यायालय ने रामनिवास (अभि. सा. 16) और श्रीमती शारदा (अभि. सा. 18) के परिसाक्ष्य का विश्लेषण प्रथम इत्तिला रिपोर्ट में उल्लिखित तथ्यों की कसौटी पर किया है । इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि अभियुक्तों द्वारा इन साक्षियों के समक्ष किए गए न्यायेतर संस्वीकृति कथन का कोई भी उल्लेख नहीं किया गया है, विद्वान् विचारण न्यायालय ने अपराध कारित किए जाने के संबंध में, अभिकथित न्यायेतर संस्वीकृति कथन को त्यक्त कर दिया । अभियुक्त-प्रत्यर्थियों से की गई लाठियों की बरामदगी के संबंध में विद्वान् विचारण न्यायालय द्वारा संवीक्षा की जानी चाहिए और इस पर विचार किया जाना चाहिए कि लाठियों

(प्रदर्श पी-10 और पी-11) पर कोई भी रक्त लगा हुआ नहीं था । चूंकि अभियुक्त-प्रत्यर्थियों से बरामद की गई उक्त लाठियों पर कोई भी रक्त के धब्बे नहीं थे, इसलिए विद्वान् विचारण न्यायालय ने यह निष्कर्ष निकाला कि अभियुक्त-प्रत्यर्थियों को लाठियों के प्रयोग से कारित किए गए अपराध से संबद्ध करना कठिन है । अंत में, विद्वान् विचारण न्यायालय ने प्रत्यक्षदर्शी साक्षी अर्थात् शिकायतकर्ता रामगोपाल (अभि. सा. 17) के परिसाक्ष्य का विश्लेषण करने में भरपूर प्रयास किया है । विद्वान् विचारण न्यायालय ने शिकायतकर्ता के कथन का पूर्णरूपेण परिशीलन करने पर यह निष्कर्ष निकाला कि उसका परिसाक्ष्य महत्वपूर्ण नहीं है । विद्वान् विचारण न्यायालय का ध्यान एक और महत्वपूर्ण तथ्य की ओर गया है जिसके आधार पर अभियुक्त-प्रत्यर्थियों की आहत के साथ निजी शत्रुता से संबंधित परिसाक्ष्य को अविश्वसनीय ठहराया जा सकता है और यह तथ्य भी अविश्वसनीय हो सकता है कि सिविल/राजस्व मुकदमे शिकायतकर्ता और अभियुक्त-प्रत्यर्थियों के बीच भूमि को लेकर चल रहे थे और शिकायतकर्ता ने भी अभियुक्त-प्रत्यर्थियों के बीच पुलिस खेड़पा में दंड संहिता की धारा 392 और 451 के अधीन प्रथम इत्तिला रिपोर्ट दर्ज कराई थी । इसके अतिरिक्त, अभियुक्त-प्रत्यर्थियों ने दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 313 के अधीन अपने अभिसाक्ष्य में स्पष्ट रूप से यह उल्लेख किया है कि शिकायतकर्ता ने निजी शत्रुता और प्रतिशोध की भावना से उन्हें मिथ्या आलिप्त किया है । अभियुक्त-प्रत्यर्थियों द्वारा, इस बात को साबित करने के लिए, आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत किए गए हैं, अतः इन सब पहलुओं और शिकायतकर्ता के साक्ष्य के विश्लेषण को ध्यान में रखते हुए विद्वान् विचारण न्यायालय ने यह निष्कर्ष निकाला है कि प्रत्यक्षदर्शी साक्ष्य के रूप में शिकायतकर्ता की विश्वसनीयता गंभीर रूप से संदिग्ध है और उसके आधार पर अभियोग साबित नहीं किया जा सकता । उपर्युक्त निष्कर्ष अभिलिखित करने के पश्चात्, विद्वान् विचारण न्यायालय ने अंतिम रूप से अभियुक्त-प्रत्यर्थियों को दोषमुक्त कर दिया ।

7. हमने विद्वान् लोक अभियोजक और अभियुक्त-प्रत्यर्थियों की ओर से विद्वान् काउंसेल को सुना है, आक्षेपित निर्णय का परिशीलन किया है और सम्पूर्ण अभिलेख की संवीक्षा की है ।

8. अभियोजन पक्ष ने अभियुक्त-प्रत्यर्थियों के विरुद्ध मामला गढ़ने का प्रयास किया है जो अभिकथित प्रत्यक्षदर्शी साक्षी अर्थात् शिकायतकर्ता के साक्ष्य पर आधारित है । इसके अतिरिक्त, अभियोजन पक्ष ने अपराध कारित

किए जाने के हेतु और अभियुक्त द्वारा दिए गए अभिकथित न्यायेतर संस्वीकृति कथन को साबित करने का भी प्रयास किया है । फिर भी अभियोजन पक्ष द्वारा एक अन्य प्रयास अभियुक्त-प्रत्यर्थियों को लाठियां बरामद किए जाने के आधार पर अपराध से संबद्ध करने का भी किया गया । हमारी सुविचारित राय में, विद्वान् विचारण न्यायालय ने अपराध कारित किए जाने के हेतु के संबंध में सच्चाई को सामने लाने के लिए उचित दृष्टिकोण से साक्ष्य का मूल्यांकन किया है । हेतु वह तथ्य है जो किसी कार्य के किए जाने को प्रेरित करता है; मानवीय कृत्य को दुष्प्रेरित करता है; जिसका यह कारण है कि हेतु से इच्छा जागृत होती है और कार्य दुष्प्रेरित होता है; हेतु ऐसी गतिमान शक्ति है जो निश्चित परिणाम पाने के लिए विवश करती है । यदि परिसाक्ष्य, विशेषकर शिकायतकर्ता (अभि. सा. 17) के परिसाक्ष्य को ऊपर उल्लिखित हेतु की अपेक्षाओं की कसौटी पर परखा जाए, तब इससे यह प्रकट होता है कि मृतक और अभियुक्त-प्रत्यर्थियों के बीच अभिकथित शत्रुता एक ऐसी कड़ी है जो इस अपराध के कारित किए जाने के हेतु को साबित करने के लिए मौजूद नहीं है । इसके अतिरिक्त शिकायतकर्ता (अभि. सा. 17) के साक्ष्य की सम्पुष्टि अभियोजन पक्ष के अन्य साक्षी से नहीं हुई है और इसके प्रतिकूल अभियोजन साक्षी अर्थात् रूपा राम (अभि. सा. 5) और भीका राम (अभि. सा. 7) ने अपराध के हेतु को लेकर पक्षद्रोही होकर अभियोजन पक्ष के वृत्तांत का पूर्णतया खंडन किया है । इस पृष्ठभूमि में, हमें यह कहने में कोई संकोच नहीं है कि अपराध कारित करने के लिए अभियुक्त-प्रत्यर्थियों के हेतु का खंडन करने के संबंध में विद्वान् विचारण न्यायालय द्वारा अभिलिखित निष्कर्ष ठीक और उचित है जिसमें किसी भी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है ।

9. अब हम न्यायेतर संस्वीकृति कथन पर विचार करेंगे, प्रथम इत्तिला रिपोर्ट में अभिकथित न्यायेतर संस्वीकृति कथन का उल्लेख न करने से रामनिवास (अभि. सा. 16) और श्रीमती शारदा (अभि. सा. 18) के परिसाक्ष्य पर गंभीर संदेह होता है । इस महत्वपूर्ण तथ्य का उल्लेख प्रथम इत्तिला रिपोर्ट में न करने से रामनिवास (अभि. सा. 16) और श्रीमती शारदा (अभि. सा. 18) का परिसाक्ष्य स्पष्ट रूप से संदिग्ध हो जाता है । इस बात को अनदेखा नहीं किया जा सकता है कि रामनिवास (अभि. सा. 16) शिकायतकर्ता का पुत्र है और श्रीमती शारदा (अभि. सा. 18) उसकी पुत्रवधु है जिसके साथ प्रथम इत्तिला रिपोर्ट दर्ज कराए जाने के पूर्व बातचीत होती थी । अतः, इस पृष्ठभूमि में रामनिवास (अभि. सा. 16) और

श्रीमती शारदा (अभि. सा. 18) के साक्ष्य से पूरी तरह यह स्पष्ट हो जाता है कि उनके साक्ष्य अविश्वसनीय हैं और विद्वान् विचारण न्यायालय ने इन परिस्थितियों में न्यायेतर संस्वीकृति कथन को ठीक ही त्यक्त किया है और विद्वान् विचारण न्यायालय के उक्त विनिश्चय को शिथिल नहीं कहा जा सकता है और न ही वह साक्ष्य के अनुचित मूल्यांकन पर आधारित है ।

10. लाठियों की बरामदगी को अभियोजन पक्ष ने अपराध में फंसाने वाले के रूप में अभियुक्तों के विरुद्ध अपराध साबित करने के लिए बहुत गंभीरता के साथ प्रस्तुत किया है किंतु यह बरामदगी व्यर्थ है और इसे कोई महत्व नहीं दिया जा सकता क्योंकि लाठियों पर रक्त के धब्बे नहीं पाए गए । यह बात समझ से बाहर है कि यदि मृतक को लाठियों से पीटा गया था और उसे साधारण तथा गंभीर क्षतियां पहुंची थीं और उसकी क्षतियों से बुरी तरह रक्त बहा था तब ऐसी स्थिति में उन लाठियों पर रक्त अवश्य लगा होता । कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि लाठियों को अपराध में प्रयोग किया गया हथियार बताया गया है और उन पर रक्त के धब्बे नहीं पाए गए हैं, इस मुद्दे पर विद्वान् विचारण न्यायालय द्वारा अभिलिखित निष्कर्ष ठीक और उचित है जो कि साक्ष्य का ठीक प्रकार से मूल्यांकन किए जाने पर आधारित है और उसमें किसी भी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है ।

11. अंत में, विद्वान् विचारण न्यायालय ने प्रत्यक्षदर्शी साक्षी अर्थात् शिकायतकर्ता रामगोपाल (अभि. सा. 17) के परिसाक्ष्य का सूक्ष्मता से परिशीलन किया है । शिकायतकर्ता के वृत्तांत को अविश्वसनीय ठहराने के लिए, विद्वान् विचारण न्यायालय ने तर्कपूर्ण और तर्कसम्मत कारण दिए हैं विशेषकर अभियुक्त-प्रत्यर्थियों के साथ निजी शत्रुता और दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 313 के अधीन अभिलिखित अभियुक्त-प्रत्यर्थियों के इस अभिवाक् पर भी विचार किया है कि उन्हें इस मामले में मिथ्या फंसाया गया है । प्रत्यक्षदर्शी साक्षी के रूप में शिकायतकर्ता की विश्वसनीयता की भी जांच विद्वान् विचारण न्यायालय ने अभियोजन पक्ष के अन्य साक्षियों के परिसाक्ष्य के आधार पर की है जो पक्षद्रोही हो गए थे और उनके पक्षद्रोही हो जाने पर विचारण न्यायालय ने अपना यह निष्कर्ष अभिलिखित किया है कि शिकायतकर्ता की विश्वसनीयता गंभीर रूप से आपत्तिजनक है । विद्वान् विचारण न्यायालय ने एक और महत्वपूर्ण तथ्य पर विचार किया है कि यह घटना अर्धरात्रि में घटित हुई थी और शिकायतकर्ता की आयु 77 वर्ष है और उसकी नजर कमजोर है एवं चश्मा

पहनता है, ऐसा व्यक्ति पर्याप्त रोशनी के अभाव में अभियुक्तों की शनाख्त नहीं कर सकता था । विद्वान् विचारण न्यायालय ने यह मत व्यक्त किया है कि यह अभिनिर्धारित करना उचित नहीं होगा की शिकायतकर्ता ने लालटेन की कम रोशनी में अभियुक्तों को पहचान लिया था वह भी ऐसी स्थिति में कि शिकायतकर्ता की नजर कमजोर थी । विचार के लिए इस मामले का एक और पहलू है कि प्रथम इत्तिला रिपोर्ट में शिकायतकर्ता ने अभियुक्तों को यह कहकर अपराध में आलिप्त करने का प्रयास किया है कि उन्होंने पिटाई करने के लिए उसे घेरने का प्रयास किया था । इस साक्षी ने यह भी कथन किया है कि अभियुक्त-प्रत्यर्थियों ने उसका पीछा किया था किंतु वह घटनास्थल से बचकर भाग निकला । शिकायतकर्ता का यह कथन विद्वान् विचारण न्यायालय द्वारा पूर्णतया त्यक्त किया गया है जिसका संक्षिप्त कारण यह है कि यह बात समझ से बाहर है कि अभियुक्त जो लगभग यौवनावस्था में थे, 77 वर्ष के वृद्ध व्यक्ति को नहीं पकड़ सके । इस प्रकार हमारा यह दृढ़ मत है कि प्रथम इत्तिला रिपोर्ट में उल्लिखित शिकायतकर्ता की बनावटी कहानी और अभियुक्तों के विरुद्ध उन्हें अपराध में आलिप्त करने से संबंधित उसका परिसाक्ष्य अविश्वसनीय है और उसकी विश्वसनीयता आपत्तिजनक है । इस पृष्ठभूमि में, विद्वान् विचारण न्यायालय ने शिकायतकर्ता तथा 9 प्रत्यक्षदर्शी साक्षियों के परिसाक्ष्य को अभियुक्तों के विरुद्ध दोषसिद्ध करने के लिए ठीक ही अविश्वसनीय ठहराया है ।

12. अतः, कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि हमारा विद्वान् विचारण न्यायालय द्वारा निकाले गए निष्कर्षों से पूर्णतया समाधान हो गया है और हम इस अपील में आक्षेपित निर्णय में हस्तक्षेप करने के लिए आनत नहीं हैं ।

13. परिणामतः यह अपील निष्फल होती है और एतद्द्वारा खारिज की जाती है ।

अपील खारिज की गई ।

अस./पा.

हरबंस लाल

बनाम

हिमाचल प्रदेश राज्य

तारीख 11 मार्च, 2016

न्यायमूर्ति राजीव शर्मा और न्यायमूर्ति पी. एस. राणा

दंड संहिता, 1860 (1860 का 45) – धारा 302 और 201 [सपठित साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 68 और 65ख तथा दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 154] – हत्या – प्रत्यक्षदर्शी साक्षी का अभाव – हेतुक का अभाव – पारिस्थितिक साक्ष्य – अभियुक्त का पश्चात्वर्ती आचरण संदेहपूर्ण नहीं होना – दोषसिद्धि – जहां हत्या के मामले में, प्रत्यक्षदर्शी साक्षी के अभाव में, मात्र पारिस्थितिक साक्ष्य पर दोषसिद्धि की जाती है तो यह तभी कायम रखी जा सकती है जबकि अपराध को जोड़ने वाली परिस्थितियों की कड़ियां पूर्ण होती हों और उन्हें अभिलेख पर इस प्रकार से सिद्ध कर दिया जाता है कि उक्त अपराध को कारित करने के बारे में कोई भी युक्तियुक्त संदेह न बचता हो कि उक्त अपराध किसी और व्यक्ति ने कारित नहीं किया है ।

वर्तमान मामले में, अभियोजन पक्षकथन यह है कि तारीख 30 अक्तूबर, 2012 को पूर्वाह्न लगभग 7.30 बजे महिन्दर पाल, प्रधान, ग्राम पंचायत, पंजारा, ने पुलिस थाना, नूरपुर को टेलीफोन से यह सूचित किया कि एक व्यक्ति शराब की दुकान, गनोह के पास नाले में बेहोश पड़ा हुआ है । निरीक्षक बृजमोहन शर्मा की अगुआई में पुलिस दल अन्य पुलिस कर्मियों के साथ घटनास्थल पर गया और शराब की दुकान, गनोह के पास नाले में शशि पाल शर्मा (मृतक) का शव पड़ा पाया । शव को मरणोत्तर परीक्षा के लिए सिविल अस्पताल, नूरपुर लाया गया । मृतक का भाई, रामपाल शर्मा (शिकायतकर्ता) ने दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 154 के अधीन यह कथन किया कि शशि पाल शर्मा (मृतक) उसका छोटा भाई था । तारीख 30 अक्तूबर, 2012 को पूर्वाह्न लगभग 8.30 बजे टेलीफोन संदेश से यह शिकायत प्राप्त हुई थी कि उसके भाई का शव गनोह में पड़ा हुआ है । शिकायतकर्ता ने सिविल अस्पताल नूरपुर में अपने भाई के शव की शनाख्त की । उसके वक्ष, प्राइवेट भाग और दोनों टांगों पर क्षतियां पाई

गई थीं । तारीख 29 अक्तूबर, 2012 को अपराह्न लगभग 4.00-4.30 बजे मृतक अपने मोबाइल पर टेलीफोन संदेश प्राप्त करने के लिए अपने स्कूटर पर अपने घर से गया था । शिकायतकर्ता ने यह संदेह व्यक्त किया कि वह व्यक्ति जिसने मृतक को बुलाया था उसने उसके भाई की हत्या की है । शिकायतकर्ता के इस कथन पर प्रथम इत्तिला रिपोर्ट दर्ज की गई थी । अन्वेषण के दौरान मृतक का मरणोत्तर परीक्षा सिविल अस्पताल नूरपुर में कराया गया था और विशेषज्ञ की राय के पश्चात्, चिकित्साधिकारी ने यह राय दी थी कि मृतक की मृत्यु कुंद वक्ष आघात के कारण हुई थी । अन्वेषण के दौरान यह भी प्रकट हुआ था कि तारीख 29 अक्तूबर, 2012 को जब अभियुक्त अपने क्वार्टर में कुलदीप सिंह, श्याम कुमार और मिल्खी राम के साथ शराब पी रहा था तो उसने मृतक, विजय कुमार, अजीत सिंह और ओंकार सिंह को अपने मोबाइल फोन से अपने क्वार्टर में बुलाया था । वे अपने स्कूटर से अभियुक्त के क्वार्टर में आए थे और शराब पी । शराब पीने के पश्चात्, अजीत सिंह, ओंकार सिंह, विजय कुमार और कुलदीप सिंह ने मृतक का क्वार्टर छोड़ दिया था और शराब पीने के लिए गनोह स्थित जसविन्दर सिंह के ढाबे पर चले गए थे । अभियुक्त भी अपनी मोटरसाइकिल से घटनास्थल पर आया था । कुलदीप सिंह ने पूछा था कि मृतक कहां गया था । अभियुक्त ने यह बताया था कि वह उसे गनोह बस स्टैंड पर छोड़ने गया था । तारीख 30 अक्तूबर, 2012 को मृतक का शव बरामद हुआ था । अभियुक्त ने टेलीफोन से यह कहा था कि अशोक कुमार, ओंकार सिंह और मिल्खी राम ने अभियुक्त का स्कूटर छिपाया था । मृतक की पत्नी आत्मा देवी ने भी तारीख 20 अक्तूबर, 2012 को अपराह्न 6.00 बजे से 7.00 बजे के बीच टेलीफोन किया किंतु उसे कोई उत्तर नहीं मिला । अभियुक्त गिरफ्तार हुआ था । अन्वेषण समाप्त होने पर, सभी नियमानुसार औपचारिकताएं पूरी करने के पश्चात् चालान प्रस्तुत किया गया था । अभियोजन पक्ष ने अपने मामले को साबित करने के लिए, कम से कम 25 साक्षियों की परीक्षा की । अभियुक्त की भी दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 313 के अधीन परीक्षा हुई । उसने अभियोजन पक्षकथन से इनकार किया और निर्दोष होना अभिवाचित किया । विद्वान् विचारण ने अभियुक्त को इसमें उपर्युक्त उल्लिखित रूप में सिद्धदोष और दंडादिष्ट किया । अतः यह अपील फाइल की गई । श्री अनूप चिटकारा, अधिवक्ता ने यह जोरदार तर्क दिया कि अभियोजन पक्ष अभियुक्त के विरुद्ध युक्तियुक्त संदेह के परे मामले को साबित करने में असफल रहा है । दूसरी ओर, राज्य के अपर महाधिवक्ता श्री एम. ए. खान ने विद्वान् विचारण न्यायालय के तारीख 17

अक्तूबर, 2015 के निर्णय का समर्थन किया है । न्यायालय द्वारा अपील मंजूर करते हुए,

अभिनिर्धारित – विचारण न्यायालय के अनुसार, अभियोजन पक्ष ने अपने पक्षकथन को साबित करने के अनुक्रम में, मुख्यतः निम्नलिखित परिस्थितियों का अवलंब लिया है – (i) शशि पाल शर्मा की मृत्यु, मानव वध था । (ii) तारीख 29 अक्तूबर, 2012 को अपराह्न लगभग 3.15 बजे अभियुक्त ने अपने मोबाइल फोन से शशि पाल शर्मा को गनोह स्थित अपने क्वार्टर पर बुलाया था । (iii) शशि पाल शर्मा, घटना के दिन सायंकाल में अभियुक्त के साथ अंतिम बार देखा गया था । (iv) अभियुक्त का पश्चात्वर्ती आचरण । (v) अभियुक्त के अहाते से मृतक का स्कूटर बरामद होना । (vi) अभियुक्त के दोनों जूते बरामद होना । न्यायालय ने उसी अनुक्रम में परिस्थितियों का उल्लेख किया जिनमें इन पर विद्वान् विचारण न्यायालय द्वारा चर्चा की गई है । प्रथम परिस्थिति यह है कि शशि पाल शर्मा की मृत्यु मानव वध थी । शव को तारीख 30 अक्तूबर, 2012 को प्रातःकाल में देखा गया था । अभि. सा. 1 राम पाल, घटनास्थल पर गया था और उसने अपने भाई के शव की शनाख्त की थी । शव, ग्राम गनोह स्थित गंदे पानी के नाले में पड़ा था । उसने अपने भाई के शव का निरीक्षण किया था । शव नग्न अवस्था में था और उसकी होंठों और प्राइवेट अंगों पर क्षतियां कारित हुई थीं । मरणोत्तर परीक्षा, अभि. सा. 16 डा. मुकेश भारद्वाज द्वारा किया गया था । वह मृत्यु के कारण के बारे में कोई अंतिम राय नहीं दे सका था । उसने विशेषज्ञ न्यायालयिक राय के लिए मामले को आर. पी. जी. एम. सी. स्थानांतरित कर दिया था, तथापि, उसके कथन में यह आया है कि विसरा की रासायनिक विश्लेषण रिपोर्ट के अनुसार, ईथाइल ऐल्कोहल 43.42 मि. ग्रा. पाया गया था । इसके पश्चात्, मरणोत्तर परीक्षा, पुनः अभि. सा. 15 डा. राहुल गुप्ता के साथ अभि. सा. 22 डा. विजय अरोड़ा द्वारा की गई थी । उनके अनुसार, मृतक की मृत्यु वक्ष के कुंद आघात के कारण हुई थी । मृत्यु और मरणोत्तर परीक्षा के बीच व्यतीत संभाव्य समय द्वितीय मरणोत्तर परीक्षा के पूर्व लगभग 36 से 48 घंटे थे । अभि. सा. 22 डा. विजय अरोड़ा के अनुसार, मृत्यु के समय पर पेशाब (रक्त) का ऐल्कोहल स्तर 172.50 मि. ग्रा. प्रतिशत था और अभि. सा. 16 डा. मुकेश भारद्वाज के अनुसार, आर. एफ. एस. एल., धर्मशाला से विसरा की रासायनिक विश्लेषण के अनुसार, ईथाइल ऐल्कोहल 43.42 मि. ग्रा. प्रतिशत पाया गया था । अभि. सा. 22 डा. विजय अरोड़ा ने अपनी प्रतिपरीक्षा में यह स्वीकार किया है कि मानव वध की दशा में, प्राइवेट अंगों पर क्षतियां लैंगिक ईर्ष्या के कारण

कारित हो सकती हैं यदि हमलावर को यह विश्वास या संदेह हो कि मृतक लैंगिक संबंध बनाना चाहता है । रक्त ऐल्कोहल में ईथाइल ऐल्कोहल की मात्रा में भिन्नता है अर्थात् 172.50 मि. ग्रा. प्रतिशत और 43.42 मि. ग्रा. प्रतिशत । अभि. सा. 16 डा. मुकेश भारद्वाज ने यह अभिसाक्ष्य दिया है कि ईथाइल ऐल्कोहल विसरा में पाया गया था किन्तु रिपोर्ट प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 23/ए और प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 23/सी के अनुसार, ईथाइल ऐल्कोहल मृतक के रक्त में पाया गया था । रासायनिक विश्लेषण रिपोर्ट, प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 23/ए के अनुसार रक्त ऐल्कोहल स्तर 172.50 मि. ग्रा. प्रतिशत था । यह उच्च स्तर पर था । लियान के मेडिकल ज्यूरिसप्रूडेंस एण्ड टाक्सीकोलाजी, 11वां संस्करण, पेज 626 के अनुसार, एक व्यक्ति के रक्त ऐल्कोहल सान्द्रता 150-300 मि. ग्रा. प्रतिशत है तो वह नशे में होगा । इसी प्रकार, डा. के. एस. नारायण रेड्डी के मेडिकल ज्यूरिसप्रूडेंस एण्ड टाक्सीकोलाजी, संस्करण 2004 (रिप्रिंट), पेज 590 के अनुसार एक व्यक्ति जो 150-300 मि. ग्रा. प्रतिशत शराब पीता है वह नशे में होगा । पारिख के टेस्ट बुक, मेडिकल ज्यूरिसप्रूडेंस एण्ड टाक्सीकोलाजी, पृष्ठ 855 में यह कथित है कि जो कोई 0.15 प्रतिशत (150 एम. जी. प्रतिशत) शराब पीता है वह ऐल्कोहल के प्रभाव में होता है और अन्य यह विनिश्चित कर सकते हैं कि उसने शराब पी है । सान्द्रता बढ़ने के साथ रोग लक्षण अत्यन्त तीव्र हो जाते हैं । रिपोर्ट में यह आया है कि क्षतियां मृतक के प्राइवेट अंगों पर पाई गईं थीं । अभिलेख पर यह भी आया है कि मृतक और अभियुक्त के बीच कोई शत्रुता नहीं थी । (पैरा 18, 19, 20 और 21)

अब, न्यायालय द्वितीय परिस्थिति का उल्लेख करेगा अर्थात् क्या अभियुक्त ने शशि पाल शर्मा को तारीख 29 अक्तूबर, 2012 को अपराह्न 3.15 बजे मोबाइल फोन से बुलाया था । अभि. सा. 4 अपर्णा शर्मा के अनुसार तारीख 29 अक्तूबर, 2012 को अपराह्न लगभग 3.00/3.15 बजे अभियुक्त ने उसके पति को बुलाया था और उसके पति ने उससे यह कहा था कि अभियुक्त हरबंस बुला रहा है और वह 10-15 मिनट पश्चात् वापस लौटेगा । इसके पश्चात् उसके पति उस दिन 4-5 बजे तक भी वापस नहीं आए । इसके पश्चात्, उसने टेलीफोन से अपने पति से सम्पर्क करने की कोशिश की और अपराह्न 6.30 बजे तक मोबाइल घंटी बजती रही और उसके बाद उनका मोबाइल बन्द हो गया था । मध्यरात्रि लगभग 12.00 बजे उसने अपने फोन से अभियुक्त हरबंस लाल से सम्पर्क करने की कोशिश की किन्तु उसने उसका मोबाइल काल नहीं उठाया । तारीख 30 अक्तूबर, 2012 को प्रातःकाल में वह अपने भाई और जेठ (राम पाल) के

पास भागी और उन्हें घटना के बारे में सूचित किया । उसका आचरण अप्रायिक था । यदि उसका पति सायंकाल तक वापस नहीं आया था तो उसे तत्काल ही अपने भाई और जेठ से सम्पर्क करना चाहिए था । उसने प्रातः में ही उनसे सम्पर्क किया । अभियोजन पक्ष ने हरबंस लाल के मोबाइल नम्बर 9459575305 का काल विवरण, ओंकार सिंह के मोबाइल का काल विवरण प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 25/सी के माध्यम से, रोहित पुत्र कुलदीप के मोबाइल का काल विवरण प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 25/डी के माध्यम से, शशि पाल के मोबाइल का काल विवरण प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 25/ई के माध्यम से, विजय कुमार पटवारी के मोबाइल का काल विवरण प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 25/एफ के माध्यम से और अजित सिंह के मोबाइल का काल विवरण प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 25/जी के माध्यम से, अभिलेख पर रखा । काल विवरण अभिलेखों को सम्यक् रूप से साबित करने के अनुक्रम में अभियोजन पक्ष को यह साबित करना अपेक्षित था कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 65ख के उपबंधों का उसकी भाषा और भावना के अनुरूप अनुपालन किया गया है । यह साबित करना अपेक्षित था कि कम्प्यूटर निर्गत में अन्तर्विष्ट सूचना उस अवधि के दौरान प्रस्तुत की गई है जिस दौरान कम्प्यूटर का नियमित तौर पर प्रयोग किया गया था और इलैक्ट्रानिक अभिलेख में अन्तर्विष्ट सूचना उक्त क्रियाकलापों के साधारण अनुक्रम में नियमित तौर पर कम्प्यूटर में फीड किए गए थे और कम्प्यूटर का नियमित तौर पर प्रयोग होता था । प्रमाणपत्र को भी धारा 65ख(4) के अनुसार, अन्तर्विष्ट कथन और वर्णित तरीके से दिया जाना अपेक्षित था जिसमें यह प्रस्तुत किया गया था जिसमें सविस्तार डिवाइस दिया गया था जिसमें उस इलैक्ट्रानिक्स रिकार्ड का प्रस्तुतीकरण अन्तर्विष्ट था, जैसा कि समुचित हो सकता था । इसे उत्तरदायी हैसियत धारण करने वाले व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित किया जाना था । (पैरा 22 और 23)

विद्वान् विचारण न्यायालय द्वारा अवलंब लिया गया तृतीय परिस्थिति यह है शशि पाल शर्मा, (मृत) को तारीख 29 अक्तूबर, 2012 को सायंकाल में अभियुक्त के साथ अंतिम बार देखा गया था । अभियोजन पक्ष ने अभि. सा. 8 ओंकार सिंह, अभि. सा. 11 अजित सिंह और अभि. सा. 13 मिल्खी राम के कथनों का अवलंब लिया है । अभि. सा. 8 ओंकार सिंह ने यह अभिसाक्ष्य दिया कि हरबंस ने उससे मिलने के लिए अपने क्वार्टर पर बुलाया था । 15 मिनट के पश्चात् कुलदीप ने उसे काल किया और उसने भी अभियुक्त के क्वार्टर पर उसे आमंत्रित किया । अपराह्न लगभग 3.00

बजे, वह हरबंस के क्वार्टर पर पहुंचा जहां अभियुक्त के साथ श्याम कुमार और कुलदीप शराब पी रहे थे । अभियुक्त ने शराब के लिए उससे धन की मांग की और उसके मांगने पर उसने श्याम कुमार **उर्फ** भोला को 200/- रुपए दिए । श्याम कुमार शराब की बोतल लेने के लिए कहीं गया और 15-20 मिनटों के पश्चात् रम की बोतल के साथ वापस लौटा । वे शराब की उस बोतल से आधा बोतल शराब पहले ही पी चुके थे जिसे वे पी रहे थे । कुछ समय पश्चात्, शशि पाल वहां आया जो नशे की दशा में था । शशि पाल और अभियुक्त गले मिले और एक दूसरे का हालचाल पूछा । इसके पश्चात्, वह उसके घर गया और पूरी रात वहां रहा । अपनी प्रतिपरीक्षा में उसने यह स्वीकार किया कि शशि पाल और अभियुक्त हरबंस के बीच पिछले 4-5 वर्षों से मित्रता थी । उस दुर्भाग्यपूर्ण दिन को भी उसने उनके बीच कोई झगड़ा नोटिस नहीं किया । अभि. सा. 11 अजित सिंह ने यह अभिसाक्ष्य दिया कि वह ग्राम गनोह पहुंचा था । वह अभियुक्त के कमरे में गया । उस समय पर, विजय कुमार पटवारी, कुलदीप, मिल्खी राम, श्याम कुमार **उर्फ** भोला बैठे हुए थे और शराब पी रहे थे । वे आधा बोतल शराब पहले ही पी चुके थे और आधा बोतल शराब शेष थी । इसी बीच में, अभियुक्त शशि पाल अभियुक्त के कमरे में आया । शेष शराब पांच गिलासों में परोसी गई थी । मृतक शशि पाल उस समय पर शराब नहीं परोस रहा था । स्वैच्छिक तौर पर यह प्रतीत होता है कि वह पहले ही शराब पी चुका था । शशि पाल का स्कूटर सड़क पर पार्क था और वह हरबंस से यह निवेदन कर रहा था कि वह अपने घर के अहाते में उसका स्कूटर पार्क कर दे । उसकी उपस्थिति में, अभियुक्त और मृतक के बीच कोई झगड़ा या बहस नहीं हुई थी । अभि. सा. 13 मिल्खी राम ने यह अभिसाक्ष्य दिया कि उसने अभियुक्त हरबंस लाल को 300/- रुपए प्रतिमाह की दर पर अपना घर किराए पर दिया था । अभियुक्त हरबंस लगभग 6 वर्षों से उस घर में रह रहा था । अभियुक्त ने लगभग 6 माह पूर्व उस घर को खाली किया था । उसे पक्षद्रोही घोषित कर दिया गया था और विद्वान् लोक अभियोजक द्वारा उसकी प्रतिपरीक्षा की गई थी । उसने यह स्वीकार किया कि वह अपराह्न लगभग 4.45 बजे अभियुक्त के घर गया था जहां हरबंस, विजय, कुलदीप और श्याम कुमार **उर्फ** भोला शराब पी रहे थे । उसने भी शराब का एक पैग पिया । उसने इस बात से इनकार किया कि अभियुक्त और मृतक वहां रुके रहे । स्वैच्छिक तौर पर, उन सभी ने अभियुक्त के साथ घर छोड़ दिया था । उसने इस सुझाव से इनकार किया कि अपराह्न लगभग 9.00 बजे उसने शशि पाल से एक टेलीफोन काल प्राप्त

किया जिसमें उससे मृतक शशि पाल की स्कूटर छिपाने को कह रहा था । अभि. सा. 13 मिल्खी राम के कथन में यह भी आया है कि उनमें से सभी ने अभियुक्त हरबंस लाल का घर एक साथ छोड़ दिया था । अभि. सा. 8 ओंकार सिंह ने यह कथन किया है कि मृतक नशे की हालत में प्रतीत हो रहा था । अभि. सा. 11 अजित सिंह ने यह अभिसाक्ष्य दिया कि मृतक ने उस समय पर शराब नहीं परोसी थी और स्वैच्छिक तौर पर यह प्रतीत होता है कि उसने पहले से ही शराब पी रखी थी । इस प्रकार, मृतक, अभि. सा. 8 ओंकार सिंह, अभि. सा. 11 अजित सिंह और अभि. सा. 13 मिल्खी राम के साथ था और उन्होंने एक साथ शराब पी थी । किसी भी साक्षी ने यह अभिसाक्ष्य नहीं दिया है कि अभियुक्त और मृतक घर में अकेले रह गए थे । शव को तारीख 30 अक्तूबर, 2012 को प्रातःकाल में ही बरामद किया गया था । अन्वेषक अधिकारी, अभि. सा. 24 उप निरीक्षक बृज मोहन ने अपनी प्रतिपरीक्षा में इस सुझाव से इनकार किया है कि तारीख 29 अक्तूबर, 2012 को सायंकाल में गनोह या इसके आस-पास किसी स्थान में अभियुक्त के साथ में अकेले होने के नाते मृतक के साथ अंतिम बार देखे जाने का कोई साक्ष्य नहीं है । उसने यह भी स्वीकार किया कि अभियोजन कहानी के अनुसार, मृतक तारीख 29 अक्तूबर, 2012 को अपराह्न लगभग 3.30 बजे से 4.00 बजे के बीच अभिकथित अभियुक्त और अन्यों के साथ शराब पी रहा था और मृतक का शव तारीख 30 अक्तूबर, 2012 को गनोह छप्पर में प्रातःकाल लगभग 8.00 से 8.30 बजे के बीच बरामद हुआ था । उसने यह स्वीकार किया कि दोनों घटनाओं के बीच लम्बा अन्तराल था । उसने यह भी स्वीकार किया कि दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 161 अथवा धारा 164 के अधीन किसी भी साक्षी ने यह अभिसाक्ष्य नहीं दिया है कि उसने तारीख 29 अक्तूबर, 2012 को सायंकाल में मृतक को अभियुक्त के साथ अकेले में देखा है । उसने यह भी स्वीकार किया कि अन्वेषण के दौरान, यह पाया गया था कि अभिकथित अभियुक्त और मृतक के बीच संबंध तनावपूर्ण नहीं थे । इस प्रकार, यह नहीं कहा जा सकता है कि मृतक, मृत्यु के पूर्व अंतिम बार अभियुक्त के साथ देखा गया था । पारिस्थितिक साक्ष्य से संबंधित मामलों में, अभियोजन पक्ष को सम्पूर्ण कड़ियों को साबित करना होता है । सभी परिस्थितियां अनन्य रूप से अभियुक्त की दोषिता के बारे में होनी चाहिए । पारिस्थितिक साक्ष्य पर आधारित मामलों में, हेतुक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है । वर्तमान मामले में, अभियोजन पक्ष मृतक की हत्या करने के लिए अभियुक्त का कोई हेतुक दर्शित नहीं कर पाया है । अभि. सा. 24

उप निरीक्षक बृज मोहन ने अपनी प्रतिपरीक्षा में यह स्वीकार किया है कि उसने अन्वेषण के दौरान अभिकथित अपराध करने के लिए कोई हेतुक नोटिस नहीं किया था । अभि. सा. 8 ओंकार सिंह, अभि. सा. 11 अजीत सिंह, अभि. सा. 13 मिल्खी राम और अभि. सा. 24 उप निरीक्षक बृज मोहन के अनुसार अभियुक्त और मृतक के बीच संबंध सौहार्दपूर्ण थे । अभि. सा. 24 उप निरीक्षक बृज मोहन ने यह भी अभिसाक्ष्य दिया है कि अन्वेषण के दौरान इस बारे में कोई साक्ष्य नहीं पाया गया है कि अभियुक्त का पत्नी या प्रेमिका के साथ विवाहेतर संबंध थे । उसने यह भी स्वीकार किया कि किराए का घर राजमार्ग पर था । उसने यह भी स्वीकार किया कि वह स्थान जहां से शव बरामद किया गया वह कई दुकानों, जिसमें शराब की दुकानें सम्मिलित थीं, से घिरा हुआ था । (पैरा 25, 26, 27 और 28)

विद्वान् विचारण न्यायालय द्वारा अवलंब लिया गया चतुर्थ परिस्थिति, अभियुक्त का पश्चात्वर्ती आचरण है । विद्वान् विचारण न्यायालय के अनुसार, अभियुक्त ने अभि. सा. 4 अपर्णा शर्मा का मोबाइल फोन नहीं उठाया था । उसके अनुसार, मृतक को अभियुक्त ने अपराह्न लगभग 3.15 बजे बुलाया था । उसने उसे बताया था कि वह 10-15 मिनटों के भीतर वापस आएगा । इसके पश्चात्, उसके पति कभी भी वापस नहीं आए । उसने टेलीफोन से अपने पति से सम्पर्क करने की कोशिश की थी किन्तु अपराह्न 6.30 बजे तक घंटी बजती रही थी और उसके बाद, मोबाइल बन्द हो गया था । मध्य रात्रि लगभग 12.00 बजे उसने अपने फोन से अभियुक्त हरबंस लाल से सम्पर्क करने की कोशिश की, किन्तु उसने उसका काल नहीं उठाया । यह अभि. सा. 4 अपर्णा शर्मा का अप्रायिक आचरण है । उसे तत्काल ही अपने पति के भाई अभि. सा. 1 रामपाल या अभि. सा. 2 पंकज भारद्वाज से सम्पर्क करना चाहिए था । उसने उनसे तारीख 30 अक्तूबर, 2012 के प्रातःकाल में ही सम्पर्क किया । अभियोजन पक्ष अभियुक्त हरबंस लाल से अपर्णा शर्मा (मृतक की पत्नी) की टेलीफोन संख्या को जोड़ नहीं पाया है । पुलिस ने हरबंस लाल, ओंकार सिंह, रोहित, शशि पाल, विजय कुमार और अजीत सिंह के टेलीफोन संख्याओं का काल वर्णन ही कब्जे में लिया है । इस प्रकार, यह नहीं कहा जा सकता है कि हरबंस लाल ने जानबूझकर अपर्णा शर्मा का फोन नहीं उठाया था । विद्वान् विचारण न्यायालय द्वारा अवलंब लिया गया पंचम् और षष्ठम् परिस्थिति, अभियुक्त के अहाते से मृतक के स्कूटर की बरामदगी और अभियुक्त के जूतों के जोड़े की बरामदगी है । अभि. सा. 8

ओंकार सिंह ने यह अभिसाक्ष्य दिया है कि पूर्वाह्न लगभग 9.00 बजे अभियुक्त ने एक टेलीफोन काल किया और उससे उस स्कूटर को कहीं छिपाने के लिए कहा जो उसके क्वार्टर के बाहर पार्क था । उसने ऐसा करने से मना कर दिया था । अभि. सा. 11 अजीत सिंह ने यह अभिसाक्ष्य दिया है कि शशि पाल का स्कूटर सड़क पर पार्क था और यह कि वह हरबंस लाल से यह निवेदन कर रहा था कि वह उसके घर के अहाते में अपना स्कूटर पार्क करे । इसी बीच में, वह उसके घर से बाहर चला गया । अपनी प्रतिपरीक्षा में उसने यह स्वीकार किया है कि उसने ओंकार सिंह को उस समय अभियुक्त के कमरे में नहीं देखा था, जब शशि पाल अभियुक्त से यह निवेदन कर रहा था कि उसके आवास में अपना स्कूटर पार्क करे । उसके अनुसार, उसकी उपस्थिति में अभियुक्त और मृतक के बीच कोई झगड़ा या वाद-विवाद भी नहीं हुआ था । अभि. सा. 3 मिल्खी राम पक्षद्रोही घोषित हो गया था और विद्वान् लोक अभियोजन द्वारा उसकी प्रतिपरीक्षा की गई थी । उसने इस सुझाव से इनकार किया है कि अपराह्न लगभग 9.00 बजे उसने हरबंस लाल से एक काल प्राप्त किया जिसमें उसने उससे मृतक शशि पाल का स्कूटर छिपाने के लिए कह रहा था । अभि. सा. 9 अशोक कुमार ने यह अभिसाक्ष्य दिया है कि पूर्वाह्न लगभग 10.00 बजे उसके मोबाइल पर अभियुक्त ने एक काल किया था । अभियुक्त ने उससे पूछा कि वह कहां है । अभियुक्त ने यह देखने के लिए पुनः एक काल किया कि क्या कोई स्कूटर वहां पार्क है या नहीं । वह हरबंस के क्वार्टर में गया और वहां एक स्कूटर पार्क पाया । उसे स्कूटर की संख्या याद नहीं है । यदि वह अभियुक्त के घर गया और वहां स्कूटर पार्क पाया तो उसे निश्चित तौर पर, स्कूटर का रजिस्ट्रीकरण संख्या याद होगा । इसके अतिरिक्त, अभियुक्त के घर में स्कूटर की मौजूदगी का कोई परिणाम नहीं है क्योंकि अभियोजन पक्ष के अनुसार, मृतक स्कूटर पर शराबी की दशा में अभियुक्त के घर गया था । अभि. सा. 5 हेड कांस्टेबल तारसेम सिंह के अनुसार, अभियुक्त ने तारीख 16 नवम्बर, 2012 को अपने जूते अन्वेषक अधिकारी को सौंपे थे जिसके बारे में, यह अभिकथित है कि उससे अभियुक्त ने मृतक शशि पाल को पीटा था । इन्हें ज्ञापन प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 5/ए द्वारा कब्जे में लिया गया था । मृतक का शव, तारीख 30 अक्तूबर, 2012 को प्रातःकाल में बरामद हुआ था । जूते तारीख 16 नवम्बर, 2012 को ही बरामद हुए थे । अभि. सा. 5 हेड कांस्टेबल तारसेम सिंह ने यह स्वीकार किया है कि उस समय कोई साक्षी उपलब्ध नहीं था

जब अभियुक्त के संस्वीकृति कथन अभिलिखित किए गए थे । उसने यह भी स्वीकार किया कि अभियुक्त तारीख 16 नवम्बर, 2012 को पुलिस अभिरक्षा में था । तारीख 16 नवम्बर, 2012 को जूते बरामदगी के साथ ही अभियुक्त द्वारा किए गए कथन को अभिलिखित करते समय स्वतंत्र साक्षी अवश्य ही होने चाहिए थे । घटनाओं की कड़ियां अपूर्ण हैं । अभियोजन पक्ष ने इस बारे में कोई हेतुक दर्शित नहीं किया है कि क्यों अभियुक्त ने मृतक की हत्या की होगी । "अंतिम बार एक साथ देखे जाने" की कहानी को अभियोजन पक्ष द्वारा साबित नहीं किया गया है । अभियुक्त के प्रकट कथन को अभिलिखित करते समय स्वतंत्र साक्षियों की अनुपस्थिति में जूतों की बरामदगी भी संदेह पूर्ण है । इलैक्ट्रोनिक साक्ष्य को भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 65ख के अनुसार साबित नहीं किया गया है । मृतक के रक्त में ईथाइल ऐल्कोहल की मात्रा 172.50 मिलीग्राम प्रतिशत था । इस प्रकार, अभियोजन पक्ष अभियुक्त के विरुद्ध युक्तियुक्त संदेह के परे, मामला साबित करने में असफल रहा है । (पैरा 33, 34, 35 और 36)

निर्दिष्ट निर्णय

		पैरा
[2014]	(2014) 10 एस. सी. सी. 473 : **अनवर पी. वी.** बनाम **पी. के. बशीर और अन्य** ;	24
[2013]	(2013) 7 एस. सी. सी. 192 : **मजेन्दरन लंगेश्वरन्** बनाम **राज्य (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली) और एक अन्य** ;	31
[2013]	(2013) 12 एस. सी. सी. 551 : **ऋषिपाल** बनाम **उत्तराखंड राज्य** ;	32
[2012]	(2012) 12 एस. सी. सी. 627 : **सत्य नारायण** बनाम **राज्य** मार्फत **पुलिस निरीक्षक** ;	30
[2011]	(2011) 14 एस. सी. सी. 674 : **दान्दू जग्गराजू** बनाम **आंध्र प्रदेश राज्य** ।	29

अपीली (दांडिक) अधिकारिता : 2015 की दांडिक अपील सं. 531.

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 374 के अधीन अपील ।

अपीलार्थी की ओर से श्री अनूप चितकारा, अधिवक्ता

प्रत्यर्थी की ओर से श्री एम. ए. खान, अपर महाधिवक्ता

न्यायालय का निर्णय न्यायमूर्ति राजीव शर्मा ने दिया ।

न्या. शर्मा – यह अपील विद्वान् अपर सेशन न्यायाधीश (I), कांगड़ा, धर्मशाला, हिमाचल प्रदेश द्वारा 2013 की सेशन वाद सं. 1-एन/VII में पारित तारीख 17 दिसंबर, 2015 के निर्णय के विरुद्ध संस्थित की गई है, जिसके द्वारा अपीलार्थी-अभियुक्त, (जिसे इसमें इसके पश्चात् "अभियुक्त" कहा गया है), जिसे भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 302 और 301 के अधीन दंडनीय अपराधों के लिए आरोपित और विचारित किया गया था, को सिद्धदोष किया गया है और कठोर आजीवन कारावास से दंडादिष्ट किया गया है तथा 10,000/- रुपए के जुर्माना संदाय करने से भी दंडादिष्ट किया गया है और जुर्माना संदाय करने में व्यतिक्रम करने पर, भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 302 के अधीन एक वर्ष के लिए अतिरिक्त कठोर कारावास भोगने से भी दंडादिष्ट किया गया है । उसे भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 201 के अधीन दंडनीय अपराध के लिए दो वर्ष के कठोर कारावास भोगने से भी सिद्धदोष और दंडादिष्ट किया गया है और 1,000/- रुपए जुर्माना संदाय करने से भी दंडादिष्ट किया गया है । जुर्माना संदाय करने में व्यतिक्रम करने पर, उसे तीन माह की अवधि के लिए अतिरिक्त कठोर कारावास भोगने से भी दंडादिष्ट किया गया है ।

2. संक्षेप में, अभियोजन पक्षकथन यह है कि तारीख 30 अक्तूबर, 2012 को पूर्वाह्न लगभग 7.30 बजे महिन्दर पाल, प्रधान, ग्राम पंचायत, पंजारा, ने पुलिस थाना, नूरपुर को टेलीफोन से यह सूचित किया कि एक व्यक्ति शराब की दुकान, गनोह के पास नाला में बेहोश पड़ा हुआ है । निरीक्षक बृजमोहन शर्मा की अगुआई में पुलिस दल अन्य पुलिस कर्मियों के साथ घटनास्थल पर गया और शराब की दुकान, गनोह के पास नाले में शशि पाल शर्मा (मृतक) का शव पड़ा पाया । शव को मरणोत्तर परीक्षा के लिए सिविल अस्पताल, नूरपुर लाया गया । मृतक का भाई, रामपाल शर्मा (शिकायतकर्ता) ने दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 154 के अधीन यह कथन किया कि शशि पाल शर्मा (मृतक) उसका छोटा भाई था । तारीख 30 अक्तूबर, 2012 को पूर्वाह्न लगभग 8.30 बजे टेलीफोन संदेश से यह शिकायत प्राप्त हुई थी कि उसके भाई का शव गनोह में पड़ा हुआ है । शिकायतकर्ता ने सिविल अस्पताल नूरपुर में अपने भाई के शव की शनाख्त

की । उसके वक्ष, प्राइवेट भाग और दोनों टांगों पर क्षतियां पाई गईं थीं । तारीख 29 अक्तूबर, 2012 को अपराह्न लगभग 4.00-4.30 बजे मृतक अपने मोबाइल पर टेलीफोन संदेश प्राप्त करने के लिए अपने स्कूटर पर अपने घर से गया था । शिकायतकर्ता ने यह संदेह व्यक्त किया कि वह व्यक्ति जिसने मृतक को बुलाया था उसने उसके भाई की हत्या की है । शिकायतकर्ता के इस कथन पर प्रथम इत्तिला रिपोर्ट दर्ज की गई थी । अन्वेषण के दौरान मृतक का मरणोत्तर परीक्षा सिविल अस्पताल नूरपुर में कराया गया था और विशेषज्ञ की राय के पश्चात्, चिकित्साधिकारी ने यह राय दी थी कि मृतक की मृत्यु कुंद वक्ष आघात के कारण हुई थी । अन्वेषण के दौरान यह भी प्रकट हुआ था कि तारीख 29 अक्तूबर, 2012 को जब अभियुक्त अपने क्वार्टर में कुलदीप सिंह, श्याम कुमार और मिल्खी राम के साथ शराब पी रहा था तो उसने मृतक, विजय कुमार, अजीत सिंह और ओंकार सिंह को अपने मोबाइल फोन से अपने क्वार्टर में बुलाया था । वे अपने स्कूटर से अभियुक्त के क्वार्टर में आए थे और शराब पी । शराब पीने के पश्चात्, अजित सिंह, ओंकार सिंह, विजय कुमार और कुलदीप सिंह ने मृतक का क्वार्टर छोड़ दिया था और शराब पीने के लिए गनोह स्थित जसविन्दर सिंह के ढाबे पर चले गए थे । अभियुक्त भी अपने मोटरसाइकिल से घटनास्थल पर आया था । कुलदीप सिंह ने पूछा था कि मृतक कहां गया था । अभियुक्त ने यह बताया था कि वह उसे गनोह बस स्टैंड पर छोड़ने गया था । तारीख 30 अक्तूबर, 2012 को मृतक का शव बरामद हुआ था । अभियुक्त ने टेलीफोन से यह कहा था कि अशोक कुमार, ओंकार सिंह और मिल्खी राम ने अभियुक्त का स्कूटर छिपाया था । मृतक की पत्नी अपर्णा देवी ने भी तारीख 29 अक्तूबर, 2012 को अपराह्न 6.00 बजे से 7.00 बजे के बीच टेलीफोन किया किंतु उसे कोई उत्तर नहीं मिला । अभियुक्त गिरफ्तार हुआ था । अन्वेषण समाप्त होने पर, सभी नियमानुसार औपचारिकताएं पूरी करने के पश्चात् चालान प्रस्तुत किया गया था ।

3. अभियोजन पक्ष ने अपने मामले को साबित करने के लिए, कम से कम 25 साक्षियों की परीक्षा की । अभियुक्त की भी दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 313 के अधीन परीक्षा हुई । उसने अभियोजन पक्षकथन से इनकार किया और निर्दोष होना अभिवाचित किया । विद्वान् विचारण ने अभियुक्त को इसमें उपर्युक्त उल्लिखित रूप में सिद्धदोष और दंडादिष्ट किया । अतः यह अपील फाइल की गई ।

4. श्री अनूप चितकारा, अधिवक्ता ने यह जोरदार तर्क दिया कि अभियोजन पक्ष अभियुक्त के विरुद्ध युक्तियुक्त संदेह के परे मामले को साबित करने में असफल रहा है । दूसरी ओर, राज्य के अपर महाधिवक्ता श्री एम. ए. खान ने विद्वान् विचारण न्यायालय के तारीख 17 अक्तूबर, 2015 के निर्णय का समर्थन किया है ।

5. दोनों पक्षों के विद्वान् काउंसेल को सुना और मामले के निर्णय और अभिलेखों का ध्यानपूर्वक परिशीलन किया ।

6. अभि. सा. 1 राम पाल, मृतक का भाई है । उसके अनुसार, तारीख 30 अक्तूबर, 2012 को वह अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए रूरपुर स्थित अपने कार्यालय में गया था । पूर्वाह्न लगभग 8.30 बजे उसे किसी व्यक्ति से एक टेलीफोन काल प्राप्त हुआ जिसमें यह सूचित किया कि उसके भाई शशि पाल का शव ग्राम गनोह में गंदे नाले के गड्ढे में पड़ा हुआ है । इसकी जानकारी होने पर वह शव को सी. एच. नूरपुर लाया था । उसने अपने भाई के शव का निरीक्षण किया जो नग्न अवस्था में था और उसकी पसलियों तथा प्राइवेट अंगों पर क्षतियां कारित हुई थीं । शव को पूर्वाह्न लगभग 8.45 बजे अस्पताल लाया गया । इसके पश्चात्, शव को आर. पी. जी. एम. सी. टांडा को स्थानांतरित कर दिया गया । पुलिस द्वारा उसके कथन को प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 1/ए के द्वारा अभिलिखित किया । उसके कथन के आधार पर पुलिस द्वारा प्रथम इत्तिला रिपोर्ट दर्ज की गई । उसे यह जानकारी हुई कि उसके भाई शशि पाल को अभियुक्त द्वारा तारीख 29 अक्तूबर, 2012 को अपराह्न लगभग 4.00 बजे बुलाया गया था । उसने मृतक शशि पाल की पत्नी से भी यह टेलीफोन काल प्राप्त की कि उसका शशि पाल घर नहीं आया है । उसने उससे मृतक के टेलीफोन काल के बारे में भी पूछताछ की और उसने यह कथन किया कि उसका टेलीफोन बन्द था । उसके भाई की अभियुक्त व्यक्ति द्वारा हत्या की गई थी और उसके पश्चात् उसे नग्न अवस्था में गंदे नाले में फेंक दिया था । उसके भाई का स्कूटर भी अभियुक्त के घर के सामने पड़ा था । अपनी प्रतिपरीक्षा में उसने यह अभिसाक्ष्य दिया कि उसके भाई की हत्या उसकी उपस्थिति में, नहीं की गई थी । कम से कम लगभग 4-5 व्यक्ति थे, जिन्होंने उसके भाई की हत्या की है । वह यह नहीं जानता है कि वे 4-5 व्यक्ति कौन थे ।

7. अभि. सा. 2 पंकज भारद्वाज ने यह अभिसाक्ष्य दिया कि तारीख 30 अक्तूबर, 2012 को पूर्वाह्न लगभग 6-6.30 बजे उसने अपनी बहन से

यह काल प्राप्त किया कि उसका जीजा कल अपराह्न 4.00 बजे से घर नहीं पहुंचा है और उसका मोबाइल बन्द था और यह कि मृतक स्कूटर से गया था । उसे पूर्वाह्न लगभग 7.45/8.00 बजे यह जानकारी हुई थी कि उसके जीजा का शव गनोह स्थित गन्दे पानी में पड़ा था । वह घटनास्थल पर गया और वक्ष तक शव डूबा हुआ था और मात्र उसका चेहरा ही दिखाई दे रहा था । पुलिस भी घटनास्थल पर मौजूद थी । मृतक के कपड़े भी बंडल में छप्पर पर फेंके हुए थे । पुलिस द्वारा वस्तुएं भी ज्ञापन प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 2/ए द्वारा कब्जे में ली गईं थीं । अभियुक्त, प्रथम इत्तिला रिपोर्ट दर्ज होने के पश्चात् 4-5 दिनों से फरार था । घटना की तारीख पर अभियुक्त के साथ लगभग 4-5 व्यक्ति थे । जब उसकी बहन ने अभियुक्त हरबंस को टेलीफोन किया तो उसका फोन बंद था । अपनी प्रतिपरीक्षा में उसने यह स्वीकार किया कि अन्वेषण के दौरान यह पता चला कि लगभग 4-5 व्यक्ति थे किन्तु वह उन्हें नहीं जानता था । इस तथ्य की जानकारी उसे अन्वेषण अधिकारी से प्राप्त हुई थी । घटना के समय पर वह मौजूद नहीं था । उसका जीजा शशि पाल कभी-कभी शराब पिया करता था ।

8. अभि. सा. 3 पुरुषोत्तम सिंह ने यह अभिसाक्ष्य दिया कि तारीख 31 अक्तूबर, 2012 को पुलिस ने ग्राम गनोह से अभियुक्त हरबंस लाल के अहाते से स्कूटर, रजिस्ट्रीकरण सं. एच. पी. 38ए 4270 बरामद किया था । इसे ज्ञापन प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 3/ए के माध्यम से कब्जे में लिया गया था ।

9. अभि. सा. 4 अपर्णा शर्मा, मृतक की पत्नी है । उसके अनुसार, तारीख 29 अक्तूबर, 2012 को उसका पति घर पर था । अपराह्न लगभग 3/3.15 बजे उसने अभियुक्त हरबंस लाल से एक टेलीफोन काल प्राप्त किया । उसने उसके पति को बुलाया और उसके पति ने उसे यह कथन किया कि अभियुक्त हरबंस उसे बुला रहा है और वह 10-15 मिनट के पश्चात् वापस आएगा । इसके पश्चात्, उसके पति उस दिन अपराह्न 4-5 बजे तक वापस नहीं आए । इसके पश्चात्, उसने टेलीफोन से अपने पति से सम्पर्क करने की कोशिश की और अपराह्न 6.30 बजे तक टेलीफोन की घंटी बजती रही और उसके बाद, फोन बन्द हो गया । मध्यरात्रि लगभग 12.00 बजे उसने अपने फोन से अभियुक्त हरबंस लाल से सम्पर्क करने की कोशिश की किन्तु उसने उसका फोन नहीं उठाया । तारीख 30 अक्तूबर, 2012 को वह अपने भाई और जेठ (राम पाल) के पास भागते हुए गई और उन्हें घटना के बारे में सूचित किया । उसके भाई को किसी

और ने भी सूचित किया था कि उसके पति का शव ग्राम गनोह में पड़ा है । इसके पश्चात्, उसने फोन से लगभग 4-5 बार अभियुक्त हरबंस लाल से सम्पर्क करने की कोशिश की किन्तु उसने फोन नहीं उठाया । उसका भाई और जेठ घटनास्थल पर गए । उसके पति की निजी वस्तुएं गायब थीं । वह अभियुक्त व्यक्ति हरबंस को जानती थी । वह पिछले लगभग 4-5 वर्षों से उसके पति का मित्र था । उसे यह विश्वास था कि उसके पति की अभियुक्त हरबंस ने ही हत्या की है । स्कूटर, अभियुक्त के अहाते से बरामद हुआ था । अपनी प्रतिपरीक्षा में उसने यह अभिसाक्ष्य दिया कि आरम्भतः उसे अभियुक्त हरबंस लाल, वन संरक्षक अन्वेषण पर संदेह था । तारीख 6 नवम्बर, 2012 को अभिलिखित कथन में उसने यह अभिलिखित किया कि विजय कुमार, मिल्खी राम, उसका पुत्र श्याम कुमार, परविन्दर और हरबंस ने एक साथ शराब पी थी और उसे संदेह है कि इन्होंने ही उसके पति की हत्या की है ।

10. अभि. सा. 5 एच. सी. तारसेम सिंह ने यह अभिसाक्ष्य दिया कि तारीख 16 नवम्बर, 2012 को अभियुक्त हरबंस लाल अपने जूतों में अन्वेषक अधिकारी के समक्ष उपस्थित था जिससे अभियुक्त ने मृतक को पीटा था ।

11. अभि. सा. 8 ओंकार सिंह को तारीख याद नहीं है किन्तु यह अभिसाक्ष्य दिया कि अपराह्न लगभग 2-2.30 बजे वह ईंट के भट्टे पर मौजूद था । हरबंस ने उससे मिलने के लिए अपने क्वार्टर पर उसे बुलाया । 15 मिनट के पश्चात् कुलदीप को उसने काल किया और उसे भी अभियुक्त के क्वार्टर पर आने के लिए आमंत्रित किया । अपराह्न लगभग 3.00 बजे वह हरबंस के क्वार्टर पर पहुंचा जहां अभियुक्त श्याम कुमार और कुलदीप के साथ शराब पी रहा था । अभियुक्त ने शराब के लिए उससे धन की मांग की और उसके मांग करने पर उसने श्याम कुमार **उर्फ** भोला को 200/- रुपए दिए । श्याम कुमार शराब की बोतल लेने के लिए कहीं गया और 15-20 मिनट के पश्चात् रम की बोतल के साथ वापस आया । वे पहले ही आधा बोतल शराब ले चुके थे, जिसे पी रहे थे । कुछ समय के पश्चात् शशि पाल (मृतक) वहां आया जो शराबी की दशा में था । शशि पाल और अभियुक्त एक-दूसरे से गले मिले । इसके पश्चात्, वह अपने घर गया और पूरी रात वहां रहा । अगले दिन पूर्वाह्न 8.00 बजे उसे यह जानकारी हुई कि एक व्यक्ति गनोह में मृत पड़ा हुआ है । अपनी प्रतिपरीक्षा में, उसने यह स्वीकार किया कि शशि पाल और अभियुक्त

हरबंस के बीच पिछले 4-5 वर्षों से मित्रता थी । वह उनके बीच कभी भी कोई झगड़ा होते नहीं देखा है । उसकी जानकारी के अनुसार, अभियुक्त और मृतक के बीच कोई शत्रुता नहीं थी । मृतक अपराह्न लगभग 3.00 बजे अभियुक्त के क्वार्टर पर पहुंचा था । उसने यह भी स्वीकार किया कि उसने अभियुक्त के आवास पर अपनी उपस्थिति के दौरान अभियुक्त और मृतक के बीच कोई झगड़ा होते नहीं देखा है ।

12. अभि. सा. 9 अशोक कुमार ने यह अभिसाक्ष्य दिया कि जब वह कलहार पहुंचा तो अभियुक्त हरबंस ने पूर्वाह्न लगभग 10.00 बजे अपने मोबाइल से एक काल किया । अभियुक्त ने उससे पूछा कि वह कहां है । अभियुक्त ने यह देखने के लिए पुनः काल किया कि क्या वहां कोई स्कूटर पार्क है या नहीं । वह हरबंस सिंह के क्वार्टर में गया और एक स्कूटर वहां पार्क पाया । उसे स्कूटर का नम्बर याद नहीं है । उसे स्कूटर को कहीं छिपाने के लिए कहा । उसने अभियुक्त को बताया कि वह उसे नहीं छिपा सकता । उसके बाद, उसे यह जानकारी हुई कि स्कूटर मृतक शशि पाल का है ।

13. अभि. सा. 11 अजित सिंह ने यह अभिसाक्ष्य दिया कि अभियुक्त रास्ते में उससे मिला था जब वह जसोर जा रहा था । अभियुक्त उसे पिछले 6-7 वर्षों से जानता था । वह अभियुक्त के कमरे में गया । उस समय पर विजय कुमार पटवारी, कुलदीप, मिल्खी राम, श्याम कुमार **उर्फ** भोला बैठे हुए थे और शराब पी रहे थे । आधा बोतल पी चुके थे और आधा बोतल शेष था । इसी बीच में, मृतक शशि पाल, अभियुक्त के कमरे में आया । शेष शराब 5 गिलासों में परोसी गई । मृतक शशि पाल उस समय शराब नहीं परोस रहा था । स्वैच्छिक रूप से, यह प्रतीत होता है कि उसने पहले ही शराब पी रखी थी । शशि पाल का स्कूटर सड़क पर पार्क था और वह हरबंस लाल से अपने घर के अहाते में उसका स्कूटर पार्क करने के लिए निवेदन कर रहा था । इसी बीच में, वह उसके घर से चला गया । अपनी प्रतिपरीक्षा में उसने यह अभिसाक्ष्य दिया कि वह अभियुक्त के कमरे में ओंकार को नहीं देखा था जब शशि पाल अभियुक्त से अपने आवास में उसका स्कूटर पार्क करने के लिए निवेदन कर रहा था । वह लगभग 10-15 मिनट के लिए अभियुक्त के आवास में रुका रहा । उसकी उपस्थिति में अभियुक्त और मृतक के बीच कोई झगड़ा या बहस नहीं हुई थी ।

14. अभि. सा. 13 मिल्खी राम ने यह अभिसाक्ष्य दिया कि उसने 300/- रुपए प्रतिमाह की दर से अभियुक्त हरबंस लाल को घर किराए पर

दिया था । अभियुक्त हरबंस लगभग 6 वर्षों से उसके घर में रह रहा था । अभियुक्त ने लगभग 6 माह पूर्व घर खाली किया था । तारीख 29 अक्तूबर, 2012 को वह अभियुक्त के घर गया जहां हरबंस, विजय, कुलदीप और श्याम कुमार **उर्फ** भोला खड़े थे और शशि पाल घर के अहाते में खड़ा था । उसे पक्षद्रोही घोषित कर दिया गया था और विद्वान् लोक अभियोजक द्वारा उसकी प्रतिपरीक्षा की गई थी । उसने यह स्वीकार किया कि वह अपराह्न 4.45 बजे अभियुक्त के घर गया था जहां हरबंस, विजय, कुलदीप और श्याम कुमार **उर्फ** भोला शराब पी रहे थे । उसने भी शराब का एक पैग पिया । उसने यह स्वीकार किया कि जब शराब की बोतल शराब पीने के पश्चात् खाली हो गई थी तो वह अपने घर चला गया था । उसने इस बात से इनकार किया कि अभियुक्त और मृतक वहां रह गए थे स्वैच्छिक तौर पर यह प्रतीत होता है कि उनमें से सभी ने एक साथ अभियुक्त का घर छोड़ दिया था ।

15. अभि. सा. 16 डा. मुकेश भारद्वाज ने मरणोत्तर परीक्षा किया था । वह शव की मरणोत्तर परीक्षा करने और क्षतियों पर विचार करने के पश्चात्, मृत्यु के कारण के बारे में कोई राय नहीं दे सका था । इस प्रकार, मामले को मृत्यु का कारण सुनिश्चित करने के लिए न्यायालयिक राय के लिए टांडा निर्दिष्ट किया गया था । इसके पश्चात्, अभि. सा. 15 डा. राहुल गुप्ता, और अभि. सा. 22 डा. विजय अरोड़ा द्वारा आर. पी. जी. एम. सी. में मरणोत्तर परीक्षा किया गया । उनके अनुसार, मृतक की मृत्यु वक्ष में कुन्द आघात के कारण हुई थी । मृत्यु और मरणोत्तर परीक्षा के बीच संभाव्य समय, द्वितीय, मरणोत्तर परीक्षा के पूर्व लगभग 36 से 48 घंटे बीत चुके थे । अभि. सा. 22 डा. विजय अरोड़ा के अनुसार, मृत्यु के समय पर यूरिन (रक्त) में ऐल्कोहल स्तर 172.50 मि. ग्रा. था और अभि. सा. 16 डा. मुकेश भारद्वाज के अनुसार, आर. एफ. एस. एल., धर्मशाला से बिसरा की रिपोर्ट की रासायनिक विश्लेषण के अनुसार, ईथाइल ऐल्कोहल 43.42 मिलीग्राम प्रतिशत का पता चला था । अभि. सा. 22 डा. विजय अरोड़ा के अनुसार, मरणोत्तर रिपोर्ट में उल्लिखित क्षतियां जूते के प्रहार से कारित हुईं थीं जिसे न्यायालय में भी इनकार नहीं किया जा सका था । अपनी प्रतिपरीक्षा में, उन्होंने यह स्वीकार किया कि मानव वध के मामले में, प्राइवेट अंगों पर क्षतियां लैंगिक ईप्सा के कारण कारित हो सकती हैं । यदि हमलावर यह विश्वास या संदेह करता है कि मृतक लैंगिक संबंध बनाना चाहता है ।

16. अभि. सा. 24 उप निरीक्षक, बृज मोहन, अन्वेषक अधिकारी है उसने दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 154 के अधीन शिकायतकर्ता राम पाल शर्मा का कथन, प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 1/ए अभिलिखित किया । उसने रुक्का तैयार किया और उसे हेड कांस्टेबल के माध्यम से तारीख 30 अक्तूबर, 2012 को अपराह्न 1.25 बजे पुलिस थाना नूरपुर में प्रथम इत्तिला रिपोर्ट दर्ज करने के लिए भेजा, जिसके आधार पर प्रथम इत्तिला रिपोर्ट प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 24/ए दर्ज की गई थी । उसने वाद संपत्ति, जिसमें जूते सम्मिलित थे, को कब्जे में लिया । अपनी प्रतिपरीक्षा में, उसने यह स्वीकार किया कि तारीख 6 नवम्बर, 2012 को उसने 5 व्यक्तियों अर्थात् हरबंस लाल, विजय कुमार, कुलदीप सिंह, मिल्खी राम और श्याम कुमार **उर्फ** भोला को गिरफ्तार किया था । उसने यह भी स्वीकार किया कि अभियोजन कहानी के अनुसार, मृतक तारीख 29 अक्तूबर, 2012 को अपराह्न लगभग 3.30 से 4.00 बजे के बीच अभिकथित अभियुक्त और अन्यों के साथ शराब पी रहा था और मृतक का शव, तारीख 30 अक्तूबर, 2012 को पूर्वाह्न लगभग 8.00 से 8.30 बजे के बीच गनोह छप्पर में बरामद हुआ था । उसने यह स्वीकार किया कि दोनों घटनाओं के बीच लम्बा समय अन्तराल था । उसने यह स्वीकार किया कि दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 161 के अधीन अथवा दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 164 के अधीन किसी साक्षी ने यह कथन नहीं किया है कि उसने तारीख 29 अक्तूबर, 2012 को प्रातःकाल में मृतक को अभियुक्त के साथ अकेले देखा था । उसने यह भी स्वीकार किया कि अन्वेषण के दौरान यह पाया गया था कि अभिकथित अभियुक्त और मृतक के बीच संबंध तनावपूर्ण नहीं थे । उसने यह भी स्वीकार किया कि अन्वेषण के दौरान इस बारे में, कोई साक्ष्य नहीं पाया गया कि मृतक का अभियुक्त की पत्नी या प्रेमिका के साथ विवाहेतर संबंध थे । उसने यह भी स्वीकार किया कि घटनास्थल कई दुकानों और शराब की दुकानों से घिरा हुआ था । उसने यह भी स्वीकार किया कि अपने अन्वेषण के दौरान उसने अभिकथित अपराध करने के लिए कोई हेतुक नोटिस नहीं किया ।

17. अभि. सा. 25 विवेक पनवर ने प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 25/सी के माध्यम से, हरबंस लाल के मोबाइल सं. 9459575305 के काल विवरण, ओंकार सिंह के मोबाइल का रिकार्ड प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 25/डी के माध्यम से रोहित पुत्र कुलदीप सिंह के मोबाइल का काल विवरण, प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 25/ई के माध्यम से शशि पाल के काल विवरण, प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 25/एफ के

माध्यम से विजय कुमार पटवारी के काल विवरण और प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 25/जी के माध्यम से अजीत सिंह के काल विवरण को साबित किया है ।

18. विचारण न्यायालय के अनुसार, अभियोजन पक्ष ने अपने पक्षकथन को साबित करने के अनुक्रम में, मुख्यतः निम्नलिखित परिस्थितियों का अवलंब लिया है :–

(i) शशि पाल शर्मा की मृत्यु, मानव वध था ।

(ii) तारीख 29 अक्तूबर, 2012 को अपराह्न लगभग 3.15 बजे अभियुक्त ने अपने मोबाइल फोन से शशि पाल शर्मा को गनोह स्थित अपने क्वार्टर पर बुलाया था ।

(iii) शशि पाल शर्मा, घटना के दिन सायंकाल में अभियुक्त के साथ अंतिम बार देखा गया था ।

(iv) अभियुक्त का पश्चात्वर्ती आचरण ।

(v) अभियुक्त के अहाते से मृतक का स्कूटर बरामद होना ।

(vi) अभियुक्त के दोनों जूते बरामद होना ।

19. न्यायालय ने उसी अनुक्रम में, परिस्थितियों का उल्लेख किया जिनमें इन पर विद्वान् विचारण न्यायालय द्वारा चर्चा की गई है । प्रथम परिस्थिति यह है कि शशि पाल शर्मा की मृत्यु मानव वध थी । शव को तारीख 30 अक्तूबर, 2012 को प्रातःकाल में देखा गया था । अभि. सा. 1 राम पाल, घटनास्थल पर गया था और उसने अपने भाई के शव की शनाख्त की थी । शव, ग्राम गनोह स्थित गंदे पानी के नाले में पड़ा था । उसने अपने भाई के शव का निरीक्षण किया था । शव नग्न अवस्था में था और उसकी होठों और प्राइवेट अंगों पर क्षतियां कारित हुईं थीं । मरणोत्तर परीक्षा, अभि. सा. 16 डा. मुकेश भारद्वाज द्वारा किया गया था । वह मृत्यु के कारण के बारे में कोई अंतिम राय नहीं दे सका था । उसने विशेषज्ञ न्यायालयिक राय के लिए मामले को आर. पी. जी. एम. सी. स्थानांतरित कर दिया था, तथापि, उसके कथन में यह आया है कि विसरा की रासायनिक विश्लेषण रिपोर्ट के अनुसार, ईथाइल ऐल्कोहल 43.42 मि. ग्रा. पाया गया था । इसके पश्चात्, मरणोत्तर परीक्षा, पुनः अभि. सा. 15 डा. राहुल गुप्ता के साथ अभि. सा. 22 डा. विजय अरोड़ा द्वारा की गई थी । उनके अनुसार, मृतक की मृत्यु वक्ष के कुंद आघात के कारण हुई थी । मृत्यु और मरणोत्तर परीक्षा के बीच व्यतीत संभाव्य समय द्वितीय मरणोत्तर

परीक्षा के पूर्व लगभग 36 से 48 घंटे थे । अभि. सा. 22 डा. विजय अरोड़ा के अनुसार, मृत्यु के समय पर पेशाब (रक्त) का ऐल्कोहल स्तर 172.50 मि. ग्रा. प्रतिशत था और अभि. सा. 16 डा. मुकेश भारद्वाज के अनुसार, आर. एफ. एस. एल., धर्मशाला से विसरा की रासायनिक विश्लेषण के अनुसार, ईथाइल ऐल्कोहल 43.42 मि. ग्रा. प्रतिशत पाया गया था । अभि. सा. 22 डा. विजय अरोड़ा ने अपनी प्रतिपरीक्षा में यह स्वीकार किया है कि मानव वध की दशा में, प्राइवेट अंगों पर क्षतियां लैंगिक ईर्ष्या के कारण कारित हो सकती हैं यदि हमलावर को यह विश्वास या संदेह हो कि मृतक लैंगिक संबंध बनाना चाहता है । रक्त ऐल्कोहल में ईथाइल ऐल्कोहल की मात्रा में भिन्नता है अर्थात् 172.50 मि. ग्रा. प्रतिशत और 43.42 मि. ग्रा. प्रतिशत । अभि. सा. 16 डा. मुकेश भारद्वाज ने यह अभिसाक्ष्य दिया है कि ईथाइल ऐल्कोहल विसरा में पाया गया था किन्तु रिपोर्ट प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 23/ए और प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 23/सी के अनुसार, ईथाइल ऐल्कोहल मृतक के रक्त में पाया गया था ।

20. रासायनिक विश्लेषण रिपोर्ट, प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 23/ए के अनुसार रक्त ऐल्कोहल स्तर 172.50 मि. ग्रा. प्रतिशत था । यह उच्च स्तर पर था । लियान के मेडिकल ज्यूरिसप्रूडेंस एण्ड टाक्सीकोलाजी, 11वां संस्करण, पेज 626 के अनुसार, एक व्यक्ति के रक्त ऐल्कोहल सान्द्रता 150-300 मि. ग्रा. प्रतिशत है तो वह नशे में होगा । इसी प्रकार, डा. के. एस. नारायण रेड्डी के मेडिकल ज्यूरिसप्रूडेंस एण्ड टाक्सीकोलाजी, संस्करण 2004 (रिप्रिंट), पेज 590 के अनुसार एक व्यक्ति जो 150-300 मि. ग्रा. प्रतिशत शराब पीता है वह नशे में होगा । पारिख के टेस्ट बुक, मेडिकल ज्यूरिसप्रूडेंस एण्ड टाक्सीकोलाजी, पृष्ठ 855 में यह कथित है कि जो कोई 0.15 प्रतिशत (150 एम. जी. प्रतिशत) शराब पीता है वह ऐल्कोहल के प्रभाव में होता है और अन्य यह विनिश्चित कर सकते हैं कि उसने शराब पी है । सान्द्रता बढ़ने के साथ रोग लक्षण अत्यन्त तीव्र हो जाते हैं ।

21. रिपोर्ट में यह आया है कि क्षतियां मृतक के प्राइवेट अंगों पर पाई गईं थीं । अभिलेख पर यह भी आया है कि मृतक और अभियुक्त के बीच कोई शत्रुता नहीं थी ।

22. अब, न्यायालय द्वितीय परिस्थिति का उल्लेख करेगा अर्थात् क्या अभियुक्त ने शशि पाल शर्मा को तारीख 29 अक्तूबर, 2012 को अपराह्न 3.15 बजे मोबाइल फोन से बुलाया था । अभि. सा. 4 अपर्णा शर्मा के अनुसार तारीख 29 अक्तूबर, 2012 को अपराह्न लगभग 3.00/3.15 बजे

अभियुक्त ने उसके पति को बुलाया था और उसके पति ने उससे यह कहा था कि अभियुक्त हरबंस बुला रहा है और वह 10-15 मिनट पश्चात् वापस लौटेगा । इसके पश्चात् उसके पति उस दिन 4-5 बजे तक भी वापस नहीं आए । इसके पश्चात्, उसने टेलीफोन से अपने पति से सम्पर्क करने की कोशिश की और अपराह्न 6.30 बजे तक मोबाइल घंटी बजती रही और उसके बाद उनका मोबाइल बन्द हो गया था । मध्यरात्रि लगभग 12.00 बजे उसने अपने फोन से अभियुक्त हरबंस लाल से सम्पर्क करने की कोशिश की किन्तु उसने उसका मोबाइल काल नहीं उठाया । तारीख 10 अक्तूबर, 2012 को प्रातःकाल में वह अपने भाई और जेठ (राम पाल) के पास भागी और उन्हें घटना के बारे में सूचित किया । उसका आचरण अप्रायिक था । यदि उसका पति सायंकाल तक वापस नहीं आया था तो उसे तत्काल ही अपने भाई और जेठ से सम्पर्क करना चाहिए था । उसने प्रातः में ही उनसे सम्पर्क किया ।

23. अभियोजन पक्ष ने हरबंस लाल के मोबाइल नम्बर 9459575305 का काल विवरण, ओंकार सिंह के मोबाइल का काल विवरण प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 25/सी के माध्यम से, रोहित पुत्र कुलदीप के मोबाइल का काल विवरण प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 25/डी के माध्यम से, शशि पाल के मोबाइल का काल विवरण प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 25/ई के माध्यम से, विजय कुमार पटवारी के मोबाइल का काल विवरण प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 25/एफ के माध्यम से और अजित सिंह के मोबाइल का काल विवरण प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 25/जी के माध्यम से, अभिलेख पर रखा । काल विवरण अभिलेखों को सम्यक् रूप से साबित करने के अनुक्रम में अभियोजन पक्ष को यह साबित करना अपेक्षित था कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 65ख के उपबंधों का उसकी भाषा और भावना के अनुरूप अनुपालन किया गया है । यह साबित करना अपेक्षित था कि कम्प्यूटर निर्गत में अन्तर्विष्ट सूचना उस अवधि के दौरान प्रस्तुत की गई है जिस दौरान कम्प्यूटर का नियमित तौर पर प्रयोग किया गया था और इलैक्ट्रानिक अभिलेख में अन्तर्विष्ट सूचना उक्त क्रियाकलापों के साधारण अनुक्रम में नियमित तौर पर कम्प्यूटर में फीड किए गए थे और कम्प्यूटर का नियमित तौर पर प्रयोग होता था । प्रमाणपत्र को भी धारा 65ख(4) के अनुसार, अन्तर्विष्ट कथन और वर्णित तरीके से दिया जाना अपेक्षित था जिसमें यह प्रस्तुत किया गया था जिसमें सविस्तार डिवाइस दिया गया था जिसमें उस इलैक्ट्रानिक्स रिकार्ड का प्रस्तुतिकरण अन्तर्विष्ट था, जैसा कि समुचित हो सकता था । इसे उत्तरदायी हैसियत धारण करने वाले व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित किया जाना था ।

24. **अनवर पी. वी.** बनाम **पी. के. बशीर और अन्य**[1] वाले मामले में, माननीय उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों ने यह अभिनिर्धारित किया है कि साक्ष्य में इलैक्ट्रानिक अभिलेख से संबंधित कथन की प्रस्तुत प्रति, मूल इलैक्ट्रानिक अभिलेख नहीं होने के नाते ऐसे कथन को धारा 65ख(4) में यथाविनिर्दिष्ट प्रमाणपत्र के साथ प्रस्तुत करना होता है और ऐसा प्रमाणपत्र इलैक्ट्रानिक अभिलेख, जैसे सी. डी., वी. सी. डी., पेन ड्राईव, इत्यादि के साथ होना चाहिए । माननीय न्यायाधीशों ने यह भी अभिनिर्धारित किया कि साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 65ख(4) के अधीन यदि एक इलैक्ट्रानिक अभिलेख से संबंधित किन्हीं कार्यवाहियों में कथन देना अपेक्षित होता है तो यह उपबंधित शर्तों को पूरा करने पर ही अनुज्ञेय होता है । यह भी अभिनिर्धारित किया गया है कि :–

> "15. साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 65ख(4) के अधीन, यदि एक इलैक्ट्रानिक अभिलेख से संबंधित किन्हीं कार्यवाहियों में कथन देना अपेक्षित होता है तो यह निम्नलिखित उपबंधित शर्तों को पूरा करने पर ही अनुज्ञेय होता है –
>
> '(क) एक प्रमाणपत्र होना चाहिए जिसमें इलैक्ट्रानिक अभिलेख की शनाख्त हो जिसमें कथन अन्तर्विष्ट होते हैं,
>
> (ख) प्रमाणपत्र, उस तरीके से वर्णित होना चाहिए जिसमें इलैक्ट्रानिक अभिलेख प्रस्तुत किया गया है,
>
> (ग) प्रमाणपत्र, विशिष्ट डिवाइस में देना चाहिए जिसमें उस अभिलेख का प्रस्तुतिकरण अन्तर्विष्ट होता है,
>
> (घ) प्रमाणपत्र, साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 65ख(2) के अधीन उल्लिखित प्रयोज्य शर्तों के अनुसार होना चाहिए, और
>
> (ङ) प्रमाणपत्र, सुसंगत डिवाइस चलाने से संबंधित उत्तरदायी पदीय हैसियत रखने वाले व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित होने चाहिएं ।'
>
> 16. यह भी स्पष्टीकृत किया गया है कि व्यक्ति को प्रमाणपत्र में मात्र यह कथन करने की आवश्यकता होती है कि यह उसकी

---

[1] (2014) 10 एस. सी. सी. 473.

बेहतर जानकारी और विश्वास में है । अत्यधिक महत्वपूर्ण तौर पर, ऐसा प्रमाणपत्र, इलैक्ट्रानिक अभिलेख, जैसे कम्प्यूटर प्रिंट आउट, काम्पेक्ट डिक्स (सी. डी.), वीडियो काम्पेक्ट डिक्स (वी. सी. डी.), पेन ड्राईव इत्यादि के साथ होना चाहिए जो उस कथन से संबंधित हो जिसे साक्ष्य में दिया जाना ईप्सित है, जब उसे साक्ष्य में प्रस्तुत किया जाता है । ये सभी रक्षोपाय उस स्रोत और प्रमाणिकता को सुनिश्चित करने के लिए होते हैं जो उस इलैक्ट्रानिक अभिलेख से संबंधित दोनों हालमार्क हैं जिन्हें साक्ष्य के रूप में प्रयुक्त किया जाना ईप्सित होता है । इलैक्ट्रानिक अभिलेख में ऐसे रक्षोपायों के बिना फेरफार, परिवर्तन, क्रम परिवर्तन, उच्छेदन इत्यादि की अत्यधिक संभावना होती है, इसलिए, सम्पूर्ण विचारण को न्याय करने के लिए इलैक्ट्रानिक अभिलेखों के सबूत पर आधारित नहीं किया जा सकता है ।

17. यदि मात्र इलैक्ट्रानिक अभिलेख को साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 65ख के निबंधनों में सम्यक् रूप से प्रस्तुत किया जाता है तो उसकी असलियत के बारे में प्रश्न उद्भूत होता है और ऐसी स्थिति में, धारा 45क इलैक्ट्रानिक साक्ष्य के परीक्षक की राय का अवलंब लिया जा सकता है ।

18. साक्ष्य अधिनियम, 1872 मौखिक साक्ष्य द्वारा इलैक्ट्रानिक अभिलेख के सबूत को अनुध्यात या अनुज्ञा नहीं देता है यदि साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 65ख के अधीन अपेक्षाओं का अनुपालन नहीं किया जाता है, जैसा कि अब भारत में विधि लागू है ।"

25. विद्वान् विचारण न्यायालय द्वारा अवलंब लिया गया तृतीय परिस्थिति यह है शशि पाल शर्मा, (मृत) को तारीख 29 अक्तूबर, 2012 को सायंकाल में अभियुक्त के साथ अंतिम बार देखा गया था । अभियोजन पक्ष ने अभि. सा. 8 ओंकार सिंह, अभि. सा. 11 अजित सिंह और अभि. सा. 13 मिल्खी राम के कथनों का अवलंब लिया है । अभि. सा. 8 ओंकार सिंह ने यह अभिसाक्ष्य दिया कि हरबंस ने उससे मिलने के लिए अपने क्वार्टर पर बुलाया था । 15 मिनट के पश्चात् कुलदीप ने उसे काल किया और उसने भी अभियुक्त के क्वार्टर पर उसे आमंत्रित किया । अपराह्न लगभग 3.00 बजे, वह हरबंस के क्वार्टर पर पहुंचा जहां अभियुक्त के साथ श्याम कुमार और कुलदीप शराब पी रहे थे । अभियुक्त ने शराब के लिए उससे धन की मांग की और उसके मांगने पर उसने श्याम कुमार **उर्फ** भोला को 200/- रुपए दिए । श्याम कुमार शराब की बोतल लेने के लिए

कहीं गया और 15-20 मिनटों के पश्चात् रम की बोतल के साथ वापस लौटा । वे शराब की उस बोतल से आधा बोतल शराब पहले ही पी चुके थे जिससे वे पी रहे थे । कुछ समय पश्चात्, शशि पाल वहां आया जो नशे की दशा में था । शशि पाल और अभियुक्त गले मिले और एक दूसरे का हालचाल पूछा । इसके पश्चात्, वह उसके घर गया और पूरी रात वहां रहा । अपनी प्रतिपरीक्षा में उसने यह स्वीकार किया कि शशि पाल और अभियुक्त हरबंस के बीच पिछले 4-5 वर्षों से मित्रता थी । उस दुर्भाग्यपूर्ण दिन को भी उसने उनके बीच कोई झगड़ा नोटिस नहीं किया । अभि. सा. 11 अजित सिंह ने यह अभिसाक्ष्य दिया कि वह ग्राम गनोह पहुंचा था । वह अभियुक्त के कमरे में गया । उस समय पर, विजय कुमार पटवारी, कुलदीप, मिल्खी राम, श्याम कुमार **उर्फ** भोला बैठे हुए थे और शराब पी रहे थे । वे आधा बोतल शराब पहले ही पी चुके थे और आधा बोतल शराब शेष थी । इसी बीच में, अभियुक्त शशि पाल अभियुक्त के कमरे में आया । शेष शराब पांच गिलासों में परोसी गई थी । मृतक शशि पाल उस समय पर शराब नहीं परोस रहा था । स्वैच्छिक तौर पर यह प्रतीत होता है कि वह पहले ही शराब पी चुका था । शशि पाल का स्कूटर सड़क पर पार्क था और वह हरबंस से यह निवेदन कर रहा था कि वह अपने घर के अहाते में उसका स्कूटर पार्क कर दे । उसकी उपस्थिति में, अभियुक्त और मृतक के बीच कोई झगड़ा या बहस नहीं हुई थी । अभि. सा. 13 मिल्खी राम ने यह अभिसाक्ष्य दिया कि उसने अभियुक्त हरबंस लाल को 300/- रुपए प्रतिमाह की दर पर अपना घर किराए पर दिया था । अभियुक्त हरबंस लगभग 6 वर्षों से उस घर में रह रहा था । अभियुक्त ने लगभग 6 माह पूर्व उस घर को खाली किया था । उसे पक्षद्रोही घोषित कर दिया गया था और विद्वान् लोक अभियोजक द्वारा उसकी प्रतिपरीक्षा की गई थी । उसने यह स्वीकार किया कि वह अपराह्न लगभग 4.45 बजे अभियुक्त के घर गया था जहां हरबंस, विजय, कुलदीप और श्याम कुमार **उर्फ** भोला शराब पी रहे थे । उसने भी शराब का एक पैग पिया । उसने इस बात से इनकार किया कि अभियुक्त और मृतक वहां रुके रहे । स्वैच्छिक तौर पर, उन सभी ने अभियुक्त के साथ घर छोड़ दिया था । उसने इस सुझाव से इनकार किया अपराह्न लगभग 9.00 बजे उसने शशि पाल से एक टेलीफोन काल प्राप्त किया जिसमें उससे मृतक शशि पाल की स्कूटर छिपाने को कह रहा था ।

26. अभि. सा. 13 मिल्खी राम के कथन में यह भी आया है कि उनमें से सभी ने अभियुक्त हरबंस लाल का घर एक साथ छोड़ दिया था । अभि. सा. 8 ओंकार सिंह ने यह कथन किया है कि मृतक नशे की हालत

में प्रतीत हो रहा था । अभि. सा. 11 अजित सिंह ने यह अभिसाक्ष्य दिया कि मृतक ने उस समय पर शराब नहीं परोसी थी और स्वैच्छिक तौर पर यह प्रतीत होता है कि उसने पहले से ही शराब पी रखी थी । इस प्रकार, मृतक, अभि. सा. 8 ओंकार सिंह, अभि. सा. 11 अजित सिंह और अभि. सा. 13 मिल्खी राम के साथ था और उन्होंने एक साथ शराब पी थी । किसी भी साक्षी ने यह अभिसाक्ष्य नहीं दिया है कि अभियुक्त और मृतक घर में अकेले रह गए थे । शव को तारीख 30 अक्तूबर, 2012 को प्रातःकाल में ही बरामद किया गया था ।

27. अन्वेषक अधिकारी, अभि. सा. 24 उप-निरीक्षक बृज मोहन ने अपनी प्रतिपरीक्षा में इस सुझाव से इनकार किया है कि तारीख 29 अक्तूबर, 2012 को सायंकाल में गनोह या इसके आस-पास किसी स्थान में अभियुक्त के साथ में अकेले होने के नाते मृतक के साथ अंतिम बार देखे जाने का कोई साक्ष्य नहीं है । उसने यह भी स्वीकार किया कि अभियोजन कहानी के अनुसार, मृतक तारीख 29 अक्तूबर, 2012 को अपराह्न लगभग 3.30 से 4.00 बजे के बीच अभिकथित अभियुक्त और अन्यों के साथ शराब पी रहा था और मृतक का शव तारीख 30 अक्तूबर, 2012 को गनोह छप्पर में प्रातःकाल लगभग 8.00 से 8.30 बजे के बीच बरामद हुआ था । उसने यह स्वीकार किया कि दोनों घटनाओं के बीच लम्बा अन्तराल था । उसने यह भी स्वीकार किया कि दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 161 अथवा धारा 164 के अधीन किसी भी साक्षी ने यह अभिसाक्ष्य नहीं दिया है कि उसने तारीख 29 अक्तूबर, 2012 को सायंकाल में मृतक को अभियुक्त के साथ अकेले में देखा है । उसने यह भी स्वीकार किया कि अन्वेषण के दौरान, यह पाया गया था कि अभिकथित अभियुक्त और मृतक के बीच संबंध तनावपूर्ण नहीं थे । इस प्रकार, यह नहीं कहा जा सकता है कि मृतक, मृत्यु के पूर्व अंतिम बार अभियुक्त के साथ देखा गया था ।

28. पारिस्थितिक साक्ष्य से संबंधित मामलों में, अभियोजन पक्ष को सम्पूर्ण कड़ियों को साबित करना होता है । सभी परिस्थितियां अनन्य रूप से अभियुक्त की दोषिता के बारे में होने चाहिए । पारिस्थितिक साक्ष्य पर आधारित मामलों में, हेतुक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है । वर्तमान मामले में, अभियोजन पक्ष ने मृतक की हत्या करने के लिए अभियुक्त का कोई हेतुक दर्शित नहीं कर पाया है । अभि. सा. 24 उप-निरीक्षक बृज मोहन ने अपनी प्रतिपरीक्षा में यह स्वीकार किया है कि उसने अन्वेषण के दौरान

अभिकथित अपराध करने के लिए कोई हेतुक नोटिस नहीं किया था । अभि. सा. 8 ओंकार सिंह, अभि. सा. 11 अजीत सिंह, अभि. सा. 13 मिल्खी राम और अभि. सा. 24 उप-निरीक्षक बृज मोहन के अनुसार अभियुक्त और मृतक के बीच संबंध सौहार्दपूर्ण थे । अभि. सा. 24 उप-निरीक्षक बृज मोहन ने यह भी अभिसाक्ष्य दिया है कि अन्वेषण के दौरान इस बारे में कोई साक्ष्य नहीं पाया गया है कि अभियुक्त का पत्नी या प्रेमिका के साथ विवाहेतर संबंध थे । उसने यह भी स्वीकार किया कि किराए का घर राजमार्ग पर था । उसने यह भी स्वीकार किया कि वह स्थान जहां से शव बरामद किया गया वह कई दुकानों, जिसमें शराब की दुकानें सम्मिलित थीं, से घिरा हुआ था ।

29. **दान्दू जग्गराजू** बनाम **आंध्र प्रदेश राज्य**[1] वाले मामले में, माननीय उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों ने यह अभिनिर्धारित किया है कि पारिस्थितिक साक्ष्य के मामले में, हेतुक अत्यधिक मजबूत परिस्थिति होती है जिसे अभियोजन द्वारा साबित करना होता है । यह ऐसी परिस्थिति होती है जो अभियोजन कहानी का आधार होती है । यह भी अभिनिर्धारित किया गया है कि :–

> "9. यह नोटिस किया गया है कि अभि. सा. 1 और मृतक के बीच विवाह वर्ष 1996 में हुआ था और अभियोजन पक्षकथन यह है कि पूर्व में भी मृतक को उपहति कारित करने की कोशिश की गई थी और शिकायतकर्ता द्वारा इस प्रभाव की रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी । तथापि, इस प्रभाव का कोई दस्तावेजी साक्ष्य नहीं है । इसलिए, हमारा यह निष्कर्ष है कि मृतक के कुटुम्ब में कुछ आश्चर्यजनक घटित हुआ था जिसके कारण लगभग 6 वर्षों से अधिक विवाह कायम रहा, यहां तक कि उनसे एक बच्चा भी पैदा हुआ था । मामले के इस मत को ध्यान में रखते हुए, हेतुक, स्पष्टतः संदेहप्रद है । यदि पारिस्थितिक साक्ष्य से संबंधित हेतुक है तो उसे अत्यधिक मजबूत परिस्थिति से होना चाहिए जिसे अभियोजन पक्ष द्वारा साबित किया जाना चाहिए और यह ऐसी परिस्थिति होती है जो अभियोजन कहानी का आधार भी होती है ।"

30. **सत्य नारायण** बनाम **राज्य** मार्फत **पुलिस निरीक्षक**[2] वाले मामले

---

[1] (2011) 14 एस. सी. सी. 674.

[2] (2012) 12 एस. सी. सी. 627.

में, माननीय उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों ने यह अभिनिर्धारित किया है कि पारिस्थितिक साक्ष्य के मामले में, हेतुक की भी महत्वपूर्ण उपधारणा की जाती है क्योंकि हेतुक का अभाव न्यायालय में स्वयं रक्षोपाय होता है और यह सुनिश्चित करने के लिए ऐसे साक्ष्य के प्रत्येक भाग की सूक्ष्मता से संवीक्षा की जाती है कि संदेह, लोप या अनुमानों को साबित नहीं करना पड़ता है । निम्नलिखित अभिनिर्धारित किया गया है :–

> "पारिस्थितिक साक्ष्य के मामले में, हेतुक की भी महत्वपूर्ण उपधारणा की जाती है इस कारण से कि हेतुक के अभाव में न्यायालय में यह स्वयं रक्षोपाय होता है और पारिस्थितिक साक्ष्य के मामले में, हेतुक की भी महत्वपूर्ण उपधारणा की जाती है क्योंकि हेतुक का अभाव न्यायालय में स्वयं रक्षोपाय होता है और यह सुनिश्चित करने के लिए ऐसे साक्ष्य के प्रत्येक भाग की सूक्ष्मता से संवीक्षा की जाती है कि संदेह, लोप या अनुमानों को साबित करना नहीं पड़ता है । वर्तमान मामले में, अभियोजन पक्ष ने यह वर्णित किया है कि आरम्भतः, मृतक आश्रम में उपासकों की सहायता करने के लिए प्रवेश किया था और तत्पश्चात्, वह न्यास के न्यासियों में से एक हो गया था और अपीलार्थियों के साथ धीरे-धीरे वैमनस्य बढ़ता गया । अभि. सा. 35 और 36, जो मृतक लीलावती के भाई-बहन हैं, ने यह अभिसाक्ष्य दिया है कि चूंकि तब वह एक न्यासी हो गई थी इसलिए, उस न्यास के प्रबंधन के बारे में विवाद हुआ था ।"

31. **मजेन्दरन लंगेश्वरन्** बनाम **राज्य (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली) और एक अन्य**[1] वाले मामले में उच्चतम न्यायालय के माननीय न्यायाधीशों ने यह अभिनिर्धारित किया है कि अभियोजन पक्ष पर यह साबित करने का भार होता है कि घटना की कड़ियां पूर्ण हैं और न्यायालय के विवेक में कोई संदेह नहीं छोड़ती है और सभी परिस्थितियों से, यह निष्कर्ष निकलता है कि अभियुक्त ही मात्र वह व्यक्ति है जिसने अपराध किया है, कोई अन्य नहीं । निम्नलिखित अभिनिर्धारित किया गया है :–

> "3. तारीख 30 नवम्बर, 1996 को अभियुक्त और मृतक एल. शिवरमन् के बीच एक विवाद होना कथित है । क्योंकि अभियुक्त के हाथों पर कुछ क्षतियां कारित हुई थीं इसलिए, उसने इसकी रिपोर्ट अधिकारियों को की थी । तारीख 1 दिसम्बर, 1996 को जब शिप

---

[1] (2013) 7 एस. सी. सी. 192.

गहरे समुद्र में था तब अपीलार्थी ने हेल्समैन के रूप में, अपनी ड्यूटी समाप्त कर ली थी, इस आधार पर कि क्षतियों के कारण उसके हाथ में दर्द हो रहा है और एक अन्य हेल्समैन बरिया को उसके स्थान ड्यूटी करने के लिए कहा गया था । क्योंकि अभियुक्त और मृतक एक ही केबिन सं. 25 में रुके हुए थे, इसलिए, अभियुक्त को अस्थायी तौर पर उपर्युक्त हमले की घटना के कारण केबिन सं. 23 में स्थानांतरित कर दिया गया था । पूर्वाह्न लगभग 15.10 बजे अभिकथित तौर पर अभियुक्त अपने हाथों में रक्त-रंजित चाकू के साथ द्वितीय अधिकारी कल्याण सिंह, (अभि. सा. 6) के पास आया और उसके हाथ से रक्त गिर रहा था और उसने उनके समक्ष यह संस्वीकृति की कि उसने एल. शिवरमन् की हत्या कर दी । कल्याण सिंह, (अभि. सा 6) के कहने पर, अपीलार्थी ने उन्हें रक्त-रंजित चाकू सौंप दिया जिसे उन्होंने उसे छुए बिना कपड़े के टुकड़े में लपेट कर रख दिया । उसके बाद, कल्याण सिंह (अभि. सा. 6) ने इसकी सूचना कैप्टन और अन्य अधिकारियों को दी । एल. शिवरमन् का शव केबिन सं. 23 में इस प्रकार पड़ा था कि उसके शव का आधा भाग केबिन के अन्दर था और आधा भाग उसके बाहर था । भारतीय पोत परिवहन निगम के अधिकारियों को सूचित किया गया । घटना की रिपोर्ट होने पर संबंधित क्वार्टर से प्राप्त निर्देश के अनुसरण में, शिप को हांगकांग की ओर मोड़ दिया गया । शिप के कैप्टन (अभि. सा. 5) द्वारा इस प्रकार निर्देश देने पर कल्याण सिंह (अभि. सा. 6) मृतक के शव को मनजीत सिंह भूपाल (अभि. सा. 4) की सहायता से फिश रूम में संरक्षित करने के लिए साफ किया और मुख्य अधिकारी, वी. वी. मुरलीधरन् (अभि. सा. 18) ने फोटोग्राफ लिए । उसके बाद, अभियुक्त को बोर्ड के अस्पताल में स्थानांतरित करने के पूर्व पकड़ा गया, बंदी बनाया गया और निःशस्त्र किया गया । चूंकि, शिप पर भारतीय झंडा लगा था, इसलिए, अन्तर्राष्ट्रीय समझौते के अनुसार, जिस पर भारत ने भी हस्ताक्षर किए हैं, अभियुक्त का कृत्य भारतीय विधि के अध्यधीन था । तद्नुसार, तारीख 6 दिसम्बर, 1996 को अभियुक्त के विरुद्ध केन्द्रीय जांच ब्यूरो (सी. बी. आई.) द्वारा 1996 की आर. सी. सं. 10(एस.) के अधीन एक मामला रजिस्ट्रीकृत किया गया ।

16. अब, हम इस बात पर विचार करते हैं कि क्या विचारण

न्यायालय द्वारा पारित दोषसिद्धि का निर्णय और जिसकी पुष्टि उच्च न्यायालय द्वारा कर दी गई है उसे विधि में कायम रखा जा सकता है । जैसा कि उपर्युक्त उल्लिखित किया गया है, दोषसिद्धि पारिस्थितिक साक्ष्य पर आधारित है क्योंकि किसी ने भी अभियुक्त को मृतक की हत्या करते हुए नहीं देखा था । पारिस्थितिक साक्ष्य पर आधारित उक्त दोषसिद्धि पर विचार करते समय, जिस परिस्थिति से दोषी होने का निष्कर्ष निकाला गया है उसे प्रथमदृष्ट्या ही पूर्णतया सिद्ध होना चाहिए और इस प्रकार सिद्ध सभी तथ्य मात्र अनुमानों अर्थात् अभियुक्त की दोषिता से ही संगत नहीं होने चाहिएं जिसका अभिप्राय यह है कि अभियोजन पक्ष पर यह साबित करने का भार होता है कि घटना की कड़ियां पूर्ण हैं और न्यायालय के विवेक में कोई संदेह नहीं छोड़ती हैं ।

17. हनुमंत गोविन्द नारगूंदकर **बनाम** मध्य प्रदेश राज्य (ए. आई. आर. 1952 एस. सी. 343) वाले मामले में इस न्यायालय ने निम्नलिखित मत व्यक्त किया है –

> 'यह अच्छी तरह याद है कि ऐसे मामलों में जहां साक्ष्य की प्रकृति पारिस्थितिक होती है वहां परिस्थितियां, जिनसे दोषिता का निष्कर्ष निकाला जाता है, उन्हें प्रथमदृष्ट्या ही पूर्ण रूप से साबित करना चाहिए और इस प्रकार साबित सभी तथ्यों से मात्र अभियुक्त की दोषिता के अनुमान से संगत होना चाहिए । पुनः परिस्थितियां अनन्य प्रकृति और प्रवृत्ति की होनी चाहिए और वे इस प्रकार होनी चाहिए कि प्रत्येक कल्पना को अपवर्जित करती हों किन्तु इससे एक ही बात साबित होती हो । दूसरे शब्दों में, साक्ष्य की कड़ियां इस प्रकार पूर्ण होनी चाहिएं जिससे कि अभियुक्त की निर्दोषिता से संगत निष्कर्ष के लिए कोई भी युक्तियुक्त आधार नहीं बचता हो और इसे इस प्रकार दर्शित होना चाहिए कि सभी मानवीय संभाव्य कृत्यों के भीतर अभियुक्त द्वारा ऐसा किया होना चाहिए ..... ।'

18. पडाला वीरा रेड्डी **बनाम** आन्ध्र प्रदेश राज्य [1989 (सप्ली.) 2 एस. सी. सी. 706] वाले मामले में इस न्यायालय ने निम्नलिखित राय व्यक्त की है –

> '10. विद्वान् काउंसेल द्वारा दिए गए तर्कों का उल्लेख

करने के पूर्व, हम आरम्भ में ही यह इंगित करना चाहते हैं कि वर्तमान मामले में, अभियुक्त का प्रश्नगत अपराध से जोड़ने वाले कोई प्रत्यक्ष साक्ष्य नहीं है और अभियोजन पक्ष मात्र पारिस्थितिक साक्ष्य पर ही निर्भर है । इस न्यायालय ने कई विनिश्चयों में संगत तौर पर यह अभिनिर्धारित किया है कि जब कोई मामला पारिस्थितिक साक्ष्य पर निर्भर करता है तो ऐसे साक्ष्य को निम्नलिखित परीक्षणों का समाधान करना होता है –

(1) परिस्थितियां, जिनसे दोषिता का निष्कर्ष निकालने की ईप्सा की गई है, उन्हें तर्कपूर्ण और सुदृढ़ तौर पर सिद्ध किया जाना चाहिए ।

(2) उन परिस्थितियों की अभियुक्त की दोषिता के बारे में अचूक तौर पर इंगित करने वाली सुनिश्चित प्रवृत्ति होनी चाहिए ।

(3) परिस्थितियां, सामूहिक तौर पर इन कड़ियों में पूर्ण होनी चाहिए कि यह निष्कर्ष निकालने के लिए कोई अवशेष नहीं बचे कि सभी मानवीय संभाव्यता में अपराध अभियुक्त द्वारा ही कारित किया गया है और किसी अन्य द्वारा नहीं, और

(4) पारिस्थितिक साक्ष्य को दोषसिद्धि कायम रखे जाने के प्रयोजनार्थ होना चाहिए और अभियुक्त की दोषिता के अलावा किसी अन्य कल्पना के स्पष्टीकरण में असमर्थ होना चाहिए और ऐसे साक्ष्य को अभियुक्त की दोषिता से ही संगत होना चाहिए किन्तु उसकी निर्दोषिता से असंगत होना चाहिए । [देंखे : गंभीर **बनाम** महाराष्ट्र राज्य (1982) 2 एस. सी. सी. 355]'

19. सी. चेंगा रेड्डी और अन्य **बनाम** आंध्र प्रदेश राज्य [(1996) 10 एस. सी. सी. 193] वाले मामले में, इस न्यायालय ने पारिस्थितिक साक्ष्य पर आधारित दोषसिद्धि के मामले पर विचार करते समय निम्नलिखित अभिनिर्धारित किया है –

'21. पारिस्थितिक साक्ष्य पर आधारित मामले में, यह सुस्थिर विधि है कि परिस्थितियां, जिनसे दोषिता का निष्कर्ष निकाला जाता है, उन्हें पूर्णतः साबित होना चाहिए और ऐसी

परिस्थितियां अनन्य प्रकृति की होनी चाहिए । इसके अतिरिक्त सभी परिस्थितियां पूर्ण होनी चाहिए और साक्ष्य की कड़ियों में कोई अन्तराल नहीं होना चाहिए । इसके अतिरिक्त, साबित परिस्थितियां अभियुक्त की दोषिता की कल्पना से ही संगत होनी चाहिए और उसकी निर्दोषिता से पूर्णतया असंगत होनी चाहिए । वर्तमान मामले में, निचले न्यायालयों ने इन सुस्थिर सिद्धांतों की अनदेखी की है और कुछ अग्राह्य साक्ष्यों का अवलंब लेते हुए, इतर साबित संदेहास्पद परिस्थितियों को मंजूर किया ।'

20. रामरेड्डी राजेश खन्ना **बनाम** आंध्र प्रदेश राज्य [(2006) 10 एस. सी. सी. 172] वाले मामले में, इस न्यायालय ने पुनः पारिस्थितिक साक्ष्य पर आधारित दोषसिद्धि के मामले पर विचार किया और निम्नलिखित अभिनिर्धारित किया –

'26. अब, यह सुस्थिर विधि है कि पारिस्थितिक साक्ष्य पर दोषसिद्धि आधारित होने को ध्यान में रखते हुए, अभियोजन पक्ष को विश्वसनीय और सुनिश्चित साक्ष्य द्वारा अपराध में फंसाने वाली सभी परिस्थितियों को सिद्ध करना चाहिए और इस प्रकार साबित परिस्थितियों, जिनसे घटना की कड़ियां इस प्रकार बनती हैं कि अभियुक्त की दोषिता के अलावा कोई अन्य निष्कर्ष नहीं निकलता है । परिस्थितियां किसी अन्य कल्पना पर आधारित नहीं हो सकती हैं । यह भी सुस्थिर विधि है कि यद्यपि, संदेह किया जा सकता है, किन्तु सबूत के लिए प्रतिस्थापित नहीं किया जा सकता है और न्यायालयों को पारिस्थितिक साक्ष्य के आधार पर ही अभियुक्त की दोषिता का निष्कर्ष निकालने में अति सावधानी बरतनी चाहिए । [देंखे : अनिल कुमार सिंह **बनाम** बिहार राज्य (2003) 9 एस. सी. सी. 67 और रेड्डी संपत्त कुमार **बनाम** आंध्र प्रदेश राज्य (2005) 7 एस. सी. सी. 603] ।'

21. सत्तातिया **बनाम** महाराष्ट्र राज्य [(2008) 3 एस. सी. सी. 210] वाले मामले में, इस न्यायालय ने निम्नलिखित अभिनिर्धारित किया है –

'10. हमने, सम्पूर्ण मामले पर, गंभीरतापूर्वक विचार किया है । यह सुस्थिर विधि है कि एक अपराध को न केवल प्रत्यक्ष

साक्ष्य द्वारा साबित किया जा सकता है अपितु, पारिस्थितिक साक्ष्य द्वारा भी साबित किया जा सकता है, जहां प्रत्यक्ष साक्ष्य नहीं होता है । न्यायालय दोषिता का निष्कर्ष निकाल सकता है, जब अपराध में फंसाने वाले सभी तथ्य और परिस्थितियां अभियुक्त की निर्दोषिता से असंगत पाई जाती हैं । निस्संदेह, परिस्थितियां जिनसे दोषिता का निष्कर्ष निकाला जाना है, को युक्तियुक्त संदेह के परे साबित करना होता है और यह दर्शित करना होता है कि वे उस मुख्य तथ्य से नजदीकी तौर जुड़े हुए हैं, जिन परिस्थितियों से निष्कर्ष निकाला जाना ईप्सित है । इस न्यायालय ने पूर्वोक्त विनिश्चय में निम्नलिखित मत भी व्यक्त किया –

> '17. इस प्रक्रम पर, हमें यह मत व्यक्त करना भी समुचित प्रतीत होता है कि संविधान, 1950 के अनुच्छेद 136 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस न्यायालय को दोषसिद्धि के निर्णय का प्रारम्भ में ही अत्यधिक विचार करना होता है जिसकी अपील में पुष्टि की जानी है । तथापि, यदि यह पाया जाता है कि मामले में साक्ष्य का विवेचन, जो पूर्ण रूप से पारिस्थितिक साक्ष्य पर आधारित है, करने में गंभीर त्रुटियों द्वारा दूषित है और उस कारण से घोर अन्याय हुआ है तो न्यायालय निश्चित तौर पर विचारण न्यायालय और उच्च न्यायालय द्वारा अभिलिखित समवर्ती निष्कर्षों में भी हस्तक्षेप कर सकता है – भारत **बनाम** मध्य प्रदेश राज्य [(2003) 3 एस. सी. सी. 106] । उपर्युक्त के प्रकाश में, अब हम इस बात पर विचार करेंगे कि क्या वर्तमान मामले में अभियोजन पक्ष उन परिस्थितियों की कड़ियों को सिद्ध करने में सफल रहा है जिनसे अपरिहार्य तौर पर यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि अपीलार्थी ने अपराध कारित किया है ।'

22. गोवा राज्य **बनाम** पांडुरंग मोहित [(2008) 16 एस. सी. सी. 714] वाले मामले में, इस न्यायालय ने इस सुस्थिर विधि को पुनः दोहराया है कि जहां दोषसिद्धि सभी प्रकार से पारिस्थितिक साक्ष्य पर निर्भर होती है वहां दोषिता का निष्कर्ष तभी न्यायानुमत हो सकता है जब अपराध में फंसाने वाले तथ्य और परिस्थितियां अभियुक्त की

निर्दोषिता अथवा किसी अन्य व्यक्ति की दोषिता से असंगत पाई जाती हैं । परिस्थितियां, जिनसे अभियुक्त की दोषिता का निष्कर्ष निकाला जाता है उन्हें युक्तियुक्त संदेह के परे साबित करना होता है और यह दर्शित करना होता है कि वे मुख्य तथ्य से नजदीकी तौर पर जुड़े हुए हैं, जिन परिस्थितियों से निष्कर्ष निकाला जाना ईप्सित हैं ।

23. उन मामलों में, जहां दोषसिद्धि पारिस्थितिक साक्ष्य पर आधारित होती है, इस न्यायालय के कुछ नवीनतम विनिश्चयों पर विचार करना समुचित होगा । जी. पार्श्वनाथ **बनाम** कर्नाटक राज्य [(2010) 8 एस. सी. सी. 593] वाले मामले में, इस न्यायालय ने इस विषय पर विस्तारपूर्वक विचार किया और निम्नलिखित अभिनिर्धारित किया है –

> '23. उन मामलों में, जहां साक्ष्य पारिस्थितिक प्रकृति की होती हैं, परिस्थितियां जिनसे दोषिता का निष्कर्ष निकाला जाना है, प्रथमदृष्ट्या उन्हें पूर्ण रूप से सिद्ध करना होता है । प्रत्येक तथ्य, जिनका अवलंब लिया जाना है, वैयक्तिक तौर पर साबित होना चाहिए । तथापि, इस सिद्धांत को लागू करते हुए, एक ओर प्राथमिक या आधारभूत तथ्यों के बीच भेद होना चाहिए और दूसरी ओर, उनसे तथ्यों का निष्कर्ष निकाला जाना चाहिए । प्राथमिक तथ्यों के सबूत के बारे में, न्यायालय को साक्ष्यों पर न्यायनिर्णयन करना होता है और यह विनिश्चित करते हैं कि क्या उक्त साक्ष्य किसी विशिष्ट तथ्य को साबित करते हैं और यदि उक्त तथ्य साबित हो जाता है तो यह प्रश्न कि क्या उक्त तथ्य अभियुक्त व्यक्ति की दोषिता का निष्कर्ष निकाले जाने के लिए विचारणीय है । समस्या के इस पहलू पर विचार करते हुए, संदेह के लाभ का सिद्धांत लागू होता है । यद्यपि, इसमें साक्ष्यों की कोई कड़ी टूटनी नहीं चाहिए फिर भी, यह आवश्यक नहीं है कि प्रत्येक कड़ियां प्रस्तुत साक्ष्य के आमुख पर ही प्रतीत होनी चाहिए और उनमें से कुछ कड़ियों के बारे में साबित तथ्यों से निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं । इन निष्कर्षों को निकालने के लिए, न्यायालय को प्राकृतिक घटनाओं के सामान्य अनुक्रम और मानवीय आचरण तथा विशिष्ट मामले के तथ्यों से उनके संबंध के बारे में निष्कर्ष निकालना चाहिए । इसके पश्चात्, न्यायालय को साबित तथ्यों के प्रभाव के बारे में, विचार करना चाहिए ।

24. दोषसिद्धि के प्रयोजन के लिए, पारिस्थितिक साक्ष्य की पर्याप्तता पर विचार करते समय, न्यायालय को सभी साबित तथ्यों के सम्पूर्ण सामूहिक प्रभाव के बारे में विचार करना होता है, जिसमें से प्रत्येक दोषिता के निष्कर्ष को प्रबल बनाता है और यदि इन सभी तथ्यों का एक साथ सामूहिक प्रभाव अनन्य रूप से अभियुक्त की दोषिता सिद्ध करते हैं तो दोषसिद्धि न्यायानुमत होगी यद्यपि यह हो सकता है कि स्वयं या स्वयमेव इन तथ्यों में से एक या अधिक निश्चायक नहीं हों । सिद्ध तथ्य न केवल अभियुक्त की दोषिता की कल्पना से संगत होने चाहिए अपितु, ऐसी प्रत्येक कल्पना से अपवर्जित होने चाहिए सिवाय एक के जो साबित होना ईप्सित है । किन्तु, इसका अभिप्रायः यह नहीं है कि मात्र पारिस्थितिक साक्ष्य पर निर्भर रहते हुए, एक मामले में अभियोजन सफल हो सकता है, तो इसे अभियुक्त की निर्दोषिता के बारे में प्रत्येक और प्रत्येक कल्पना को अपवर्जित करना चाहिए । तथापि, इसे मनमाना और काल्पनिक नहीं होना चाहिए । साक्ष्य की कड़ियां इस प्रकार पूर्ण होनी चाहिएं कि उनसे अभियुक्त की निर्दोषिता के बारे में, संगत निष्कर्ष निकालने के लिए कोई युक्तियुक्त आधार नहीं बचे और यह दर्शित होना चाहिए कि सभी मानवीय संभाव्य कृत्य अभियुक्त द्वारा किए गए हैं जहां साक्ष्य की विभिन्न कड़ियां इस प्रकार जुड़ी हुई हैं कि वे स्वयमेव ही पूर्ण होती हैं । उसके बाद, मिथ्या अभिवाक् या मिथ्या प्रतिरक्षा न्यायालय को आश्वासन देने के लिए ही की जा सकती हैं ।'

24. राजेन्द्र प्रह्लादराव वासनिक **बनाम** महाराष्ट्र राज्य [(2012) 4 एस. सी. सी. 37] वाले मामले में, पारिस्थितिक साक्ष्य पर आधारित मामले में विचार करते हुए, इस न्यायालय ने निम्नलिखित मत व्यक्त किया है –

'12. इस बारे में, कोई संदेह नहीं है कि यह प्रत्यक्ष साक्ष्य का मामला नहीं है, अपितु, अभियुक्त की दोषसिद्धि पारिस्थितिक साक्ष्य पर आधारित है । विधि का यह सुस्थिर सिद्धांत है कि अभियोजन पक्ष को पारिस्थितिक साक्ष्य पर आधारित दोषसिद्धि के पूर्व कतिपय शर्तों का समाधान करना होता है । परिस्थितियां, जिनसे दोषिता का निष्कर्ष निकाला

जाना है, पूर्णतया सिद्ध होनी चाहिए और अर्थात् अभियुक्त की दोषिता के साथ ही संगत होनी चाहिए । परिस्थितियां अनन्य होनी चाहिए और अभियोजन द्वारा साबित होनी चाहिए । घटनाओं की कड़ियां इस प्रकार पूर्ण होनी चाहिए जिससे कि न्यायालय के विवेक में कोई भी सारवान् संदेह नहीं रहे । अप्रतिरोध्य तौर पर, साक्ष्य से ऐसा निष्कर्ष निकलना चाहिए जो अभियुक्त की निर्दोषिता से असंगत हो और मात्र यह संभाव्यता हो कि अभियुक्त ने ही अपराध कारित किया है ।

13. इसे साधारण तौर पर देखने से, परिस्थितियां, जो घटनाओं की कड़ियां निर्मित करती हैं, साबित होनी चाहिए और वे मात्र अभियुक्त की दोषिता के बारे में ही सामूहिक तौर पर होनी चाहिए । ऐसी परिस्थितियों में, दोषिता का निष्कर्ष मात्र तभी न्यायानुमत हो सकता है जब अपराध में फंसाने वाले सभी तथ्य और परिस्थितियां अभियुक्त की निर्दोषिता या किसी अन्य व्यक्ति की दोषिता के साथ असंगत पाई जाती हों ।'

25. अंतिम, किन्तु अधिक नहीं, कम से कम बृजेन्द्र सिंह **बनाम** मध्य प्रदेश राज्य [(2012) 4 एस. सी. सी. 289] वाले मामले में, इस न्यायालय ने उपर्युक्त सिद्धांतों को दोहराते हुए, पुनः यह जोड़ा कि –

'28. इसके अतिरिक्त, नियम, जिस पर न्यायालय द्वारा मत व्यक्त किए जाने की आवश्यकता है, पारिस्थितिक साक्ष्य के मामलों पर विचार करते समय, यह है कि बेहतर साक्ष्य प्रस्तुत किए जाने चाहिए, जो मामले की प्रकृति में स्वीकार्य हों । परिस्थितियों की सामूहिक तौर पर परीक्षा होनी चाहिए । न्यायालय को घटनाओं की संपूर्ण कड़ियों की परीक्षा करनी होती है और उसके बाद, यह देखना होता है कि क्या सभी तात्विक तथ्य, जिन्हें अभियोजन द्वारा सिद्ध किया जाना ईप्सित है, अभियुक्त की दोषिता को युक्तियुक्त संदेह के परे साबित कर दिया गया है । हमें, विवेक में यह रखना होता है कि ये सभी सिद्धांत, हमारे इस दांडिक विधिशास्त्र पर आधारित होते हैं कि अभियुक्त दोषी साबित होने तक निर्दोष होता है और यह कि अभियुक्त न्यायोचित और ऋजु विचारण का हकदार होता है [देंखे : धनंजय चटर्जी **बनाम** पश्चिमी बंगाल राज्य (1994) 2 एस. एस. सी. 220, शिव **बनाम** कर्नाटक उच्च न्यायालय

(2007) 4 एस. एस. सी. 713 और शिवाजी **बनाम** महाराष्ट्र राज्य (2008) 15 एस. एस. सी. 269] ।'

26. जैसा कि इसमें उपर्युक्त चर्चा की गई है, इस विधिक प्रतिपादना के बारे में कोई विवाद नहीं है कि दोषसिद्धि एकमात्र पारिस्थितिक साक्ष्य पर आधारित हो सकती है किन्तु इसका इस न्यायालय द्वारा यथा अधिकथित पारिस्थितिक साक्ष्य से संबंधित विधि के सिद्धांतों पर परीक्षण होना चाहिए । ऐसे मामलों में, सभी परिस्थितियों से यह निष्कर्ष निकलना चाहिए कि अभियुक्त ही मात्र वह व्यक्ति है जिसने अपराध कारित किया है और कोई अन्य नहीं ।"

32. **ऋषिपाल** बनाम **उत्तराखंड राज्य**[1] वाले मामले में, माननीय उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों ने यह अभिनिर्धारित किया है कि हेतुक, प्रत्यक्षदर्शी साक्षियों पर आधारित मामलों में एक महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभाता है किन्तु, यह उन मामलों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है जो पारिस्थितिक साक्ष्य पर सम्पूर्ण रूप से आधारित होते हैं । माननीय न्यायाधीशों ने यह भी अभिनिर्धारित किया है कि परिस्थितियां, जिन्हें अभियुक्त के विरुद्ध साबित किया जाना ईप्सित है, उन्हें युक्तियुक्त संदेह के परे सिद्ध होना चाहिए, किन्तु यह भी कि ऐसी परिस्थितियां जिनसे कड़ियां पूर्ण होती हैं उनसे न्यायालय के लिए इस विकल्प के लिए कोई स्थान नहीं छोड़ना होता है सिवाय यह अभिनिर्धारित करने के लिए कि अभियुक्त उन अपराधों का दोषी है, जो उस पर आरोपित हैं । न्यायालय ने निम्नलिखित अभिनिर्धारित किया है :–

"15. द्वितीय पहलू, जिसके प्रति हम सीधे निर्दिष्ट कर सकते हैं वह यह है कि अब्दुल मबूद की अभिकथित हत्या कारित करने के लिए अपीलार्थी के पास किसी हेतुक का अभाव है । अभियोजन पक्षकथन यह नहीं है कि अब्दुल मबूद और अपीलार्थी के बीच कोई शत्रुता मौजूद थी, न ही ऐसी शत्रुता को साबित करने के लिए कोई साक्ष्य है । इन सभी से राज्य के विद्वान् काउंसेल ने यह सुझाव दिया था कि अपीलार्थी ने अब्दुल मबूद की हत्या करने के लिए उसे दूर ले गया था, क्योंकि वह उसकी कार छीनने का आशय रखता था जो उसे शिकायतकर्ता-डा. मोहम्मद अलाम ने दिया था । इस तर्क को हमारे समक्ष जोर नहीं दिया गया है । यदि अभिकथित हत्या करने के

---

[1] (2013) 12 एस. सी. सी. 551.

पीछे हेतुक था तो वह उसे कार में क्यों ले जाता, क्योंकि मृतक की हत्या करने के लिए अपीलार्थी के लिए यह आवश्यक नहीं था कि वह अब्दुल मबूद को शारीरिक तौर पर क्षति पहुंचाए बिना भी कार से दूर ले जा सकता था । यद्यपि, अब्दुल मबूद कार नहीं चला रहा था । और उस पर उसका इस प्रकार नियंत्रण था कि परिदृश्य से गायब हुए बिना अपीलार्थी के लिए अपने षड्यंत्र में सफल होना कठिन था । अभियोजन पक्ष का इसके विपरीत, यह कथन है कि अपीलार्थी ने कार और 15,000/- रुपए के बारे में शिकायत की थी । अपीलार्थी को उस कपटपूर्ण कृत्य के लिए सही ही सिद्धदोष किया गया है जिस दोषसिद्धि को हमने पुष्ट किया है । ऐसी स्थिति होने पर कार पहले से ही अपीलार्थी के कब्जे और नियंत्रण में होनी चाहिए थी और उन सभी से उसे कार ले जाते समय रास्ते में किसी स्थान पर अब्दुल मबूद को उतारने की आवश्यकता थी जिसके लिए उसके पास पर्याप्त अवसर था क्योंकि विभिन्न स्थानों पर घूमते समय दोनों एक साथ थे । यह कहना पर्याप्त होगा कि अभिकथित हत्या के लिए हेतुक अत्यधिक कमजोर है क्योंकि यह हमारे समक्ष अतार्किक है । यह ऋजुतः सुस्थिर है कि हेतुक, प्रत्यक्षदर्शी साक्षियों पर आधारित मामलों में एक महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभाता है किन्तु, यह उन मामलों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है जो पारिस्थितिक साक्ष्य पर सम्पूर्ण रूप से आधारित होते हैं [देंखे : सुखराम **बनाम** महाराष्ट्र राज्य (2007) 7 एस. सी. सी. 502, सुनील क्लीफोर्ड डेनियल (डा.) **बनाम** पंजाब राज्य (2012) 8 स्केल 670, पन्नायार **बनाम** तमिलनाडु राज्य **मार्फत** पुलिस निरीक्षक (2009) 9 एस. सी. सी. 152] । इसलिए, वर्तमान मामले में, मजबूत हेतुक के अभाव में ऐसा कुछ नहीं है जिसकी उपेक्षा नहीं की जा सके ।

19. यह सत्य है कि अभिलेख पर साक्ष्य के आधार पर साबित सूचक परिस्थितियों से अपीलार्थी के विरुद्ध संदेह उत्पन्न करती हैं किन्तु संदेह कितने भी मजबूत हों, हत्या के लिए अपीलार्थी की दोषसिद्धि को न्यायोचित ठहराने के लिए पर्याप्त नहीं होती हैं । हमारी राय में, विचारण न्यायालय ने इस आधार पर ही कार्यवाही की है कि अपीलार्थी ही मृतक-अब्दुल मबूद की हत्या कर सकता है, ऐसा करते समय, विचारण न्यायालय ने इस तथ्य की अनदेखी की है कि 'हो सकता है' और 'होना चाहिए' के बीच अत्यधिक अन्तर है जिस अन्तर

को तर्कपूर्ण और विश्वसनीय साक्ष्य प्रस्तुत करते हुए, अभियोजन पक्ष को ध्यान में रखना चाहिए था । दुर्भाग्यपूर्ण तौर पर, वर्तमान मामले में, ऐसा कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है । इस विषय पर विधिक प्रास्थिति, सुस्थिर है और इसे दोहराने की आवश्यकता नहीं है । इस न्यायालय के विनिश्चयों में, कई अवसरों पर इन आवश्यकताओं को अधिकथित किया गया है कि पारिस्थितिक साक्ष्य पर निर्भर रहने वाले मामलों में इनका समाधान होना चाहिए । उक्त आवश्यकताओं का सार यह है कि न केवल ऐसी परिस्थितियां होनी चाहिए जिन्हें अभियुक्त के विरुद्ध साबित किया जाना ईप्सित किया गया है उन्हें युक्तियुक्त संदेह के परे सिद्ध होना चाहिए अपितु, ऐसी परिस्थितियां जिनसे कड़ियां पूर्ण होती हैं उनसे न्यायालय को यह अभिनिर्धारित करने के सिवाय कोई विकल्प नहीं बचता है कि अभियुक्त उन अपराधों का दोषी है जिनके लिए वह आरोपित है । वर्तमान मामले में, मृतक-अब्दुल मबूद का उपस्थित न होना स्पष्टकरणीय नहीं है, जैसा कि अभियोजन पक्ष द्वारा हमारे समक्ष तर्क दिया जाना ईप्सित है, मात्र इस कल्पना पर कि अपीलार्थी ने नाले के पास उसकी हत्या की है, किस तरीके से वह ही जानता है या यह कि अपीलार्थी ने पेशेवर तरीके से उसके शव को हटाया था जिसके लिए अभियोजन के पास कोई साक्ष्य नहीं है सिवाय इस अतिवादी कल्पना के कि शव को उस नहर में फेंका गया हो सकता है जिससे उसे कभी भी बरामद नहीं किया गया ।"

33. विद्वान् विचारण न्यायालय द्वारा अवलंब लिया गया चतुर्थ परिस्थिति, अभियुक्त का पश्चात्वर्ती आचरण है । विद्वान् विचारण न्यायालय के अनुसार, अभियुक्त ने अभि. सा. 4 अपर्णा शर्मा का मोबाइल फोन नहीं उठाया था । उसके अनुसार, मृतक को अभियुक्त ने अपराह्न लगभग 3.15 बजे बुलाया था । उसने उसे बताया था कि वह 10-15 मिनटों के भीतर वापस आएगा । इसके पश्चात्, उसके पति कभी भी वापस नहीं आए । उसने टेलीफोन से अपने पति से सम्पर्क करने की कोशिश की थी किन्तु अपराह्न 6.30 बजे तक घंटी बजती रही थी और उसके बाद, मोबाइल बन्द हो गया था । मध्य रात्रि लगभग 12.00 बजे उसने अपने फोन से अभियुक्त हरबंस लाल से सम्पर्क करने की कोशिश की, किन्तु उसने उसका काल नहीं उठाया । यह अभि. सा. 4 अपर्णा शर्मा का अप्रायिक आचरण है । उसे तत्काल ही अपने पति के भाई अभि. सा. 1

रामपाल या अभि. सा. 2 पंकज भारद्वाज से सम्पर्क करना चाहिए था । उसने उनसे तारीख 30 अक्तूबर, 2012 के प्रातःकाल में ही सम्पर्क किया । अभियोजन पक्ष अभियुक्त हरबंस लाल से अपर्णा शर्मा (मृतक की पत्नी) की टेलीफोन संख्या को जोड़ नहीं पाया है । पुलिस ने हरबंस लाल, ओंकार सिंह, रोहित, शशि पाल, विजय कुमार और अजित सिंह के टेलीफोन संख्याओं का काल वर्णन ही कब्जे में लिया है । इस प्रकार, यह नहीं कहा जा सकता है कि हरबंस लाल ने जानबूझकर अपर्णा शर्मा का फोन नहीं उठाया था ।

34. विद्वान् विचारण न्यायालय द्वारा अवलंब लिया गया पंचम् और षष्ठम् परिस्थिति, अभियुक्त के अहाते से मृतक के स्कूटर की बरामदगी और अभियुक्त के जूतों के जोड़े की बरामदगी है । अभि. सा. 8 ओंकार सिंह ने यह अभिसाक्ष्य दिया है कि पूर्वाह्न लगभग 9.00 बजे अभियुक्त ने एक टेलीफोन काल किया और उससे उस स्कूटर को कहीं छिपाने के लिए कहा जो उसके क्वार्टर के बाहर पार्क था । उसने ऐसा करने से मना कर दिया था । अभि. सा. 11 अजित सिंह ने यह अभिसाक्ष्य दिया है कि शशि पाल का स्कूटर सड़क पर पार्क था और यह कि वह हरबंस लाल से यह निवेदन कर रहा था कि वह उसके घर के अहाते में अपना स्कूटर पार्क करे । इसी बीच में, वह उसके घर से बाहर चला गया । अपनी प्रतिपरीक्षा में उसने यह स्वीकार किया है कि उसने ओंकार सिंह को उस समय अभियुक्त के कमरे में नहीं देखा था, जब शशि पाल अभियुक्त से यह निवेदन कर रहा था कि उसके आवास में अपना स्कूटर पार्क करे । उसके अनुसार, उसकी उपस्थिति में अभियुक्त और मृतक के बीच कोई झगड़ा या वाद-विवाद भी नहीं हुआ था । अभि. सा. 3 मिल्खी राम पक्षद्रोही घोषित हो गया था और विद्वान् लोक अभियोजन द्वारा उसकी प्रतिपरीक्षा की गई थी । उसने इस सुझाव से इनकार किया है कि अपराह्न लगभग 9.00 बजे उसने हरबंस लाल से एक काल प्राप्त किया जिसमें उसने उससे मृतक शशि पाल का स्कूटर छिपाने के लिए कह रहा था । अभि. सा. 9 अशोक कुमार ने यह अभिसाक्ष्य दिया है कि पूर्वाह्न लगभग 10.00 बजे उसके मोबाइल पर अभियुक्त ने एक काल किया था । अभियुक्त ने उससे पूछा कि वह कहां है । अभियुक्त ने यह देखने के लिए पुनः एक काल किया कि क्या कोई स्कूटर वहां पार्क है या नहीं । वह हरबंस के क्वार्टर में गया और वहां एक स्कूटर पार्क पाया । उसे स्कूटर की संख्या याद नहीं है । यदि वह अभियुक्त के घर गया और वहां स्कूटर पार्क पाया तो उसे निश्चित तौर पर, स्कूटर का रजिस्ट्रीकरण संख्या याद होगा । इसके

अतिरिक्त, अभियुक्त के घर में स्कूटर की मौजूदगी का कोई परिणाम नहीं है क्योंकि अभियोजन पक्ष के अनुसार, मृतक स्कूटर पर शराबी की दशा में अभियुक्त के घर गया था ।

35. अभि. सा. 5 हेड कांस्टेबल तारसेम सिंह के अनुसार, अभियुक्त ने तारीख 16 नवम्बर, 2012 को अपने जूते अन्वेषक अधिकारी को सौंपे थे जिसके बारे में, यह अभिकथित है कि उससे अभियुक्त ने मृतक शशि पाल को पीटा था । इन्हें ज्ञापन प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 5/ए द्वारा कब्जे में लिया गया था । मृतक का शव, तारीख 30 अक्तूबर, 2012 को प्रातःकाल में बरामद हुआ था । जूते तारीख 16 नवम्बर, 2012 को ही बरामद हुए थे । अभि. सा. 5 हेड कांस्टेबल तारसेम सिंह ने यह स्वीकार किया है कि उस समय कोई साक्षी उपलब्ध नहीं था जब अभियुक्त के संस्वीकृति कथन अभिलिखित किए गए थे । उसने यह भी स्वीकार किया कि अभियुक्त तारीख 16 नवम्बर, 2012 को पुलिस अभिरक्षा में था । तारीख 16 नवम्बर, 2012 को जूते बरामदगी के साथ ही अभियुक्त द्वारा किए गए कथन को अभिलिखित करते समय स्वतंत्र साक्षी अवश्य ही होने चाहिए थे ।

36. घटनाओं की कड़ियां अपूर्ण हैं । अभियोजन पक्ष ने इस बारे में कोई हेतुक दर्शित नहीं किया है कि क्यों अभियुक्त ने मृतक की हत्या की होगी । 'अंतिम बार एक साथ देखे जाने' की कहानी को अभियोजन पक्ष द्वारा साबित नहीं किया गया है । अभियुक्त के प्रकट कथन को अभिलिखित करते समय स्वतंत्र साक्षियों की अनुपस्थिति में जूतों की बरामदगी भी संदेह पूर्ण है । इलैक्ट्रानिक साक्ष्य को भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 65ख के अनुसार साबित नहीं किया गया है । मृतक के रक्त में ईथाइल ऐल्कोहल की मात्रा 172.50 मिलीग्राम प्रतिशत था । इस प्रकार, अभियोजन पक्ष अभियुक्त के विरुद्ध युक्तियुक्त संदेह के परे, मामला साबित करने में असफल रहा है ।

37. तद्नुसार, इसमें उपर्युक्त किए गए विश्लेषण और चर्चा को ध्यान में रखते हुए, यह अपील मंजूर की जाती है । विद्वान् अपर सेशन न्यायाधीश, कांगड़ा द्वारा 2013 की सेशन वाद संख्या 1-एन/VII में पारित तारीख 17 अक्तूबर, 2015 के दोषसिद्धि और दंडादेश के निर्णय और आदेश को अपास्त किया जाता है । अभियुक्त को उसके विरुद्ध विरचित आरोपों से अवमुक्त किया जाता है । जुर्माना रकम, यदि कोई हो, जिसे अभियुक्त द्वारा पहले ही जमा किया जा चुका है, को उसे वापस करने का आदेश दिया जाता है । चूंकि, अभियुक्त कारागार में है, इसलिए उसे तुरन्त

अवमुक्त किया जाए, यदि किसी अन्य मामले में उसकी आवश्यकता न हो ।

38. रजिस्ट्री को निर्देश दिया जाता है कि वह अभियुक्त की अवमुक्ति का वारंट तैयार करे और उसे तुरन्त इस निर्णय की संपुष्टि में संबंधित कारागार अधीक्षक के पास भेजा जाए ।

अपील मंजूर की गई ।

क.

गतांक से आगे.....

अध्याय 4

क – वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की शक्तियां

36. वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की शक्तियां – पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी से पंक्ति में वरिष्ठ पुलिस अधिकारी जिस स्थानीय क्षेत्र में नियुक्त है, उसमें सर्वत्र, उन शक्तियों का प्रयोग कर सकते हैं जिनका प्रयोग अपने थाने की सीमाओं के अंदर ऐसे अधिकारी द्वारा किया जा सकता है ।

ख – मजिस्ट्रेट और पुलिस को सहायता

37. जनता कब मजिस्ट्रेट और पुलिस की सहायता करेगी – प्रत्येक व्यक्ति, ऐसे मजिस्ट्रेट या पुलिस अधिकारी की सहायता करने के लिए आबद्ध है, जो निम्नलिखित कार्यों में उसकी सहायता उचित रूप से मांगता है, –

(क) किसी अन्य ऐसे व्यक्ति को, जिसे ऐसा मजिस्ट्रेट या पुलिस अधिकारी गिरफ्तार करने के लिए प्राधिकृत है, पकड़ना या उसका निकल भागने से रोकना ; अथवा

(ख) परिशान्ति भंग का निवारण या दमन ; अथवा

(ग) किसी रेल, नहर, तार या लोक-संपत्ति को क्षति पहुंचाने के प्रयत्न का निवारण ।

38. पुलिस अधिकारी से भिन्न ऐसे व्यक्ति को सहायता जो वारंट का निष्पादन कर रहा है – जब कोई वारंट पुलिस अधिकारी से भिन्न किसी व्यक्ति को निदिष्ट है तब कोई भी अन्य व्यक्ति उस वारंट के निष्पादन में सहायता कर सकता है यदि वह व्यक्ति, जिसे वारंट निदिष्ट है, पास में हैं और वारंट के निष्पादन में कार्य कर रहा है ।

39. कुछ अपराधों की इत्तिला का जनता द्वारा दिया जाना – (1) प्रत्येक व्यक्ति जो भारतीय दंड संहिता (1860 का 45) की निम्नलिखित धाराओं के अधीन दंडनीय किसी अपराध के किए जाने से या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा करने के आशय से अवगत है, उचित प्रतिहेतु के अभाव में, जिसे साबित करने का भार इस प्रकार अवगत व्यक्ति पर होगा, ऐसे किए जाने या आशय की इत्तिला तुरंत निकटतम मजिस्ट्रेट या पुलिस अधिकारी को देगा, अर्थात् :–

(i) धारा 121 से 126, दोनों सहित, और धारा 130 (अर्थात्, उक्त संहिता के अध्याय 6 में विनिर्दिष्ट राज्य के विरुद्ध अपराध) ;

(ii) धारा 143, 144, 145, 147 और 148 (अर्थात्, उक्त संहिता के अध्याय 8 में विनिर्दिष्ट लोक प्रशांति के विरुद्ध अपराध) ;

(iii) धारा 161 से 165क, दोनों सहित, (अर्थात्, अवैध परितोषण से संबंधित अपराध) ;

(iv) धारा 272 से 278, दोनों सहित, (अर्थात्, खाद्य और औषधियों के अपमिश्रण से संबंधित अपराध आदि) ;

(v) धारा 302, 303 और 304 (अर्थात् जीवन के लिए संकटकारी अपराध) ;

[1][(vक) धारा 364क (अर्थात् फिरौती, आदि के लिए व्यपहरण से संबंधित अपराध) ;]

(vi) धारा 382 (अर्थात्, चोरी करने के लिए मृत्यु, उपहति या अवरोध कारित करने की तैयारी के पश्चात् चोरी का अपराध) ;

(vii) धारा 392 से 399, दोनों सहित, और धारा 402 (अर्थात्, लूट और डकैती के अपराध) ;

(viii) धारा 409 (अर्थात्, लोक सेवक आदि द्वारा आपराधिक न्यासभंग से संबंधित अपराध) ;

(ix) धारा 431 से 439, दोनों सहित, (अर्थात्, संपत्ति के विरुद्ध रिष्टि के अपराध) ;

(x) धारा 449 और 450 (अर्थात्, गृह अतिचार का अपराध) ;

(xi) धारा 456 से 460, दोनों सहित, (अर्थात्, प्रच्छन्न गृह अतिचार के अपराध) ; और

(xii) धारा 489क से 489ङ, दोनों सहित, (अर्थात्, करेंसी नोटों और बैंक नोटों से संबंधित अपराध)।

(2) इस धारा के प्रयोजनों के लिए "अपराध" शब्द के अंतर्गत भारत के बाहर किसी स्थान में किया गया कोई ऐसा कार्य भी है जो यदि भारत में किया जाता तो अपराध होता ।

---

[1] 1993 के अधिनियम सं. 42 की धारा 3 द्वारा अंतःस्थापित ।

40. ग्राम के मामलों के संबंध में नियोजित अधिकारियों के कतिपय रिपोर्ट करने का कर्तव्य – (1) किसी ग्राम के मामलों के संबंध में नियोजित प्रत्येक अधिकारी और ग्राम में निवास करने वाला प्रत्येक व्यक्ति, निकटतम मजिस्ट्रेट को या निकटतम पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी को, जो भी निकटतर हो, कोई भी जानकारी जो उसके पास निम्नलिखित के बारे में हो, तत्काल संसूचित करेगा, –

(क) ऐसे ग्राम में या ऐसे ग्राम के पास किसी ऐसे व्यक्ति का, जो चुराई हुई संपत्ति का कुख्यात प्रापक या विक्रेता है, स्थायी या अस्थायी निवास ;

(ख) किसी व्यक्ति का, जिसका वह ठग, लुटेरा, निकल भागा सिद्धदोष या उद्घोषित अपराधी होना जानता है या जिसके ऐसा होने का उचित रूप से संदेह करता है, ऐसे ग्राम के किसी भी स्थान में आना-जाना या उसमें से हो कर जाना ;

(ग) ऐसे ग्राम में या उसके निकट कोई अजमानतीय अपराध या भारतीय दंड संहिता (1860 का 45) की धारा 143, धारा 144, धारा 145, धारा 147 या धारा 148 के अधीन दंडनीय कोई अपराध किया जाना या करने का आशय ;

(घ) ऐसे ग्राम में या उसके निकट कोई आकस्मिक या अप्राकृतिक मृत्यु होना, या सन्देहजनक परिस्थितियों में कोई मृत्यु होना, या ऐसे ग्राम में या उसके निकट किसी शव का, या शव के अंग का ऐसी परिस्थितियों में, जिनसे उचित रूप से संदेह पैदा होता है कि ऐसी मृत्यु हुई, पाया जाना, या ऐसे ग्राम से किसी व्यक्ति का, ऐसी परिस्थितियों में जिनसे उचित रूप से संदेह पैदा होता है कि ऐसे व्यक्ति के संबंध में अजमानतीय अपराध किया गया है, गायब हो जाना ;

(ङ) ऐसे ग्राम के निकट, भारत के बाहर किसी स्थान में ऐसा कोई कार्य किया जाना या करने का आशय जो यदि भारत में किया जाता तो भारतीय दंड संहिता (1860 का 45) की इन धाराओं, अर्थात् – 231 से 238 तक (दोनों सहित), 302, 304, 382, 392 से 399 तक (दोनों सहित), 402, 435, 436, 449, 450, 457 से 460 तक (दोनों सहित), 489क, 489ख, 489ग और 489घ में से किसी के अधीन दंडनीय अपराध होता ;

(च) व्यवस्था बनाए रखने या अपराध के निवारण अथवा व्यक्ति या

संपत्ति के क्षेम पर संभाव्यता प्रभाव डालने वाला कोई विषय जिसके संबंध में जिला मजिस्ट्रेट ने राज्य सरकार की पूर्व मंजूरी से किए गए साधारण या विशेष आदेश द्वारा उसे निदेश दिया है कि वह उस विषय पर जानकारी संसूचित करे ।

(2) इस धारा में, –

(i) "ग्राम" के अंतर्गत ग्राम-भूमियां भी हैं ;

(ii) "उद्घोषित अपराधी" पद के अंतर्गत ऐसा व्यक्ति भी है जिसे भारत के किसी ऐसे राज्यक्षेत्र में जिस पर इस संहिता का विस्तार नहीं है किसी न्यायालय या प्राधिकारी ने किसी ऐसे कार्य के बारे में, अपराधी उद्घोषित किया है जो यदि उन राज्यक्षेत्रों में, जिन पर इस संहिता का विस्तार है, किया जाता तो भारतीय दंड संहिता (1860 का 45) की इन धाराओं, अर्थात् – 302, 304, 382, 392 से 399 तक (दोनों सहित), 402, 435, 436, 449, 450 और 457 से 460 तक (दोनों सहित), में से किसी के अधीन दंडनीय अपराध होता ;

(iii) "ग्राम के मामलों के संबंध में नियोजित प्रत्येक अधिकारी" शब्दों से ग्राम पंचायत का कोई सदस्य अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत ग्रामीण और प्रत्येक ऐसा अधिकारी या अन्य व्यक्ति भी है जो ग्राम के प्रशासन के संबंध में किसी कृत्य का पालन करने के लिए नियुक्त किया गया है ।

अध्याय 5

व्यक्तियों की गिरफ्तारी

41. पुलिस वारंट के बिना कब गिरफ्तार कर सकेगी – (1) कोई पुलिस अधिकारी मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना और वारंट के बिना किसी ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है –

[1][(क) जो पुलिस अधिकारी की उपस्थिति में संज्ञेय अपराध करता है ;

(ख) जिसके विरुद्ध इस बारे में उचित परिवाद किया जा चुका है या विश्वसनीय इत्तिला प्राप्त हो चुकी है या उचित संदेह विद्यमान

[1] 2009 के अधिनियम सं. 5 की धारा 5 द्वारा खंड (क) और (ख) के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

है कि उसने कारावास से, जिसकी अवधि सात वर्ष से कम की हो सकेगी या जिसकी अवधि सात वर्ष की हो सकेगी, चाहे वह जुर्माने सहित हो अथवा जुर्माने के बिना, दंडनीय संज्ञेय अपराध किया है, यदि निम्नलिखित शर्तें पूरी कर दी जाती हैं, अर्थात् :–

(i) पुलिस अधिकारी के पास ऐसे परिवाद, इत्तिला या संदेह के आधार पर यह विश्वास करने का कारण है कि उस व्यक्ति ने उक्त अपराध किया है ;

(ii) पुलिस अधिकारी का यह समाधान हो गया है कि ऐसी गिरफ्तारी :–

(क) ऐसे व्यक्ति को कोई और अपराध करने से निवारित करने के लिए ; या

(ख) अपराध के समुचित अन्वेषण के लिए ; या

(ग) ऐसे व्यक्ति को ऐसे अपराध के साक्ष्य को गायब करने या ऐसे साक्ष्य के साथ किसी भी रीति में छेड़छाड़ करने से निवारित करने के लिए ; या

(घ) उस व्यक्ति को, किसी ऐसे व्यक्ति को, जो मामले के तथ्यों से परिचित है, उत्प्रेरित करने, उसे धमकी देने या उससे वायदा करने से जिससे उसे न्यायालय या पुलिस अधिकारी को ऐसे तथ्यों को प्रकट न करने के लिए मनाया जा सके, निवारित करने के लिए ; या

(ङ) जब तक ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं कर लिया जाता, न्यायालय में उसकी उपस्थिति, जब भी अपेक्षित हो, सुनिश्चित नहीं की जा सकती,

आवश्यक है, और पुलिस अधिकारी ऐसी गिरफ्तारी करते समय अपने कारणों को लेखबद्ध करेगा ;

[1][परंतु कोई पुलिस अधिकारी, ऐसे सभी मामलों में, जहां किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी इस उपधारा के उपबंधों के अधीन अपेक्षित नहीं है, गिरफ्तारी न करने के कारणों को लेखबद्ध करेगा ।]

---

[1] 2010 के अधिनियम सं. 41 की धारा 2 द्वारा अंतःस्थापित ।

(खक) जिसके विरुद्ध विश्वसनीय इत्तिला प्राप्त हो चुकी है कि उसने कारावास से, जिसकी अवधि सात वर्ष से अधिक की हो सकेगी, चाहे वह जुर्माने सहित हो अथवा जुर्माने के बिना, अथवा मृत्यु दंडादेश से दंडनीय संज्ञेय अपराध किया है और पुलिस अधिकारी के पास उस इत्तिला के आधार पर यह विश्वास करने का कारण है कि उस व्यक्ति ने उक्त अपराध किया है ;]

(ग) जो या तो इस संहिता के अधीन या राज्य सरकार के आदेश द्वारा अपराधी उद्घोषित किया जा चुका है ; अथवा

(घ) जिसके कब्जे में कोई ऐसी चीज पाई जाती है जिसके चुराई हुई संपत्ति होने का उचित रूप से संदेह किया जा सकता है और जिस पर ऐसी चीज के बारे में अपराध करने का उचित रूप से संदेह किया जा सकता है ; अथवा

(ङ) जो पुलिस अधिकारी को उस समय बाधा पहुंचाता है जब वह अपना कर्तव्य कर रहा है, या जो विधिपूर्ण अभिरक्षा से निकल भागा है या निकल भागने का प्रयत्न करता है ; अथवा

(च) जिस पर संघ के सशस्त्र बलों में से किसी से अभित्याजक होने का उचित संदेह है ; अथवा

(छ) जो भारत से बाहर किसी स्थान में किसी ऐसे कार्य किए जाने से, जो यदि भारत में किया गया होता तो अपराध के रूप में दंडनीय होता, और जिसके लिए वह प्रत्यर्पण संबंधी किसी विधि के अधीन या अन्यथा भारत में पकड़े जाने का या अभिरक्षा में निरुद्ध किए जाने का भागी है, संबद्ध रह चुका है या जिसके विरुद्ध इस बारे में उचित परिवाद किया जा चुका है या विश्वसनीय इत्तिला प्राप्त हो चुकी है या उचित संदेह विद्यमान है कि वह ऐसे संबद्ध रह चुका है ; अथवा

(ज) जो छोड़ा गया सिद्धदोष होते हुए धारा 356 की उपधारा (5) के अधीन बनाए गए किसी नियम को भंग करता है ; अथवा

(झ) जिसकी गिरफ्तारी के लिए किसी अन्य पुलिस अधिकारी से लिखित या मौखिक अध्यपेक्षा प्राप्त हो चुकी है, परंतु यह तब जब कि अध्यपेक्षा में उस व्यक्ति का, जिसे गिरफ्तार किया जाना है, और उस अपराध का या अन्य कारण का, जिसके लिए गिरफ्तारी की

जानी है, विनिर्देश है और उससे यह दर्शित होता है कि अध्यपेक्षा जारी करने वाले अधिकारी द्वारा वारंट के बिना वह व्यक्ति विधिपूर्वक गिरफ्तार किया जा सकता था ।

[1][(2) धारा 42 के उपबंधों के अधीन रहते हुए, ऐसे किसी व्यक्ति को, जो किसी असंज्ञेय अपराध से संबद्ध है या जिसके विरुद्ध कोई परिवाद किया जा चुका है या विश्वसनीय इत्तिला प्राप्त हो चुकी है या उचित संदेह विद्यमान है कि वह ऐसे संबद्ध रह चुका है, मजिस्ट्रेट के वारंट या आदेश के सिवाय, गिरफ्तार नहीं किया जाएगा ।]

[2][**41क. पुलिस अधिकारी के समक्ष हाजिर होने की सूचना** – (1) पुलिस अधिकारी, ऐसे सभी मामलों में जिनमें धारा 41 की उपधारा (1) के उपबंधों के अधीन किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी अपेक्षित नहीं है, उस व्यक्ति को जिसके विरुद्ध इस बारे में उचित परिवाद किया जा चुका है या विश्वसनीय इत्तिला प्राप्त हो चुकी है या उचित संदेह विद्यमान है कि उसने संज्ञेय अपराध किया है, उसके समक्ष यह ऐसे अन्य स्थान पर, जो सूचना में विनिर्दिष्ट किया जाए उपसंजात होने के लिए निदेश देते हुए सूचना [3][जारी करेगा] ।

(2) जहां ऐसी सूचना किसी व्यक्ति को जारी की जाती है, वहां उस व्यक्ति का यह कर्तव्य होगा कि वह सूचना के निबंधनों का अनुपालन करे ।

(3) जहां ऐसा व्यक्ति सूचना का अनुपालन करता है और अनुपालन करता रहता है वहां उसे सूचना में निर्दिष्ट अपराध के संबंध में तब तक गिरफ्तार नहीं किया जाएगा जब तक लेखबद्ध किए जाने वाले कारणों से पुलिस अधिकारी की यह राय न हो कि उसे गिरफ्तार कर लेना चाहिए ।

[4][(4) जहां ऐसा व्यक्ति, किसी भी समय सूचना के निबंधनों का अनुपालन करने में असफल रहता है, वहां पुलिस अधिकारी के लिए यह विधिपूर्ण होगा कि वह उसे, ऐसे आदेशों के अधीन रहते हुए, जो इस निमित्त सक्षम न्यायालय द्वारा पारित किए गए हों, सूचना में वर्णित अपराध के लिए गिरफ्तार करे ।]

---

[1] 2009 के अधिनियम सं. 5 की धारा 5 द्वारा उपधारा (2) के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

[2] 2009 के अधिनियम सं. 5 की धारा 6 द्वारा अंत:स्थापित ।

[3] 2010 के अधिनियम सं. 41 की धारा 3 द्वारा "जारी कर सकेगा" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

[4] 2010 के अधिनियम सं. 41 की धारा 3 द्वारा प्रतिस्थापित ।

41ख. गिरफ्तारी की प्रक्रिया और गिरफ्तारी करने वाले अधिकारी के कर्तव्य – प्रत्येक पुलिस अधिकारी, गिरफ्तारी करते समय, –

(क) अपने नाम की सही, प्रकट और स्पष्ट पहचान धारण करेगा, जिससे उसकी आसानी से पहचान हो सके,

(ख) गिरफ्तारी का एक ज्ञापन तैयार करेगा जो –

(i) कम से कम एक साक्षी द्वारा अनुप्रमाणित किया जाएगा जो गिरफ्तार किए गए व्यक्ति के कुटुंब का सदस्य है या उस परिक्षेत्र का, जहां गिरफ्तारी की गई है, प्रतिष्ठित सदस्य है ;

(ii) गिरफ्तार किए गए व्यक्ति द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित होगा ; और

(ग) जब तक उसके कुटुंब के किसी सदस्य द्वारा ज्ञापन को अनुप्रमाणित न कर दिया गया हो, गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को यह इत्तिला देगा कि उसे यह अधिकार है कि उसके किसी नातेदार या मित्र को, जिसका वह नाम दे, उसकी गिरफ्तारी की इत्तिला दी जाए ।

41ग. जिले में नियंत्रण कक्ष – (1) राज्य सरकार –

(क) प्रत्येक जिले में ; और

(ख) राज्य स्तर पर,

पुलिस नियंत्रण कक्ष की स्थापना करेगी ।

(2) राज्य सरकार प्रत्येक जिले के नियंत्रण कक्ष के बाहर रखे गए सूचना पट्ट पर गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों के नाम और पते तथा उन पुलिस अधिकारियों के नाम और पदनाम संप्रदर्शित कराएगी, जिन्होंने गिरफ्तारियां की हैं ।

(3) राज्य स्तर पर पुलिस मुख्यालयों में नियंत्रण कक्ष, समय-समय पर, गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों, उस अपराध की प्रकृति जिसका उन पर आरोप लगाया गया है, के बारे में ब्यौरे संगृहीत करेगा और आम जनता की जानकारी के लिए डाटा बेस रखेगा ।

41घ. गिरफ्तार किए गए व्यक्ति का पूछताछ के दौरान अपनी पसंद के अधिवक्ता से मिलने का अधिकार – जब किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है और पुलिस द्वारा पूछताछ की जाती है, तब गिरफ्तार व्यक्ति पूछताछ के दौरान अपनी पसंद के अधिवक्ता से मिलने का हकदार होगा किंतु संपूर्ण पूछताछ के दौरान नहीं ।

(2) कोई पुलिस थाने का भारसाधक अधिकारी किसी ऐसे व्यक्ति को जो धारा 109 या धारा 110 में विनिर्दिष्ट व्यक्तियों के प्रवर्गों में से एक या एक से अधिक का हो इसी प्रकार गिरफ्तार कर सकता है या करा सकता है ।

42. नाम और निवास बताने से इनकार करने पर गिरफ्तारी – (1) जब कोई व्यक्ति जिसने पुलिस अधिकारी की उपस्थिति में असंज्ञेय अपराध किया है या जिस पर पुलिस अधिकारी की उपस्थिति में असंज्ञेय अपराध करने का अभियोग लगाया गया है, उस अधिकारी की मांग पर अपना नाम और निवास बताने से इनकार करता है या ऐसा नाम या निवास बताता है, जिसके बारे में उस अधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि वह मिथ्या है, तब वह ऐसे अधिकारी द्वारा इसलिए गिरफ्तार किया जा सकता है कि उसका नाम और निवास अभिनिश्चित किया जा सके ।

(2) जब ऐसे व्यक्ति का सही नाम और निवास अभिनिश्चित कर लिया जाता है तब वह प्रतिभुओं सहित या रहित यह बंधपत्र निष्पादित करने पर छोड़ दिया जाएगा कि यदि उससे मजिस्ट्रेट के समक्ष हाजिर होने की अपेक्षा की गई तो वह उसके समक्ष हाजिर होगा :

परंतु यदि ऐसा व्यक्ति भारत में निवासी नहीं है तो वह बंधपत्र भारत में निवासी प्रतिभू या प्रतिभुओं द्वारा प्रतिभूत किया जाएगा ।

(3) यदि गिरफ्तारी के समय से चौबीस घंटों के अंदर ऐसे व्यक्ति का सही नाम और निवास अभिनिश्चित नहीं किया जा सकता है या वह बंधपत्र निष्पादित करने में या अपेक्षित किए जाने पर पर्याप्त प्रतिभू देने में असफल रहता है तो वह अधिकारिता रखने वाले निकटतम मजिस्ट्रेट के पास तत्काल भेज दिया जाएगा ।

43. प्राइवेट व्यक्ति द्वारा गिरफ्तारी और ऐसी गिरफ्तारी पर प्रक्रिया – (1) कोई प्राइवेट व्यक्ति किसी ऐसे व्यक्ति को जो उसकी उपस्थिति में अजमानतीय और संज्ञेय अपराध करता है, या किसी उद्घोषित अपराधी को गिरफ्तार कर सकता है या गिरफ्तार करवा सकता है और ऐसे गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को अनावश्यक विलंब के बिना पुलिस अधिकारी के हवाले कर देगा या हवाले करवा देगा या पुलिस अधिकारी की अनुपस्थिति में ऐसे व्यक्ति को अभिरक्षा में निकटतम पुलिस थाने ले जाएगा या भिजवाएगा ।

(2) यदि यह विश्वास करने का कारण है कि ऐसा व्यक्ति धारा 41 के उपबंधों के अंतर्गत आता है तो पुलिस अधिकारी उसे फिर से गिरफ्तार करेगा ।

(3) यदि यह विश्वास करने का कारण है कि उसने असंज्ञेय अपराध किया है और वह पुलिस अधिकारी की मांग पर अपना नाम और निवास बताने से इनकार करता है, या ऐसा नाम या निवास बताता है, जिसके बारे में ऐसे अधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि वह मिथ्या है, तो उसके विषय में धारा 42 के उपबंधों के अधीन कार्यवाही की जाएगी ; किंतु यदि यह विश्वास करने का कोई पर्याप्त कारण नहीं है कि उसने कोई अपराध किया है तो वह तुरंत छोड़ दिया जाएगा ।

44. मजिस्ट्रेट द्वारा गिरफ्तारी – (1) जब कार्यपालक या न्यायिक मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में उसकी स्थानीय अधिकारिता के अंदर कोई अपराध किया जाता है तब वह अपराधी को स्वयं गिरफ्तार कर सकता है या गिरफ्तार करने के लिए किसी व्यक्ति को आदेश दे सकता है और तब जमानत के बारे में इसमें अंतर्विष्ट उपबंधों के अधीन रहते हुए, अपराधी को अभिरक्षा के लिए सुपुर्द कर सकता है ।

(2) कोई कार्यपालक या न्यायिक मजिस्ट्रेट किसी भी समय अपनी स्थानीय अधिकारिता के भीतर किसी ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है, या अपनी उपस्थिति में उसकी गिरफ्तारी का निदेश दे सकता है, जिसकी गिरफ्तारी के लिए वह उस समय और उन परिस्थितियों में वारंट जारी करने के लिए सक्षम है ।

45. सशस्त्र बलों के सदस्यों का गिरफ्तारी से संरक्षण – (1) धारा 41 से 44 तक की धाराओं में (दोनों सहित) किसी बात के होते हुए भी संघ के सशस्त्र बलों का कोई भी सदस्य अपने पदीय कर्तव्यों का निर्वहन करने में अपने द्वारा की गई या की जाने के लिए तात्पर्यित किसी बात के लिए तब तक गिरफ्तार नहीं किया जाएगा जब तक केंद्रीय सरकार की सहमति नहीं ले ली जाती ।

(2) राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा निदेश दे सकती है कि उसमें यथाविनिर्दिष्ट बल के ऐसे वर्ग या प्रवर्ग के सदस्यों को, जिन्हें लोक व्यवस्था बनाए रखने का कार्यभार सौंपा गया है, जहां कहीं वे सेवा कर रहे हों, उपधारा (1) के उपबंध लागू होंगे और तब उस उपधारा के उपबंध इस प्रकार लागू होंगे मानो उसमें आने वाले "केंद्रीय सरकार" पद के स्थान पर "राज्य सरकार" पद रख दिया गया हो ।

46. गिरफ्तारी कैसे की जाएगी – (1) गिरफ्तारी करने में पुलिस अधिकारी या अन्य व्यक्ति, जो गिरफ्तारी कर रहा है, गिरफ्तार किए जाने

वाले व्यक्ति के शरीर को वस्तुतः छुएगा या परिरुद्ध करेगा, जब तक उसने वचन या कर्म द्वारा अपने को अभिरक्षा में समर्पित न कर दिया हो ।

[1][परंतु जहां किसी स्त्री को गिरफ्तार किया जाना है वहां जब तक कि परिस्थितियों से इसके विपरीत उपदर्शित न हो, गिरफ्तारी की मौखिक इत्तिला पर अभिरक्षा में उसके समर्पण कर देने की उपधारणा की जाएगी और जब तक कि परिस्थितियों में अन्यथा अपेक्षित न हो या जब तक पुलिस अधिकारी महिला न हो, तब तक पुलिस अधिकारी महिला को गिरफ्तार करने के लिए उसके शरीर को नहीं छुएगा ।]

(2) यदि ऐसा व्यक्ति अपने गिरफ्तार किए जाने के प्रयास का बलात् प्रतिरोध करता है या गिरफ्तारी से बचने का प्रयत्न करता है तो ऐसा पुलिस अधिकारी या अन्य व्यक्ति गिरफ्तारी करने के लिए आवश्यक सब साधनों को उपयोग में ला सकता है ।

(3) इस धारा की कोई बात ऐसे व्यक्ति की जिस पर मृत्यु या आजीवन कारावास से दंडनीय अपराध का अभियोग नहीं है, मृत्यु कारित करने का अधिकार नहीं देती है ।

[2][(4) असाधारण परिस्थितियों के सिवाय, कोई स्त्री सूर्यास्त के पश्चात् और सूर्योदय से पहले गिरफ्तार नहीं की जाएगी और जहां ऐसी असाधारण परिस्थितियां विद्यमान हैं वहां स्त्री पुलिस अधिकारी, लिखित में रिपोर्ट करके, उस प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट की पूर्व अनुज्ञा अभिप्राप्त करेगी, जिसकी स्थानीय अधिकारिता के भीतर अपराध किया गया है या गिरफ्तारी की जानी है ।]

47. उस स्थान की तलाशी जिसमें ऐसा व्यक्ति प्रविष्ट हुआ है जिसकी गिरफ्तारी की जानी है – (1) यदि गिरफ्तारी के वारंट के अधीन कार्य करने वाले किसी व्यक्ति को, या गिरफ्तारी करने के लिए प्राधिकृत किसी पुलिस अधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि वह व्यक्ति जिसे गिरफ्तार किया जाना है, किसी स्थान में प्रविष्ट हुआ है, या उसके अंदर है तो ऐसे स्थान में निवास करने वाला, या उस स्थान का भारसाधक कोई भी व्यक्ति, पूर्वोक्त रूप में कार्य करने वाले व्यक्ति द्वारा या ऐसे पुलिस अधिकारी द्वारा मांग की जाने पर उसमें उसे अबाध प्रवेश करने देगा और उसके अंदर तलाशी लेने के लिए सब उचित सुविधाएं देगा ।

---

[1] 2009 के अधिनियम सं. 5 की धारा 7 द्वारा अंतःस्थापित ।

[2] 2005 के अधिनियम सं. 25 की धारा 6 द्वारा अंतःस्थापित ।

(2) यदि ऐसे स्थान में प्रवेश उपधारा (1) के अधीन नहीं हो सकता तो किसी भी मामले में उस व्यक्ति के लिए, जो वारंट के अधीन कार्य कर रहा है, और किसी ऐसे मामले में, जिसमें वारंट निकाला जा सकता है किंतु गिरफ्तार किए जाने वाले व्यक्ति को भाग जाने का अवसर दिए बिना प्राप्त नहीं किया जा सकता, पुलिस अधिकारी के लिए यह विधिपूर्ण होगा कि वह ऐसे स्थान में प्रवेश करे और वहां तलाशी ले और ऐसे स्थान में प्रवेश कर पाने के लिए किसी गृह या स्थान के, चाहे वह उस व्यक्ति का हो जिसे गिरफ्तार किया जाना है, या किसी अन्य व्यक्ति का हो, किसी बाहरी या भीतरी द्वार या खिड़की को तोड़कर खोल ले यदि अपने प्राधिकार और प्रयोजन की सूचना देने के तथा प्रवेश करने की सम्यक् रूप से मांग करने के पश्चात् वह अन्यथा प्रवेश प्राप्त नहीं कर सकता है :

परंतु यदि ऐसा कोई स्थान ऐसा कमरा है जो (गिरफ्तार किए जाने वाले व्यक्ति से भिन्न) ऐसी स्त्री के वास्तविक अधिभोग में है जो रूढ़ि के अनुसार लोगों के सामने नहीं आती है तो ऐसा व्यक्ति या पुलिस अधिकारी उस कमरे में प्रवेश करने के पूर्व उस स्त्री को सूचना देगा कि वह वहां से हट जाने के लिए स्वतंत्र है और हट जाने के लिए उसे प्रत्येक उचित सुविधा देगा और तब कमरे को तोड़कर खोल सकता है और उसमें प्रवेश कर सकता है ।

(3) कोई पुलिस अधिकारी या गिरफ्तार करने के लिए प्राधिकृत अन्य व्यक्ति किसी गृह या स्थान का कोई बाहरी या भीतरी द्वार या खिड़की अपने को या किसी अन्य व्यक्ति को जो गिरफ्तार करने के प्रयोजन से विधिपूर्वक प्रवेश करने के पश्चात् वहां निरुद्ध है, मुक्त करने के लिए तोड़कर खोल सकता है ।

48. अन्य अधिकारिताओं में अपराधियों का पीछा करना – पुलिस अधिकारी ऐसे किसी व्यक्ति को जिसे गिरफ्तार करने के लिए वह प्राधिकृत है, वारंट के बिना गिरफ्तार करने के प्रयोजन से भारत के किसी स्थान में उस व्यक्ति का पीछा कर सकता है ।

49. अनावश्यक अवरोध न करना – गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को उससे अधिक अवरुद्ध न किया जाएगा जितना उसको निकल भागने से रोकने के लिए आवश्यक है ।

50. गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को गिरफ्तारी के आधारों और जमानत के अधिकार की इत्तिला दी जाना – (1) किसी व्यक्ति को वारंट

के बिना गिरफ्तार करने वाला प्रत्येक पुलिस अधिकारी या अन्य व्यक्ति उस व्यक्ति को उस अपराध की, जिसके लिए वह गिरफ्तार किया गया है, पूर्ण विशिष्टियां या ऐसी गिरफ्तारी के अन्य आधार तुरंत संसूचित करेगा ।

(2) जहां कोई पुलिस अधिकारी अजमानतीय अपराध के अभियुक्त व्यक्ति से भिन्न किसी व्यक्ति को वारंट के बिना गिरफ्तार करता है वहां वह गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को इत्तिला देगा कि वह जमानत पर छोड़े जाने का हकदार है और वह अपनी ओर से प्रतिभुओं का इंतजाम करे ।

[1][**50क. गिरफ्तारी करने वाले व्यक्ति की, गिरफ्तारी आदि के बारे में, नामित व्यक्ति को जानकारी देने की बाध्यता –** (1) इस संहिता के अधीन कोई गिरफ्तारी करने वाला प्रत्येक पुलिस अधिकारी या अन्य व्यक्ति, ऐसी गिरफ्तारी और उस स्थान के बारे में, जहां गिरफ्तार किया गया व्यक्ति रखा जा रहा है, जानकारी उसके मित्रों, नातेदारों या ऐसे अन्य व्यक्ति को, जो गिरफ्तार किए गए व्यक्ति द्वारा ऐसी जानकारी देने के प्रयोजन के लिए प्रकट या नामनिर्दिष्ट किया जाए, तुरंत देगा ।

(2) पुलिस अधिकारी गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को, जैसे ही वह पुलिस थाने में लाया जाता है, उपधारा (1) के अधीन उसके अधिकारों के बारे में सूचित करेगा ।

(3) इस तथ्य की प्रविष्टि कि ऐसे व्यक्ति की गिरफ्तारी की इत्तिला किसे दी गई है, पुलिस थाने में रखी जाने वाली पुस्तक में ऐसे प्ररूप में, जो राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त विहित किया जाए, की जाएगी ।

(4) उस मजिस्ट्रेट का, जिसके समक्ष ऐसे गिरफ्तार किया गया व्यक्ति, पेश किया जाता है, यह कर्तव्य होगा कि वह अपना समाधान करे कि उपधारा (2) और उपधारा (3) की अपेक्षाओं का ऐसे गिरफ्तार किए गए व्यक्ति के संबंध में अनुपालन किया गया है ।]

51. गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों की तलाशी – (1) जब कभी पुलिस अधिकारी द्वारा ऐसे वारंट के अधीन, जो जमानत लिए जाने का उपबंध नहीं करता है या ऐसे वारंट के अधीन, जो जमानत लिए जाने का उपबंध करता है किंतु गिरफ्तार किया गया व्यक्ति जमानत नहीं दे सकता है, कोई व्यक्ति गिरफ्तार किया जाता है, तथा जब कभी कोई व्यक्ति वारंट के बिना या प्राइवेट व्यक्ति द्वारा वारंट के अधीन गिरफ्तार किया जाता है और वैध रूप से उसकी जमानत नहीं ली जा सकती है या वह जमानत देने में असमर्थ

---

[1] 2005 के अधिनियम सं. 25 की धारा 7 द्वारा अंतःस्थापित ।

है, तब गिरफ्तारी करने वाला अधिकारी, या जब गिरफ्तारी प्राइवेट व्यक्ति द्वारा की जाती है तब वह पुलिस अधिकारी, जिसे वह व्यक्ति गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को सौंपता है, उस व्यक्ति की तलाशी ले सकता है और पहनने के आवश्यक वस्त्रों को छोड़कर उसके पास पाई गई सब वस्तुओं को सुरक्षित अभिरक्षा में रख सकता है और जहां गिरफ्तार किए गए व्यक्ति से कोई वस्तु अभिगृहीत की जाती है वहां ऐसे व्यक्ति को एक रसीद दी जाएगी जिसमें पुलिस अधिकारी द्वारा कब्जे में की गई वस्तुएं दर्शित होंगी ।

(2) जब कभी किसी स्त्री की तलाशी करना आवश्यक हो तब ऐसी तलाशी शिष्टता का पूरा ध्यान रखते हुए अन्य स्त्री द्वारा की जाएगी ।

52. आक्रामक आयुधों का अभिग्रहण करने की शक्ति – वह अधिकारी या अन्य व्यक्ति, जो इस संहिता के अधीन गिरफ्तारी करता है गिरफ्तार किए गए व्यक्ति से कोई आक्रामक आयुध, जो उसके शरीर पर हों, ले सकता है और ऐसे लिए गए सब आयुध उस न्यायालय या अधिकारी को परिदत्त करेगा, जिसके समक्ष वह अधिकारी या गिरफ्तार करने वाला व्यक्ति गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को पेश करने के लिए इस संहिता द्वारा अपेक्षित है ।

53. पुलिस अधिकारी की प्रार्थना पर चिकित्सा-व्यवसायी द्वारा अभियुक्त की परीक्षा – (1) जब कोई व्यक्ति ऐसा अपराध करने के आरोप में गिरफ्तार किया जाता है जो ऐसी प्रकृति का है और जिसका ऐसी परिस्थितियों में किया जाना अभिकथित है कि यह विश्वास करने के उचित आधार हैं कि उसकी शारीरिक परीक्षा ऐसा अपराध किए जाने के बारे में साक्ष्य प्रदान करेगी, तो ऐसे पुलिस अधिकारी की, जो उप निरीक्षक की पंक्ति से नीचे का न हो, प्रार्थना पर कार्य करने में रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा-व्यवसायी के लिए और सद्भावपूर्वक उसकी सहायता करने में और उसके निदेशाधीन कार्य करने में किसी व्यक्ति के लिए यह विधिपूर्ण होगा कि वह गिरफ्तार किए गए व्यक्ति की ऐसी परीक्षा करें जो उन तथ्यों को, जो ऐसा साक्ष्य प्रदान कर सकें, अभिनिश्चित करने के लिए उचित रूप से आवश्यक है और उतना बल प्रयोग करे जितना उस प्रयोजन के लिए उचित रूप से आवश्यक है ।

(2) जब कभी इस धारा के अधीन किसी स्त्री की शारीरिक परीक्षा की जानी है तो ऐसी परीक्षा केवल किसी महिला द्वारा जो रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा-व्यवसायी है या उसके पर्यवेक्षण में की जाएगी ।

[1][**स्पष्टीकरण** – इस धारा में और धारा 53क और धारा 54 में –

(क) 'परीक्षा' में खून, खून के धब्बों, सीमन, लैंगिक अपराधों की दशा में सुआब, थूक और स्वाब, बाल के नमूनों और उंगली के नाखून की कतरनों की आधुनिक और वैज्ञानिक तकनीकों के, जिनके अंतर्गत डी.एन.ए. प्रोफाइल करना भी है, प्रयोग द्वारा परीक्षा और ऐसे अन्य परीक्षण, जिन्हें रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा-व्यवसायी किसी विशिष्ट मामले में आवश्यक समझता है, सम्मिलित होंगे ;

(ख) 'रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा-व्यवसायी' से वह चिकित्सा-व्यवसायी अभिप्रेत है, जिसके पास भारतीय चिकित्सा परिषद् अधिनियम, 1956 (1956 का 102) की धारा 2 के खंड (ज) में यथापरिभाषित कोई चिकित्सीय अर्हता है और जिसका नाम राज्य चिकित्सा रजिस्टर में प्रविष्ट किया गया है ।]

[2][**53क. बलात्संग के अपराधी व्यक्ति की चिकित्सा-व्यवसायी द्वारा परीक्षा –** (1) जब किसी व्यक्ति को बलात्संग या बलात्संग का प्रयत्न करने का अपराध करने के आरोप में गिरफ्तार किया जाता है और यह विश्वास करने के उचित आधार हैं कि उस व्यक्ति की परीक्षा से ऐसा अपराध करने के बारे में साक्ष्य प्राप्त होगा तो सरकार द्वारा या किसी स्थानीय प्राधिकारी द्वारा चलाए जा रहे अस्पताल में नियोजित किसी रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा-व्यवसायी के लिए और उस स्थान से जहां अपराध किया गया है, सोलह किलोमीटर की परिधि के भीतर ऐसे चिकित्सा-व्यवसायी की अनुपस्थिति में ऐसे पुलिस अधिकारी के निवेदन पर, जो उप निरीक्षक की पंक्ति से नीचे का न हो, किसी अन्य रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा-व्यवसायी के लिए, तथा सद्भावपूर्वक उसकी सहायता के लिए तथा उसके निदेश के अधीन कार्य कर रहे किसी व्यक्ति के लिए, ऐसे गिरफ्तार व्यक्ति की ऐसी परीक्षा करना और उस प्रयोजन के लिए उतनी शक्ति का प्रयोग करना जितनी युक्तियुक्त रूप से आवश्यक हो, विधिपूर्ण होगा ।

(2) ऐसी परीक्षा करने वाला रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा-व्यवसायी ऐसे व्यक्ति की बिना विलंब के परीक्षा करेगा और उसकी परीक्षा की एक रिपोर्ट तैयार करेगा, जिसमें निम्नलिखित विशिष्टियां दी जाएंगी, अर्थात् :–

(i) अभियुक्त और उस व्यक्ति का, जो उसे लाया है, नाम और पता ;

---

[1] 2005 के अधिनियम सं. 25 की धारा 8 द्वारा स्पष्टीकरण के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

[2] 2005 के अधिनियम सं. 25 की धारा 9 द्वारा अंतःस्थापित ।

(ii) अभियुक्त की आयु ;

(iii) अभियुक्त के शरीर पर क्षति के निशान, यदि कोई हों ;

(iv) डी.एन.ए. प्रोफाइल करने के लिए अभियुक्त के शरीर से ली गई सामग्री का वर्णन ; और

(v) उचित ब्यौरे सहित, अन्य तात्विक विशिष्टियां ।

(3) रिपोर्ट में संक्षेप में वे कारण अधिकथित किए जाएंगे, जिनसे प्रत्येक निष्कर्ष निकाला गया है ।

(4) परीक्षा प्रारंभ और समाप्ति करने का सही समय भी रिपोर्ट में अंकित किया जाएगा ।

(5) रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा-व्यवसायी, बिना विलंब के अन्वेषण अधिकारी को रिपोर्ट भेजेगा, जो उसे धारा 173 में निर्दिष्ट मजिस्ट्रेट को उस धारा की उपधारा (5) के खंड (क) में निर्दिष्ट दस्तावेजों के भागरूप में भेजेगा ।]

[1][**54. गिरफ्तार व्यक्ति की चिकित्सा अधिकारी द्वारा परीक्षा** – (1) जब कोई व्यक्ति गिरफ्तार किया जाता है तब गिरफ्तार किए जाने के तुरंत पश्चात् उसकी केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार के सेवाधीन चिकित्सा अधिकारी और जहां चिकित्सा अधिकारी उपलब्ध नहीं हैं वहां रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी द्वारा परीक्षा की जाएगी :

परंतु जहां गिरफ्तार किया गया व्यक्ति महिला है, वहां उसके शरीर की परीक्षा केवल महिला चिकित्सा अधिकारी और जहां महिला चिकित्सा अधिकारी उपलब्ध नहीं है वहां रजिस्ट्रीकृत महिला चिकित्सा व्यवसायी द्वारा या उसके पर्यवेक्षणाधीन की जाएगी ।

(2) गिरफ्तार किए गए व्यक्ति की इस प्रकार परीक्षा करने वाला चिकित्सा अधिकारी या रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी ऐसी परीक्षा का अभिलेख तैयार करेगा जिसमें गिरफ्तार किए गए व्यक्ति के शरीर पर किन्हीं क्षतियों या हिंसा के चिह्नों तथा अनुमानित समय का वर्णन करेगा जब ऐसी क्षति या चिह्न पहुंचाए गए होंगे ।

(3) जहां उपधारा (1) के अधीन परीक्षा की जाती है वहां ऐसी परीक्षा की रिपोर्ट की एक प्रति, यथास्थिति, चिकित्सा अधिकारी या रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी द्वारा गिरफ्तार किए गए व्यक्ति या ऐसे गिरफ्तार किए गए व्यक्ति द्वारा नामनिर्दिष्ट व्यक्ति को दी जाएगी ।]

---

[1] 2009 के अधिनियम सं. 5 की धारा 8 द्वारा प्रतिस्थापित ।

[1][**54क. गिरफ्तार व्यक्ति की शनाख्त –** जहां कोई व्यक्ति किसी अपराध को करने के आरोप पर गिरफ्तार किया जाता है और उसकी शिनाख्त किसी अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा ऐसे अपराधों के अन्वेषण के लिए आवश्यक समझी जाती है तो वहां वह न्यायालय, जिसकी अधिकारिता है, पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी के निवेदन पर, गिरफ्तार किए गए व्यक्ति की, ऐसी रीति से जो न्यायालय ठीक समझता है, किसी अन्य व्यक्ति या किन्हीं अन्य व्यक्तियों द्वारा शिनाख्त कराने का आदेश दे सकेगा :]

[2][परंतु यदि गिरफ्तार किए गए व्यक्ति की शनाख्त करने वाला व्यक्ति मानसिक या शारीरिक रूप से निःशक्त है, तो शनाख्त करने की ऐसी प्रक्रिया न्यायिक मजिस्ट्रेट के पर्यवेक्षण के अधीन होगी जो यह सुनिश्चित करने के लिए समुचित कदम उठाएगा कि उसे व्यक्ति द्वारा गिरफ्तार किए गए व्यक्ति की उन पद्धतियों का प्रयोग करते हुए शनाख्त की जाए, जो उस व्यक्ति के लिए सुविधापूर्ण हों :

परंतु यह और कि यदि गिरफ्तार किए गए व्यक्ति की शनाख्त करने वाला व्यक्ति मानसिक या शारीरिक रूप से निःशक्त है, तो शनाख्त किए जाने की प्रक्रिया की वीडियो फिल्म तैयार की जाएगी ।]

55. जब पुलिस अधिकारी वारंट के बिना गिरफ्तार करने के लिए अपने अधीनस्थ को प्रतिनियुक्त करता है तब प्रक्रिया – (1) जब अध्याय 12 के अधीन अन्वेषण करता हुआ कोई पुलिस थाने का भारसाधक अधिकारी, या कोई पुलिस अधिकारी, अपने अधीनस्थ किसी अधिकारी से किसी ऐसे व्यक्ति को जो वारंट के बिना विधिपूर्वक गिरफ्तार किया जा सकता है, वारंट के बिना (अपनी उपस्थिति में नहीं, अन्यथा) गिरफ्तार करने की अपेक्षा करता है, तब वह उस व्यक्ति का जिसे गिरफ्तार किया जाना है और उस अपराध का या अन्य कारण का, जिसके लिए गिरफ्तारी की जानी है, विनिर्देश करते हुए लिखित आदेश उस अधिकारी को परिदत्त करेगा जिससे यह अपेक्षा है कि वह गिरफ्तारी करे और इस प्रकार अपेक्षित अधिकारी उस व्यक्ति को, जिसे गिरफ्तार करना है, उस आदेश का सार गिरफ्तारी करने के पूर्व सूचित करेगा और यदि वह व्यक्ति अपेक्षा करे तो उसे वह आदेश दिखा देगा ।

(2) उपधारा (1) की कोई बात किसी पुलिस अधिकारी की धारा 41

---

[1] 2005 के अधिनियम सं. 25 की धारा 11 द्वारा अंतःस्थापित ।

[2] 2005 के अधिनियम सं. 25 की धारा 12 द्वारा अंतःस्थापित ।

के अधीन किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने की शक्ति पर प्रभाव नहीं डालेगी ।

[1][**55क. गिरफ्तार किए गए व्यक्ति का स्वास्थ्य और सुरक्षा** – अभियुक्त को अभिरक्षा में रखने वाले व्यक्ति का यह कर्तव्य होगा कि वह अभियुक्त के स्वास्थ्य और सुरक्षा की उचित देखभाल करे ।]

56. गिरफ्तार किए गए व्यक्ति का मजिस्ट्रेट या पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी के समक्ष ले जाया जाना – वारंट के बिना गिरफ्तारी करने वाला पुलिस अधिकारी अनावश्यक विलंब के बिना और जमानत के संबंध में इसमें अंतर्विष्ट उपबंधों के अधीन रहते हुए, उस व्यक्ति को, जो गिरफ्तार किया गया है, उस मामले में अधिकारिता रखने वाले मजिस्ट्रेट के समक्ष या किसी पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी के समक्ष ले जाएगा या भेजेगा ।

57. गिरफ्तार किए गए व्यक्ति का चौबीस घंटे से अधिक निरुद्ध न किया जाना – कोई पुलिस अधिकारी वारंट के बिना गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को उससे अधिक अवधि के लिए अभिरक्षा में निरुद्ध नहीं रखेगा जो उस मामले की सब परिस्थितियों में उचित है तथा ऐसी अवधि, मजिस्ट्रेट के धारा 167 के अधीन विशेष आदेश के अभाव में गिरफ्तारी के स्थान से मजिस्ट्रेट के न्यायालय तक यात्रा के लिए आवश्यक समय को छोड़कर, चौबीस घंटे से अधिक की नहीं होगी ।

58. पुलिस का गिरफ्तारियों की रिपोर्ट करना – पुलिस थानों के भारसाधक अधिकारी जिला मजिस्ट्रेट को, या उसके ऐसा निदेश देने पर, उपखंड मजिस्ट्रेट को, अपने-अपने थानों की सीमाओं के अंदर वारंट के बिना गिरफ्तार किए गए सब व्यक्तियों के मामलों की रिपोर्ट करेंगे, चाहे उन व्यक्तियों की जमानत ले ली गई हो या नहीं ।

59. पकड़े गए व्यक्ति का उन्मोचन – पुलिस अधिकारी द्वारा गिरफ्तार किए गए किसी व्यक्ति का उन्मोचन उसी के बंधपत्र पर या जमानत पर या मजिस्ट्रेट के विशेष आदेश के अधीन ही किया जाएगा, अन्यथा नहीं ।

60. निकल भागने पर पीछा करने और फिर पकड़ लेने की शक्ति – (1) यदि कोई व्यक्ति विधिपूर्ण अभिरक्षा में से निकल भागता है या छुड़ा

---

[1] 2009 के अधिनियम सं. 5 की धारा 9 द्वारा अंतःस्थापित ।

लिया जाता है तो वह व्यक्ति, जिसकी अभिरक्षा से वह निकल भागा है, छुड़ाया गया है, उसका तुरंत पीछा कर सकता है और भारत के किसी स्थान में उसे गिरफ्तार कर सकता है ।

(2) उपधारा (1) के अधीन गिरफ्तारियों को धारा 47 के उपबंध लागू होंगे भले ही ऐसी गिरफ्तारी करने वाला व्यक्ति वारंट के अधीन कार्य न कर रहा हो और गिरफ्तारी करने का प्राधिकार रखने वाला पुलिस अधिकारी न हो ।

[1][**60क. गिरफ्तारी का सर्वथा संहिता के अनुसार ही किया जाना** – कोई गिरफ्तारी इस संहिता या गिरफ्तारी के लिए उपबंध करने वाली तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के अनुसार ही की जाएगी ।]

अध्याय 6

हाजिर होने को विवश करने के लिए आदेशिकाएं

क – समन

61. समन का प्ररूप – न्यायालय द्वारा इस संहिता के अधीन जारी किया गया प्रत्येक समन लिखित रूप में और दो प्रतियों में, उस न्यायालय के पीठासीन अधिकारी द्वारा या अन्य ऐसे अधिकारी द्वारा, जिसे उच्च न्यायालय नियम द्वारा समय-समय पर निदिष्ट करे, हस्ताक्षरित होगा और उस पर उस न्यायालय की मुद्रा लगी होगी ।

62. समन की तामील कैसे की जाए – (1) प्रत्येक समन की तामील पुलिस अधिकारी द्वारा या ऐसे नियमों के अधीन जो राज्य सरकार इस निमित्त बनाए, उस न्यायालय के, जिसने वह समन जारी किया है, किसी अधिकारी द्वारा या अन्य लोक सेवक द्वारा की जाएगी ।

(2) यदि साध्य हो तो समन किए गए व्यक्ति पर समन की तामील उसे उस समन की दो प्रतियों में से एक का परिदान या निविदान करके वैयक्तिक रूप से की जाएगी ।

(3) प्रत्येक व्यक्ति, जिस पर समन की ऐसे तामील की गई है, यदि तामील करने वाले अधिकारी द्वारा ऐसी अपेक्षा की जाती है तो, दूसरी प्रति पृष्ठ के भाग पर उसके लिए रसीद हस्ताक्षरित करेगा ।

---

[1] 2009 के अधिनियम सं. 5 की धारा 10 द्वारा अंतःस्थापित ।

63. निगमित निकायों और सोसाइटियों पर समन की तामील – किसी निगम पर समन की तामील निगम के सचिव, स्थानीय प्रबंधक या अन्य प्रधान अधिकारी पर तामील करके की जा सकती है या भारत में निगम के मुख्य अधिकारी के पते पर रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा भेजे गए पत्र द्वारा की जा सकती है, जिस दशा में तामील तब हुई समझी जाएगी जब डाक से साधारण रूप से वह पत्र पहुंचता ।

स्पष्टीकरण – इस धारा में "निगम" से निगमित कंपनी या अन्य निगमित निकाय अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 (1860 का 21) के अधीन रजिस्ट्रीकृत सोसाइटी भी है ।

64. जब समन किए गए व्यक्ति न मिल सकें तब तामील – जहां समन किया गया व्यक्ति सम्यक् तत्परता बरतने पर भी न मिल सके वहां समन की तामील दो प्रतियों में से एक को उसके कुटुंब के उसके साथ रहने वाले किसी वयस्क पुरुष सदस्य के पास उस व्यक्ति के लिए छोड़कर की जा सकती है और यदि तामील करने वाले अधिकारी द्वारा ऐसी अपेक्षा की जाती है तो, जिस व्यक्ति के पास समन ऐसे छोड़ा जाता है वह दूसरी प्रति के पृष्ठ भाग पर उसके लिए रसीद हस्ताक्षरित करेगा ।

स्पष्टीकरण – सेवक, इस धारा के अर्थ में कुटुम्ब का सदस्य नहीं है ।

65. जब पूर्व उपबंधित प्रकार से तामील न की जा सके तब प्रक्रिया – यदि धारा 62, धारा 63 या धारा 64 में उपबंधित रूप से तामील सम्यक् तत्परता बरतने पर भी न की जा सके तो तामील करने वाला अधिकारी समन की दो प्रतियों में से एक को उस गृह या वासस्थान के, जिसमें समन किया गया व्यक्ति मामूली तौर पर निवास करता है, किसी सहजदृश्य भाग में लगाएगा ; और तब न्यायालय ऐसी जांच करने के पश्चात् जैसी वह ठीक समझे या तो यह घोषित कर सकता है कि समन की सम्यक् तामील हो गई है या वह ऐसी रीति से नई तामील का आदेश दे सकता है जिसे वह उचित समझे ।

66. सरकारी सेवक पर तामील – (1) जहां समन किया गया व्यक्ति सरकार की सक्रिय सेवा में है वहां समन जारी करने वाला न्यायालय मामूली तौर पर ऐसा समन दो प्रतियों में उस कार्यालय के प्रधान को भेजेगा जिसमें वह व्यक्ति सेवक है और तब वह प्रधान, धारा 62 में उपबंधित प्रकार से समन की तामील कराएगा और उस धारा द्वारा अपेक्षित

पृष्ठांकन सहित उस पर अपने हस्ताक्षर करके उसे न्यायालय को लौटा देगा ।

(2) ऐसा हस्ताक्षर सम्यक् तामील का साक्ष्य होगा ।

67. स्थानीय सीमाओं के बाहर समन की तामील – जब न्यायालय यह चाहता है कि उसके द्वारा जारी किए गए समन की तामील उसकी स्थानीय अधिकारिता के बाहर किसी स्थान में की जाए तब वह मामूली तौर पर ऐसा समन दो प्रतियों में उस मजिस्ट्रेट को भेजेगा जिसकी स्थानीय अधिकारिता के अंदर उसकी तामील की जानी है या समन किया गया व्यक्ति निवास करता है ।

68. ऐसे मामलों में और जब तामील करने वाला अधिकारी उपस्थित न हो तब तामील का सबूत – (1) जब न्यायालय द्वारा जारी किए गए समन की तामील उसकी स्थानीय अधिकारिता के बाहर की गई है तब और ऐसे किसी मामले में जिसमें वह अधिकारी जिसने समन की तामील की है, मामले की सुनवाई के समय उपस्थित नहीं है, मजिस्ट्रेट के समक्ष किया गया तात्पर्यित यह शपथपत्र कि ऐसे समन की तामील हो गई है और समन की दूसरी प्रति, जिसका उस व्यक्ति द्वारा जिसको समन परिदत्त या निविदत्त किया गया था, या जिसके पास वह छोड़ा गया था (धारा 62 या धारा 64 में उपबंधित प्रकार से), पृष्ठांकित होना तात्पर्यित है, साक्ष्य में ग्राह्य होगी और जब तक तत्प्रतिकूल साबित न किया जाए, उसमें किए गए कथन सही माने जाएंगे ।

(2) इस धारा में वर्णित शपथपत्र समन की दूसरी प्रति से संलग्न किया जा सकता है और उस न्यायालय को भेजा जा सकता है ।

69. साक्षी पर डाक द्वारा समन की तामील – (1) इस अध्याय की पूर्ववर्ती धाराओं में किसी बात के होते हुए भी साक्षी के लिए समन जारी करने वाला न्यायालय, ऐसा समन जारी करने के अतिरिक्त और उसके साथ-साथ निदेश दे सकता है कि उस समन की एक प्रति की तामील साक्षी के उस स्थान के पते पर, जहां वह मामूली तौर पर निवास करता है या कारबार करता है या अभिलाभार्थ स्वयं काम करता है रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा की जाए ।

(2) जब साक्षी द्वारा हस्ताक्षर की गई तात्पर्यित अभिस्वीकृति या डाक कर्मचारी द्वारा किया गया तात्पर्यित यह पृष्ठांकन कि साक्षी ने समन लेने से

इनकार कर दिया है, प्राप्त हो जाता है तो समन जारी करने वाला न्यायालय यह घोषित कर सकता है कि समन की तामील सम्यक् रूप से कर दी गई है ।

ख – गिरफ्तारी का वारंट

70. गिरफ्तारी के वारंट का प्ररूप और अवधि – (1) न्यायालय द्वारा इस संहिता के अधीन जारी किया गया गिरफ्तारी का प्रत्येक वारंट लिखित रूप में और ऐसे न्यायालय के पीठासीन अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित होगा और उस पर उस न्यायालय की मुद्रा लगी होगी ।

(2) ऐसा प्रत्येक वारंट तब तक प्रवर्तन में रहेगा जब तक वह उसे जारी करने वाले न्यायालय द्वारा रद्द नहीं कर दिया जाता है या जब तक वह निष्पादित नहीं कर दिया जाता है ।

71. प्रतिभूति लिए जाने का निदेश देने की शक्ति – (1) किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी के लिए वारंट जारी करने वाला कोई न्यायालय वारंट पर पृष्ठांकन द्वारा स्वविवेकानुसार यह निदेश दे सकता है कि यदि वह व्यक्ति न्यायालय के समक्ष विनिर्दिष्ट समय पर और तत्पश्चात् जब तक न्यायालय द्वारा अन्यथा निदेश नहीं दिया जाता है तब तक अपनी हाजिरी के लिए पर्याप्त प्रतिभुओं सहित बंधपत्र निष्पादित करता है तो वह अधिकार जिसे वारंट निर्दिष्ट किया गया है, ऐसी प्रतिभूति लेगा और उस व्यक्ति को अभिरक्षा से छोड़ देगा ।

(2) पृष्ठांकन में निम्नलिखित बातें कथित होंगी :–

(क) प्रतिभुओं की संख्या ;

(ख) वह रकम, जिसके लिए क्रमशः प्रतिभू और वह व्यक्ति, जिसकी गिरफ्तारी के लिए वारंट जारी किया गया है, आबद्ध होने हैं ;

(ग) वह समय जब न्यायालय के समक्ष उसे हाजिर होना है ।

(3) जब कभी इस धारा के अधीन प्रतिभूति ली जाती है तब वह अधिकारी जिसे वारंट निर्दिष्ट है बंधपत्र न्यायालय के पास भेज देगा ।

72. वारंट किसको निदिष्ट होंगे – (1) गिरफ्तारी का वारंट मामूली तौर पर एक या अधिक पुलिस अधिकारियों को निदिष्ट होगा ; किंतु यदि ऐसे वारंट का तुरंत निष्पादन आवश्यक है और कोई पुलिस अधिकारी तुरंत न मिल सके तो वारंट जारी करने वाला न्यायालय किसी अन्य व्यक्ति या

व्यक्तियों को उसे निदिष्ट कर सकता है और ऐसा व्यक्ति या ऐसे व्यक्ति उसका निष्पादन करेंगे ।

(2) जब वारंट एक से अधिक अधिकारियों या व्यक्तियों को निदिष्ट है तब उसका निष्पादन उन सबके द्वारा या उनमें से किसी एक या अधिक के द्वारा किया जा सकता है ।

73. वारंट किसी भी व्यक्ति को निदिष्ट हो सकेंगे – (1) मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट या प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट किसी निकल भागे सिद्धदोष, उद्घोषित अपराधी या किसी ऐसे व्यक्ति की जो किसी अजमानतीय अपराध के लिए अभियुक्त है और गिरफ्तारी से बच रहा है, गिरफ्तारी करने के लिए वारंट अपनी स्थानीय अधिकारिता के अंदर के किसी भी व्यक्ति को निदिष्ट कर सकता है ।

(2) ऐसा व्यक्ति वारंट की प्राप्ति को लिखित रूप में अभिस्वीकार करेगा और यदि वह व्यक्ति, जिसकी गिरफ्तारी के लिए वह वारंट जारी किया गया है, उसके भारसाधन के अधीन किसी भूमि या अन्य संपत्ति में है या प्रवेश करता है तो वह उस वारंट का निष्पादन करेगा ।

(3) जब वह व्यक्ति, जिसके विरुद्ध ऐसा वारंट जारी किया गया है, गिरफ्तार कर लिया जाता है, तब वह वारंट सहित निकटतम पुलिस अधिकारी के हवाले कर दिया जाएगा, जो, यदि धारा 71 के अधीन प्रतिभूति नहीं ली गई है तो, उसे उस मामले में अधिकारिता रखने वाले मजिस्ट्रेट के समक्ष भिजवाएगा ।

74. पुलिस अधिकारी को निदिष्ट वारंट – किसी पुलिस अधिकारी को निदिष्ट वारंट का निष्पादन किसी अन्य ऐसे पुलिस अधिकारी द्वारा भी किया जा सकता है जिसका नाम वारंट पर उस अधिकारी द्वारा पृष्ठांकित किया जाता है जिसे वह निदिष्ट या पृष्ठांकित है ।

75. वारंट के सार की सूचना – पुलिस अधिकारी या अन्य व्यक्ति, जो गिरफ्तारी के वारंट का निष्पादन कर रहा है, उस व्यक्ति को जिसे गिरफ्तार करना है, उसका सार सूचित करेगा और यदि ऐसी अपेक्षा की जाती है तो वारंट उस व्यक्ति को दिखा देगा ।

76. गिरफ्तार किए गए व्यक्ति का न्यायालय के समक्ष अविलम्ब लाया जाना – पुलिस अधिकारी या अन्य व्यक्ति, जो गिरफ्तारी के वारंट का निष्पादन करता है गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को (धारा 71 के प्रतिभूति

संबंधी उपबंधों के अधीन रहते हुए) अनावश्यक विलंब के बिना उस न्यायालय के समक्ष लाएगा जिसके समक्ष उस व्यक्ति को पेश करने के लिए वह विधि द्वारा अपेक्षित है :

परंतु ऐसा विलंब किसी भी दशा में गिरफ्तारी के स्थान से मजिस्ट्रेट के न्यायालय तक यात्रा के लिए आवश्यक समय को छोड़कर चौबीस घंटे से अधिक नहीं होगा ।

77. वारंट कहां निष्पादित किया जा सकता है – गिरफ्तारी का वारंट भारत के किसी भी स्थान में निष्पादित किया जा सकता है ।

78. अधिकारिता के बाहर निष्पादन के लिए भेजा गया वारंट – (1) जब वारंट का निष्पादन उसे जारी करने वाले न्यायालय की स्थानीय अधिकारिता के बाहर किया जाना है, तब वह न्यायालय ऐसा वारंट अपनी अधिकारिता के अंदर किसी पुलिस अधिकारी को निदिष्ट करने के बजाय उसे डाक द्वारा या अन्यथा किसी ऐसे कार्यपालक मजिस्ट्रेट या जिला पुलिस अधीक्षक या पुलिस आयुक्त को भेज सकता है जिसकी अधिकारिता का स्थानीय सीमाओं के अंदर उसका निष्पादन किया जाना है, और वह कार्यपालक मजिस्ट्रेट या जिला अधीक्षक या आयुक्त उस पर अपना नाम पृष्ठांकित करेगा और यदि साध्य है तो उसका निष्पादन इसमें इसके पूर्व उपबंधित रीति से कराएगा ।

(2) उपधारा (1) के अधीन वारंट जारी करने वाला न्यायालय गिरफ्तार किए जाने वाले व्यक्ति के विरुद्ध ऐसी जानकारी का सार ऐसी दस्तावेजों सहित, यदि कोई हो, जो धारा 81 के अधीन कार्रवाई करने वाले न्यायालय को, यह विनिश्चित करने में कि उस व्यक्ति की जमानत मंजूर की जाए या नहीं समर्थ बनाने के लिए पर्याप्त हैं, वारंट के साथ भेजेगा ।

79. अधिकारिता के बाहर निष्पादन के लिए पुलिस अधिकारी को निदिष्ट वारंट – (1) जब पुलिस अधिकारी को निदिष्ट वारंट का निष्पादन उसे जारी करने वाले न्यायालय की स्थानीय अधिकारिता के बाहर किया जाना है तब वह पुलिस अधिकारी उसे पृष्ठांकन के लिए मामूली तौर पर ऐसे कार्यपालक मजिस्ट्रेट के पास या पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी से अनिम्न पंक्ति के पुलिस अधिकारी के पास जिसकी अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के अंदर उस वारंट का निष्पादन किया जाना है, ले जाएगा ।

(2) ऐसा मजिस्ट्रेट या पुलिस अधिकारी उस पर अपना नाम पृष्ठांकित करेगा और ऐसा पृष्ठांकन उस पुलिस अधिकारी के लिए, जिसको वह वारंट निदिष्ट किया गया है, उसका निष्पादन करने के लिए पर्याप्त प्राधिकार होगा और स्थानीय पुलिस यदि ऐसी अपेक्षा की जाती है तो ऐसे अधिकारी की ऐसे वारंट का निष्पादन करने में सहायता करेगा ।

(3) जब कभी यह विश्वास करने का कारण हो कि उस मजिस्ट्रेट या पुलिस अधिकारी का जिसकी स्थानीय अधिकारिता के अंदर वह वारंट निष्पादित किया जाना है, पृष्ठांकन प्राप्त करने में होने वाले विलंब से ऐसा निष्पादन न हो पाएगा, तब वह पुलिस अधिकारी जिसे वह निदिष्ट किया गया है उसका निष्पादन उस न्यायालय की जिसने उसे जारी किया है, स्थानीय अधिकारिता से परे किसी स्थान में ऐसे पृष्ठांकन के बिना कर सकता है ।

80. जिस व्यक्ति के विरुद्ध वारंट जारी किया गया है, उसके गिरफ्तार होने पर प्रक्रिया – जब गिरफ्तारी के वारंट का निष्पादन उस जिले से बाहर किया जाता है जिसमें वह जारी किया गया था तब गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को, उस दशा के सिवाय जिसमें वह न्यायालय जिसने वह वारंट जारी किया गिरफ्तारी के स्थान से तीस किलोमीटर के अंदर है या उस कार्यपालक मजिस्ट्रेट या जिला पुलिस अधीक्षक या पुलिस आयुक्त से जिसकी अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के अंदर गिरफ्तारी की गई थी, अधिक निकट है, या धारा 71 के अधीन प्रतिभूति ले ली गई है, ऐसे मजिस्ट्रेट या जिला अधीक्षक या आयुक्त के समक्ष ले जाया जाएगा ।

81. उस मजिस्ट्रेट द्वारा प्रक्रिया जिसके समक्ष ऐसे गिरफ्तार किया गया व्यक्ति लाया जाए – (1) यदि गिरफ्तार किया गया व्यक्ति वही व्यक्ति प्रतीत होता है जो वारंट जारी करने वाले न्यायालय द्वारा आशयित है तो ऐसा कार्यपालक मजिस्ट्रेट या जिला पुलिस अधीक्षक या पुलिस आयुक्त उस न्यायालय के पास उसे अभिरक्षा में भेजने का निदेश देगा :

परंतु यदि अपराध जमानतीय है और ऐसा व्यक्ति ऐसी जमानत देने के लिए तैयार और रजामंद है जिससे ऐसे मजिस्ट्रेट, जिला अधीक्षक या आयुक्त का समाधान हो जाए या वारंट पर धारा 71 के अधीन निदेश पृष्ठांकित है और ऐसा व्यक्ति ऐसे निदेश द्वारा अपेक्षित प्रतिभूति देने के लिए तैयार और रजामंद है तो वह मजिस्ट्रेट, जिला अधीक्षक या आयुक्त यथास्थिति ऐसी जमानत या प्रतिभूति लेगा और बंधपत्र उस न्यायालय को

भेज देगा जिसने वारंट जारी किया था :

परंतु यह और कि यदि अपराध अजमानतीय है तो (धारा 437 के उपबंधों के अधीन रहते हुए) मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के लिए या उस जिले के जिसमें गिरफ्तारी की गई है सेशन न्यायाधीश के लिए धारा 78 की उपधारा (2) में निर्दिष्ट जानकारी और दस्तावेजों पर विचार करने के पश्चात् ऐसे व्यक्ति को छोड़ देना विधिपूर्ण होगा ।

(2) इस धारा की कोई बात पुलिस अधिकारी को धारा 71 के अधीन प्रतिभूति लेने से रोकने वाली न समझी जाएगी ।

ग – उद्घोषणा और कुर्की

82. फरार व्यक्ति के लिए उद्घोषणा – (1) यदि किसी न्यायालय को (चाहे साक्ष्य लेने के पश्चात् या लिए बिना) यह विश्वास करने का कारण है कि कोई व्यक्ति जिसके विरुद्ध उसने वारंट जारी किया है, फरार हो गया है, या अपने को छिपा रहा है जिससे ऐसे वारंट का निष्पादन नहीं किया जा सकता तो ऐसा न्यायालय उससे यह अपेक्षा करने वाली लिखित उद्घोषणा प्रकाशित कर सकता है कि वह व्यक्ति विनिर्दिष्ट स्थान में और विनिर्दिष्ट समय पर, जो उस उद्घोषणा के प्रकाशन की तारीख से कम से कम तीस दिन पश्चात् का होगा, हाजिर हो ।

(2) उद्घोषणा निम्नलिखित रूप से प्रकाशित की जाएगी :–

(i) (क) वह उस नगर या ग्राम के, जिसमें ऐसा व्यक्ति मामूली तौर पर निवास करता है, किसी सहजदृश्य स्थान में सार्वजनिक रूप से पढ़ी जाएगी ;

(ख) वह उस गृह या वासस्थान के, जिसमें ऐसा व्यक्ति मामूली तौर पर निवास करता है, किसी सहजदृश्य भाग पर या ऐसे नगर या ग्राम के किसी सहजदृश्य स्थान पर लगाई जाएगी ;

(ग) उसकी एक प्रति उस न्याय सदन के किसी सहजदृश्य भाग पर लगाई जाएगी ;

(ii) यदि न्यायालय ठीक समझता है तो वह यह निदेश भी दे सकता है कि उद्घोषणा की एक प्रति उस स्थान में, परिचालित किसी दैनिक समाचार-पत्र में प्रकाशित की जाए जहां ऐसा व्यक्ति मामूली तौर पर निवास करता है ।

(3) उद्घोषणा जारी करने वाले न्यायालय द्वारा यह लिखित कथन कि उद्घोषणा विनिर्दिष्ट दिन उपधारा (2) के खंड (i) में विनिर्दिष्ट रीति से सम्यक् रूप से प्रकाशित कर दी गई है, इस बात का निश्चायक साक्ष्य होगा कि इस धारा की अपेक्षाओं का अनुपालन कर दिया गया है और उद्घोषणा उस दिन प्रकाशित कर दी गई थी ।

[1][(4) जहां उपधारा (1) के अधीन प्रकाशित की गई उद्घोषणा भारतीय दंड संहिता (1860 का 45) की धारा 302, धारा 304, धारा 364, धारा 367, धारा 382, धारा 392, धारा 393, धारा 394, धारा 395, धारा 396, धारा 397, धारा 398, धारा 399, धारा 400, धारा 402, धारा 436, धारा 449, धारा 459, या धारा 460 के अधीन दंडनीय अपराध के अभियुक्त व्यक्ति के संबंध में है और ऐसा व्यक्ति उद्घोषणा में अपेक्षित विनिर्दिष्ट स्थान और समय पर उपस्थित होने में असफल रहता है तो न्यायालय, तब ऐसी जांच करने के पश्चात् जैसी वह ठीक समझता है, उसे उद्घोषित अपराधी प्रकट कर सकेगा और उस प्रभाव की घोषणा कर सकेगा ।

(5) उपधारा (2) और उपधारा (3) के उपबंध न्यायालय द्वारा उपधारा (4) के अधीन की गई घोषणा को उसी प्रकार लागू होंगे जैसे वे उपधारा (1) के अधीन प्रकाशित उद्घोषणा को लागू होते हैं ।]

83. फरार व्यक्ति की संपत्ति की कुर्की – (1) धारा 82 के अधीन उद्घोषणा जारी करने वाला न्यायालय, ऐसे कारणों से, जो लेखबद्ध किए जाएंगे उद्घोषणा जारी किए जाने के पश्चात् किसी भी समय, उद्घोषित व्यक्ति की जंगम या स्थावर अथवा दोनों प्रकार की किसी भी संपत्ति की कुर्की का आदेश दे सकता है :–

परंतु यदि उद्घोषणा जारी करते समय न्यायालय का शपथपत्र द्वारा या अन्यथा यह समाधान हो जाता है कि वह व्यक्ति जिसके संबंध में उद्घोषणा निकाली जाती है –

(क) अपनी समस्त संपत्ति या उसके किसी भाग का व्ययन करने वाला है, अथवा

(ख) अपनी समस्त संपत्ति या उसके किसी भाग को उस न्यायालय की स्थानीय अधिकारिता से हटाने वाला है,

---

[1] 2005 के अधिनियम सं. 25 की धारा 12 द्वारा अंतःस्थापित ।

तो वह उद्घोषणा जारी करने के साथ ही साथ कुर्की का आदेश दे सकता है ।

(2) ऐसा आदेश उस जिले में, जिसमें वह दिया गया है, उस व्यक्ति की किसी भी संपत्ति की कुर्की प्राधिकृत करेगा और उस जिले के बाहर की उस व्यक्ति की किसी संपत्ति की कुर्की तब प्राधिकृत करेगा जब वह उस जिला मजिस्ट्रेट द्वारा, जिसके जिले में ऐसी संपत्ति स्थित है, पृष्ठांकित कर दिया जाए ।

(3) यदि वह संपत्ति जिसको कुर्क करने का आदेश दिया गया है, ऋण या अन्य जंगम संपत्ति हो, तो इस धारा के अधीन कुर्की –

(क) अभिग्रहण द्वारा की जाएगी ; अथवा

(ख) रिसीवर की नियुक्ति द्वारा की जाएगी ; अथवा

(ग) उद्घोषित व्यक्ति को या उसके निमित्त किसी को भी उस संपत्ति का परिदान करने का प्रतिषेध करने वाले लिखित आदेश द्वारा की जाएगी ; अथवा

(घ) इन रीतियों में से सब या किन्हीं दो से की जाएगी, जैसा न्यायालय ठीक समझे ।

(4) यदि वह संपत्ति जिसको कुर्क करने का आदेश दिया गया है, स्थावर है तो इस धारा के अधीन कुर्की राज्य सरकार को राजस्व देने वाली भूमि की दशा में उस जिले के कलक्टर के माध्यम से की जाएगी जिसमें वह भूमि स्थित है, और अन्य सब दशाओं में –

(क) कब्जा लेकर की जाएगी ; अथवा

(ख) रिसीवर की नियुक्ति द्वारा की जाएगी ; अथवा

(ग) उद्घोषित व्यक्ति को या उसके निमित्त किसी को भी संपत्ति का किराया देने या उस संपत्ति का परिदान करने का प्रतिषेध करने वाले लिखित आदेश द्वारा की जाएगी ; अथवा

(घ) इन रीतियों में से सब या किन्हीं दो से की जाएगी, जैसा न्यायालय ठीक समझे ।

(5) यदि वह संपत्ति जिसको कुर्क करने का आदेश दिया गया है, जीवधन है या विनश्वर प्रकृति की है तो, यदि न्यायालय समीचीन समझता

है तो वह उसके तुरंत विक्रय का आदेश दे सकता है और ऐसी दशा में विक्रय के आगम न्यायालय के आदेश के अधीन रहेंगे ।

(6) उस धारा के अधीन नियुक्त रिसीवर की शक्तियां, कर्तव्य और दायित्व वे ही होंगे जो सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5) के अधीन नियुक्त रिसीवर के होते हैं ।

84. कुर्की के बारे में दावे और आपत्तियां – (1) यदि धारा 83 के अधीन कुर्क की गई किसी संपत्ति के बारे में उस कुर्की की तारीख से छह मास के भीतर कोई व्यक्ति, जो उद्घोषित व्यक्ति से भिन्न है, इस आधार पर दावा या उसके कुर्क किए जाने पर आपत्ति करता है कि दावेदार या आपत्तिकर्ता का उस संपत्ति में कोई हित है और ऐसा हित धारा 83 के अधीन कुर्क नहीं किया जा सकता तो उस दावे या आपत्ति की जांच की जाएगी, और उसे पूर्णतः या भागतः मंजूर या नामंजूर किया जा सकता है :

परंतु इस उपधारा द्वारा अनुज्ञात अवधि के अंदर किए गए किसी दावे या आपत्ति को दावेदार या आपत्तिकर्ता की मृत्यु हो जाने की दशा में उसके विधिक प्रतिनिधि द्वारा चालू रखा जा सकता है ।

(2) उपधारा (1) के अधीन दावे या आपत्तियां उस न्यायालय में, जिसके द्वारा कुर्की का आदेश जारी किया गया है, या यदि दावा या आपत्ति ऐसी संपत्ति के बारे में है जो धारा 83 की उपधारा (2) के अधीन पृष्ठांकित आदेश के अधीन कुर्क की गई है तो, उस जिले के, जिसमें कुर्की की जाती है मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय में की जा सकती है ।

(3) प्रत्येक ऐसे दावे या आपत्ति की जांच उस न्यायालय द्वारा की जाएगी जिसमें वह किया गया या की गई है :

परंतु यदि वह मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय में किया गया या की गई है तो वह उसे निपटारे के लिए अपने अधीनस्थ किसी मजिस्ट्रेट को दे सकता है ।

(4) कोई व्यक्ति, जिसके दावे या आपत्ति को उपधारा (1) के अधीन आदेश द्वारा पूर्णतः या भागतः नामंजूर कर दिया गया है, ऐसे आदेश की तारीख से एक वर्ष की अवधि के भीतर, उस अधिकार को सिद्ध करने के लिए, जिसका दावा वह विवादग्रस्त संपत्ति के बारे में करता है, वाद संस्थित कर सकता है ; किंतु वह आदेश ऐसे वाद के, यदि कोई हो, परिणाम के अधीन रहते हुए निश्चायक होगा ।

85. कुर्क की हुई संपत्ति को निर्मुक्त करना, विक्रय और वापस करना – (1) यदि उद्घोषित व्यक्ति उद्घोषणा में विनिर्दिष्ट समय के अंदर हाजिर हो जाता है तो न्यायालय संपत्ति को कुर्की से निर्मुक्त करने का आदेश देगा ।

(2) यदि उद्घोषित व्यक्ति उद्घोषणा में विनिर्दिष्ट समय के अंदर हाजिर नहीं होता है तो कुर्क संपत्ति, राज्य सरकार के व्ययनाधीन रहेगी, और, उसका विक्रय कुर्की की तारीख से छह मास का अवसान हो जाने पर तथा धारा 84 के अधीन किए गए किसी दावे या आपत्ति का उस धारा के अधीन निपटारा हो जाने पर ही किया जा सकता है किंतु यदि वह शीघ्रतया और प्रकृत्या क्षयशील है या न्यायालय के विचार में विक्रय करना स्वामी के फायदे के लिए होगा तो इन दोनों दशाओं में से किसी में भी न्यायालय, जब कभी ठीक समझे, उसका विक्रय करा सकता है ।

(3) यदि कुर्की की तारीख से दो वर्ष के अंदर कोई व्यक्ति, जिसकी संपत्ति उपधारा (2) के अधीन राज्य सरकार के व्ययनाधीन है या रही है, उस न्यायालय के समक्ष, जिसके आदेश से वह संपत्ति कुर्क की गई थी या उस न्यायालय के समक्ष, जिसके ऐसे न्यायालय अधीनस्थ है, स्वेच्छा से हाजिर हो जाता है या पकड़ कर लाया जाता है और उस न्यायालय को समाधानप्रद रूप में यह साबित कर देता है कि वह वारंट के निष्पादन से बचने के प्रयोजन से फरार नहीं हुआ या नहीं छिपा और यह कि उसे उद्घोषणा की ऐसी सूचना नहीं मिली थी जिससे वह उसमें विनिर्दिष्ट समय के अंदर हाजिर हो सकता तो ऐसी संपत्ति का, या यदि वह विक्रय कर दी गई है तो विक्रय के शुद्ध आगमों का, या यदि उसका केवल कुछ भाग विक्रय किया गया है तो ऐसे विक्रय के शुद्ध आगमों और अवशिष्ट संपत्ति का, कुर्की के परिणामस्वरूप उपगत सब खर्चों को उसमें से चुका कर, उसे परिदान कर दिया जाएगा ।

86. कुर्क संपत्ति की वापसी के लिए आवेदन नामंजूर करने वाले आदेश से अपील – धारा 85 की उपधारा (3) में निर्दिष्ट कोई व्यक्ति, जो संपत्ति या उसके विक्रय के आगमों के परिदान के इनकार से व्यथित है, उस न्यायालय से अपील कर सकता है जिसमें प्रथम उल्लिखित न्यायालय के दंडादेशों से सामान्यतः अपीलें होती हैं ।

घ – आदेशिकाओं संबंधी अन्य नियम

87. समन के स्थान पर या उसके अतिरिक्त वारंट का जारी किया जाना – न्यायालय किसी भी ऐसे मामले में, जिसमें वह किसी व्यक्ति की

हाजिरी के लिए समन जारी करने के लिए इस संहिता द्वारा सशक्त किया गया है, अपने कारणों को अभिलिखित करने के पश्चात्, उसकी गिरफ्तारी के लिए वारंट जारी कर सकता है –

(क) यदि या तो ऐसा समन जारी किए जाने के पूर्व या पश्चात् किंतु उसकी हाजिरी के लिए नियत समय के पूर्व न्यायालय को यह विश्वास करने का कारण दिखाई पड़ता है कि वह फरार हो गया है या समन का पालन न करेगा ; अथवा

(ख) यदि वह ऐसे समय पर हाजिर होने में असफल रहता है और यह साबित कर दिया जाता है कि उस पर समन की तामील सम्यक् रूप से ऐसे समय में कर दी गई थी कि उसके तद्नुसार हाजिर होने के लिए अवसर था और ऐसी असफलता के लिए कोई उचित प्रतिहेतु नहीं दिया जाता है ।

88. हाजिरी के लिए बंधपत्र लेने की शक्ति – जब कोई व्यक्ति, जिसकी हाजिरी या गिरफ्तारी के लिए किसी न्यायालय का पीठासीन अधिकारी समन या वारंट जारी करने के लिए सशक्त है, ऐसे न्यायालय में उपस्थित है तब वह अधिकारी उस व्यक्ति से अपेक्षा कर सकता है कि वह उस न्यायालय में या किसी अन्य न्यायालय में, जिसको मामला विचारण के लिए अंतरित किया जाता है, अपनी हाजिरी के लिए बंधपत्र, प्रतिभुओं सहित या रहित, निष्पादित करे ।

89. हाजिरी का बंधपत्र भंग करने पर गिरफ्तारी – जब कोई व्यक्ति, जो इस संहिता के अधीन लिए गए किसी बंधपत्र द्वारा न्यायालय के समक्ष हाजिर होने के लिए आबद्ध है, हाजिर नहीं होता है तब उस न्यायालय का पीठासीन अधिकारी यह निदेश देते हुए वारंट जारी कर सकता है कि वह व्यक्ति गिरफ्तार किया जाए और उसके समक्ष पेश किया जाए ।

90. इस अध्याय के उपबंधों का साधारणतया समनों और गिरफ्तारी के वारंटों को लागू होना – समन और वारंट तथा उन्हें जारी करने, उनकी तामील और उनके निष्पादन संबंधी जो उपबंध इस अध्याय में हैं वे इस संहिता के अधीन जारी किए गए प्रत्येक समन और गिरफ्तारी के प्रत्येक वारंट को, यथाशक्य लागू होंगे ।

अध्याय 7

चीजें पेश करने को विवश करने के लिए आदेशिकाएं

क – पेश करने के लिए समन

91. दस्तावेज या अन्य चीज पेश करने के लिए समन – (1) जब कभी कोई न्यायालय या पुलिस थाने का कोई भारसाधक अधिकारी यह समझता है कि किसी ऐसे अन्वेषण, जांच, विचारण, या अन्य कार्यवाही के प्रयोजनों के लिए, जो इस संहिता के अधीन ऐसे न्यायालय या अधिकारी के द्वारा या समक्ष हो रही हैं, किसी दस्तावेज या अन्य चीज का पेश किया जाना आवश्यक या वांछनीय है तो जिस व्यक्ति के कब्जे या शक्ति में ऐसी दस्तावेज या चीज के होने का विश्वास है उसके नाम ऐसा न्यायालय एक समन या ऐसा अधिकारी एक लिखित आदेश उससे यह अपेक्षा करते हुए जारी कर सकता है कि उस समन या आदेश में उल्लिखित समय और स्थान पर उसे पेश करे अथवा हाजिर हो और उसे पेश करे ।

(2) यदि कोई व्यक्ति, जिससे इस धारा के अधीन दस्तावेज या अन्य चीज पेश करने की ही अपेक्षा की गई है उसे पेश करने के लिए स्वयं हाजिर होने के बजाय उस दस्तावेज या चीज को पेश करवा दे तो यह समझा जाएगा कि उसने उस अपेक्षा का अनुपालन कर दिया है ।

(3) इस धारा की कोई बात –

(क) भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 (1872 का 1) की धारा 123 और 124 या बैंककार बही साक्ष्य अधिनियम, 1891 (1891 का 13) पर प्रभाव डालने वाली नहीं समझी जाएगी ; अथवा

(ख) डाक या तार प्राधिकारी की अभिरक्षा में किसी पत्र, पोस्टकार्ड, तार या अन्य दस्तावेज या किसी पार्सल या चीज को लागू होने वाली नहीं समझी जाएगी ।

92. पत्रों और तारों के संबंध में प्रक्रिया – (1) यदि किसी जिला मजिस्ट्रेट, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, सेशन न्यायालय या उच्च न्यायालय की राय में किसी डाक या तार प्राधिकारी की अभिरक्षा की कोई दस्तावेज, पार्सल या चीज इस संहिता के अधीन किसी अन्वेषण, जांच, विचारण या अन्य कार्यवाही के प्रयोजन के लिए चाहिए तो वह मजिस्ट्रेट या न्यायालय, यथास्थिति, डाक या तार प्राधिकारी से यह अपेक्षा कर सकता है कि उस

दस्तावेज, पार्सल या चीज का परिदान उस व्यक्ति को, जिसका वह मजिस्ट्रेट या न्यायालय निदेश दे, कर दिया जाए ।

(2) यदि किसी अन्य मजिस्ट्रेट की, चाहे वह कार्यपालक है या न्यायिक, या किसी पुलिस आयुक्त या जिला पुलिस अधीक्षक की राय में ऐसी कोई दस्तावेज, पार्सल या चीज ऐसे किसी प्रयोजन के लिए चाहिए तो वह, यथास्थिति, डाक या तार प्राधिकारी से अपेक्षा कर सकता है कि वह ऐसी दस्तावेज, पार्सल या चीज के लिए तलाशी कराए और उसे उपधारा (1) के अधीन जिला मजिस्ट्रेट, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट या न्यायालय के आदेशों के मिलने तक निरुद्ध रखे ।

ख – तलाशी-वारंट

93. तलाशी-वारंट कब जारी किया जा सकता है – (1)(क) जहां किसी न्यायालय को यह विश्वास करने का कारण है कि वह व्यक्ति, जिसको धारा 91 के अधीन समन या आदेश या धारा 92 की उपधारा (1) के अधीन अपेक्षा संबोधित की गई है या की जाती है, ऐसे समन या अपेक्षा द्वारा यथा अपेक्षित दस्तावेज या चीज पेश नहीं करेगा या हो सकता है कि पेश न करे ; अथवा

(ख) जहां ऐसी दस्तावेज या चीज के बारे में न्यायालय को यह ज्ञात नहीं है कि वह किसी व्यक्ति के कब्जे में है ; अथवा

(ग) जहां न्यायालय यह समझता है कि इस संहिता के अधीन किसी जांच, विचारण या अन्य कार्यवाही के प्रयोजनों की पूर्ति साधारण तलाशी या निरीक्षण से होगी, वहां वह तलाशी-वारंट जारी कर सकता है ; और वह व्यक्ति जिसे ऐसा वारंट निदिष्ट है, उसके अनुसार और इसमें इसके पश्चात् अंतर्विष्ट उपबंधों के अनुसार तलाशी ले सकता है या निरीक्षण कर सकता है ।

(2) यदि, न्यायालय ठीक समझता है, तो वह वारंट में उस विशिष्ट स्थान या उसके भाग को विनिर्दिष्ट कर सकता है और केवल उसी स्थान या भाग की तलाशी या निरीक्षण होगा ; तथा वह व्यक्ति जिसको ऐसे वारंट के निष्पादन का भार सौंपा जाता है केवल उसी स्थान या भाग की तलाशी लेगा या निरीक्षण करेगा जो ऐसे विनिर्दिष्ट है ।

(3) इस धारा की कोई बात जिला मजिस्ट्रेट या मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट से भिन्न किसी मजिस्ट्रेट को डाक या तार प्राधिकारी की

अभिरक्षा में किसी दस्तावेज, पार्सल या अन्य चीज की तलाशी के लिए वारंट जारी करने के लिए प्राधिकृत नहीं करेगी ।

94. उस स्थान की तलाशी, जिसमें चुराई हुई संपत्ति, कूटरचित दस्तावेज आदि होने का संदेह है – (1) यदि जिला मजिस्ट्रेट, उपखंड मजिस्ट्रेट या प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट को इत्तिला मिलने पर और ऐसी जांच के पश्चात् जैसी वह आवश्यक समझे, यह विश्वास करने का कारण है कि कोई स्थान चुराई हुई संपत्ति के निक्षेप या विक्रय के लिए या किसी ऐसी आपत्तिजनक वस्तु के, जिसको यह धारा लागू होती है, निक्षेप, विक्रय या उत्पादन के लिए उपयोग में लाया जाता है, या कोई ऐसी आपत्तिजनक वस्तु किसी स्थान में निक्षिप्त है, तो वह कांस्टेबल की पंक्ति से ऊपर के किसी पुलिस अधिकारी को वारंट द्वारा यह प्राधिकार दे सकता है कि वह –

(क) उस स्थान में ऐसी सहायता के साथ, जैसी आवश्यक हो, प्रवेश करे ;

(ख) वारंट में विनिर्दिष्ट रीति से उसकी तलाशी ले ;

(ग) वहां पाई गई किसी भी संपत्ति या वस्तु को, जिसके चुराई हुई संपत्ति या ऐसी आपत्तिजनक वस्तु, जिसको यह धारा लागू होती है, होने का उसे उचित संदेह है, कब्जे में ले ;

(घ) ऐसी संपत्ति या वस्तु को मजिस्ट्रेट के पास ले जाए या अपराधी को मजिस्ट्रेट के समक्ष ले जाने तक उसको उसी स्थान पर पहरे में रखे या अन्यथा उसे किसी सुरक्षित स्थान में रखे ;

(ङ) ऐसे स्थान में पाए गए ऐसे प्रत्येक व्यक्ति को अभिरक्षा में ले और मजिस्ट्रेट के समक्ष ले जाए, जिसके बारे में प्रतीत हो कि वह किसी ऐसी संपत्ति या वस्तु के निक्षेप, विक्रय या उत्पादन में यह जानते हुए या संदेह करने का उचित कारण रखते हुए संसर्गी रहा है कि, यथास्थिति, वह चुराई हुई संपत्ति है या ऐसी आपत्तिजनक वस्तु है, जिसको यह धारा लागू होती है ।

(2) वे आपत्तिजनक वस्तुएं, जिनको यह धारा लागू होती है, निम्नलिखित हैं :–

(क) कूटकृत सिक्का ;

(ख) धातु टोकन अधिनियम, 1889 (1889 का 1) के उल्लंघन

में बनाए गए अथवा सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 11 के अधीन तत्समय प्रवृत्त किसी अधिसूचना के उल्लंघन में भारत में लाए गए धातु-खंड ;

(ग) कूटकृत करेंसी नोट ; कूटकृत स्टाम्प ;

(घ) कूटरचित दस्तावेज ;

(ङ) नकली मुद्राएं ;

(च) भारतीय दंड संहिता (1860 का 45) की धारा 292 में निर्दिष्ट अश्लील वस्तुएं ;

(छ) खंड (क) से (च) तक के खंडों में उल्लिखित वस्तुओं में से किसी के उत्पादन के लिए प्रयुक्त उपकरण या सामग्री ।

95. कुछ प्रकाशनों के समपहृत होने की घोषणा करने और उनके लिए तलाशी-वारंट जारी करने की शक्ति – (1) जहां राज्य सरकार को प्रतीत होता है कि –

(क) किसी समाचार-पत्र या पुस्तक में ; अथवा

(ख) किसी दस्तावेज में,

चाहे वह कहीं भी मुद्रित हुई हो, कोई ऐसी बात अंतर्विष्ट है जिसका प्रकाशन भारतीय दंड संहिता (1860 का 45) की धारा 124क या धारा 153क या धारा 153ख या धारा 292 या धारा 293 या धारा 295क के अधीन दंडनीय है, वहां राज्य सरकार ऐसी बात अंतर्विष्ट करने वाले समाचार-पत्र के अंक की प्रत्येक प्रति का और ऐसी पुस्तक या अन्य दस्तावेज की प्रत्येक प्रति का सरकार के पक्ष में समपहरण कर लिए जाने की घोषणा, अपनी राय के आधारों का कथन करते हुए, अधिसूचना द्वारा कर सकती है और तब भारत में, जहां भी वह मिले, कोई भी पुलिस अधिकारी उसे अभिगृहीत कर सकता है और कोई मजिस्ट्रेट, उप-निरीक्षक से अनिम्न पंक्ति के किसी पुलिस अधिकारी को, किसी ऐसे परिसर में, जहां ऐसे किसी अंक की कोई प्रति या ऐसी कोई पुस्तक या अन्य दस्तावेज है या उसके होने का उचित संदेह है, प्रवेश करने और उसके लिए तलाशी लेने के लिए वारंट द्वारा प्राधिकृत कर सकता है ।

(2) इस धारा में और धारा 96 में –

(क) "समाचार-पत्र" और "पुस्तक" के वे ही अर्थ होंगे जो प्रेस

और पुस्तक रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1867 (1867 का 25) में हैं,

(ख) "दस्तावेज" के अंतर्गत रंगचित्र, रेखाचित्र या फोटोचित्र या अन्य दृश्यरूपण भी हैं ।

(3) इस धारा के अधीन पारित किसी आदेश या की गई किसी कार्रवाई को किसी न्यायालय में धारा 96 के उपबंधों के अनुसार ही प्रश्नगत किया जाएगा अन्यथा नहीं ।

96. समपहरण की घोषणा को अपास्त करने के लिए उच्च न्यायालय में आवेदन – (1) किसी ऐसे समाचार-पत्र, पुस्तक या अन्य दस्तावेज में, जिसके बारे में धारा 95 के अधीन समपहरण की घोषणा की गई है, कोई हित रखने वाला कोई व्यक्ति उस घोषणा के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से दो मास के अंदर उस घोषणा को इस आधार पर अपास्त कराने के लिए उच्च न्यायालय में आवेदन कर सकता है कि समाचार-पत्र के उस अंक या उस पुस्तक अथवा अन्य दस्तावेज में, जिसके बारे में वह घोषणा की गई थी ; कोई ऐसी बात अंतर्विष्ट नहीं है जो धारा 95 की उपधारा (1) में निर्दिष्ट है ।

(2) जहां उच्च न्यायालय में तीन या अधिक न्यायाधीश हैं, वहां ऐसा प्रत्येक आवेदन उच्च न्यायालय के तीन न्यायाधीशों से बनी विशेष न्यायपीठ द्वारा सुना और अवधारित किया जाएगा और जहां उच्च न्यायालय में तीन से कम न्यायाधीश हैं वहां ऐसी विशेष न्यायपीठ में उस उच्च न्यायालय के सब न्यायाधीश होंगे ।

(3) किसी समाचार-पत्र के संबंध में ऐसे किसी आवेदन की सुनवाई में, उस समाचार-पत्र में, जिसकी बाबत समपहरण की घोषणा की गई थी, अंतर्विष्ट शब्दों, चिह्नों या दृश्यरूपणों की प्रकृति या प्रवृत्ति के सबूत में सहायता के लिए उस समाचार-पत्र की कोई प्रति साक्ष्य में दी जा सकती है ।

(4) यदि उच्च न्यायालय का इस बारे में समाधान नहीं होता है कि समाचार-पत्र के उस अंक में या उस पुस्तक या अन्य दस्तावेज में, जिसके बारे में वह आवेदन किया गया है, कोई ऐसी बात अंतर्विष्ट है जो धारा 95 की उपधारा (1) में निर्दिष्ट है, तो वह समपहरण की घोषणा को अपास्त कर देगा ।

(5) जहां उन न्यायाधीशों में, जिनसे विशेष न्यायपीठ बनी है, मतभेद

है वहां विनिश्चय उन न्यायाधीशों की बहुसंख्या की राय के अनुसार होगा ।

97. सदोष परिरुद्ध व्यक्तियों के लिए तलाशी – यदि किसी जिला मजिस्ट्रेट, उपखंड मजिस्ट्रेट या प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट को यह विश्वास करने का कारण है कि कोई व्यक्ति ऐसी परिस्थितियों में परिरुद्ध है, जिनमें वह परिरोध अपराध की कोटि में आता है, तो वह तलाशी-वारंट जारी कर सकता है और वह व्यक्ति, जिसको ऐसा वारंट निदिष्ट किया जाता है, ऐसे परिरुद्ध व्यक्ति के लिए तलाशी ले सकता है, और ऐसी तलाशी तद्नुसार ही ली जाएगी और यदि वह व्यक्ति मिल जाए, तो उसे तुरंत मजिस्ट्रेट के समक्ष ले जाया जाएगा, जो ऐसा आदेश करेगा जैसा उस मामले की परिस्थितियों में उचित प्रतीत हो ।

98. अपहृत स्त्रियों को वापस करने के लिए विवश करने की शक्ति – किसी स्त्री या अठारह वर्ष से कम आयु की किसी बालिका के किसी विधिविरुद्ध प्रयोजन के लिए अपहृत किए जाने या विधिविरुद्ध निरुद्ध रखे जाने का शपथ पर परिवाद किए जाने की दशा में जिला मजिस्ट्रेट, उपखंड मजिस्ट्रेट या प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट यह आदेश कर सकता है कि उस स्त्री को तुरंत स्वतंत्र किया जाए या वह बालिका उसके पति, माता-पिता, संरक्षक या अन्य व्यक्ति को, जो उस बालिका का विधिपूर्ण भारसाधक है, तुरंत वापस कर दी जाए और ऐसे आदेश का अनुपालन ऐसे बल के प्रयोग द्वारा, जैसा आवश्यक हो, करा सकता है ।

ग – तलाशी संबंधी साधारण उपबंध

99. तलाशी-वारंटों का निदेशन आदि – धारा 38, 70, 72, 74, 77, 78 और 79 के उपबंध, जहां तक हो सके, उन सब तलाशी-वारंटों को लागू होंगे जो धारा 93, धारा 94, धारा 95 या धारा 97 के अधीन किए जाते हैं ।

100. बंद स्थान के भारसाधक व्यक्ति तलाशी लेने देंगे – (1) जब कभी इस अध्याय के अधीन तलाशी लिए जाने या निरीक्षण किए जाने वाला कोई स्थान बंद है तब उस स्थान में निवास करने वाला या उसका भारसाधक व्यक्ति उस अधिकारी या अन्य व्यक्ति की, जो वारंट का निष्पादन कर रहा है, मांग पर और वारंट के पेश किए जाने पर उसे उसमें अबाध प्रवेश करने देगा और वहां तलाशी लेने के लिए सब उचित सुविधाएं देगा ।

(2) यदि उस स्थान में इस प्रकार प्रवेश प्राप्त नहीं हो सकता है तो

वह अधिकारी या अन्य व्यक्ति, जो वारंट का निष्पादन कर रहा है धारा 47 की उपधारा (2) द्वारा उपबंधित रीति से कार्यवाही कर सकेगा ।

(3) जहां किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में, जो ऐसे स्थान में या उसके आसपास है, उचित रूप से यह संदेह किया जाता है कि वह अपने शरीर पर कोई ऐसी वस्तु छिपाए हुए है जिसके लिए तलाशी ली जानी चाहिए तो उस व्यक्ति की तलाशी ली जा सकती है और यदि वह व्यक्ति स्त्री है, तो तलाशी शिष्टता का पूर्ण ध्यान रखते हुए अन्य स्त्री द्वारा ली जाएगी ।

(4) इस अध्याय के अधीन तलाशी लेने के पूर्व ऐसा अधिकारी या अन्य व्यक्ति, जब तलाशी लेने ही वाला हो, तलाशी में हाजिर रहने और उसके साक्षी बनने के लिए उस मुहल्ले के, जिसमें तलाशी लिया जाने वाला स्थान है, दो या अधिक स्वतंत्र और प्रतिष्ठित निवासियों को या यदि उक्त मुहल्ले का ऐसा कोई निवासी नहीं मिलता है या उस तलाशी का साक्षी होने के लिए रजामंद नहीं है तो किसी अन्य मुहल्ले के ऐसे निवासियों को बुलाएगा और उनको या उनमें से किसी को ऐसा करने के लिए लिखित आदेश जारी कर सकेगा ।

(5) तलाशी उनकी उपस्थिति में ली जाएगी और ऐसी तलाशी के अनुक्रम में अभिगृहीत सब चीजों की और जिन-जिन स्थानों में वे पाई गई हैं उनकी सूची ऐसे अधिकारी या अन्य व्यक्ति द्वारा तैयार की जाएगी और ऐसे साक्षियों द्वारा उस पर हस्ताक्षर किए जाएंगे, किंतु इस धारा के अधीन तलाशी के साक्षी बनने वाले किसी व्यक्ति से, तलाशी के साक्षी के रूप में न्यायालय में हाजिर होने की अपेक्षा उस दशा में ही की जाएगी जब वह न्यायालय द्वारा विशेष रूप से समन किया गया हो ।

(6) तलाशी लिए जाने वाले स्थान के अधिभोगी को या उसकी ओर से किसी व्यक्ति को तलाशी के दौरान हाजिर रहने की अनुज्ञा प्रत्येक दशा में दी जाएगी और इस धारा के अधीन तैयार की गई उक्त साक्षियों द्वारा हस्ताक्षरित सूची की एक प्रतिलिपि ऐसे अधिभोगी या ऐसे व्यक्ति को परिदत्त की जाएगी ।

(7) जब किसी व्यक्ति की तलाशी उपधारा (3) के अधीन ली जाती है तब कब्जे में ली गई सब चीजों की सूची तैयार की जाएगी और उसकी एक प्रतिलिपि ऐसे व्यक्ति को परिदत्त की जाएगी ।

(8) कोई व्यक्ति जो इस धारा के अधीन तलाशी में हाजिर रहने और साक्षी बनने के लिए ऐसे लिखित आदेश द्वारा, जो उसे परिदत्त या निविदत्त

किया गया है, बुलाए जाने पर, ऐसा करने से उचित कारण के बिना इनकार या उसमें उपेक्षा करेगा, उसके बारे में यह समझा जाएगा कि उसने भारतीय दंड संहिता (1860 का 45) की धारा 187 के अधीन अपराध किया है ।

101. अधिकारिता के परे तलाशी में पाई गई चीजों का व्ययन – जब तलाशी-वारंट को किसी ऐसे स्थान में निष्पादित करने में, जो उस न्यायालय की जिसने उसे जारी किया है, स्थानीय अधिकारिता से परे है, उन चीजों में से, जिनके लिए तलाशी ली गई है, कोई चीजें पाई जाएं तब वे चीजें, इसमें इसके पश्चात् अंतर्विष्ट उपबंधों के अधीन तैयार की गई, उनकी सूची के सहित उस न्यायालय के समक्ष, जिसने वारंट जारी किया था तुरंत ले जाई जाएंगी किंतु यदि वह स्थान ऐसे न्यायालय की अपेक्षा उस मजिस्ट्रेट के अधिक समीप है, जो वहां अधिकारिता रखता है, तो सूची और चीजें उस मजिस्ट्रेट के समक्ष तुरंत ले जाई जाएंगी और जब तक तत्प्रतिकूल अच्छा कारण न हो, वह मजिस्ट्रेट उन्हें ऐसे न्यायालय के पास ले जाने के लिए प्राधिकृत करने का आदेश देगा ।

घ – प्रकीर्ण

102. कुछ संपत्ति को अभिगृहीत करने की पुलिस अधिकारी की शक्ति – (1) कोई पुलिस अधिकारी किसी ऐसी संपत्ति को, अभिगृहीत कर सकता है जिसके बारे में यह अभिकथन या संदेह है कि वह चुराई हुई है अथवा जो ऐसी परिस्थितियों में पाई जाती है, जिनसे किसी अपराध के किए जाने का संदेह हो ।

(2) यदि ऐसा पुलिस अधिकारी पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी के अधीनस्थ है तो वह उस अधिग्रहण की रिपोर्ट उस अधिकारी को तत्काल देगा ।

[1][(3) उपधारा (1) के अधीन कार्य करने वाला प्रत्येक पुलिस अधिकारी अधिकारिता रखने वाले मजिस्ट्रेट को अभिग्रहण की रिपोर्ट तुरंत देगा और जहां अभिगृहीत संपत्ति ऐसी है कि वह सुगमता से न्यायालय में नहीं लाई जा सकती है [2][या जहां ऐसी संपत्ति की अभिरक्षा के लिए उचित स्थान प्राप्त करने में कठिनाई है, या जहां अन्वेषण के प्रयोजन के लिए संपत्ति को पुलिस अभिरक्षा में निरंतर रखा जाना आवश्यक नहीं समझा

---

[1] 1978 के अधिनियम सं. 45 की धारा 10 द्वारा अंतःस्थापित ।

[2] 2005 के अधिनियम सं. 25 की धारा 13 द्वारा अंतःस्थापित ।

जाता है] वहां वह उस संपत्ति को किसी ऐसे व्यक्ति की अभिरक्षा में देगा जो यह वचनबंध करते हुए बंधपत्र निष्पादित करे कि वह संपत्ति को जब कभी अपेक्षा की जाए तब न्यायालय के समक्ष पेश करेगा और उसके व्ययन की बाबत न्यायालय के अतिरिक्त आदेशों का पालन करेगा :]

[1][परंतु जहां उपधारा (1) के अधीन अभिगृहीत की गई संपत्ति शीघ्रतया और प्रकृत्या क्षयशील हो और यदि ऐसी संपत्ति के कब्जे का हकदार व्यक्ति अज्ञात है अथवा अनुपस्थित है और ऐसी संपत्ति का मूल्य पांच सौ रुपए से कम है, तो उसका पुलिस अधीक्षक के आदेश से तत्काल नीलामी द्वारा विक्रय किया जा सकेगा और धारा 457 और धारा 458 के उपबंध, यथासाध्य निकटतम रूप में, ऐसे विक्रय के शुद्ध आगमों को लागू होंगे ।]

103. मजिस्ट्रेट अपनी उपस्थिति में तलाशी ली जाने का निदेश दे सकता है – कोई मजिस्ट्रेट किसी स्थान की, जिसकी तलाशी के लिए वह तलाशी वारंट जारी करने के लिए सक्षम है, अपनी उपस्थिति में तलाशी ली जाने का निदेश दे सकता है ।

104. पेश की गई दस्तावेज आदि, को परिबद्ध करने की शक्ति – यदि कोई न्यायालय ठीक समझता है, तो वह किसी दस्तावेज या चीज को, जो इस संहिता के अधीन उसके समक्ष पेश की गई है, परिबद्ध कर सकता है ।

105. आदेशिकाओं के बारे में व्यतिकारी व्यवस्था – (1) जहां उन राज्य क्षेत्रों का कोई न्यायालय, जिन पर इस संहिता का विस्तार है (जिन्हें इसके पश्चात् इस धारा में उक्त राज्यक्षेत्र कहा गया है) यह चाहता है कि –

(क) किसी अभियुक्त व्यक्ति के नाम किसी समन की ; अथवा

(ख) किसी अभियुक्त व्यक्ति की गिरफ्तारी के लिए किसी वारंट की ; अथवा

(ग) किसी व्यक्ति के नाम यह अपेक्षा करने वाले ऐसे किसी समन की कि वह किसी दस्तावेज या अन्य चीज को पेश करे, अथवा हाजिर हो और उसे पेश करे ; अथवा

(घ) किसी तलाशी-वारंट की,

---

[1] 2005 के अधिनियम सं. 25 की धारा 13 द्वारा जोड़ा गया ।

[1][जो उस न्यायालय द्वारा जारी किया गया है, तामील या निष्पादन किसी ऐसे स्थान में किया जाए जो–

(i) उक्त राज्यक्षेत्रों के बाहर भारत में किसी राज्य या क्षेत्र के न्यायालय की स्थानीय अधिकारिता के अंदर है, वहां वह ऐसे समन या वारंट की तामील या निष्पादन के लिए, दो प्रतियों में, उस न्यायालय के पीठासीन अधिकारी के पास डाक द्वारा या अन्यथा भेज सकता है ; और जहां खंड (क) या खंड (ग) में निर्दिष्ट किसी समन की तामील इस प्रकार कर दी गई है वहां धारा 68 के उपबंध उस समन के संबंध में ऐसे लागू होंगे, मानो जिस न्यायालय को वह भेजा गया है उसका पीठासीन अधिकारी उक्त राज्यक्षेत्रों में मजिस्ट्रेट है ;

(ii) भारत के बाहर किसी ऐसे देश या स्थान में है, जिसकी बाबत केंद्रीय सरकार द्वारा, दांडिक मामलों के संबंध में समन या वारंट की तामील या निष्पादन के लिए ऐसे देश या स्थान की सरकार के (जिसे इस धारा में इसके पश्चात् संविदाकारी राज्य कहा गया है) साथ व्यवस्था की गई है, वहां वह ऐसे न्यायालय, न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट को निर्दिष्ट ऐसे समन या वारंट को, दो प्रतियों में, ऐसे प्ररूप में और पारेषण के लिए ऐसे प्राधिकारी को भेजेगा, जो केंद्रीय सरकार, अधिसूचना द्वारा, इस निमित्त विनिर्दिष्ट करे ।]

(2) जहां उक्त राज्यक्षेत्रों के न्यायालय को –

(क) किसी अभियुक्त व्यक्ति के नाम कोई समन ; अथवा

(ख) किसी अभियुक्त व्यक्ति की गिरफ्तारी के लिए कोई वारंट ; अथवा

(ग) किसी व्यक्ति से यह अपेक्षा करने वाला ऐसा कोई समन कि वह कोई दस्तावेज या अन्य चीज पेश करे अथवा हाजिर हो और उसे पेश करे ; अथवा

(घ) कोई तलाशी-वारंट,

[1][जो निम्नलिखित में से किसी के द्वारा जारी किया गया है :–

(1) उक्त राज्यक्षेत्रों के बाहर भारत में किसी राज्य या

[1] 1988 के अधिनियम सं. 32 की धारा 2 द्वारा कतिपय शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

क्षेत्र के न्यायालय ;

(2) किसी संविदाकारी राज्य का कोई न्यायालय, न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट,

तामील या निष्पादन के लिए प्राप्त होता है, वहां वह उसकी तामील या निष्पादन ऐसे कराएगा] मानो वह ऐसा समन या वारंट है जो उसे उक्त राज्यक्षेत्रों के किसी अन्य न्यायालय से अपनी स्थानीय अधिकारिता के अंदर तामील या निष्पादन के लिए प्राप्त हुआ है ; और जहां –

(i) गिरफ्तारी का वारंट निष्पादित कर दिया जाता है, वहां गिरफ्तार किए गए व्यक्ति के बारे में कार्यवाही यथासंभव धारा 80 और 81 द्वारा विहित क्रिया के अनुसार की जाएगी,

(ii) तलाशी-वारंट निष्पादित कर दिया जाता है वहां तलाशी में पाई गई चीजों के बारे में कार्यवाही यथासंभव धारा 101 में विहित प्रक्रिया के अनुसार की जाएगी :

[1][परंतु उस मामले में, जहां संविदाकारी राज्य से प्राप्त समन या तलाशी-वारंट का निष्पादन कर दिया गया है, तलाशी में पेश किए गए दस्तावेज या चीजें या पाई गई चीजें, समन या तलाशी-वारंट जारी करने वाले न्यायालय की, ऐसे प्राधिकारी की मार्फत अग्रेषित की जाएंगी जो केंद्रीय सरकार, अधिसूचना द्वारा, इस निमित्त विनिर्दिष्ट करे ।]

क्रमश:..... (आगामी अंक देखें)

[1] 1988 के अधिनियम सं. 32 की धारा 2 द्वारा अंतःस्थापित ।